एकादश माला, खंड 9, अंक 7

शुक्रवार, 28 फरवरी, 1997
9 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र (भाग-I)
(ग्यारहवीं लोक सभा)

ARLIAMENT LIBRARY
No. 56
Date 12.12.97

(खण्ड 9 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

शुक्रवार, 28 फरवरी, 1997/9 फाल्गुन, 1918 (शक)

का

शुद्धि पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
7	नीचे से 3	श्री जी॰एल॰ कनौजिसा	श्री जी॰एल॰ कनौजिया
12	22 के पश्चात	–	(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।
21	नीचे से 6	श्री नीतिश कुमार	श्री नीतीश कुमार
20[illegible]	17	(ख) और (ग)	(ख) और (घ)

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 9, चौथा सत्र (भाग-I), 1997/1918 (शक)]

अंक 7, शुक्रवार, 28 फरवरी, 1997/9 फाल्गुन, 1918 (शक)

विषय	कालम
लोक सभा कार्यवाही को दर्शाने के विशेषाधिकार के बारे में	2—5
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 101 से 105	5—25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 106 से 120	26—63
अतारांकित प्रश्न संख्या 1088 से 1289	63—247
लोक सभा की बैठक के बारे में घोषणा	247—248
सभा पटल पर रखे गए पत्र	248—254
सभा का कार्य	255, 259—261
कॉफी (संशोधन) विधेयक—*पुरःस्थापित*	255—256
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	262—275
श्री चित्त बसु	262—266
श्री राम कृपाल यादव	266—271
श्री हर भजन लाखा	271—275
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	
पांचवां प्रतिवेदन	275—276
अवैध आप्रवसन के बारे में संकल्प	276—302, 304—306
श्री जगत वीर सिंह द्रोण	276—282
श्री द्वारका नाथ दास	282—285
श्री उधव बर्मन	285—290
श्रीमती जयवंती नवीनचंद्र मेहता	290—294
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	294—295
श्री विजय गोयल	295—300
श्री इलियास आजमी	300—302
श्री मनोरंजन भक्त	304—305
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
डाक दरों को युक्ति संगत बनाना	
श्री बेनी प्रसाद वर्मा	303—304

---

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
सामान्य बजट, 1997-98	
श्री पी॰ चिदम्बरम	306—338
वित्त विधेयक, 1997—*पुरःस्थापित*	338—340

लोक सभा

शुक्रवार, 28 फरवरी, 1997/9 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, हमने कल भी यह मुद्दा उठाया था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी, हम लोग इसे प्रश्नकाल के पश्चात लेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : चूंकि कार्यसूची में इसे प्रश्नकाल के पूर्व दर्शाया गया है इसलिए इसे पहले लिया जाना चाहिए। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं...*(व्यवधान)*

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, मद संख्या 11 और 12 को वित्त संबंधी स्थायी समिति को सौंपा जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कार्यसूची के अनुसार इसे प्रश्नकाल के पूर्व लिया जाना चाहिए। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जब हम यह मुद्दा उठायें तो आप कृपया इसे वित्त संबंधी स्थायी समिति को सौंप दें। हमें इस बात की जानकारी है कि इसे एक अध्यादेश के रूप में जारी किए जाने के कारण ऐसा करने में कठिनाई है। अतः, इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। मैं आपसे यही कहता हूं कि इस 'रिकन्स्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया' को एक निवेश कम्पनी के रूप में बदला जा रहा है...*(व्यवधान)*

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : 'पुनर्गठन' को 'निवेश' के रूप में बदला जा रहा है। यह एक खतरनाक बात है। एक खतरनाक खेल है।

[हिन्दी]

आप इसको बंद कर दीजिए।

[अनुवाद]

यह आपका बैंक था।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : यह आपत्ति तभी उठायी जानी चाहिए जब कार्यसूची में यह मुद्दा आता है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसका अर्थ यह है कि परामर्श के लिए कोई समय नहीं बचेगा।

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर-पूर्व) : जब कार्यसूची के अनुसार यह मुद्दा उठाया जाए तभी इसकी आपत्ति होनी चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, श्री प्रमोद महाजन को यह समझना चाहिए क्योंकि इसकी एक सीमा है...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : मैं न केवल उनकी बातों को समझ रहा हूं अपितु इसे वापस लिए जाने संबंधी उनके विचारों का भी समर्थन करता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह आज भी नहीं लिया जा सकता यह सोमवार या मंगलवार को लिया जा सकता है। लेकिन जब यह लिया जाएगा तब स्थायी समिति के पास इस पर विचार करने का भी समय नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि श्री जसवंत सिंह और श्री प्रमोद महाजन का कहना ठीक है। आप यह मुद्दा तभी उठायें जब हम उस विशेष कार्य को लेते हैं।

श्री प्रमोद महाजन : उन्हें सरकार से यह अनुरोध करना चाहिए कि वह इसे कार्य सूची से निकाल दें।

अध्यक्ष महोदय : आपका यह कहना उचित है कि जब यह मुद्दा लिया जाएगा तब हम जिस चीज की मांग कर रहे हैं उसके लिए समय की कमी होगी। मैं इस संबंध में वित्त मंत्री और संसदीय कार्यमंत्री से जिन्होंने यह विधेयक पेश किया है, चर्चा करूंगा और उचित कार्यवाही करूंगा।

श्री रूप चंद पाल (हुगली) : प्रश्नकाल में कोई बाधा उत्पन्न किए बिना मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही बाधा उत्पन्न कर चुके हैं।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

लोक सभा कार्यवाही को दर्शाने के विशेषाधिकार के बारे में

[अनुवाद]

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने दूरदर्शन के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण को संसद की कार्यवाही दिखाने की अनुमति दी है क्योंकि मैंने देखा है कि पूरे देश में यह प्रचार किया जा रहा है कि स्टार टी॰वी॰ को बजट संबंधित संसदीय कार्यवाही को दिखाये जाने का विशिष्ट अधिकार दिया गया है। वे 12 फरवरी से ही पैसा संग्रह करने में लगे हैं। इसके बारे में कोई नहीं जानता। बजट भाषण अथवा सभा में दिए गए अन्य किसी भाषण के बीच भी उन्होंने शराब और सिगरेट के विज्ञापन सहित अन्य विज्ञापन दिखाने का प्रस्ताव रखा है।

महोदय, क्या उन्होंने आपसे अनुमति ली है?

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मैं समझता हूं कि इस मुद्दे को कब उठाया जाए, इसमें मतभेद हो सकता है लेकिन यह मुद्दा अपने आप में ही पर्याप्त है और इससे संबंधित पहलुओं पर-टेलीविजन कम्पनियों और अन्य लोग, और टेलीविजन कम्पनियां या जो भी पूरे पृष्ठ का विज्ञापन दे रहे हैं, द्वारा बजट प्रस्तावों को समय से पूर्व घोषणा करने संबंधी मुद्दा-सभा का विशेषाधिकार है। क्या इसका मतलब यह

है कि उन्हें उस बात को दिखाने का विशिष्ट अधिकार प्राप्त है जो हमारा भी विशिष्ट अधिकार नहीं है?

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : हम बेचे जाने की वस्तु नहीं हैं।

श्री जसवंत सिंह : वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री को ही दोपहर 4 बजे तक यह विशिष्ट अधिकार प्राप्त है। मंत्रिमंडल भी इसमें शामिल नहीं है। निसंदेह हम इसमें शामिल नहीं हैं। लेकिन यदि हमें इसकी सूचना नहीं दी गई, संसद को इस सूचना से वंचित रखा गया और अन्य सदन को तब तक इसकी जानकारी नहीं होगी जब तक कि पूरा बजट प्रस्तुत न हो जाए, तब मेरे विचार से सरकार को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि बजट संबंधी प्रस्तावों को, आज ही नहीं अपितु पहले भी कुछ निजी कम्पनियों और व्यक्तियों के साथ, बांटना कैसे संभव था। इससे यह भी पता चलता है कि इन प्रस्तावों को उद्योगपतियों के साथ भी बांटा गया है। अतः हमें आज एक स्पष्टीकरण चाहिए... *(व्यवधान)*

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, आपने सदैव ही इस सभा की गरिमा बचायी है और राष्ट्र इसके लिए आपका आभारी है। आपने सदैव इस संस्था की रक्षा की है।

इस समाचार से एक ऐसी खराब स्थिति उत्पन्न हो गई है कि स्टार दूरदर्शन और वित्त मंत्रालय के प्राधिकारी के बीच की कलई जिस तरह खुली है वह संसद की गरिमा के लिए अपमानजनक है। अतः, यही उचित समय है कि बजट पेश, किए जाने के पूर्व इस मामले का अंततः आपके द्वारा इस सभा में निपटान किया जाना चाहिए। हम यह अपमान सहन नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघन प्रसाद सिंह [बलिया (बिहार)] : यह सदन का अपमान है।...*(व्यवधान)* बजट में विज्ञापन दिखाना गलत परंपरा होगी।...*(व्यवधान)* यह परंपरा का निर्वाह नहीं होगा। आप इस पर कुछ रूलिंग दीजिए।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : श्रीमान्, बजट संबंधी मामलों को, प्रस्तुत किए जाने से पहले एक निजी टी॰वी॰ चैनल के माध्यम से सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा हमारा विचार है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई उत्तर पूर्व) : श्रीमान्, आपको संसदीय कार्यवाही को प्रसारित करने का विशिष्ट अधिकार है।

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : यह कहने के लिए उनके पास क्या अधिकार है कि उन्हें बजट के रखे जाने के दो घण्टे पहले बजट संबंधी कागजात चाहिए? दो घण्टे पहले, उन्हें बजट संबंधी कागजात चाहिए, तब जबकि वह संसद को भी, बजट को रखे जाने से पहले, प्राप्त न हुए हों।

आपको इसे सहन नहीं करना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपने अपनी बात कह दी है। मुझे पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री को सुनने दीजिए जो कुछ कहना चाहती हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : बजट की गोपनीयता का तो यहां तक महत्व होता था कि अगर संकेत और इशारे में भी कोई बात कह दी जाती थी तो बजट की गोपनीयता को भंग किया हुआ माना जाता था। आपको याद होगा कि एक बार एक वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करने से पहले अपने एक मित्र को यह कह दिया कि आज आप सिगरेट पी लो, कल से तो मंहगी हो जाएगी। इसको यह माना गया कि सिगरेट पर टैक्स लगने जा रहा है पर यहां तो पूरा का पूरा बजट शेयर किया जा रहा है और टैलीकास्टिंग राइट्स दिये जा रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बात नहीं है। प्रसारण के अधिकार संबंधी बात उठायी जा रही है और बजट के विषयों को नहीं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : बजट की प्रक्रिया भंग की गई है। बजट प्रपोजल जैसा जसवंत सिंह जी ने कहा कि शेयर किये गए हैं और एक प्राइवेट चैनल के साथ शेयर किये गए हैं। यह बहुत गंभीर मसला है।. ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब मुझे कहने दीजिए। सबसे पहले, मैं कहना चाहूंगा कि मुझे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है कि प्रश्न काल के दौरान पहला प्रश्न अध्यक्ष से पूछा जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से, आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात उठायी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। माननीय सदस्यों आप ऐसा नहीं कह सकते। अपने स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : श्रीमान्, मैं इस बात के लिए सूचना पहले ही दे चुका हूं जिसके बारे में मैं सोचता था कि जब बजट प्रस्तुत किया जाएगा तब इसे लिया जाएगा। जबकि मैं सूचना दे चुका हूं, मुझे वंचित किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है, कुछ विलम्ब हो सकता है।

श्री राम नाईक : नहीं श्रीमान्, मैं नहीं जानता।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब; वह मामला उठा है। हम आपकी सूचना पर ध्यान देंगे। वह सब ठीक है।

मैं यही कह सकता हूं कि संसद की कार्यवाही को प्रसारित करने का विशिष्ट अधिकार दूरदर्शन और केवल दूरदर्शन को ही दिया गया है।

यदि अन्य एजेंन्सियां संसद की कार्यवाही को प्रसारित करने के लिए एक अंश चाहती हो तो उन्हें इसे दूरदर्शन से लेना होगा। संसद द्वारा यह भी शर्त रखी गयी है-ऐसा संसदीय विशेषाधिकारों के अधीन होगा। यह शर्त रखी गयी है। इस प्रकार, संसदीय कार्यवाही को प्रसारित करने का विशिष्ट अधिकार केवल दूरदर्शन के पास ही है और किसी दूसरे के पास नहीं है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : परन्तु सूचना और प्रसारण मंत्री ने इन मार्ग निर्देशों का उल्लंघन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय पहले ही इन मार्गनिर्देशों का उल्लंघन कर चुकी है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मेरे विचार से ऐसा नहीं है। मेरे विचार से ऐसी बात नहीं है। जहां तक हमारा संबंध है, हमने दूरदर्शन को विशिष्ट अधिकार दिए हैं। मैं कह चुका हूं कि यदि दूरदर्शन किसी अन्य एजेन्सी को कार्यवाही की रिकार्डिंग का अंश देना चाहता है तो वे इसे संसदीय विशेषाधिकारों के अधीन दे सकते हैं। इस प्रकार यह उनका काम है कि वे इसका ध्यान रखें।

श्रीमती सुषमा स्वराज : परन्तु उन्हें बजट संबंधी कागजात इसको प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् दिए जाते हैं...*(व्यवधान)* परन्तु सुनने में यह आ रहा है कि रिकार्डिंग पहले ही कर ली जाती है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु जिस प्रकार से यह बात फैलाई जा रही है, इससे ऐसा लगता है कि गुमराह किया जा रहा है। मैं सोचता हूं सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। मैं पता लगाऊंगा इस प्रकार से कैसा हुआ।

अब प्रश्न संख्या 101, श्री राम कृपाल यादव

पूर्वाह्न 11.12 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

\+

***101. श्री राम कृपाल यादव :**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए बहुत सारे व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के मामलों में की जा रही कार्यवाही की सरकार द्वारा समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) सदन पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) की धारा 35 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों को मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो या तो उन्हें विशेष अवधि के लिए न्यायिक हिरासत के लिए प्रतिप्रेषित करते हैं अथवा उन्हें जमानत पर रिहा करते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए और तदनन्तर रिहा किए गए व्यक्तियों के क्षेत्रवार आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	1994	1995	1996
क्षेत्र			
मुम्बई	151	*116	90
कलकत्ता	103	13	29
दिल्ली	40	32	19
जालंधर	13	13	28
चेन्नई	58	54	47
	365	228	213

फेरा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों से संबंधित आंकड़ों का राज्यवार नहीं रखा गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। फिर भी, सरकार प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उत्पीड़न को रोकने हेतु की गई कार्रवाई पर नियमित रूप से निगरानी रखती है।

श्री संतोष मोहन देव : नए मंत्री द्वारा पहला उत्तर।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो जवाब दिया है, उसके अनुसार इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि अभी तक फेरा कानून जैसे महत्वपूर्ण अधिनियम से रहते हुए भी बड़े पैमाने पर फेरा कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है अगर

इसको ठीक ढंग से कंट्रोल नहीं किया गया, सख्ती नहीं बरती गई तो हमारे देश की वित्तीय स्थिति चरमरा जायेगी। इन्होंने स्पष्ट रूप से अपने जवाब में कहा है कि यह बात जरूर है कि 1994-96 में फेरा कानून के अंतर्गत जो केसेज हुए हैं उनकी संख्या कम जरूर हुई है, लेकिन वे रूक नहीं रहे हैं या उनमें बहुत कमी नहीं हो पा रही है। मंत्री जी ने आंकड़े दिये हैं कि मुम्बई क्षेत्र में 1994 में 151, 1995 में 116 और 1996 में 90, कलकत्ता में 1994 में 103, 1995 में 13 और 1996 में 29, दिल्ली में 1994 में 40, 1995 में 32 और 1996 में 19, इसी तरह जालंधर में 1994 में 13, 1995 में 13 और 1996 में 28, इसमें केसेज बढ़े हैं और चेन्नई में 1994 में 58, 1995 में 54 और 1996 में 47 केसेज हुए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ये जो केसेज हुए हैं और जो व्यक्ति पकड़े गये हैं, इन्होंने इसमें पूरे देश में टोटल 213 केसेज दर्ज होना बताया है, उसमें कितने रुपये का इन्वोल्वमेंट है, आपने केसेज तो बता दिये, किंतु इसमें कितनी अमाउंट की हेरा-फेरी हुई है, मेरा पहला सवाल यही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा सवाल है।

श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार : मैं सभा में पहली बार प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। इसीलिए यदि कुछ कहते हुए मैं आपका अनुग्रह चाहता हूं।

श्री संतोष मोहन देव : चिन्ता की कोई बात नहीं।

श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के संबंध में, माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि मामलों में कमी क्यों हो रही है। उन्होंने लिखित उत्तर में मुम्बई और अन्य के बारे में दिए गए आंकड़ों को उल्लिखित किया है। इस समय भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमन पहले जैसे नहीं हैं। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम क्या कर सकता है? जब कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमन या भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंधों का उल्लंघन कोई भी करता है तो प्रवर्त्तन निदेशालय तुरन्त कार्रवाई करता है।

तभी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम लागू किया जाता है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के मामलों में ऐसा होता है।

[हिन्दी]

श्री बी॰एल॰ कमीजिसा : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है लेकिन मंत्री जी सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें उत्तर देने दीजिए। विशिष्ट प्रश्न जो कि माननीय सदस्य ने पूछा है, इसमें संलिप्त कुल धनराशि कितनी है। यह पर्याप्त होगा यदि आप उन आंकड़ों को दे दें।

श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम उल्लंघन मामलों में, जिस पर अभी तक कारण बताओ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, संलिप्त धनराधि 2600 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न मे यह भी पूछा था कि क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के मामलों में की जा रही कार्यवाही की सरकार द्वारा समीक्षा की गई है या नहीं, जिसके उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि ऐसी कोई समीक्षा नहीं की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि जब फेरा वायोलेशन के मामले दर्ज किये जाते हैं तो मुझे लगता है, ऐसा अहसास होता है कि कुछ अधिकारियों द्वारा जानबूझ कर कमजोर केस दर्ज कर लिए जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर अभियुक्त बेल पर छूट जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जब हमारा फेरा कानून इतना सख्त है कि उसके अंतर्गत अगर ठीक ढंग से केस दर्ज किया जाए तो तुरन्त बेल पर छूटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, अभियुक्त को सजा अवश्य मिलेगी, मैं समझता हूं कि समीक्षा न होने के कारण ऐसी स्थिति पैदा होती है।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की ओर से ऐसे अधिकारियों पर वाच रखी जाती है या नहीं? आपके विभाग में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से फेरा कानून के अंतर्गत जिन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, वे गिरफ्तार नहीं हो पाते क्योंकि उनके खिलाफ ठीक ढंग से केस दर्ज नहीं किया जाता, वे आराम से जमानत पर रिहा हो जाते हैं। इसलिए ऐसे मामलों की समीक्षा करना बहुत जरूरी है क्योंकि कमजोर एफ॰आई॰आर॰ के कारण, भ्रष्ट अधिकारियों की गड़बड़ी की वजह से, अभियुक्त आराम से छूट जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि यदि सरकार ने ऐसे अधिकारियों पर वाच रखी है तो अब तक कितने अधिकारियों को पनिश किया गया है। यदि समीक्षा अब तक नहीं की गई है तो यह सरकार की कमजोरी है, आप समीक्षा करवाइए, यही मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से, आपने प्रश्न पूछ लिया है।

श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार : श्रीमान् इससे कैसे निपटा गया वह इस प्रकार है। प्रवर्त्तन निदेशालय के पास जुर्माना और ऐसे अन्य कार्य करने के अपने अधिकार है।

दूसरी बात, वे उनके विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल करते हैं और उन्हें न्यायालय ले जाते हैं। और न्यायालय क्या करते हैं? वे उन्हें जमानत पर छोड़ देते हैं।

तीसरी बात, वे गिरफ्तार किए जाने संबंधी सभी विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब किसी आपराधिक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो गिरफ्तारी की जा सकती है। एक और अधिनियम है जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। लोगों को गिरफ्तार किया जाता है यह गिरफ्तारी प्रतिदिन के मामले के समान नहीं की जाती है जब हम देखते हैं कि कोई बार-बार अपराध करता है, कोई लगातार उल्लंघन करता जाता है तो हम उसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार करते हैं। जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अंतर्गत पकड़ा जाता है, उनकी प्रत्येक दो महीनों में एक बार समीक्षा के लिए एक बोर्ड है। उन्हें दो वर्षों तक नजरबंद रखा जा सकता है। परन्तु मूलभूत अधिकारों के अधीन, वे एक उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। सत्र न्यायालयों में इसके लिए कोई अपील नहीं है। वे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। माननीय सदस्यों की सूचना के लिए, मैं कहना चाहूंगा कि कई लोग, जिन्हें हम बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों के रूप में गिरफ्तार करते हैं, न्यायालयों में गए हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैं जानना चाहता था कि जिन अधिकारियों की वजह से कमजोर केस दर्ज किए जाते हैं, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपको इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। मैंने इसे अनुमति नहीं दी है।

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, कांग्रेस के सदस्यों को भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : श्रीमान् यह विवरण उनसे संबंध रखता है जिन्हें गिरफ्तार कर रिहा कर दिया गया था। आंकड़ा 213 रिहा किए गए व्यक्तियों को दर्शाता है। मेरा प्रश्न है : विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अंतर्गत कितने लोगों को दोषी पाया गया और विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अंतर्गत अधिकारियों द्वारा कितना धन संग्रहित किया गया? यदि माननीय मंत्री के पास आंकड़े हैं, तो उन्हें देने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास आंकड़े हैं?

श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार : उचित सूचना के आधार पर मैं आंकड़े प्रस्तुत करूंगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह उनका पहला जवाब है। आप यह क्यों नहीं सोचते? वे पहली बार उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री देवी प्रसाद पाल भूतपूर्व वित्त मंत्री हैं। उनको अधिक ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए मैं उनको एक मौका दे रहा हूं। आपको भी मौका मिलेगा।

डा॰ देवी प्रसाद पाल : जब विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम के अंतर्गत तथाकथित उल्लंघन या उल्लंघन की धमकी के लिए कोफेपोसा अधिनियम के अंतर्गत रोक लगाई जाती है तो क्या पूरे मामले पर उच्च स्तर पर किसी प्रकार विचार करने की आवश्यकता है। मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कई मामलों में जहां कोफेपोसा अधिनियम के अंतर्गत कुछ लोगों के विरूद्ध कार्यवाही शुरू की गई थी, अंततः यह पाया गया कि उनके विरूद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं था। यह संबद्ध अधिकारी की इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहूंगा कि क्या कोई उच्चस्तरीय समिति है जो इस बात पर विचार कर सके कि क्या कोफेपोसा किसी व्यक्ति विशेष पर लागू होगा। यह मेरे प्रश्न का पहला भाग है। दूसरा भाग

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूरा करें। पहला, दूसरा, तीसरा भाग जैसी कोई चीज नहीं है। आप स्वयं मंत्री रह चुके हैं। आप भी प्रश्नों के उत्तर देते रहे हैं। आपको माननीय मंत्री की स्थिति समझनी चाहिए।

डा॰ देवी प्रसाद पाल : मैं एक और बात जानना चाहता हूं। यह कहना ठीक नहीं है कि जब कोफेपोसा के अंतर्गत गिरफ्तारी की जाती है या रोक लगाई जाती है तो जब तक सलाहकार मंडल मामले पर विचार न कर ले तब तक न्यायालय में जाना संभव नहीं है। इसलिए, कितने मामलों में व्यक्ति न्यायालय गए हैं और कितने मामलों में पार्टी या बंदी को न्यायालय ने मुक्त किया है? क्या माननीय मंत्री इसका जवाब देंगे?

श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार : माननीय सदस्य ने आंकड़े मांगे हैं। वर्ष 1994 में कोफेपोसा के अंतर्गत सलाहकार मंडल और उच्च न्यायालयों द्वारा 119 निषेधादेश जारी किए गए, 77 व्यक्तियों को रोका गया और 21 व्यक्तियों को मुक्त किया गया। वर्ष 1995 में 70 आदेश जारी किए गए, 17 व्यक्तियों को रोका गया और 19 व्यक्तियों को मुक्त किया गया। वर्ष 1996 में 53 आदेश जारी किए गए, 48 व्यक्तियों को रोका गया और 10 व्यक्तियों को मुक्त किया गया। जहां तक कोफेपोसा का संबंध है, इस पर उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी : फेरा काफी समय से है। 1973 में फेरा में एक संशोधन किया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार फेरा अधिनियम में और संशोधन करना चाहती है या इसे समाप्त करना चाहती है।

श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार : मैंने यह पहले ही कहा है यह उच्च स्तरीय समिति के विचाराधीन है। मैं और अधिक ब्यौरे नहीं दे सकता।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न है कि क्या निकट भविष्य में फेरा अधिनियम में संशोधन करने की आपकी कोई योजना है?

श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार : यह विचाराधीन है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। आपको प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं मिली है।

[हिन्दी]

श्री जी॰एल॰ कनौजिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने केसेस हैं जिनमें अधिकारियों ने प्रैशर में आकर ऐसे आधारों पर एफ॰आई॰आर॰ दाखिल किए हैं जो बहुत ही कमजोर आधार हैं और जिनके बारे में कोर्ट ने भी कमेंट्स किए हैं कि इन केसेस में कमजोर एफ॰आई॰आर॰ के कारण केसेस नहीं चलाए जा सकते हैं?

[अनुवाद]

श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार : माननीय सदस्य ने एक खास प्रश्न पूछा है। मैं कह नहीं सकता कि कितने मामलों में न्यायालयों ने टिप्पणियां की हैं। मैंने केवल यही कहा है कि कुछ व्यक्ति मुक्त किए गए हैं। जब उन्हें मुक्त कर दिया गया तो उनके विरूद्ध कोई मामला नहीं रहता।

श्री जी॰एल॰ कनौजिया : न्यायालय ने यह टिप्पणी दी कि कुछ मामलों में आपकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सही ढंग से तैयार नहीं की गई है और कुछ मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज ही नहीं कराई गई थी या उसमें कोई कमी थी।

श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार : चूंकि सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है अतः हम सूचना एकत्र करके प्रस्तुत करेंगे।

[हिन्दी]

नोटों की छपाई

***102. श्री थावरचन्द गेहलोत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अधिक मूल्य वर्ग वाले करेंसी नोटों की छपाई का ठेका किसी जापानी कंपनी को देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बैंक नोट प्रेस, देवास तथा करेंसी नोट प्रेस, नासिक की छपाई क्षमता कितनी है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान इन प्रेसों में अधिक मूल्य वर्ग वाले कितने करेंसी नोटों की छपाई हुई हैं;

(ङ) क्या इंटरपोल ने सरकार को आगाह किया है कि जापानी कंपनी द्वारा मुद्रित नोटों की नकल कर नकली नोट आसानी से छापे जा सकते हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) बैंक नोट प्रेस, देवास और करेंसी नोट प्रेस, नासिक की वर्तमान मुद्रण क्षमता निम्नानुसार है:-

बैंक नोट प्रेस, (बी॰एन॰पी॰) (देवास-1875 मिलियन अदद प्रतिवर्ष। करेंसी नोट प्रेस (सी॰एन॰पी॰) नासिक-4000 मिलियन अदद प्रतिवर्ष।

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान बी॰एन॰पी॰ और सी॰एन॰पी॰ में छापे गए 100 रुपए और 500 रुपए के उच्च मूल्यवर्ग के नोटों की संख्या इस प्रकार थी :-

(आंकड़े मिलियन अदद में)

	1994-95		1995-96	
मूल्यवर्ग	बी॰एन॰पी॰	सी॰एन॰पी॰	बी॰एन॰पी॰	सी॰एन॰पी॰
100 रुपए	904	451	882	469
500 रुपए	88	शून्य*	105	शून्य*

* 500 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों की छपाई केवल बी॰एन॰पी॰ में की जाती है।

(ङ) वित्त मंत्रालय इंटरपोल की ऐसी कोई चेतावनी से अवगत नहीं है कि जापान द्वारा मुद्रित नोटों की नकल कर आसानी से नकली नोट छापे जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बड़े वर्ग मूल्य के नोट भारतीय कारखाने अर्थात् देवास और नासिक के अलावा विदेश से या अन्य किसी संस्था से छपवाने की योजना क्या इस सरकार की है? यदि है तो क्यों है?

[अनुवाद]

श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार : अब मुद्रा दो जगहों, एक देवास दूसरा नासिक में छपती है। हमारे पास मुद्रा की कमी है। हमने अब तक विदेश से छपवाने की योजना के लिए आर्डर नहीं दिए हैं परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक इस पर विचार कर रहा है...*(व्यवधान)* मैं आपको पूरी स्थिति बताऊंगा जिससे आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने में कठिनाई नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या हम ठेका दे सकते हैं। हमें अन्य राष्ट्रों से तीन और निजी व्यक्तियों से तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस संबंध में एक प्रस्ताव है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक विचार कर रहा है।

जैसी कि अब स्थिति है, यद्यपि हमारे यहां सिक्कों की कमी है–मैं मूल्य की बात नहीं कर रहा; अगर आप चाहते हैं तो मेरे पास इसके मूल्य के संबंध में भी आंकड़े हैं–मात्रा को देखा जाए तो हम कम छापते हैं। देश की जितनी आवश्यकता है उतना उतना इन दो जगहों से नहीं छप सका। स्थिति यह है।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का आधा ही जवाब आया है। इन्होंने इसका तो उत्तर दिया ही नहीं कि किन परिस्थितियों में यह ऐसा कर रहे हैं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री जी इस सदन को यह बतायेंगे कि पिछले तीन वर्षों में सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन दोनों कारखानों से किस–किस प्रकार के कितने–कितने नोट छापने की मांग की थी और इन कारखानों ने पिछले तीन वर्षों में उस मांग की पूर्ति के लिए कितने–कितने नोट छापकर दे दिये? मेरा निवेदन यह है कि कारखाने नोट छापने के लिए सक्षम हैं और जितनी मांग थी उससे अधिक ही छाप कर दिये हैं। फिर यह कमी कैसे बता रहे हैं। अभी भी 80 मिलियन नोट देवास बैंक नोट प्रेस में छपे हुए पड़े हैं लेकिन यह उनकी मांग नहीं कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री के पास कुछ ऐसी जानकारी है जो सही नहीं है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी पढ़ रहे हैं। उन्हें पढ़ना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उस प्रकार न कहें। आप भी किसी दिन मंत्री बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि कोई केन्द्र में ही मंत्री बने; राज्य में भी बन सकता है। कृपया इसका बुरा मत मानें।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : महोदय, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार : संभवतः कुछ माननीय सदस्य यह सोच रहे होंगे कि गत वर्षों में इन दो प्रेसों की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया गया था। वर्ष 1996–97 में, उत्पादन का आंकड़ा 5940 मिलियन सिक्कों का था; आवश्यकता 16,00 मिलियन सिक्कों की थी; कमी 6,840 मिलियन सिक्कों की है।

वर्ष 1997–98 के दौरान उत्पाद 7,560 मिलियन नोटों का होगा; आवश्यकता 14,400 मिलियन नोटों की; और कमी 6,840 मिलियन नोटों की होगी। 1998–99 के दौरान उत्पादन 10,390 मिलियन नोटों का, आवश्यकता 15,890 मिलि्यन नोटों की और कमी 5,300 मिलियन नोटों की होगी।

हम समझते हैं–मैं आपको भविष्य तक के आंकड़े दे रहा हूं–कि यही प्रवृत्ति भविष्य में भी कायम रहेगी। वर्ष 1999–2000 में उत्पादन 16,650 मिलियन नोटों का, आवश्यकता 18,800 मिलियन नोटों और कमी 2240 मिलियन नोटों की होगी। वर्ष 2000–01 में उत्पादन 16,700 मिलियन नोटों का, आवश्यकता 21,050 मिलियन नोटों की और कमी 4350 मिलियन नोटों की होगी। मैं आपको अंतिम आंकड़े भी दे रहा हूं। वर्ष 2004–05 में हमारा कुल उत्पादन 19020 मिलियन नोटों का होगा और कमी 12,680 मिलियन नोटों की होगी। यह स्थिति है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने आधा जवाब ही दिया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, पूरा दे दिया है।

[अनुवाद]

श्री एन॰एस॰वी॰ चित्थन : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि छोटे नोटों जैसे एक रुपया, दो रुपया और पांच रुपये के नोटों की छपाई बहुत कम हो रही है, यदि हां, तो क्या सरकार निर्धन और मध्यम वर्ग के लोगों की सहायता के लिए इन नोटों को छापने का कार्य फिर शुरू करेगी?

उदाहरण के लिए, सरकार पोस्ट कार्ड छपा कर 15 पैसे प्रति पोस्टकार्ड की दर से बेच रही है और अन्तर्देशीय पत्र तो उससे भी कम कीमत पर छप रहे हैं? इसी भावना के अनुसरण में क्या सरकार एक रुपये, दो रुपये और पांच रुपये के नोट छापना फिर से शुरू करेगी? ...*(व्यवधान)*

श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार : पहले हम एक, दो और पांच रुपये के नोट छाप रहे थे अब यह स्थिति है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने एक, दो और पांच रुपये के नोट छापने बन्द कर दिये हैं और हम इनके सिक्के बना रहे हैं। अतः हम सिक्के बनाते और नोट नहीं छापते।

श्री एन॰एस॰वी॰ चित्थन : महोदय, वह पर्याप्त नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह पर्याप्त है। अब अगला प्रश्न सुनें।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्र कर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि बाजार में एक और दो के नोटों का सख्त अभाव है और जो नोट हैं, वे भी कटे–फटे हुए हैं। एक और दो के नए नोटों की दुगने और चौगुने दामों पर ब्लैकमेलिंग हो रही है। इन परिस्थितियों को देखते हुए क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि एक और दो के नोट छापने के बारे में क्या कदम उठाएगी और यदि उठाएगी तो कब तक?

[अनुवाद]

श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार : माननीय सदस्य ने कहा है कि एक, दो और पांच रुपये के नोटों की कमी है। सरकार एक, दो और पांच रुपये के नोट नहीं छपाती। केवल सिक्के निर्मित किए जाते हैं और हम जानते हैं कि यह कमी हैं। हम आवश्यकता का 1/4 भाग सिक्के ही बना पाते हैं। नोटों की छपाई और सिक्कों की घडत के लिए पूरे देश में केवल चार टकसालें हैं जिसका केन्द्र हैदराबाद है। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि सरकार क्या उपाय करने जा रही है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कुछ पुरानी मशीनें हैं और हम कुछ नई मशीनें लगा रहे हैं। हम सम्पूर्ण प्रणाली का नवीकरण कर रहे हैं। चूंकि यह स्थिति बरकरार नहीं रहनी चाहिए अतः सरकार गम्भीरतापूर्वक इस मामले पर विचार कर रही है। अतः सिक्कों की टकसाल, नोटों के मुद्रण के बारे में, सरकार टकसाल की मशीनरी सहित समस्त कार्य-पद्धति का अध्ययन करके कोई समाधान सुझाएगी...*(व्यवधान)*

मारुति उद्योग

+

***103 श्री चित्त बसु :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुजुकी मोटर द्वारा सरकार से मारुति उद्योग को उसे बेच दिए जाने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) सुजुकी मोटर कारपोरेशन के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने अपने पत्र में अन्य बातों के साथ, प्रस्ताव किया है कि "मारुति के शेयरों को सूचीबद्ध करवाकर अथवा सरकार के शेयर सुजुकी को बेचकर अथवा विलोमतः, मारुति के प्रबंधन को सीधा किया जाए।"

(ख) सरकार मारुति उद्योग लिमिटेड की विद्यमान इक्विटी संरचना में किसी प्रकार के परिवर्तन अथवा सुजुकी मोटर कारपोरेशन के पक्ष में अपने शेयरों के विनिवेश पर इस समय विचार नहीं कर रही है।

श्री चित्त बसु : मान्यवर, यह तो आप को विदित ही है कि हमारे देश में मारुति उद्योग अच्छा मुनाफा कमाने वाला उद्योग है।

आशा है इस वर्ष यह उद्योग 500 करोड़ रुपये का सकल लाभ अर्जित करेगा। इस समय ऐसा अनुमान है कि कम्पनी का बाजार मूल्य 18,000 करोड़ रुपये है। इसमें सुजुकी मोटर कारपोरेशन का योगदान 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। इस तथ्यों को देखते हुए ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि एस॰ एम॰ सी॰ मारुति उद्योग लिमिटेड को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है और भारतीय बाजार का उपयोग कर अत्यधिक मुनाफा कमाना चाहती है।

इस आशंका को देखते हुए, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह इस सभा को यह आश्वासन दें कि सरकार मारुति उद्योग जो लाभ कमाने वाली कम्पनी है, उसे विनिवेश की अनुमति न दे।

क्या वह कम्पनी में सरकार की इक्यूटी को कम करने से बचाने के लिए कोई उपाय करेगी?

श्री मुरासोली मारान : महोदय, माननीय सदस्य को आशंका होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने अपने वक्तव्य में यह स्पष्ट कर दिया है। सरकार वर्तमान इक्यूटी में अभी किसी परिवर्तन पर विचार नहीं कर रही।

श्री चित्त बसु : अभी नहीं।

श्री मुरासोली मारान : मैं अनिश्चितकाल तक के लिए कैसे उत्तर दे सकता हूं? अभी तो ऐसा कोई निर्णय नहीं है।

श्री चित्त बसु : अतः मैं एक प्रश्न प्रछता हूं। मेरा विचार है कि माननीय मंत्री जी एक अनुभवी व्यक्ति हैं और उन्होंने इस बात को नोट किया होगा। क्या वह भी और अधिक कम करने से बचाव के लिए कोई निवारक उपाय लेने का कोई प्रस्ताव करते हैं? चलो , जो भी हो, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर न देने का विकल्प चुना है। यह उन्हें देखना है।

श्री मुरासोली मारान : महोदय, जैसा कि मैंने कहा है, हमारे पास सरकार की इक्यूटी संरचना को निर्मूल्यन का कोई प्रस्ताव नहीं है। हम इसे कम नहीं करेंगे।

श्री चित्त बसु : धन्यवाद।

क्या यह सच है कि मारुति उद्योग लिमिटेड को पहले पहले शत प्रतिशत सार्वजनिक उपक्रम के रूप में प्रस्तावित किया गया था? वर्ष 1992 में सुजुकी मोटर कारपोरेशन को कुछ इक्यूटी योगदान करने की अनुमति दी गई थी। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि किस प्रकार की मजबूरी में सार्वजनिक कम्पनी के रूप में प्रस्तावित मुनाफा कमाने वाली कम्पनी में इक्यूटी योगदान की अनुमति दी गई थी?

श्री मुरासोली मारान : यह सब उस समय शुरू हुआ जब सुजुकी के 26 प्रतिशत शेयर हो गए। फिर यह इक्यूटी बढ़ा कर चालीस प्रतिशत कर दी गई। फिर 50 प्रतिशत हो गए। अतः यह सरकार का निर्णय था।

श्री चित्त बसु : इसके पीछे क्या कारण थे?

श्री मुरासोली मारान : इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। यह निर्णय पिछली सरकार ने लिया था।

श्री चित्त बसु : तो क्या हुआ सरकार तो सफल हुई।

अध्यक्ष महोदय : मारुति के संबंध में विपक्ष के सदस्य कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहते?

एक माननीय सदस्य : नहीं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कामरेड (साथी) चित्त बसु के प्रश्न के उत्तर में कहा है कि यह अनन्तकाल तक के लिए कोई वायदा नहीं कर सकते अब अनन्तकाल का तो कोई प्रश्न नहीं उठता।

मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है कि सुजुकी मोटर कारपोरेशन भारत में 5000 करोड़ खोने के खतरे में टंगी हुई है?

यदि हां, तो क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि सुजुकी मोटर कारपोरेशन की अपने देश में भी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है और पाकिस्तान तथा स्पेन में कार का उत्पादन करने की उसकी कोशिशें असफल हो गई हैं? अतः यदि अनन्तकाल नहीं, तो कम से कम इस प्रश्न पर निर्णय लेते समय निकट भविष्य में इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

श्री मुरासोली मारान : हम इसका ध्यान रखेंगे। माननीय सदस्य का दल सरकार का भागीदार है। उनका प्रतिनिधि भी सरकार में है। मैं समझता हूं कि वे अपने हितों की रक्षा करेंगे।

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश में मारुति का कारखाना खोलने का कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो उसकी लागत क्या है? मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि ऐसा कारखाना लगाने के लिए विशाखापटनम बहुत अच्छी जगह है।

श्री मुरासोली मारान : आन्ध्र प्रदेश में कारखाना लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। निश्चय ही विस्तार योजना भी विचाराधीन नहीं है। इस संबंध में एक समिति बनायी गई है और वह इस पहलु का अध्ययन करेगी।

भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता

\+

*104. **श्री माधवराव सिंधिया :**

श्री के॰ परसुरामन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूंजीगत लेखाओं में भारतीय रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाए जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) से (ग) भारतीय रुपया पूंजी खाते के कुछ संघटक अवयवों के संबंध में परिवर्तनीय है। पूंजी खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए कुछ मूलभूत पूर्व शर्तें, जो पूंजी पलायन और संभाव्य वृहत-आर्थिक अस्थिरता के जोखिमों के नियंत्रण को सुनिश्चित करेंगे, पूरी करना अपेक्षित है। इन पूर्व शर्तों में स्वयं को बदलती हुई स्थितियों के अनुरूप तेजी से ढालने में सक्षम ~~मुक्त और लचीली~~ घरेलू वित्तीय प्रणाली, राजकोषीय घाटे में कमी, मुद्रास्फीति में कमी, एक संपुष्ट निर्यात निष्पादन और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों का और अधिक निर्माण करना शामिल है। निरन्तर जारी आर्थिक सुधार, जिनका उद्देश्य इन पूर्व-शर्तों को प्राप्त करना है, और अधिक पूंजी उदारीकरण के समय निर्धारण और अनुक्रमीकरण में मार्गदर्शन करेंगे तथा रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता की दिशा में अग्रसर होने को सुविधाजनक बनाएंगे।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि पूंजी खाते की पविर्तनीयता ही अभी भी अन्तिम उद्देश्य है। परन्तु वक्तव्य में बजटीय कमी को कम करना, मुद्रा-स्फीति का समानुकूलन, सतत निर्यात निष्पादन और विदेशी मुद्रा रिजर्व को और अधिक बनाने जैसे कई पूर्व शर्तों का वक्तव्य में उल्लेख किया गया है। दुर्भाग्यवश वित्त मंत्री द्वारा प्रतिपादित अधिकतर मापदण्डों में कार्य-निष्पादन गिरा ही है। बजट घाटे को कम करने की दर शायद 5 प्रतिशत तक कर दी गई है परन्तु चूंकि पांचवे वेतन आयोग का पूरा असर अगले वर्ष ही पता चलेगा जबकि इस वर्ष 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, इससे 5,000 करोड़ की बचत होगी। 3000 करोड़ रुपये अनप्रयुक्त रहे और योजना कोष में अप्रयुक्त रहेंगे। और खाद्य राजसहायता और खाद राजसहायता को बढ़ाने का प्रभाव तो अगले वर्ष ही पता चल पाएगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या वह बजट भाषण दे रहे हैं?

श्री माधवराव सिंधिया : मुद्रा स्फीति ने दो अंकों में प्रवेश कर लिया है; निर्यात का कार्य-निष्पादन 25 प्रतिशत से 4 प्रतिशत हो गया है, जब श्री चिदम्बरम् स्वयं वाणिज्य मंत्री हैं, तो विदेशी विनिमय रिजर्व बस कुछ ही बढ़े हैं चूंकि आयात की विकास दर भी कम है।

महोदय, इन मापदण्डों से तो यही लगता है कि हम अपने अन्तिम उद्देश्य से हट रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि उनके विचारानुसार विगत कुछ वर्षों की तुलना में हम पूंजी खाते की सम्पूर्ण परिवर्त्यता हासिल करने से और अधिक भटक गए हैं या नहीं।

श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार : यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके व्यापक नीति पहलु हैं। मेरे विचार से यह कोई प्रश्न करने और उत्तर देने वाला मुद्दा नहीं है। यह व्यापक नीति का मामला है जिसके संबंध में सरकार को निर्णय लेना है। इसीलिए मैंने बस संक्षिप्त वक्तव्य ही दिया है। मुझे नहीं लगता कि प्रश्न करने और उत्तर देने के माध्यम से हम सरकार की नीति का प्रतिपादन कर पायेंगे। अतः मैं सोचता हूं कि मैं इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता।

श्री माधवराव सिंधिया : यदि माननीय मंत्री जी प्रश्नों और उत्तर के माध्यम से सरकार की नीति का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं तो क्या वे व्यक्तिगत नीति का प्रतिपादन कर रहे हैं? हम यहां किसलिए हैं?

श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार : यह कोई व्यक्तिगत नीति नहीं है।

डा॰ देवी प्रसाद पाल : महोदय, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री माधवराव सिंधिया : मान्यवर, उन्हें इसका जवाब देना होगा ...*(व्यवधान)* यदि सरकार की नीति का संबंध प्रश्नकाल से नहीं है, तो इस प्रश्नकाल का प्रयोजन क्या है?

श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार : सरकार की नीति बस प्रश्न और उत्तर का ही माध्यम बन जाएगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप इसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार : मेरा कहना यह है कि इसकी भूमिका अधिक व्यापक है।...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : मान्यवर, इसका तात्पर्य यह हुआ कि भविष्य में हमें वह प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिनका व्यापक प्रभाव हो। कृपया 'हां' या 'नहीं में उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : आप वर्तमान नीति के अनुसार प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। उन्हें यह बहाना बनाने दें जैसा कि उद्योग मंत्री ने कहा था कि मैं अनन्तकाल तक कैसे जवाब दे सकता हूं?

श्री माधवराव सिंधिया : मैंने बहुत सीधा सा प्रश्न पूछा है। मुझे तो लगता है कि पूंजी की सम्पूर्ण परिवर्तनीयता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए मापदण्डों में से अधिकार में कार्य-निष्पादन गिरा है। अतः उनके मतानुसार पूंजी की सम्पूर्ण परिवर्तनीयता के उद्देश्य से आज भी हम उतने ही दूर हैं जितना कुछ वर्ष पूर्व थे। यदि नहीं, तो इन मापदण्डों की वे क्या व्याख्या देते हैं? यह तो बहुत सामान्य सा प्रश्न है।

डा॰ मल्लिकार्जुन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह सकते हैं कि यह विचाराधीन है।

श्री माधवराव सिंधिया : अभी आप मंत्री नहीं है। आपको सरकार में शामिल हो जाना चाहिए।

श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार : परिवर्तनीयता दो प्रकार की होती है एक तो चालू खाते की परिवर्तनीयता और दूसरी पूंजी खाता परिवर्तनीयता। पहली प्रकार की परिवर्तनीयता अर्थात चालू खाता परिवर्तनीयता के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं पूछा गया। अतः उस सम्बन्ध में उत्तर देने की मुझे आवश्यकता नहीं। घाटे के बारे में उन्होंने कहा है कि यह 1991 में जी॰डी॰पी॰ का 8.3 प्रतिशत था। यह प्रश्न तो बिल्कुल भिन्न है। मैंने तो यही कहा है कि इस मामले पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा और मैं तुरन्त इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मंत्रीवर मुझे लगता है आप ठीक नहीं कह रहे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे बताने दें। मैं भी इस विषय में कुछ जानता हूं। आप मेरी सहायता करने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं।

माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि कुछ समय के अन्तराल में सरकार की नीति सम्पूर्ण परिवर्तनीयता की ओर बढ़ने की है। लेकिन आपकी आर्थिक उपलब्धियां दर्शाते है कि आप पूर्ण परिवर्तनीयता की बजाए पीछे की ओर जा रहे हैं क्या आप इस स्थिति से सहमत हैं? यह बहुत सीधा सा प्रश्न है। इसका नीति से कुछ लेना देना नहीं है। शायद मैंने इसको ठीक से स्पष्ट कर दिया है।

श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार : मैं समझता हूं कि हम उसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। मैं इस प्रश्न का उत्तर न 'हां' में और न 'न' में दे सकता हूं।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं तथापि माननीय मंत्री जी चूंकि पहली बार आज यहां आए हैं, इस तथ्य के दृष्टिगत मैं इस प्रश्न को आगे बढ़ने देता हूं।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि डा॰ मनमोहन सिंह ने कहा था कि यदि उनकी सरकार पुनः निर्वाचित होती है तो वे अगले कार्यकाल के तीन वर्ष के भीतर पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता के उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। यह समय वर्ष 2000 या वर्ष 3000 तक पड़ता है। अभी-अभी दिसम्बर, जनवरी में माननीय वाणिज्य मंत्री श्री रामैय्या ने कहा है कि सरकार पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

अब यदि सरकार अभी भी इस स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं है तो आपके सहयोगी वाणिज्य मंत्री ने ऐसा वक्तव्य क्यों दिया? जैसा कि श्री रामैय्या ने कहा, क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है; यह वक्तव्य तो दो महीने पहले दिया गया था। यदि नहीं, तो वाणिज्य मंत्रालय के वक्तव्य के सन्दर्भ में वित्त मंत्रालय के पास क्या उत्तर है?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है आपका प्रश्न कुछ संशोधित हो सकता है। बजाय यह कहने के कि उन्होंने यह क्यों कहा आप सीधे-सीधे यह पूछ सकते हैं कि वह वाणिज्य मंत्रालय के साथ सहमत हैं या नहीं। मुझे नहीं लगता कि वह इस बात का कोई जवाब दे सकते हैं कि वाणिज्य मंत्री ने यह क्यों कहा?

श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार : मैंने पहले ही सदन में एक वक्तव्य दिया है।

श्री माधवराव सिंधिया : मान्यवर, यह तो बहुत सीधा सा प्रश्न है। क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है? सरकार की साझी जिम्मेदारी होती है। वाणिज्य मंत्री ने वक्तव्य दिया है। क्या सरकार ने विगत दो महीनों के दौरान इस पर विचार किया है या नहीं।

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : समस्या यह है कि वाणिज्य मंत्री ने जब यह वक्तव्य दिया था तब वह मंत्री नहीं थे।

श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार : उद्योग मंत्री ने कुछ कहा है। मैंने सदन में एक वक्तव्य दिया है और मैंने कहा है कि यह नीतिगत

मामला है। क्या मैंने ऐसा कहा कि हम इसे करेंगे? या हम ऐसा नहीं करेंगें मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा।

मैंने केवल यह कहा इतने बड़े मामले का उत्तर प्रश्नकाल के दौरान एक उत्तर से नहीं दिया जा सकता।

श्री माधवराव सिंधिया : क्या विगत दो महीने के दौरान सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया अथवा नहीं। मैं तो मात्र यही जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे लग रहा है कि ये सब स्पष्टीकरण किसी और अवसर पर लिए जाने चाहिए।

श्री के॰ परसुरामन : अध्यक्ष महोदय जैसा कि मैं समझता हूं, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता तभी सम्भव है यदि बजट घाटे को कम से कम किया जाए, मुद्रा-स्फीति को नियंत्रित किया जाए, जब निर्यात अच्छा हो, विदेशी मुद्रा विनिमय रिजर्व पर्याप्त हो, इत्यादि। इस सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि उदारीकरण नीति, पारदर्शिता, खुला बाजार नीति को शुरू किए पांच वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी सरकार न तो बजट घाटा कम कर पाई है, न मुद्रास्पीति को नियंत्रित कर पाई है, न निर्यात को बढ़ा पाई है और न ही विदेशी मुद्रा कोष बढ़ा पाई है। ऐसा लगता है कि वर्तमान परिप्रेस्य में सरकार के लिए यह सम्भव नहीं होगा कि वह पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता शुरू करे। अतः विदेशी निवेश मन्द हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके पास कोई दूसरा ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा निर्यात का निश्चित विकास सम्भव हो सके और बजट घाटे को न्यूनतम किया जा सके ताकि रुपये की परिवर्तनीयता को सम्भव बनाया जा सके।

श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, अब से कुछ ही घण्टे बाद बजट पेश किया जाना है माननीय सदस्य तब तक इन्तजार करें।

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा उत्तर है कि बजट का इन्तजार करें।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का विनिवेश

\+

*105. **प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**

श्री नीतिश कुमार :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जनवरी, 1997 के "दी टाइम्स ऑफ इण्डिया" में "डिसइन्वेस्टमेन्ट ऑफ पी॰एस॰यूज॰ शेयर्स अनलाइक्ली दिस फिसकल सेज़ मारान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विनिवेश द्वारा अब तक कुल कितनी धनराशि जुटायी गयी है; और

(ग) सरकार द्वारा शेयरों की बिक्री के प्रयोजन से सार्वजनिक क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों की रूग्ण उपक्रमों के रूप में पहचान की गयी है और किन कारणोंवश इन उपक्रमों के शेयरों की बिक्री नहीं की गई है?

[अनुवाद]

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) अब तक वर्ष 1996-97 के दौरान कोई विनिवेश नहीं किया गया है।

(ग) विनिवेश कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अब तक किसी रूग्ण उद्यम का निर्धारण नहीं किया गया है अथवा उनके शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव नहीं किया गया है। इसलिए, शेयरों के नहीं बेचे जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है इसमें कोई सच्चाई नहीं दिखाई देती। इन्होंने जो उत्तर दिया है,

[अनुवाद]

"इसलिए, शेयरों के नहीं बेचे जाने की प्रश्न उत्पन्न नहीं होता"

[हिन्दी]

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसमें सच्चाई नहीं है कि युनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ने केबिनेट के पास 11 कम्पनियों को सोल्ड करने की प्रपोजल भेजी है, शेयर्स नहीं, आउटराइटली ही सोल्ड करने की प्रपोजल है? क्या यह सच नहीं है कि इन कम्पनियों में से पांच कम्पनियां ऐसी हैं जो प्रॉफिट मेकिंग हैं जिनमें से हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन, ब्रिज एंड रूफ कम्पनी लिमिटेड, हिन्दुस्तान सोल्ट्स लिमिटेड हैं। क्या इसमें सच्चाई नहीं है कि पिछले साल युनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ने योजनाबद्ध तरीके से डिसइनवेस्टमेंट करने के लिए एक डिसइनवेस्टमेंट कमिशन एन॰वी॰ रामाकृष्णा की अध्यक्षता के तहत बिठाया था? क्या यह सच नहीं है कि जो यह प्रपोजल भेजी है वह कमिशन के नोटिस में भी नहीं लाई गई और क्या यह सच नहीं है कि युनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ने अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में देश के लोगों को वायदा किया था कि पब्लिक अंडरटेकिंग

सैक्टर का फाइनेंशियल और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए प्रायरटी दी जाएगी? अगर ऐसे वायदे किए गए थे तो यह जो प्रपोजल केबिनेट के पास दी है, यह क्यों दी गई है और जो डिसइनवेस्टमेंट कमिशन बैठा था उसके नोटिस में क्यों नहीं लाई गई? उसकी स्टेट्यूटरी पावर्स खत्म करके उसको एडवायजरी पावर्स ही क्यों दी जा रही हैं, यह मैं जानना चाहता हूं?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारान : महोदय, विनिवेश आयोग सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से विनिवेश के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में परामर्श देने वाला एक स्वायत्त शासी निकाय है।

महोदय, माननीय सदस्य भारी उद्योग विभाग के अधीन 11 कम्पनियों का जिक्र कर रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र की प्रत्येक कम्पनी अपनी पुनर्संरचना की योजना पर कार्य कर रही है। अतः 11 कम्पनियों के मामले में, भारी उद्योग विभाग ने संयुक्त उद्यम लगाने, 74 प्रतिशत की सीमा तक सम मूल्य पूंजी को कम करने तक का सुझाव दिया है। इस प्रकार यह एक अभिधारणा पत्र मात्र है और मंत्रिमंडल ने इस पर सम्मति दे दी है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए प्रत्येक मामले का अध्ययन किया जाना है। अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। आयोग इस बात का अध्ययन तब करेगा जब हम विनिवेश करना चाहेंगे।

[हिन्दी]

प्रो॰ प्रेम सिंह चंदूमाजरा : कहीं ऐसी पालिसी न बनाएं कि बीमा का इलाज करने के बजाय उसे मार ही डालें, जैसे मुर्गी से अंडे लेने के बजाय उसे मार ही डाला जाए। क्या यह सही नहीं है कि 1996-97 का जो जो चालू वर्ष का बजट है, उसमें पांच हजार करोड़ रुपये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के शेयर अलाट करके इकट्ठे करने थे? मंत्री जी ने माना है कि एक भी शेयर सेल नही हो सका। क्या यह सरकार के इकोनॉमिक सेक्टर का फेल्योर नहीं है, क्या सरकार से लोगों का विश्वास नहीं उठ गया कि एक भी शेयर सेल नहीं हो सका? सारा देश जानना चाहता है कि क्या सरकार की इकोनॉमिक स्थिति इतनी बिगड़ गई है और लोगों का सरकार से इतना भरोसा उठ गया है कि सरकारी कम्पनीज के शेयर लेने को कोई तैयार नहीं, अगर ऐसी स्थिति है तो सरकार की ओर से क्या उपाय किए जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारान : मैं उनके भ्रम को दूर करना चाहता हूं। पिछली सरकार में जब डॉ॰ मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तो उन्होंने अन्तरिम बजट में 5000 करोड़ रुपयों के विनिवेश का श्रेय लिया था। चुनावों के बाद, नई सरकार आई और नए वित्त मंत्री ने भी 5000 करोड़ रुपयों के विनिवेश का श्रेय लिया। मंत्रिमडंल ने यह निर्णय किया था कि केन्द्रीय समिति द्वारा विनिवेश के पहले ही चरणों का कार्य किया जाएगा। तत्पश्चात, इसे विनिवेश आयोग को भेज दिया जाएगा। कार्यवाही चल रही है। पहले ही हमने भारतीय तेल निगम लिमिटेड में लगभग पांच प्रतिशत पूंजी विनिवेश करने और विदेश संचार निगम लिमिटेड में सरकारी सम्पदा का सात प्रतिशत विनिवेश करने का निर्णय कर लिया है। विदेश संचार निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में पहले ही विपणन-पूर्व प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है।

डॉ॰ बी॰एन॰ रेड्डी : माननीय मंत्री ने पहले कहा है कि निजीकरण के पहले वे कर्मचारियों से भी विचार करेंगे और उनके साथ विचार विमर्श किए बिना वे निजीकरण नहीं करेंगे। आंध्र प्रदेश में कुछ चीनी उद्योग हैं जिनका निजीकरण किया जा रहा है और मैं इस मामले को संसद में भी उठा चुका हूं और माननीय मंत्री को भी इससे अवगत करा चुका हूं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे हमें सूचित करें कि क्या राज्यों में सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के बारे में स्वयं निर्णय ले सकती हैं।

श्री मुरासोली मारान : आप किस कारखाने की बात कर रहे हैं?

डॉ॰ बी॰एन॰ रेड्डी : मिरयालगुडा की निजाम शुगर फैक्ट्री।

श्री मुरासोली मारान : उसे कौन चला रहा है।

डॉ॰ बी॰एन॰ रेड्डी : राज्य सरकार।

श्री मुरासोली मारान : महोदय, यह राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम के बारे में हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं सोचता कि इस प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा आप मंत्री से रख सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश की धनराशि कितनी होगी और क्या सरकार विनिवेश के माध्यम से प्राप्त धनराशि को सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों को पुनः चालू करने के लिए उपयोग करेगी?

श्री मुरासोली मारान : जैसा कि आप जानते हैं महोदय, न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में हमने कहा था कि विनिवेश के एक भाग को सामाजिक क्षेत्र के खर्च जैसे जन स्वास्थ्य और पिछड़े इलाकों में शिक्षा के लिए निर्धारित किया जाएगा। अब, विनिवेश की दस प्रतिशत धनराधि को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संवर्धन हेतु और प्रचालन क्षमता के संवर्धन हेतु निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

प्रो॰ प्रेम सिंह चंदूमाजरा : शुगर फैक्टिरियों को लाइसेंस सरकार देती हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया दूसरों को टोकें नहीं। अन्य माननीय सदस्यों को भी प्रश्न पूछने का अधिकार है। यह आपका विशिष्ट अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी : जो डिसइंवेस्टमेंट कमीशन बनाया है उसके क्या अधिकार होंगे और किसी भी कम्पनी के शेयर को बेचने का उसका क्या आधार होगा?

प्रो॰ प्रेम सिंह चंदूमाजरा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के दौरान व्यवस्था की कोई बात नहीं होती। कृपया इस बात को समझें।

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी : अध्यक्ष जी, मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि जो डिस-इनवेस्टमेंट कमीशन है उसके क्या अधिकार हैं और उसमें किन लोगों को रखा है और किसी भी कंपनी के शेयर बेचने का अधार क्या होगा।

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारान : महोदय, विनिवेश आयोग शेयरों को बेच नहीं सकता। यह एक विशेषज्ञ निकाय है, सरकार को यह परामर्श देने के लिए कि शेयरों की कितनी धनराशि का विनिवेश किया जाए। यह बिक्री पर नजर रखेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सर्वाधिक आयकर दाता कंपनियां

***106. श्री बीर सिंह महतो :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक सर्वाधिक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और आयकर का भुगतान करने वाली 50 शीर्ष कंपनियों/व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन पर अभी तक और कितनी राशि बकाया है?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : (क) और (ख) (I) आयकर (निगमित कर, सहित)

कर निर्धारण वर्ष 1994-95 और 1995-96 के लिए अधिकतम आय की विवरणी दाखिल करने वाली 50 कम्पनियों की सूची क्रमशः विवरण-I और II में दी गई है। इन कम्पनियों पर कर की बकाया राशि यदि कोई हो तो उसकी जानकारी अन्तिम कर निर्धारण हो जाने के पश्चात् ही मिल सकेगी।

(II) केन्द्रीय उत्पादक शुल्क :

वर्ष 1995-96 और 1996-97 (जनवरी, 1997 तक) के दौरान अदा की गई राशियों के साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अधिकतम राशि अदा करने वाली 50 कम्पनियों के नामों की सूची और उन कम्पनियों पर बकाया शुल्क की राशि विवरण-III में दिखाई गई है।

विवरण-I

निर्धारण वर्ष 1994-95 के लिए
50 अग्रणी आयकर एवं निगमित कर दाताओं की सूची
(विवरण गत आय पर आधारित)

(रुपए करोड़ों में)

रैंक	कर निर्धारिती का नाम	स्तर	विवरणीगत आय	दत्त कर	प्रभार
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम	कम्पनी	2769.04	398.08	महाराष्ट्र
2.	भारतीय स्टेट बैंक	-वही-	432.26	622.45	-वही-
3.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-वही-	361.17	18.40	-वही-
4.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि॰	-वही-	344.54	14.59	दिल्ली
5.	भारतीय तेल निगम	-वही-	322.89	126.50	महाराष्ट्र
6.	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि॰	-वही-	316.82	1.18	-वही-
7.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि॰	-वही-	305.78	183.07	-वही-

1	2	3	4	5	6
8.	विदेश संचार निगम लि॰	कम्पनी	261.13	137.54	महाराष्ट्र
9.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि॰	-वही-	272.78	133.06	-वही-
10.	आई॰टी॰सी॰ लि॰	-वही-	246.01	136.00	पं॰ बंगाल
11.	जी॰आई॰सी॰ आफ इण्डिया	-वही-	218.57	94.89	महाराष्ट्र
12.	बजाज ऑटो लि॰	-वही-	215.77	105.50	-वही-
13.	इण्डियन फार्मर्स एण्ड फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन	-वही-	192.13	77.47	दिल्ली
14.	हिन्दुस्तान लिवर्स लि॰	-वही-	1182.45	103.05	महाराष्ट्र
15.	कृभको 49.50 रेड हाऊस	-वही-	180.88	71.60	दिल्ली
16.	बोल्टास लि॰	-वही-	172.38	3.87	महाराष्ट्र
17.	यूनाईटिड इंडिया इन्शोरेन्स कं॰लि॰	-वही-	145.94	76.53	तमिलनाडु
18.	आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ लि॰	-वही-	132.99	81.21	महाराष्ट्र
19.	आई॰टी॰आई॰ लि॰	-वही-	130.74	93.38	कर्नाटक
20.	आई॰ए॰ए॰आई॰	-वही-	126.03	68.56	दिल्ली
21.	न्यू इण्डिया एशोरेन्स	-वही-	123.23	146.33	महाराष्ट्र
22.	बैंक आफ अमेरिका	-वही-	113.96	72.99	-वही-
23.	मशरक बैंक (बैंक ऑफ ओमान)	-वही-	113.90	5.46	-वही-
24.	कॉलगेट पामोलिव (आई) लि॰	-वही-	109.81	58.02	-वही-
25.	ओरियन्टल इन्श्यूरेन्श	-वही-	109.71	51.27	दिल्ली
26.	अमेरिकन एक्प्रैस बैंक	-वही-	107.71	13.25	महाराष्ट्र
27.	सिटी बैंक एन॰ए॰	-वही-	105.53	65.26	-वही-
28.	बैंक ऑफ बड़ौदा	-वही-	101.40	134.06	-वही-
29.	डिस्काउंट एण्ड फाइनान्स इण्डिया लि॰	-वही-	100.54	52.17	प॰ बंगाल
30.	नेशनल इन्शूयरेन्स कं॰ लि॰	-वही-	100.36	52.80	-वही-
31.	कोचीन रिफाइनरीज	-वही-	98.19	56.10	केरला
32.	बेन्नेट कोलमैन कं॰	-वही-	97.38	54.70	महाराष्ट्र
33.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	-वही-	90.69	63.58	चंडीगढ़
34.	हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन लि॰	-वही-	89.67	63.61	महाराष्ट्र
35.	सिलोन शिपिंग कार्पोरेशन लि॰	-वही-	87.01	2.12	महाराष्ट्र
36.	ब्रुक बाण्ड लिपटन इण्डिया लि॰	-वही-	79.00	48.75	प॰ बंगाल
37.	इंजीनियर्स इण्डिया लि॰	-वही-	72.66	37.70	दिल्ली
38.	नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन	-वही-	71.06	0.02	महाराष्ट्र
39.	दी हिन्दुस्तान टाइम्स लि॰	-वही-	67.65	35.20	दिल्ली
40.	ड्यूश बैंक ए॰वी॰	-वही-	61.99	34.68	महाराष्ट्र
41.	मोटर इन्डस्ट्रीज कं॰ लि॰	-वही-	55.36	29.09	कर्नाटक
42.	केस्ट्रोल इण्डिया लि॰	-वही-	55.22	29.26	महाराष्ट्र
43.	सेन्चुरी एन्का प्रा॰ लि॰	-वही-	53.57	- 4.00	प॰ बंगाल

1	2	3	4	5	6
44.	बैंक ऑफ टोक्यो	कम्पनी	51.82	31.30	पं॰ बंगाल
45.	जे॰ एण्ड के॰ बैंक श्रीनगर	-वही-	51.46	26.85	चन्डीगढ़
46.	लार्सन एण्ड टुब्रो लि॰	-वही-	51.45	40.90	महाराष्ट्र
47.	एस॰सी॰आई॰सी॰आई॰ लि॰	-वही-	51.00	17.00	-वही-
48.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	-वही-	50.64	26.21	आन्ध्र प्रदेश
49.	फिलिप्स इंडिया लि॰	-वही-	50.21	27.27	प॰ बंगाल
50.	सीमेन्स लि॰	-वही-	48.89	32.40	महाराष्ट्र

विवरण-II

निर्धारण वर्ष 1995-96 के लिए 50 अग्रणी आयकर और निगमित कर-दाताओं की सूची
(विवरणगत आय पर आधारित)

(रुपये करोड़ों में)

रैंक	कर निर्धारिती का नाम	स्तर	विवरणीगत आय	दत्त कर	प्रभार
1	2	3	4	5	6
1.	मैं जीवन बीमा निगम	कं॰	3176.99	456.81	महाराष्ट्र
2.	भारतीय स्टेट बैंक मुम्बई	कं॰	1031.70	962.97	महाराष्ट्र
3.	महानगर टेलिफोन निगम लि॰	कं॰	994.40	458.94	दिल्ली
4.	भारतीय तेल निगम लि॰	कं॰	833.83	351.39	महाराष्ट्र
5.	भारतीय ओद्योगिक विकास बैंक	कं॰	459.65	198.20	महाराष्ट्र
6.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम निगम	कं॰	387.41	201.00	महाराष्ट्र
7.	इफ्को लि॰	कं॰	383.73	134.34	दिल्ली
8.	भारत पेट्रोलियम निगम	कं॰	350.68	169.59	महाराष्ट्र
9.	बजाज ऑटो लि॰	कं॰	284.66	-	महाराष्ट्र
10.	टेलको	कं॰	270.28	137.02	महाराष्ट्र
11.	के॰आर॰आई॰पी॰	कं॰	262.30	-	दिल्ली
12.	हिन्दुस्तान लिवर लि॰	कं॰	245.64	117.30	महाराष्ट्र
13.	आई॰टी॰सी॰लि॰	कं॰	237.00	136.00	प॰ बंगाल
14.	आर॰सी॰एफ॰	कं॰	222.29	156.29	महाराष्ट्र
15.	सिटी बैंक लि॰	कं॰	210.18	170.52	महाराष्ट्र
16.	ऑयल इण्डिया लि॰	कं॰	194.77	96.70	बिहार
17.	आई॰ए॰ए॰आई॰	कं॰	187.80	-	दिल्ली
18.	बेन्नेट कोलमैन एण्ड कोलमैन	कं॰	178.84	83.92	महाराष्ट्र
19.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, भाव नगर	कं॰	146.28	4.77	गुजरात

1	2	3	4	5	6
20.	आई॰एफ॰सी॰आई॰	कं॰	134.50	-	दिल्ली
21.	आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ लि॰	कं॰	134.19	61.73	महाराष्ट्र
22.	कॉलगेट पामोलिव	कं॰	122.80	63.82	महाराष्ट्र
23.	ए॰एन॰जेड॰ ग्रिण्डलेज लि॰	कं॰	119.00	-	दिल्ली
24.	बैंक आफ अमेरिका	कं॰	1114.92	90.25	महाराष्ट्र
25.	लार्सन एण्ड टुबरो लि॰	कं॰	114.62	62.94	महाराष्ट्र
26.	मारूति उद्योग लि॰	कं॰	114.35	54.61	दिल्ली
27.	कारपोरेशन बैंक	कं॰	109.24	63.67	कर्नाटक
28.	हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लि॰	कं॰	103.69	87.43	महाराष्ट्र
29.	मोटर इण्डस्ट्रीज कं॰ लि॰	कं॰	103.54	47.00	कर्नाटक
30.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	कं॰	101.56	56.42	चण्डीगढ
31.	कैस्ट्रोल इण्डिया लि॰	कं॰	97.81	47.24	महाराष्ट्र
32.	आई॰पी॰सी॰ एल बड़ौदा	कं॰	95.83	6.33	गुजरात
33.	के॰सी॰टी॰ ब्द्रर्स लि॰	कं॰	94.15	44.11	प॰ बंगाल
34.	ई॰आई॰एल॰ लि॰	कं॰	90.94	40.91	दिल्ली
35.	इंजीयनर्स टाइम्स लि॰	कं॰	90.90	-	दिल्ली
36.	हिन्दुस्तान टाइम्स लि॰	कं॰	89.23	40.77	दिल्ली
37.	एस॰सी॰आई॰सी॰आई॰ लि॰	कं॰	88.38	41.10	महाराष्ट्र
38.	रायगढ़ ट्रेडिंग कं॰	कं॰	87.64	4.44	महाराष्ट्र
39.	हिन्दुस्तान शीबा गायगी लि॰	कं॰	85.94	61.13	महाराष्ट्र
40.	बैंक ऑफ बड़ौदा	कं॰	84.85	22.77	महाराष्ट्र
41.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक	कं॰	84.46	65.61	महाराष्ट्र
42.	दीवान हाऊसिंग	कं॰	83.97	38.78	महाराष्ट्र
43.	फिलिप्स इण्डिया लि॰	कं॰	83.95	41.99	वैस्ट बंगाल
44.	हुडको	कं॰	80.00	-	दिल्ली
45.	एशियन पेण्टस्	कं॰	75.49	34.72	महाराष्ट्र
46.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	कं॰	72.71	54.77	आन्ध्र प्रदेश
47.	इण्डियन रेयॉन इंडस्ट्रीज लि॰	कं॰	69.38	44.76	महाराष्ट्र
48.	एम॰एम॰डी॰सी॰ लि॰	कं॰	68.42	31.47	आन्ध्र प्रदेश
49.	एच॰डी॰एफ॰सी॰	कं॰	68.39	42.67	महाराष्ट्र
50.	किर्लोस्कर कमिन्स लि॰	कं॰	68.15	31.35	महाराष्ट्र

विवरण-III

वर्ष 1995-96 व 1996-97 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अधिकतम रकम का भुगतान करने वाली अग्रणी 50 कंपनियों तथा उनके विरूद्ध बकाया रकम का विवरण निम्नानुसार है :—

(रुपए करोड़ों में)

क्र॰सं॰	कंपनी का नाम	1995-96	1996-97 (जन॰ 97 तक)	बकाया रकम
1	2	3	4	5
1.	ओ॰एन॰जी॰सी॰	2685.56	2004.15	13.67
2.	आई॰टी॰सी॰लि॰	2055.55	2995.35	497.33
3.	इंडियन आयल कारपोरेशन	2037.82	2372.28	46.29
4.	स्टील अथॉरिटि आफ इंडिया	1356.41	1059.54	202.95
5.	रिलांयस इंडस्ट्रीज लि॰	1054.35	681.68	31.57
6.	मारूति उद्योग लि॰	902.24	892.76	84.50
7.	एच॰पी॰सी॰एल॰	787.35	993.31	34.02
8.	भारत पेट्रोलियम कं॰ लि॰	621.97	849.45	14.56
9.	टिस्को	477.24	436.14	55.41
10.	कोचीन रिफायनरीज लि॰	326.53	372.51	29.99
11.	गोडफ्रे फिलिप्स	325.28	271.84	53.02
12.	वी॰एस॰टी॰ इंडस्ट्रीज लि॰	305.22	244.05	-
13.	ग्रासीम इंडस्ट्रीज लि॰	303.28	223.10	10.56
14.	एम॰आर॰एफ॰लि॰	293.23	263.86	4.96
15.	आई॰पी॰सी॰एल॰	569.05	388.50	144.07
16.	एसोसीयेटेड सीमेन्ट कं॰ लि॰	269.29	233.27	1.02
17.	हिन्दुस्तान लीवर	265.93	248.63	20.93
18.	ऑयल इंडिया लि॰	261.58	174.58	117.62
19.	हिन्दुस्तान मोटर्स	234.54	202.35	-
20.	बजाज ऑटो लि॰	231.95	232.48	7.16
21.	बी॰एच॰ई॰एल॰	210.84	147.55	37.58
22.	विजाग स्टील प्लांट	208.77	174.06	-
23.	रेमण्डस् लि॰	203.80	135.51	0.63
24.	हैदराबाद दक्कन सिगरेटस् लि॰	202.35	171.36	17.04
25.	महिन्द्रा एंड महिन्द्रा	196.23	193.67	8.93
26.	लार्सन एण्ड टुब्रो	164.58	186.36	18.86
27.	नेल्को	146.52	49.36	20.54
28.	सीएट	137.98	127.17	1.42
29.	मोदी रबर लि॰	137.97	108.23	-
30.	हिन्दाल्को इंडस्ट्रीज लि॰	137.83	85.10	3.11

1	2	3	4	5
31.	रिलायबल सिगरेटस् एंड टोबैको लि॰	128.94	107.60	26.60
32.	एन॰ओ॰सी॰आई॰एल॰	125.13	90.59	12.76
33.	जी॰टी॰सी॰ इण्डस्ट्रीज लि॰	135.40	126.87	145.34
34.	डी॰एस॰पी॰	121.87	94.58	2.42
35.	प्रीमीयर ऑटो लि॰	114.55	44.18	0.23
36.	एशिया टोबैको लि॰	108.75	96.44	45.11
37.	टाटा केमिकल्स् लि॰	108.47	89.58	0.05
38.	बिरला टायरस्	102.32	80.02	4.21
39.	सेंचुरी इंका लि॰	97.56	67.32	1.18
40.	अपोलो टायरस्	173.03	180.41	0.03
41.	इस्को	90.84	54.43	0.68
42.	डी॰टी॰एल॰ पोलियस्तर	86.85	56.12	0.19
43.	डनलप इंडिया लि॰	84.04	77.77	36.14
44.	संघी पोलियस्टर लि॰	81.57	63.48	–
45.	बड़ौदा रेयॉन	78.90	50.69	1.22
46.	बी॰आर॰पी॰एल॰	77.68	66.14	1.46
47.	जिंदल पोलियस्टर	69.02	46.71	–
48.	बल्लारपुर इण्ड॰लि॰ (अनंतिम)	90.78	75.58	1.20
49.	जे॰के॰ सिंथेटिक्स लि॰	88.40	42.06	2.44
50.	लक्ष्मी टोबेको कं॰ भिलाई	118.60	113.83	0.32

देश की न्यायिक प्रणाली

***107. श्री गुलाम रसूल कार :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की न्यायिक प्रणाली को चुस्त-दुरूस्त बनाने के लिए कोई व्यापक कार्ययोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) न्यायिक सुधारों का वित्तपोषण और कार्यान्वयन किस प्रकार किए जाने की संभावना है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप) : (क) से (ग) न्यायिक सुधारों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 को संशोधित करने के लिए एक प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और इस संबंध में शीघ्र ही एक विधेयक संसद के समक्ष लाया जाएगा।

[हिन्दी]

विदेशी निवेश हेतु लक्ष्य

***108. श्री देवी बक्स सिंह :**

डा॰ रमेश चन्द तोमर :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान विदेशी निवेश के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और वर्ष 1996-97 के दौरान अब तक कुल कितना निवेश हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान विदेशी निवेश हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये

गये हैं। तथापि, इस तथ्य के मद्देनजर कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह कहा गया है कि देश में प्रतिवर्ष कम से कम 10 बिलियन अमरीकी डालर के बराबर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की आवश्यकता तथा उसे समाविष्ट करने की क्षमता है, सरकार देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाह में पर्याप्त वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान (अप्रैल से दिसंबर, 1996 तक) कुल अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 277.18 बिलियन रुपये (लगभग 7.9 बिलियन अमरीकी डालर) का है।

(घ) सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का पुनर्गठन करना, विदेशी निवेश संवर्धन परिषद का गठन, "डेस्टिनेशन इंडिया" जैसे अन्तर्राष्ट्रीय निवेश संवर्धन सम्मेलन आयोजित करना, राष्ट्र-विशिष्ट निवेश संवर्धन पहल कदमियों की शुरूआत करना, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की अनुमोदन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु दिशा-निर्देश जारी करना, स्वतः अनुमोदन हेतु उद्योगों की सूची में विस्तार करना, आदि शामिल है।

[अनुवाद]

हथकरघा क्षेत्र हेतु आरक्षण

***109. श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा बुनकरों द्वारा उत्पादन हेतु कौन-कौन सी मदें आरक्षित की गई हैं;

(ख) गैर-हथकरघा क्षेत्र द्वारा आरक्षित चीजों का उत्पादन करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार हथकरघा बुनकरों को कोई विपणन सहायता प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰एल॰ जालप्पा) : (क) हथकरघों पर अनन्य रूप से उत्पादन के लिए आरक्षित मदें इस प्रकार हैं :—

1. साड़ी 2. धोती 3. तौलिया, गमछा और अंगवस्त्रम् 4. लुंगी 5. खेस, बैडशीट, बैडकवर, पलंगपोश, फर्नीसिंग (जिसमें टेपेस्ट्री, अपहोजरी शामिल है।) 6. जामाकालम बरी या डस्ट 7. ड्रेस मेटेरियल 8. बैरक कम्बल, कम्बल या कम्बली 9. शॉल, लोई, मफलर, पंखी इत्यादि 10. ऊनी कपड़ा (वूलन ट्वीड) 11. चादर, मेखला/फणिक।

(ख) गैर हथकरघा क्षेत्र द्वारा आरक्षित मदों का उत्पादन करने से रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1. राज्य सरकारों को समय-समय पर निर्देश दिए गये हैं कि हथकरघा (उत्पादनार्थ) वस्तु आरक्षण अधिनियम 1985 और उसके अंतर्गत जारी आदेशों को कार्यान्वित करें।
2. पावरलूम संचालकों को इस अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देने और गैर आरक्षित मदों का उत्पादन करने के लिए रानाघाट, मेरठ, भीलवाड़ा, किशनगढ़, अमृतसर, लुधियाना, कन्नानूर, सेलम, कोमारापलयम त्रिची आदि में जागरूक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
3. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में भारत सरकार से 100 प्रतिशत सहायता के साथ वर्तमान प्लान में प्रवर्तन मशीनरी की स्थापना की योजना आरंभ की गई है और विभिन्न राज्यों को इस संबंध में धनराशि भी जारी की गई है जैसे :— कर्नाटक (22.62 लाख रुपये) राजस्थान (68.11 लाख रुपये) मध्य प्रदेश (20.11 लाख रुपये) हरियाणा (8.72 लाख रुपये) पश्चिम बंगाल (7.47 लाख रुपये) उड़ीसा (9:02 लाख रुपये) आदि।
4. कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा पावरलूम का निरीक्षण भी किया जाता है। अब तक 2,15,129 पावरलूम का निरीक्षण किया गया और 687 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

(ग) और (घ) हथकरघा उत्पादों के विपणन के लिए विभिन्न वर्तमान योजनाओं जैसे :— रिबेट/विपणन विकास सहायता, राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो, मिनी एक्सपो, जिला-स्तर के मेलों, दिल्ली हाट, शिल्प मेले में भाग लेना, विपणन काम्पलैक्स की स्थापना और निर्यात उत्पादों के विकास और उनके विपणन के लिए हथकरघा बुनकरों, प्राथमिक बनुकर सहकारी समितियों, शीर्ष हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों और राज्य हथकरघा निगमों को विपणन सहायता दी जाती है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को लाभ/हानि

***110. श्री मंगत राम शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्य कर रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं;

(ख) लाभ/हानि में चल रहे बैंकों के अलग-अलग नाम क्या हैं;

(ग) इन राष्ट्रीयकृत बैंकों में राज्यवार कुल कितनी राशि जमा है और इन बैंकों ने राज्यवार लोगों को कितना ऋण दिया है; और

(घ) बैंकों द्वारा बकाया ऋणों की वसूली और अपनी हानि को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदंबरम) : (क) और (ख) इस समय देश में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक कार्यरत हैं। इन बैंकों के नाम और पिछले तीन वर्षों के लाभ/हानि विवरण-I में दी गई है। इन बैंकों की पूरे देश में बहुत सी शाखाएं हैं।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों की पिछले तीन वर्षों की राज्य-वार जमाराशियों और अग्रिमों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से कहा है कि उनके पास ऋण वसूली नीति के दस्तावेज होने चाहिए, जो निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो। बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली ऋण वसूली नीति के घटक निम्नानुसार हैं :—

(i) वसूली के लक्ष्य निर्धारित करके और अनुपयोज्य आस्तियों के स्तर को कम करके विशेषरूप से अनुपयोज्य आस्ति (एन पी ए) खातों से अधिक से अधिक वसूली करना।

(ii) बड़े उधार खातों की बारीकी से निगरानी करना, ताकि उन्हें अनुपयोज्य आस्तियों में शामिल होने से रोका जा सके।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के आधार पर शीघ्र वसूली के लिए समझौता प्रस्ताव करना और

(iv) मुकदमाधीन मामलों में विधिवत अनुवर्ती कार्रवाई करना।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि वे उनके द्वारा अपनाई गई ऋण वसूली नीति के अनुसार अनुपयोज्य आस्तियों में कमी करने के लिए समेकित प्रयास करने के अतिरिक्त अपने ऋण प्रबंधन को सुदृढ़ और आंतरिक नियंत्रण को मजबूत बनाएं।

विवरण-I

राष्ट्रीयकृत बैंकों की लाभ/हानि की स्थिति

(राशि करोड़ में)

बैंकों का नाम	1993-94		1994-95		1995-96	
	परिचालित लाभ	निवल लाभ	परिचालित लाभ	निवल लाभ	परिचालित लाभ	निवल लाभ
इलाहाबाद बैंक	22.84	-367.72	30.42	-76.36	103.21	5.62
आन्ध्रा बैंक	-18.66	-162.25	13.13	-43.57	61.67	11.07
बैंक आफ बड़ौदा	726.82	66.15	774.87	175.54	877.27	204.27
बैंक आफ इंडिया	204.80	-1089.15	317.10	50.36	473.86	276.48
बैंक आफ महाराष्ट्र	-33.86	-296.93	26.98	-40.80	66.49	12.60
केनरा बैंक	319.54	120.35	552.27	204.10	684.63	252.52
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	-122.01	-711.93	49.18	-84.24	210.89	-73.53
कारपोरेशन बैंक	108.22	27.04	174.03	72.55	216.10	104.75
देना बैंक	39.39	-69.84	68.80	30.02	145.49	51.69
इंडियन बैंक	49.78	-390.65	75.12	..26	-223.68	-1336.40
इंडियन ओवरसीज बैंक	45.86	-351.18	75.19	10.39	21.95	3.20
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	109.54	32.11	194.77	113.36	276.14	172.75
पंजाब एंड सिंध बैंक	-6.06	-175.99	40.97	-7.42	8.40	-132.18
पंजाब नैशनल बैंक	287.59	74.52	321.27	85.79	384.28	-95.92
सिंडिकेट बैंक	4.05	-299.40	14.29	-91.79	99.40	20.17
यूको बैंक	-161.82	-546.45	36.63	-83.81	-26.13	-236.66
यूनियन बैंक आफ इंडिया	163.26	50.27	285.25	106.48	311.02	80.49
यूनाइटेटड बैंक आफ इंडिया	-119.00	-618.06	-82.73	-197.23	-50.24	-234.46
विजया बैंक	40.53	4.10	77.58	31.70	4.91	-250.95
कुल लाभ	2122.22	374.54	3127.85	894.55	3945.71	1195.61
कुल हानि	-461.41	-5079.55	-82.73	-625.22	-300.05	-2360.10

विवरण-II

वर्ष 1994, 1995 और 1996 के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण

(राशि लाख रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994		1995		1996	
	जमाराशियां	ऋण	जमाराशियां	ऋण	जमाराशियां	ऋण
हरियाणा	4053,35	1872,49	4915,39	2104,29	6130,40	2573,23
हिमाचल प्रदेश	1215,57	332,32	1472,10	372,84	1729,10	442,23
जम्मू एवं कश्मीर	660,57	172,91	745,43	185,50	867,57	203,27
पंजाब	10567,83	4244,09	12411,74	4912,24	14133,97	5644,72
राजस्थान	3906,90	2038,35	4616,41	2217,20	5233,91	2559,05
चंडीगढ़	1481,13	669,82	2031,95	853,02	2462,33	1094,59
दिल्ली	19689,71	7935,56	24387,95	10195,58	25272,26	12626,63
अरुणाचल प्रदेश	34,66	7,18	53,31	8,32	64,25	10,57
असम	1798,79	784,88	2152,87	896,48	2482,45	1025,73
मणिपुर	73,30	63,90	96,26	70,21	123,90	91,54
मेघालय	243,98	41,79	301,74	48,85	342,81	47,10
मिजोरम	21,56	3,82	22,73	4,20	32,45	5,75
नागालैंड	108,20	38,47	128,07	41,11	163,34	41,90
त्रिपुरा	195,66	93,43	239,97	93,35	265,81	101,64
बिहार	7123,15	2325,05	8528,89	2534,96	10141,00	2928,18
उड़ीसा	2101,21	1213,73	2601,72	1327,56	2955,01	1508,12
सिक्किम	50,03	8,77	62,54	11,98	104,82	14,68
पश्चिम बंगाल	15552,50	7169,81	17275,04	8182,08	19144,11	9085,95
अंडमान एवं निकोबार	41,91	7,68	53,90	10,96	68,21	13,06
मध्य प्रदेश	5722,25	2832,50	7105,92	3312,58	8191,06	4088,13
उत्तर प्रदेश	18653,24	6646,98	22279,09	7383,18	25789,96	8272,42
गोवा	1678,05	393,89	1986,31	504,40	2239,20	573,40
गुजरात	13892,62	5745,31	16366,25	7143,95	17669,95	8196,04
महाराष्ट्र	37015,66	25262,21	41835,29	31113,44	44013,66	34384,20
दादर एवं नगर हवेली	25,62	5,97	40,90	6,69	41,98	9,22
दमन एवं दीव	31,87	4,06	40,31	3,82	47,53	10,59
आन्ध्र प्रदेश	8344,66	5518,22	9712,78	6915,80	10391,47	7788,91
कर्नाटक	8538,08	5569,31	10821,65	6622,71	12640,26	7661,88
केरल	5493,85	2052,61	6468,53	2379,95	7132,05	2855,14
तमिलनाडु	12856,43	10008,44	14863,17	12384,93	17130,55	14570,72
लक्षद्वीप	15,30	1,43	20,23	2,00	24,78	2,37
पांडिचेरी	352,50	153,16	412,66	188,70	482,49	213,51

सेंट्रल माइन्स प्लानिंग एण्ड डिज़ाइनिंग इन्स्टीट्यूट लिमिटेड की रिपोर्ट

***111. श्री बसुदेव आचार्य :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰ के अधीन पुनर्वास तथा बड़ी मात्रा में कोयले को बचाने के लिए सेंट्रल माइन्स प्लानिंग एण्ड डिज़ाइनिंग इन्स्टीट्यूट लिमिटेड की फरवरी, 1993 की रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई॰को॰लि॰) से प्राप्त सूचना के अनुसार रानीगंज कोयला क्षेत्र को सुदृढ़ीकृत किए जाने संबंधी मामले को सहायता प्राप्त किए जाने हेतु विश्व-बैंक के दल के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था। सदृढ़ीकरण के संबंध में विश्व-बैंक दल को अवगत कराए जाने हेतु, एक प्रारंभिक मसौदा रिपोर्ट केंद्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड द्वारा तैयार की गई थी, जो कि उपलब्ध सूचना तथा कुछ अभिकल्पनाओं पर आधारित थी। विश्व-बैंक दल द्वारा रानीगंज कोयला क्षेत्र के स्थलों का दौरा किया गया था। चूंकि विश्व-बैंक दल द्वारा पुराने क्रियाकलापों को सुदृढिकृत किए जाने हेतु कोई उपयुक्त पद्धति नहीं सुझाई गई थी, अत: मसौदा रिपोर्ट पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें विवरण-I और II में दी गई हैं।

विवरण-I

ऐसे क्षेत्र जहां कि कोई संभावित खतरा नहीं हैं

1. शंकररूर गांव
2. बहुला मोतीबाजार क्षेत्र
3. बलसुक सेरेमिक
4. संथाल बस्ती (ईस्ट जेमेहारी)
5. रघुनाथबती गांव
6. बेलरूई गांव
7. राधानगर गांव
8. सीतलपुर गांव
9. तोपसी गांव
10. शिकारपुर गांव
11. अलदीह गांव

ऐसे क्षेत्र जिनको सुदृढ़ीकृत किए जाने/पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता है

12. हरीपुर गांव
13. धंगरपट्टी
14. पई असबोन गांव
15. कुलडंगा गांव
16. केन्दा गांव
17. धसल गांव
18. कुमारबाजार (रानीगंज टाउन)
19. पोरारबंध (रानीगंज टाउन)
20. पोट्टेरी क्षेत्र (रानीगंज टाउन)
21. अरूण टाकीज़ (रानीगंज टाउन)
22. गोवाला बस्ती (रानीगंज टाउन)
23. हुरमाडंगा गांव
24. ओल्ड एगारा गांव
25. संथाल बस्ती (जेमेहारी)
26. नंदी गांव
27. जमूरिया बाजार
28. जमूरिया गांव
29. शिबपुर गांव
30. छट्टीडंगा
31. कुमारडीह गांव
32. भट्टडोबा
33. बलिरम्बागन
34. एच॰पी॰जी॰
35. ऊषाग्राम गांव
36. रैकिट्ट कोलमैन
37. बोराचक गांव
38. फतेपुर गांव
39. नरसामुडा गांव
40. बोनबिड्डी गांव
41. अलुथई/भारतचक गांव
42. छोटोधेमो गांव
43. केन्दुआ गांव
44. पंकियरी
45. संकटोरिया गांव
46. जोनकपुरा गांव
47. फलासडंगा
48. बेगुनिया गांव
49. बाराकर टाउन

विवरण-II

संक्षिप्त रूप में आंकड़े

1.	रानीगंज कोलफील्ड का क्षेत्र	: 1530 वर्ग कि॰मी॰
2.	कुल अस्थिर क्षेत्र	: 11.81 वर्ग कि॰मी॰
3.	अस्थिर स्थलों का क्षेत्र	: 4.83 वर्ग कि॰मी॰
4.	अभी तक विनिर्दिष्ट किए गए अस्थिर क्षेत्रों की कुल संख्या	: 49
5.	सुदृढ़ीकृत कृत कार्रवाई	: 1
6.	अस्थिर क्षेत्रों के नीचे फंसे अनुमानित कोयले के भंडार (मि॰टन में)	: 443.23
7.	जनसंख्या, जिसके प्रभावित होने की संभावना है।	: 128219
8.	सुदृढ़ीकरण किए जाने हेतु सुझाए गए क्षेत्रों के लिए गढ्ढों को विनिर्दिष्ट किए जाने हेतु अनुमानित पूंजीगत आवश्यकताएं।	
	(क) रुपये के स्वरूप में (रु॰ मिलियन में)	: 608.02
	(ख) विदेशी मुद्रा (मिलियन अमेरिकी डालर में)	: 33.53
9.	थेमिटिक मैपिंग	
	(क) रुपये के स्वरूप में (रु॰ मिलियन में)	: 6.0
	(ख) विदेशी मुद्रा (मिलियन अमेरिकी डालर में)	: 0.10
10.	कुल असुरक्षित क्षेत्रों का पुनर्वास तथा निकासी।	
	(क) अपेक्षित अनुमानित लागत	: रु॰ 37809.86 मिलियन
	(ख) कोयले की जारी की जाने वाली संभावित कीमत	: रु॰ 110800 मिलियन
11.	घनी जनसंख्या वाले असुरक्षित क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण तथा अन्य असुरक्षित क्षेत्रों से निकासी।	
	(क) सुदृढ़ीकरण के लिए अनुमानित पूंजी	: रु॰ 5803 मिलियन
	(ख) पुनर्वास के लिए अनुमानित पूंजी	: रु॰ 7450.30 मिलियन
	(ग) कोयले की जारी की जाने वाली संभावित कीमत	: रु॰ 68186 मिलियन

"फेरा" का उल्लंघन

*112. **श्री उत्तम सिंह पवार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी क्षेत्र की उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरूद्ध जुलाई, 1996 से आज तक "फेरा" का उल्लंघन किए जाने संबंधी मामलों को दर्ज किया गया/पता लगाया गया है; और

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : (क) और (ख) प्रवर्तन निदेशालय ने जुलाई, 1996 से निजी क्षेत्र की कम्पनियों के विरूद्ध 198 मामले दर्ज किए हैं। कुछ बड़े मामलों के नाम निम्नानुसार हैं :—

1. मै॰ आई॰टी॰सी॰ लि॰
2. मै॰ शॉ वैलेस एण्ड कं॰
3. मै॰ एम॰वी॰आर॰ ग्रुप आफ कम्पनीज़
4. मै॰ डिप्पर इन्वेस्टमेंट्स लि॰
5. मै॰ किरन ग्रुप ऑफ कम्पनीज़

प्रवर्तन निदेशालय ने इन मामलों की जांच की है। प्रत्येक मामले में अन्तर्ग्रस्त राशि का इस स्तर पर मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

जाली ड्राफ्टों का रैकेट

*113. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 दिसम्बर, 1996 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "रैकेट इन फोर्ज्ड ड्राफ्टस अनअर्थड" शीर्षक के अंतर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन नहीं करने वाले बैंक अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : (क) से (ग) सरकार ने प्रश्न में उल्लिखित समाचार को देखा है। बैंक आफ बड़ौदा (बीओबी) द्वारा दिए गए तथ्य इस प्रकार हैं :—

1. बैंक आफ बड़ौदा की हापुड़ शाखा में मैसर्स परवीन हाइड कंपनी के नाम से खोले गए नए चालू खाते में 50,000/- रुपए का मांग-ड्राफ्ट जमा कराया गया था और सुश्री परवीन द्वारा 13.12.96 को 35,000/- रुपए निकाले गए। बैंक की लाटूश रोड, कानपुर शाखा द्वारा इस फर्म के पक्ष में जानबूझकर जारी किया गया दिनांक 16.12.96 का 8.50 लाख रु॰ का एक डाक अन्तरण इस शाखा को प्राप्त हुआ। लाटूश रोड शाखा से पूछताछ करने पर पता चला कि ड्राफ्ट और डाक अन्तरण उन्होंने जारी नहीं किए थे। हापुड़ स्थानीय पुलिस, के पास दिनांक 21.12.1996 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने सुश्री परवीन, उनके दो अन्य सह-अपराधियों और लाटूश शाखा के एक चौकीदार और एक क्लर्क समेत, 5 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। चौकीदार और क्लर्क को निलंबित कर दिया गया है।

2. घंटाघर, गाज़ियाबाद स्थित बैंक आफ बड़ौदा की शाखा में जनवरी, 1995 में मैसर्स बी॰आर॰ एन्टरप्राइजिज के नाम से एक खाता खोला गया। 20.10.1995 को बैंक आफ बड़ौदा की सीसामऊ, कानपुर शाखा से 6.80 लाख रुपए का एक डाक-अन्तरण सोद्देश्य जारी किया गया और उस खाते में जमा किया गया और इस खाते में से कई बार धन निकाला गया जो कुल मिलाकर 3.30 लाख रुपये के थे। यह धोखाधड़ी तब सामने आई जब घंटाघर, गाजियाबाद स्थित शाखा ने सीसामऊ, कानपुर शाखा से सम्पर्क किया और यह पता चला कि 6.80 लाख रुपए का डाक-अन्तरण जाली था। पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

3. दिसम्बर 1996 में बैंक आफ बड़ौदा की मुजफ्फरनगर शाखा के आवधिक निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि 50 मांग-ड्राफ्टों वाली एक ड्राफ्ट पुस्तिका गुम थी। सभी शाखाओं को अनुदेश जारी किए गए कि चुराए गए ड्राफ्टों के बदले भुगतान करने में सावधानी बरती जाए। हालांकि, 26.18 लाख रुपयों के 12 मांग-ड्राफ्टों पर बैंक आफ बड़ौदा की बुलन्दशहर और अकबरपुर शाखाओं में सितम्बर-अक्तूबर, 1996 के दौरान पहले ही भुगतान किये जा चुके थे। बैंक द्वारा दी गई जांच से जो चूक सामने आई, वे थीं—मुजफ्फरनगर शाखा में प्रतिभूति फार्मों और प्रतिभूति फार्मों के स्टाक की आवधिक वास्तविक जांच पर संयुक्त नियंत्रण न होना और बुलन्दशहर और अकबरपुर शाखाओं में हुए बड़े लेन-देनों के मामलों में सावधानी न बरता जाना। संबंधित अंचल कार्यालयों को सलाह दी गई है कि वे सभी शाखाओं को प्रतिभूति फार्मों की वास्तविक जांच करने के लिए विशेष अनुदेश दें। दिसम्बर, 1996 में मुजफ्फरनगर शाखा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई। अकबरपुर शाखा ने भी पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है जिसने एक खाताधारी को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर शाखा के लेखाकार को निलंबित किया गया है।

[हिन्दी]

निर्यात में गिरावट

***114. श्री काशीराम राणा :**

श्री टी॰ गोपाल कृष्ण :

क्या **वाणिज्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996-97 के दौरान निर्यात और आयात में वृद्धि दर के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) 1996-97 के दौरान निर्यात तथा आयात में गत दो वर्षों की संगत अवधि में निर्यात तथा आयात के मुकाबले वास्तविक वृद्धि दर क्या रही;

(ग) निर्यात वृद्धि दर में गिरावट के क्या कारण हैं तथा वे क्षेत्र कौन-कौन से हैं जिनमें प्रगति खराब रही; और

(घ) निर्यात में गिरावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और आयात में वृद्धि की तुलना में निर्यात वृद्धि दर कितनी रही और वर्ष 1996-97 के दौरान इसकी वृद्धि दर कितनी रही?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (घ) वर्ष 1996-97 के प्रारम्भ में चालू वित्त वर्ष के लिए डालर के रूप में 18 से 20 प्रतिशत निर्यात वृद्धि की परिकल्पना की गयी थी। तथापि, डी जी सी आई एंड एस से उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-दिसम्बर, 1996 की अवधि के दौरान 6.4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी जबकि वर्ष 1995-96 की संगत अवधि के दौरान 24.2 प्रतिशत तथा अप्रैल-दिसम्बर 1994-95 के दौरान 16.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

आयात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है क्योंकि आयात देश की अर्थव्यवस्था की जरूरत के मुताबिक किया जाता है। अप्रैल-दिसम्बर, 1996-97 के दौरान आयात में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जबकि वर्ष 1995-96 और 1994-95 की संगत अवधि के दौरान इसमें क्रमशः 29.3 प्रतिशत और 23.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

निर्यात वृद्धि इन बातों से प्रभावित होती है—अंतर्राष्ट्रीय बाजार दशाएं, आयातक देशों द्वारा लगाए जाने वाली गैर-टैरिफ बाधाएं,

निर्यात के लिए उपलब्ध सहायक बुनियादी सुविधाएं और नीति संबंधी वातावरण। अप्रैल-दिसम्बर 1996-97 के लिए डी॰जी॰सी॰आई॰ एण्ड एस॰ के तुरन्त अनुमान के अनुसार चाय, कॉफी, चावल, काजू, फल एवं वनस्पति, रत्न एवं आभूषण, चर्म विनिर्माण, मानव निर्मित यार्न फैब्रिक्स, इत्यादि जैसी वस्तुओं, जूट विनिर्माण, हस्तशिल्प एवं प्लास्टिक एवं लिनोलियम उत्पादों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

अप्रैल-दिसम्बर, 1996-97 के दौरान निर्यात मूल्य एवं आयात मूल्य में वृद्धि प्रदर्शित हुई है, यद्यपि वृद्धि दर पूर्व वर्ष की अवधि की तुलना में कम रही। निर्यात संवर्धन के उपाय निरन्तर किए जा रहे हैं। इन उपायों में शामिल हैं—निर्यात के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए नीतियां एवं क्रिया-विधियों में परिवर्तन, व्यापार और उद्योग के साथ अन्तःक्रिया, निर्यात संवर्धन में राज्यों को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श करना, निर्यात के लिए निर्णायक बुनियादी सुविधाओं संबंधी कठिनाईयों को दूर करना, संयुक्त आयोगों और द्विपक्षीय मंचों की बैठकें करना और साझीदार देशों के साथ विचार-विमर्श करना।

[अनुवाद]

चुनाव सुधार

***115. श्री मुख़तार अनीस :** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन प्रस्तावों तथा सुझावों का ब्यौरा क्या है जो चुनाव प्रणाली तथा इससे संबंधित कानून में सुधार हेतु भारतीय चुनाव आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किये गये हैं तथा जो 1 जनवरी, 1997 को उपलब्ध स्थिति के अनुसार लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन प्रस्तावों तथा सुझावों के विषय में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से विचार-विमर्श करने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) निर्वाचन सुधार एक निरंतर प्रक्रिया होने के कारण वह ठीक समय बता पाना संभव नहीं है जब तक सरकार इस विषय पर विनिश्चय करेगी। तथापि, सरकार यथासंभव शीघ्र निर्वाचन सुधारों के संबंध में एक व्यापक पैकेज को अन्तिम रूप देने के लिए उत्सुक है।

विवरण

निर्वाचन आयोग के वे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो 1 जनवरी, 1997 को लम्बित हैं :—

1. निर्वाचन आयोग का एक स्वतंत्र सचिवालय होना चाहिए और आयोग का व्यय "भारित" होना चाहिए।
2. किसी भी उम्मीदवार को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
3. भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए गए व्यक्ति की स्वतः निरर्हता।
4. प्रतिभूति निक्षेप बचाने के लिए डाले गए वैध मतपत्रों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या 'एक बटा छह" से बढ़ाकर "एक बटा चार" करना।
5. राजनैतिक दलों द्वारा लेखाओं का अनिवार्य रूप से रख-रखाव और उनकी संपरीक्षा
6. राजनैतिक दलों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29क के विद्यमान उपबंध को हटाया नहीं जाना चाहिए और यदि कोई दल, इस धारा के अधीन दिए गए वचन का उल्लंघन करता है तो उसे रजिस्टर से हटाने के लिए एक विनिर्दिष्ट उपबंध होना चाहिए। रजिस्टर से हटाए जाने की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित होनी चाहिए।
7. निर्वाचन कर्तव्यों के लिए पब्लिक सैक्टर उपक्रमों, स्वशासी निकायों, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कानूनी और कानूनेत्तर निकायों के कर्मचारियों को कार्य-योग्य बनाना और यह भी उपबंध करना कि ऐसे निकायों के, जिनमें स्थानीय निकाय भी हैं, कर्मचारियों को निर्वाचन कर्तव्यों के लिए उनके राज्य से बाहर भी अभिनियोजित किया जा सके।
8. निर्वाचन व्ययों की बाबत 1974 के पूर्व की स्थिति को बहाल करना।
9. निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा को निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 90 में यथा अधिकथित के अनुसार बढ़ाना।
10. मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में नाम निर्दिष्ट या पदाभिहित अधिकारी को निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के सिवाय, कोई अन्य कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए।
11. आदर्श आचार-संहिता के भाग 7 के उपबंधों को कानूनी समर्थन।
12. निर्वाचन आयोग को, निर्वाचनों के संबंध में अनुदेश जारी करने और सिफारिशें करने के लिए सशक्त बनाना।

कोयला क्षेत्र का निजीकरण

*116. श्री के॰पी॰ सिंह देव :

श्री नामदेव दिवाथे :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न कोयला क्षेत्रों का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और विभिन्न कोयला कंपनियों के अंतर्गत वे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जिनकी इस प्रयोजन से पहचान की गयी है;

(ग) क्या कोयले के खनन और अन्य संबद्ध कार्यकलापों हेतु सरकारी क्षेत्र की कुछ बिजली और इस्पात कंपनियों को भी कुछ क्षेत्र देने की पेशकश की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) सरकार का कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन किए जाने हेतु एक विधेयक प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव है ताकि किसी भी भारतीय कंपनी को कोयले को उत्खनन किए जाने की अनुमति प्रदान की जा सके।

(ख) प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदाओं के आधार पर उत्खनन किए जाने हेतु भारतीय कंपनियों के ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा, जिनके संबंध में पट्टेदारी की पेशकश की जा सकती है, उक्त के बारे में कार्रवाई संसद द्वारा वैधानिक परिवर्तन किए जाने तथा इसके बाद प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदा संबंधी नियमों का निष्पादन किए जाने के बाद ही की जाएगी।

(ग) और (घ) वर्ष 1972-73 में भारत में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के समय कुछ खानों का, जिनका कि परिचालन दामोदर घाटी निगम द्वारा किया जा रहा था, उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। वर्ष 1993 में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन किए जाने के बाद निम्नलिखित राज्यों की विद्युत उपयोगिताओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विद्युत तथा इस्पात क्षेत्र में ग्रहीत खनन ब्लाकों की पेशकश की गई थी, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र॰सं॰	नाम	अंतिम उपयोग	कोयला क्षेत्र जिनमें विनिर्दिष्ट/इंगित किए गए ब्लाक स्थित हैं	भू-गर्भीय भंडार (मि॰टन में)
1.	आंध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड	विद्युत उत्पादन	तलचर	420
2.	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	विद्युत उत्पादन	रानीगंज	80
3.	पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि॰	विद्युत उत्पादन	रानीगंज	130
4.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि॰	इस्पात	झरिया	2149

ब्याज दरों में अन्तर

*117. श्री भूपिन्द्र सिंह हुडा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड किसानों को ऋण के लिए 2 से 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर धन प्रदान करता है;

(ख) क्या किसानों को अल्पावधि फसल ऋण भी 12 से 14 प्रतिशत ब्याज दर पर ही मिल पाता है;

(ग) यदि हां, तो नाबार्ड द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज और किसानों द्वारा ऋण पर अदा किए जाने वाले ब्याज में इस भारी अन्तर के क्या कारण हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : (क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सामान्य ऋण व्यवस्था में से मौसमी कृषि कार्यों (एस ए ओ) को वित्तपोषित करने के लिए सहकारी ऋण संस्था तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है।

नाबार्ड से सहकारी बैंकों को अल्पावधि एस ए ओ ऋण सीमाओं पर दिनांक 1.7.1996 से प्रभावी ब्याज दरें निम्नलिखित हैं :

पी ए सी पर बकाया ए टी (एस ए ओ) ऋणों के लिए नाबार्ड से एससीबी ऋणों का प्रतिशत	ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)
35 से कम	5.0
35 और इससे अधिक परन्तु 40 से कम	5.5
40 और इससे अधिक परन्तु 45 से कम	6.0
45 और इससे अधिक परन्तु 50 से कम	6.5
50 और इससे अधिक परन्तु 55 से कम	7.0
55 से अधिक	7.5

तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी सहकारी बैंकों के लिए एसटी-एस॰ए॰ओ॰ ऋण सीमाओं हेतु पुनर्वित्त पर तथा जनजातीय आबादी के

विकास के तहत एसटी (एसएओ) सीमाओं हेतु पुनर्वित्त के लिए ब्याज दर, चाहे ऋण-स्तर कुछ भी हो, 5 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित की जाती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एसटी (एसएओ) पुनर्वित्त पर नाबार्ड द्वारा प्रभारित की जाने वाली ब्याज-दर 6.5 प्रतिशत वार्षिक है।

(ख) से (घ) अन्तिम ऋणकर्ताओं के लिए ऋणों पर सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा प्रभारित की जाने वाली ब्याज-दर सभी ऋण स्तरों के लिए न्यूनतम 12 प्रतिशत वार्षिक के अध्यधीन दिनांक 2 नवम्बर, 1994 से अविनियमित कर दी गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर को भी दिनांक 26 अगस्त, 1996 से पूरी तरह अविनियमित कर दिया गया है।

इस अविनियमन के वातावरण में, ऋणों पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज-दर सामान्यतः कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, संसाधन जुटाने की औसत लागत, नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता पर निर्भरता का स्तर, ऋण संबंधी कार्यों की क्षमता तथा प्रशासन, संबंधी लागतों और ऋण सेवाओं को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर रखे जाने वाले मार्जिन शामिल हैं। कम दरों पर नाबार्ड से उपलब्ध पुनर्वित्त से संस्थाओं को अपने संसाधनों की औसत लागत कम करने में सहायता मिलती है। तथापि, ग्रामीण ऋण संस्थाओं द्वारा दिए गये फसल ऋणों का काफी हिस्सा ऐसी संस्थाओं द्वारा जुटाए गये संसाधनों से प्राप्त होता है जिनकी लागत नाबार्ड की पुनर्वित्त दरों से कहीं अधिक होती है।

ग्रामीण ऋणों से सम्बद्ध जोखिम लागत तथा अतिदेयों के ऊंचे स्तरों की लागत को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण संस्थाओं के लिए यह आवश्यक प्रतीत होती है कि वे अपनी ब्याज दारों को उचित स्तरों पर रखें, ताकि कार्य संचालन को अर्थक्षम रूप से जारी रखने योग्य सुनिश्चित किया जा सके।

विदेशी बैंक

***118. श्री अय्यन्ना पटरुधु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के मध्य से आर्थिक उदारीकरण आरम्भ किए जाने के पश्चात किन-किन विदेशी बैंकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी गयी है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन बैंकों द्वारा कुल कितना लाभ अर्जित किया गया तथा विदेशी मुद्रा के रूप में कितनी धनराशि वे अपने-अपने देशों को भेज रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार निम्नलिखित विदेशी बैंकों को वर्ष 1991 के मध्य से भारत में प्रवेश की अनुमति दी गई है। इनमें से प्रत्येक बैंक द्वारा अर्जित लाभ/हानि उनके नाम के आगे दर्शायी गई है। इनमें से किसी भी बैंक ने पिछले तीन वर्षों में लाभ प्रेषित नहीं किए हैं।

क्र॰सं॰	बैंक का नाम	देश	1994	1995	1996 (रु॰ करोड़ में)
1.	आईएनजी बैंक एनबी	नीदरलैंड	*	(-)3.87	(-)4.59
2.	चेइज मैन हटन बैंक एनए	यूएसए	*	(-)6.74	(-)3.44
3.	स्टेट बैंक ऑफ मॉरीशस लि॰	मारीशस	*	(-)0.34	(+)4.34
4.	डेवेलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि॰	सिंगापुर	*	(-)0.16	(+)0.96
5.	ड्रेसनर बैंक एजी	जर्मनी	*	*	(-)9.57
6.	बैंक आफ सीलोन	श्रीलंका	*	*	(+)0.33
7.	कामर्ज बैंक एजी	जर्मनी	*	*	(-)4.32
8.	शियाम कामर्शियल बैंक पीसीएल	थाइलैंड	*	*	*
9.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया बैंक	इंडोनेशिया	*	*	*
10.	चाइना ट्रस्ट कामर्शियल बैंक	ताईवान	*	*	*
11.	अरब बांग्लादेश बैंक लि॰	बांग्लादेश	*	*	*
12.	चो हुंग बैंक लि॰	साऊथ कोरिया	*	*	*
13.	फूजी बैंक लि॰	जापान	*	*	*
14.	क्रूंग थाई बैंक पीसीएल	थाइलैंड	*	*	*
15.	ओवरसीज चाइनीज बैंकिंग कारपोरेशन लि॰	सिंगापुर	*	*	*

*) इस अवधि के दौरान परिचालन शुरू नहीं किया था।

-) हानि दर्शाता है।

(+) लाभ दर्शाता है।

1	2	3	4	5	6
29.	अपोलो मिल्स	बंबई	-6.03	-3.79	-5.08
30.	भारत टेक्सटाइल्स	बंबई	-6.29	-5.67	-5.68
31.	दिग्विजय मिल्स	बंबई	-7.34	-8.29	-10.61
32.	जुपीटर मिल्स	बंबई	-13.72	-7.48	-8.43
33.	न्यू हिंद मिल्स	बंबई	-13.48	-7.96	-9.99
34.	मुंबई मिल्स	बंबई	-12.42	-6.84	-8.26
35.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	-0.94	-1.09	-1.11
36.	चालीगगांव टेक्स	चालीसगांव	0.21	-0.52	-0.80
37.	धुले टेक्स	धुले	-3.67	-3.50	-4.11
38.	नंदेद टेक्स	नंदेद	-3.15	-3.13	-2.68
39.	इंदु नं॰ 1	बंबई	-14.29	-9.34	-11.30
40.	इंदु नं॰ 2	बंबई	-12.12	-6.12	-8.37
41 और 42.	इंदु सं॰ 3 और 4 व 5	बंबई	-15.71	-9.61	-12.32
43.	इंदु सं॰ 5	बंबई	-6.66	-5.31	-5.23
44.	इंदु डायज वर्क्स	बंबई	-4.98	-3.39	-5.81
45.	माडल मिल्स	नागपुर	-12.39	-9.45	-9.90
46.	आरएसआरजी मिल्स	अकोला	-4.71	-3.10	-3.35
47.	आरबीबीए मिल्स	हिंगनघाट	-3.05	-3.00	-2.39
48.	सावतराम मिल्स	अकोला	-3.65	-2.04	-2.21
49.	विदर्भ मिल्स	अचलपुर	-5.07	-3.27	-3.49
50.	एलिफिस्टन	बंबई	–	-7.01	-6.41
51.	फिनले मिल्स	बंबई	–	-7.74	-5.65
52.	गोल्ड मोहर	बंबई	–	-5.31	-3.93
53.	जाम मेन्युफे मिल्स	बंबई	–	6.15	-4.58
54 से 56.	कोहिनूर 1,2,3	बंबई	–	-11.01	-6.32
57.	श्री मधुसूदन	बंबई	–	-3.69	-3.81
58.	न्यू सिटी	बंबई	–	-5.20	-5.14
59.	पोदार मिल्स	बंबई	–	-5.48	-4.78
60.	पौदार प्रोसेसर	बंबई	–	-3.77	-4.37
61.	श्री सीताराम	बंबई	–	-7.41	-2.03
62.	टाटा मिल्स	बंबई	–	-6.09	-6.05
गुजरात					
63.	राजकोट मिल्स	राजकोट	-3.35	-1.98	-2.35
64.	महालक्ष्मी मिल्स	भावनगर	-8.26	-5.15	-6.21
65.	पेटलेड मिल्स	पेटलेड	-5.33	-2.20	-2.93
66.	अहमदाबाद न्यू	अहमदाबाद	-9.92	-5.80	-7.51

1	2	3	4	5	6
67.	अहमदाबाद जूपीटर	अहमदाबाद	-13.51	-5.74	-7.35
68.	जहांगीर मिल्स	अहमदाबाद	-10.51	-8.06	-10.05
69 और 70.	राजनगर 1 तथा 2	अहमदाबाद	-12.53	-7.05	-8.30
71.	विक्रमगांम टेक्स	विक्रमगांम	-6.66	-3.97	-4.96
72.	न्यूमेनेक चौक	अहमदाबाद	-6.59	-5.26	-5.85
73.	हिमाद्री मिल्स	अहमदाबाद	-4.99	-4.26	-5.21
आंध्र प्रदेश					
74.	नेथा	सिकंदराबाद	-1.27	-0.10	-2.12
75.	नटराज मिल्स	निर्मल	-2.31	-2.25	-3.44
76.	अनंतपुर मिल्स	तदापत्री	-1.03	-0.49	-2.31
77.	तिरुपति मिल्स	रेणूकूट	-0.99	-1.39	-3.04
78.	अदोनी मिल्स	अदोनी	-0.51	-0.90	-2.08
79.	अजमजाही मिल्स	बारंगल	-6.24	-2.59	-3.41
कर्नाटक					
80.	श्रीयाल्लमा	टोलाहुंसे	-1.52	-1.16	-3.53
81.	मैसूर मिल्स	बंगलौर	-7.75	-2.34	-3.74
82.	मिनर्वा मिल्स	बंगलौर	-10.85	-6.02	-7.48
83.	एम॰एस॰के॰ मिल्स	गुलबर्गा	-7.39	-3.94	-5.21
केरल					
84.	कन्नौर कन॰	कन्नौर	-0.56	0.42	-1.05
85.	केरल लक्ष्मी	त्रिचूर	0.73	-0.66	-2.62
86.	विजय मोहनी	त्रिवेन्द्रम	-0.14	-0.37	-0.89
87.	अलगप्पा मिल्स	अलगप्पगर	0.72	-0.50	-3.00
88.	पार्वती मिल्स	क्विलोन	-3.18	-2.63	-4.41
पांडिचेरी					
89.	कन्नौर पाहे	माहे	0.88	-0.02	-1.22
90.	श्री भारती मिल्स	पांडिचेरी	-2.54	-1.72	-5.95
91.	स्वदेशी काटन	पांडिचेरी	-3.29	-3.85	-7.04
तमिलनाडु					
92.	ओप्रशक्ति	कोयम्बटूर	1.26	0.52	-0.37
93.	कंबोडिया मिल्स	कोयम्बटूर	1.29	0.47	-0.99
94.	कृष्णवेनी मिल्स	कोयम्बटूर	0.28	-0.81	-2.00
95.	श्री रंगविलास	कोयम्बटूर	0.94	-0.36	-2.91
96.	पंकज	कोयम्बटूर	1.61	0.40	-0.66
97.	पायोनीर मिल्स	कामुदूकाडी	-1.00	-0.19	-0.91
98.	बलराम वर्मा	शेनकोट्टा	0.48	-0.45	-1.25
99.	कालेश्वर ख	कल्यानर्को	0.76	-0.59	-1.80

1	2	3	4	5	6
100.	कोयम्ब॰ मरगन	कोयम्बटूर	−3.04	−3.83	−2.58
101.	सामासुन्दरम मिल्स	कोयम्बटूर	−0.39	−0.82	−1.28
102.	कालेश्वरार क	कोयम्बटूर	−3.17	−3.86	−4.93
103.	कोयम्ब एस एंड डब्ल्यू	कोयम्बटूर	0.27	−2.23	−6.47
104.	शारदा मिल्स	पोलुनूर	−0.31	−0.83	−2.76
असम					
105.	एसोसिएटेड	चन्द्रपुर	−2.20	−2.27	−3.27
बिहार					
106.	बिहार कोआप	कोकामा	−1.52	−2.14	−2.11
107.	गया काटन	गया	−2.53	−2.58	−3.36
उड़ीसा					
108.	उड़ीसा काटन	भागलपुर	−1.74	−2.09	−3.29
पं॰ बंगाल					
109.	बंगाल टेक्सटाइल	कोसिमबागा	−2.66	−2.48	−3.28
110.	लक्ष्मी नारायण	रिसरा	−2.21	−2.91	−3.55
111.	आरती काटन	हावड़ा	−2.10	−2.00	−2.12
112.	बंगाल फाइन−II	कटागंज	−1.25	−1.20	−1.92
113.	सोदेपुर	सोदेपुर	−1.22	−1.31	−1.46
114.	संट्रल काटन	बेलूर	−3.88	−3.02	−4.82
115.	बंगाल फाइन−I	कोन्नागर	−2.38	−3.40	−3.82
116.	बंगाल लक्ष्मी	सेरामपुर	−3.36	−3.56	−4.27
117.	श्री महालक्ष्मी	पलटा	−3.65	−3.65	−4.67
118.	रामपुरिया	सेरमपुर	−4.17	−4.77	−5.01
119.	गंगाश्री	सुखपर	−1.78	−1.77	−2.27
120.	ज्योति वीविंग फैक्ट्री	कलकत्ता	−1.33	−1.27	−1.71

कोयले की आपूर्ति

1088. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ताप बिजलीघरों में कोयले की आपूर्ति की गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित करने के लिए कतिपय कानूनी प्रावधानों को कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) सरकार द्वारा कोल इंडिया लि॰ (को॰इं॰लि॰) को, कोयले की आपूर्ति किए जाने हेतु तापीय विद्युत गृहों के साथ, जिसमें अन्य बातों के अलावा, कोयले की मात्रा तथा गुणवत्ता के विषय शामिल हैं, कानूनी रूप में लागू किए जाने संबंधी संविदाओं को निष्पादित किए जाने तथा विचार-विमर्श किए जाने का परामर्श दिया गया है। को॰इं॰लि॰, विद्युत उपयोगिताओं/राज्य विद्युत बोर्डों के साथ कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए करार को अंतिम रूप दिए जाने हेतु निरंतर प्रयास कर रही है।

मदुरै में विशेष सी॰ बी॰ आई॰ न्यायालय

1089. श्री ए॰जी॰एस॰ राम बाबू : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु मदुरै में कोई "विशेष केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो" न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त न्यायालय की स्थापना कब तक की जाएगी;

(ग) क्या मामलों के अत्यधिक बैकलाग को देखते हुए मदुरै के केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के न्यायालय में बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि करने और पर्याप्त कर्मचारियों को उपलब्ध कराने संबंधी मंजूरी देने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो यह योजना कब तक स्वीकृत हो जाएगी?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में ऊनी मिलें

1090. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में ऊनी मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार उस राज्य में सार्वजनिक/संयुक्त क्षेत्र में और ऊनी मिलें स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰एल॰ जालप्पा) : (क) राजस्थान में ऊनी मिलों की कुल संख्या 62 (बासठ) हैं।

(ख) सरकार के समक्ष राजस्थान राज्य में सरकारी/संयुक्त क्षेत्र में ऊनी मिलों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में रबर पार्क

1091. श्री पी॰सी॰ थामस : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबर बोर्ड ने देश में "रबर पार्क" आरम्भ करने हेतु केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समय उपर्युक्त प्रस्ताव किस चरण में है;

(ग) क्या इस योजना के लिए केरल में मुवत्तुपुजा के निकट एरापुरम में भूमि उपलब्ध है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (घ) रबड़ बोर्ड ने केरल औद्योगिक बुनियादी सुविधा विकास निगम के सहयोग से केरल में एक रबड़ पार्क स्थापित करने की एक योजना तैयार की है जिससे रबड़ और रबड़ काष्ठ आधारित उद्योगों को स्थापित करना सुकर हो जायेगा। इस योजना में अनंतिम रूप से इरापुरम, केरल में 36.61 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से रबड़ पार्क स्थापित किया जाएगा। लगभग 60 औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं से युक्त लगभग 100 एकड़ भूखण्ड का विकास किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को निवेश संबंधी अनुमोदन प्रदान करने के लिए अन्तर मंत्रालयी परामर्श किए जा रहे हैं।

सभी मंत्रालयों/विभागों के लिये डी॰जी॰एस॰ एंड डी॰ रेट कोन्ट्रेक्ट अनिवार्य

1092. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी॰जी॰एस॰ एंड डी॰ द्वारा तय की गई दर निर्धारण संविदा (रेट कोन्ट्रेक्ट) के अनुरूप चलना सभी केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिये आज्ञापरक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अधिसूचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा डी॰जी॰एस॰ एंड डी॰ गठित करने का क्या प्रयोजन है;

(घ) क्या वायुसेना मुख्यालय ने गैसों के लिये अपनी स्वयं की दर निर्धारण संविदा बनाई है जबकि उक्त दर निर्धारण संविदा डी॰जी॰एस॰ एंड डी॰ द्वारा बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उन्हीं मदों के लिये वायुसेना मुख्यालय द्वारा उसे उच्च दर पर ठेके देने के क्या कारण हैं जबकि डी॰जी॰एस॰ एंड डी॰ द्वारा ठेके कम दर पर तय किये गये थे?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग) कार्य आबंटन नियम, 1961 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय में पूर्ति विभाग, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों द्वारा अपेक्षित सामान (स्टोर्स) के क्रय तथा उसके निरीक्षण के लिये एक "नोडल" विभाग है। केन्द्रीय क्रय संगठन अर्थात् पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभाग और कार्यालयों द्वारा अपेक्षित आम इस्तेमाल की विभिन्न मदों की अधिप्राप्ति करने के लिए पात्र फर्मों के साथ दर संविदायें तय करता है। केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की दर संविदाओं के तहत शामिल मदों की खरीद उन मामलों में इन दर संविदाओं पर की जानी होती है जिन मामलों में खरीद का मूल्य, उन्हें सीधी खरीद के लिये प्रदत्त शक्तियों से अधिक होता है, जो इस समय एक बार में 20,000 रु॰ और एक वर्ष में एक लाख रु॰ है।

(घ) वायु सेना मुख्यालय ने उन गैसों के लिये संविदा (कान्ट्रेक्ट) तय की है जो अपनी सेवाओं की अपेक्षाओं के लिये सुस्पष्ट होती हैं अर्थात् सांस लेने के उद्देश्य के लिये आक्सीजन गैस। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय ने इस गैस के लिये कोई दर संविदा तय नहीं की है। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा तय की गई दर संविदा, औद्योगिक उद्देश्यों के लिये है।

(ङ) वायु सेना मुख्यालय तथा पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की दर संविदाओं में उपलब्ध मदें भिन्न-भिन्न हैं। इसलिए मूल्यों में तुलना का प्रश्न पैदा नहीं होता।

भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड

1093. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा किए गए कुल कारोबार का ब्यौरा क्या है;

(ख) कामगारों को उपरोक्त अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा दी गई एकमुश्त सहायता का ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के अंतर्गत कितने कामगार नियोजित किए गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कंपनी द्वारा सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है तथा कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को रोजगार दिया गया;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान कंपनी को कोई हानि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) भारत लेदर कारपोरेशन द्वारा वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान किया गया बिक्री कारोबार क्रमशः 501.97 लाख रुपये, 618.59 लाख रुपये तथा 654.46 लाख रुपये था।

(ख) पैकेज सहायता स्कीम के अंतर्गत, कामगारों को जूतों के उत्पादन के लिये आवश्यक आधार संरचनात्मक सुविधाएं और कच्चा माल मुहैया कराया गया था। कामगारों द्वारा तैयार माल कारपोरेशन द्वारा खरीद कर बाजार में बेचा गया था। इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 200 कामगार नियोजित किए गए थे। कामगारों द्वारा उत्पादित जूतों का मूल्य वर्ष 1993-94 के दौरान 138.15 लाख रुपये, वर्ष 1994-95 के दौरान 193.00 लाख रुपये और वर्ष 1995-96 के दौरान 212.20 लाख रुपये था।

(ग) उक्त तीन वर्षों की अवधि में कंपनी द्वारा लगभग 350 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित किया गया था जिसमें से 200 कामगार (जिनमें से 96 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के थे) पैकेज सहायता स्कीम के अंतर्गत थे और शेष लगभग 150 (जिनमें से 29 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के थे) नियमित कर्मचारी थे।

(घ) और (ङ) जी, हां। वर्ष 1993-94 में 124.68 लाख रुपये, 1994-95 में 152.31 लाख रुपये तथा 1995-96 में 198.06 लाख रुपये की निवल हानियां हुई थीं।

[हिन्दी]

सहकारी क्षेत्र के लिए विश्व बैंक से ऋण

1094. **श्री आर॰ एल॰ पी॰ वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा देश के सहकारी क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार को कितनी राशि दी गई; और

(घ) विश्व बैंक किन-किन क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) कृषि, वानिकी, सिंचाई तथा जलापूर्ति, विद्युत, तेल, गैस, रेलवे, कोयला, शहरी विकास, परिवहन, उर्वरक, उद्योग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं को विश्व बैंक सहायता दी जाती है।

गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं के कार्यकरण की निगरानी

1095. **श्री एन॰ जे॰ राठवा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान कुछ राज्यों, विशेषकर गुजरात में गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं के कार्यकरण की निगरानी हेतु अपनी बैंकिंग इकाईयों में से किसी बैंकिंग इकाई में कोई शाखा खोली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त शाखाओं को अब तक गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं के कार्यकरण के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि गुजरात और संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली में गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का प्रभावी पर्यवेक्षण करने के लिए पर्यवेक्षण विभाग के अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 1 जनवरी, 1997 को एक वित्तीय कंपनी विंग (एफसीडब्ल्यू) स्थापित किया गया है। मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में एफसीडब्ल्यू के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र में से अहमदाबाद स्थित

एफसीडब्ल्यू के क्षेत्राधिकार को निकाला गया है। अहमदाबाद में एफ़सीडब्ल्यू खोले जाने से पूर्व नीचे दिए गए केन्द्रों पर वित्तीय कंपनी विंग स्थापित किये गये हैं :—

क्र॰सं॰	केन्द्र	खोले जाने की तारीख	क्षेत्राधिकार का क्षेत्र
1.	चेन्नई	1.10.1996	तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी
2.	तिरुअनंतपुरम	1.10.1996	केरल और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप

(ग) और (घ) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के कार्यकरण के संबंध में पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अब तक प्राप्त की गई शिकायतों की संख्या से संबंधित आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक के पास तत्काल उपलब्ध नहीं है। 9 जनवरी, 1997 को भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश के प्रख्यापन से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के पास उन गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों से निपटने के लिए पर्याप्त सांविधिक शक्तियां प्राप्त नहीं थी जिनके विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं। भारतीय रिजर्व बैंक जमाकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों से संबंधित शिकायतों को संबंधित कंपनियों के पास भेजता रहा।

अब भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1997 के उपबंधों के अंतर्गत यदि कोई कंपनी अन्य बातों के साथ-साथ, अपने ऋणों का भुगतान कर पाने में असमर्थ रहती है या कारोबार करने योग्य नहीं रहती है तो भारतीय रिजर्व बैंक को कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनी के परिसमापन संबंधी आवेदन दायर करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत गठित कंपनी विधि बोर्ड को गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों द्वारा जमाराशियों/ब्याज की वापसी अदायगी न किए जाने के मामले में न्याय-निर्णयन और आदेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

[अनुवाद]

अफीम की तस्करी

1096. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नई अफीम नीति की घोषणा की है;

(ख) क्या अफीम की खेती करने वालों को न्यूनतम पैदावार अर्हता शर्त में रियायत देने के निर्णय से बाजार में अफीम की भरमार हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या अतिरिक्त अफीम को काला बाजार में बेचे जाने की आशंका है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां। फसल वर्ष 1996-97 के लिए सरकार की अफीम नीति 4 अक्तूबर, 1996 को घोषित की गई थी।

(ख) मध्य प्रदेश और राजस्थान के राज्यों के लिए अफीम लाइसेंस प्राप्त करने हेतु न्यूनतम अर्हकारी उपज को 46 कि॰ग्रा॰ प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 48 कि॰ग्रा॰ प्रति हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश के मामले में, जहां अपेक्षाकृत कम उपज होती है, 40 कि॰ग्रा॰ प्रति हेक्टेयर निश्चित की गई थी। न्यूनतम अर्हकारी उपज में ढील केवल उन थोड़े से किसानों को ही दी गई थी जो उक्त लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके थे किन्तु जिन्होंने चालू फसल वर्ष के दौरान उसे पूरा करने का वचन दिया था।

परम्परागत पोस्त काश्तकारों को बनाए रखने के उक्त निर्णय से अफीम के गलत हाथों में जाने की संभावना कम हो जाएगी क्योंकि उस स्थिति में किसान अपना लाइसेंस स्थायी तौर से गंवा बैठेंगे।

(ग) जी, नहीं। स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम नियमावली, 1985 के उपबंधों के अंतर्गत, किसानों के लिए अपनी सारी अफीम की फसल सरकार को देना अपेक्षित हैं। ऐसा न करने पर किसान द्वारा स्थायी रूप से अफीम लाइसेंस गंवाने के अलावा, अधिनियम के तहत कड़ी सजा की भी व्यवस्था है।

(घ) हां। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अफीम गलत हाथों में न पहुंचे पिछले कई वर्षों से नियंत्रण की एक व्यापक पद्धति तैयार की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अफीम की खेती की अवधि के दौरान पोस्त के खेतों का 100 फीसदी परिमापन करना, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा परीक्षण के रूप में परिमापन करना, फसल की स्थितियों पर लगातार निगरानी रखना और प्रत्येक किसान की उपज को दैनिक रूप से तोलना शामिल है। परिवहन और संचार संजाल में सुधार करके और पोस्त उगाने वाले क्षेत्रों में और उनके आस-पास निवारक आसूचना सैलों की स्थापना करके केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो के प्रवर्तन तंत्र को भी सुदृढ़ किया गया है। अफीम चिराई की अवधि और अफीम को एकत्र करने की अवधि के दौरान प्रवर्तन संबंधी संकायों और सामान्य निगरानी के कार्य को तेज कर दिया जाता है। विभागीय अधिकारियों के अलावा उपर्युक्त प्रयोजन के लिए प्रवर्तन संबंधी अन्य एजेन्सियों और अर्द्धसैनिक बलों को भी तैनात किया जाता है।

जौहरियों की अवैध सम्पत्ति

1097. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 अक्तूबर, 1996 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "इलीगल असेस्ट्स वर्थ रुपीज 10 करोर सीज्ड फ्रोम ज्वैलर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) जब्त की गई अवैध सम्पत्ति कितनी है तथा उसका मूल्य कितना है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) जी, हां। आयकर विभाग द्वारा अक्तूबर, 1996 में निम्नलिखित जौहरी समूहों के परिसरों की तलाशियां ली गई थीं :—

नाम	अभिग्रहण
	(लाख रु॰ में)
मै॰ पी॰पी॰ ज्वैलर्स	736.49
मै॰ शकुन चेन ग्रुप	9.26
मै॰ रोहतक चेन्स कम्पनी समूह के मामले	2.90

(घ) प्रत्यक्ष कर कानूनों के उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई है।

कताई मिलें

1098. **डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करीमनगर जिले के श्री सैला मंडल में पेड्डोर गांव स्थित विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कताई मिलें रूग्ण हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी रूग्णता के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मिलों को पुनःअर्थक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का निर्यात

1099. **श्री पवन दीवान :**

श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व के विभिन्न देशों द्वारा किए गए कृषि उत्पादों के कुल वर्षवार निर्यात में अपने देश का कितना हिस्सा है;

(ख) क्या अभी भी कुल कृषि उत्पादों का निर्यात बहुत ही कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है और निर्यात की गई मदों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषिजन्य उत्पादों के विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा निम्नानुसार था :—

वर्ष	हिस्सा प्रतिशत
1992	0.83
1993	1.00
1994	0.85

(स्रोत : एफ ए ओ एयर बुक, 1994)

वर्ष 1995 और 1996 के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) कृषिजन्य उत्पादों के विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा, निर्यातित परम्परागत मदों को छोड़कर, घरेलू उत्पादन में निर्यातोन्मुखता की कमी की वजह से कम रहा है। घरेलू उत्पादन को मात्रा और पैकेजिंग के रूप में पूर्ण रूप से विदेशी बाजारों के अनुरूप नहीं बनाया गया है। इसके अलावा, नीति के रूप में आम उपयोग की मदों के निर्यात की अनुमति इस प्रकार दी जाती है जिससे कि देश की खाद्य सुरक्षा से कोई समझौता न करना पड़े। भारत से निर्यात होने वाले कृषि जन्य उत्पादों में शामिल हैं–चाय, कॉफी, कपास, चावल (बासमती और गैर बासमती) गेहूं, मोटे अनाज, तम्बाकू, मसाले, काजू, सीसेम और नाइजर सीड, खाद्य तेल निस्सारण, चीनी, उद्यानोत्पाद और पुष्पोत्पाद, ताजे फल एवं सब्जियां, प्रसंस्कृत फल एवं जूस तथा मांस एवं मांस उत्पाद।

(घ) कृषिजन्य उत्पादों एवं संबद्ध उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें शामिल हैं–निरीक्षण क्रिया–विधियों का सरलीकरण, चुनिन्दा मदों पर से न्यूनतम निर्यात मूल्य और मात्रा संबंधी प्रतिबंधों को हटाना, रियायती ऋण की व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पाद विकास, ई॰ओ॰यू॰/ई॰पी॰ जैड॰ योजना के तहत उपलब्ध लाभों को कृषि क्षेत्र तक विस्तार करना और घरेलू टैरिफ क्षेत्र में 50 प्रतिशत बिक्री की अनुमति प्रदान करना, उन्नत पैकेजिंग के लिए निर्यातकों को सहायता, गुणवत्ता नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण, अभिज्ञात गन्तव्यस्थलों को चुनिन्दा उद्यानोत्पादों, पुष्पोत्पादों और ताजी सब्जियों के निर्यात पर एयर फ्रेट इमदाद देना, ब्रांड संवर्धन अभियानों के जरिए अभिज्ञात उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करना, क्रेता–विक्रेता बैठकें आयोजित करना और अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी।

[अनुवाद]

भारत चमड़ा निगम लिमिटेड

1100. **श्री अजय चक्रवर्ती : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत चमड़ा निगम लिमिटेड, आगरा की एक परियोजना के विस्तार हेतु प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कॉयर कामगारों के लिए विकास योजनाएं

1101. **श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा कॉयर कामगारों के कल्याण के लिए शुरू की जाने वाली प्रस्तावित विकास योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : कॅयर बोर्ड, कॅयर का उत्पादन करने वाले राज्यों में श्रमिकों के लाभ के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम अर्थात् (1) माडल कॅयर ग्रामीण योजना और (2) कार्यान्वित कॅयर कर्मचारी कल्याणकारी निधि के लिए सहायता (केरल सरकार द्वारा केवल केरल के लिए बनाई और कार्यान्वित की गई एक योजना) कार्यान्वित करता रहा है।

मॉडल कॅयर ग्रामीण योजना के अंतर्गत कल्याणकारी उपायों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए मकानों का निर्माण, अनुसूचित जाति के श्रमिकों के मकानों का विद्युतीकरण, स्वच्छ शौचालय, धुआंरहित चूल्हों और पीने के पानी की व्यवस्था करवाना, कार्यकलापों संबंधी शैडों और रैट शैडों इत्यादि का प्रावधान शामिल है।

केरल सरकार केरल कॅयर कर्मचारी कल्याणकारी निधि बोर्ड के जरिये एक योजना कार्यान्वित कर रही है, जो पेंशन, पारिवारिक पेंशन के भुगतान, पूर्ण रूप से अथवा कुछ समय के लिए हुए विकलांगों के लिए वित्तीय सहायता, प्रसूति लाभ, चिकित्सा संबंधी सुविधाओं इत्यादि के लिए सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार ने कॅयर बोर्ड को 1991-92 से 1995-96 तक "कल्याणकारी योजनाओं" शीर्ष के अंतर्गत 160 लाख रुपये की राशि जारी की है। कॅयर बोर्ड ने मॉडल कॅयर ग्रामीण योजना के अंतर्गत कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को 1992-93 से 1995-96 तक 20.06 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

आर्थिक सुधार

1102. **श्री नारायण अठावले : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 जनवरी, 1997 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार शीर्षक "स्टेट्स लेफ्ट आउट टू रिफार्मे प्रोसेस" की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में बताई गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों/कमियों का ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) इन कमियों को दूर करने के लिए तैयार की गई प्रस्तावित कार्य योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) रिपोर्ट में की गई सिफारिशों और उनके संबंध में की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) दिनांक 31 जनवरी, 1997 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "स्टेट्स लेफ्ट आउट ऑफ रिफार्म प्रोसेस" शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित हुआ था। समाचार इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुम्बई की एक रिपोर्ट के कुछ निष्कर्षों को इंगित करता है। रिपोर्ट के अनुसार "केन्द्र आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में राज्य सरकारों को शामिल करने में असफल रहा है। सुधारों की प्रक्रिया में राज्य सरकारों को निश्चित रूप से शामिल करने और सहयोजित करने की जरूरत हैं। सरकार को राजस्व घाटे में कमी करने और आधारिक संरचना में लोक निवेश का विस्तार करने के लिए वचनबद्धता करनी चाहिए।"

(ग) और (घ) ऊपर उल्लिखित रिपोर्ट में की गई टिप्पणी के विपरीत, अधिकतर राज्य सरकारों ने केन्द्र द्वारा किये गये उदारीकरण के अनुरूप महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक और नीतिगत सुधार किये हैं। राज्य ने विभिन्न राजकोषीय रियायतें और अन्य सुविधाएं देकर मूल आधारिक संरचना के विकास तथा औद्योगिक घरानों के प्रबंध के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहन देते रहे हैं। प्रोत्साहन पैकेज एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है, जो इसकी निवेश प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है, तो भी पैकेज में सामान्यतया: निवेश आर्थिक सहायता, नए उपक्रमों को उत्पाद शुल्क की अदायगी से छूट, लघु उद्योग और अति लघु उद्योग क्षेत्रों में इकाईयों को कर रियायतें, आसान शर्तों के अंतर्गत औद्योगिक भूमि की आपूर्ति, बिजली शुल्क की माफी अथवा उसकी रियायती दरें, मशीनरी और अन्य नियत परिसम्पत्तियों की खरीद पर आर्थिक सहायता, आधुनिकीकरण में शामिल उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और गुणवत्ता नियंत्रण, जिला उद्योग केन्द्रों (डी आई सी) पर उपलब्ध सुविधाओं का उन्नयन, सिंगल विन्डो प्रकार के सूचना प्रसार केन्द्रों का खोला जाना और विभिन्न अन्य उपाय शामिल हैं। राज्य स्तर पर जारी सुधारों को सहायता करने के उद्देश्य से एशियाई विकास बैंक ने गुजरात सार्वजनिक क्षेत्र संसाधन प्रबन्धन कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता दी है।

अमरीका द्वारा नीम और हल्दी का पेटेंट किया जाना

1103. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैट/ट्रिप्स के माध्यम से बौद्धिक सम्पदा अधिकार ढांचे का विश्वव्यापीकरण पूर्ण जानकारी हेतु जांच संबंधी विश्वव्यापीकरण के साथ-साथ नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका ने संपूर्ण विश्व में अपनी बौद्धिक सम्पदा अधिकार की वस्तुओं का निर्यात किया है परन्तु विभिन्न देशों में जैव-विविधता संबंधी आधुनिकतम उपयोग संबंधी जानकारी का आयात करने में असफल रहा है परन्तु घावों को भरने हेतु पौधा आधारित उत्पादों जैसे नीम जैव कीटनाशक तथा हल्दी के वर्तमान उपयोग के आधार पर अपना पेटेंट जारी कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख) भारत में या अन्यत्र प्रकाशित सूचना की नवीनता पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पेटेन्ट प्रदान करने का मापदण्ड रहा है। किसी आविष्कार की नवीनता का सुनिश्चय करने के लिए पेटेन्ट कार्यालय पर्याप्त रूप से सक्षम है।

(ग) और (घ) यू॰ एस॰ ए॰ में भी पेटेन्ट इसी प्रकार के मापदण्ड के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। तथापि, सूचना के अभाव में पेटेन्ट कार्यालयों द्वारा पेटेन्ट प्रदान किये गये मामलों में पुनः जांच करने/रद्द करने की मांग की जा सकती है जैसा कि सरकार द्वारा हाल ही में किया गया है।

खादी और ग्रामोद्योग

1104. श्री नीतीश भारद्वाज : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर बिहार में बड़ी संख्या में खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना करने का है;

(ग) क्या विद्यमान खादी और ग्रामोद्योग की कोई समीक्षा की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) इस समय देश में विद्यमान खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग का यह प्रयास है कि बिहार राज्य सहित समूचे देश में अधिक से अधिक खादी और ग्रामोद्योग एककों का संवर्धन किया जाये। खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में 2002 ई॰ के अन्त तक 5.6 मिलियन व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन करने संबंधी उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों के अनुसार, खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड संस्थाओं और संस्था संघों से मिलकर कच्चे माल की आपूर्ति, विपणन सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी उन्नयन, औद्योगिक संपदा की स्थापना इत्यादि जैसी सहायता सेवाओं की व्यवस्था का विस्तार कर रहा है। अपने सामान्य कार्यक्रम के अतिरिक्त, खादी ग्रामोद्योग आयोग ने 125 ब्लाक विकास कार्यक्रम, जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम और मधुमक्खी पालन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम, हस्तनिर्मित कागज और चमड़ा जैसे विशेष कार्यक्रमों की भी शुरूआत की है। बिहार राज्य में खादी ग्रामोद्योग योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 125 ब्लाक कार्यक्रम के अन्तर्गत, 11 ब्लाकों का चयन किया गया है और जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 4 जिलों का चयन किया है।

(ग) और (घ) प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त संस्थानों और राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के साथ बजटीय चर्चाओं के समय खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है जिसमें पिछले वर्ष की प्रगति की समीक्षा की जाती है और उपलब्धि के आधार पर आबंटन किया जाता है। जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम और 125 ब्लाक विकास कार्यक्रम इत्यादि की भी समय-समय पर समीक्षा की जाती है। जहां आवश्यक हो, वहां उचित सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं।

विवरण

खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों की सूची

क्रं॰सं॰	राज्य
1	2
1.	आंध्र प्रदेश
2.	अरुणाचल प्रदेश
3.	असम
4.	बिहार
5.	गोवा
6.	गुजरात
7.	हरियाणा
8.	हिमाचल प्रदेश
9.	जम्मू और कश्मीर
10.	कर्नाटक
11.	केरल
12.	मध्य प्रदेश

1	2
13.	महाराष्ट्र
14.	मणिपुर
15.	मेघालय
16.	मिजोरम
17.	नागालैंड
18.	उड़ीसा
19.	पंजाब
20.	राजस्थान
21.	सिक्किम
22.	तमिलनाडु
23.	त्रिपुरा
24.	उत्तर प्रदेश
25.	पश्चिम बंगाल
26.	दिल्ली
केन्द्र शासित राज्य	
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
28.	चंडीगढ़
29.	लक्षद्वीप
30.	पांडिचेरी

भारतीय सीमेंट निगम

1105. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सीमेंट निगम के वर्ग तीन और वर्ग चार के कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने हेतु मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती हेतु उपयुक्त रोस्टर बनाया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि॰ की विभिन्न इकाइयों में समूह "ग" और समूह "घ" (तृतीय तथा चतुर्थ वर्ग) की रिक्तियां स्थानीय रोजगार कार्यालयों में दर्ज कराई जाती हैं और उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने पर, उन्हें स्थानीय/क्षेत्रीय समाचार-पत्रों में विज्ञापित कराया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

हेरोइन की तस्करी

1106. **श्री नन्द कुमार साय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से तस्करी करके लाई गई भारी मात्रा में हेरोइन पकड़ी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इस हेरोइन का अनुमानित मूल्य कितना है;

(घ) क्या इस संबंध में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ङ) राजस्व आसूचना निदेशालय ने 1.2.1997 को संदिग्ध रूप से पाकिस्तान मूल की 70 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी है। इस संबंध में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

वर्ष 1996-97 (31.12.96 तक) के दौरान देश में संदिग्ध रूप से पाकिस्तान मूल की 576 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई। हेरोइन का व्यापार अवैध है। अतः इसके अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। हेरोइन की तस्करी के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है और गंभीर मामलों में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी द्रव्य पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उन्हें नजरबन्द किया जाता है।

[अनुवाद]

पांचवां वेतन आयोग

1107. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

श्री परसराम भारद्वाज :

श्री बुद्धसेन पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवे वेतन आयोग की इस सिफारिश कि अब तक न भरे गए 3.5 लाख पदों को समाप्त कर दिए जाने से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अवसरों के मारे जाने की संभावना है क्योंकि अधिकांश रिक्त पद वे हैं जोकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों/रिक्तियों की कुल संख्या के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार, अनु॰ जातियों के लिए रिक्तियों का "बैकलॉग" 5171 तथा अनु॰ जनजातियों के लिए 6662 था। इनमें से अनु॰ जातियों की 1254 तथा अनु॰ज॰ जातियों की 853 रिक्तियों पर भर्ती की जा चुकी है।

(ख) सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही करने के लिए सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन कर दिया है अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण पर नीति को ध्यान में रखते हुए यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

मतदाता सूचियां

1108. **श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हर दूसरे वर्ष मतदाता सूचियों में संशोधन करने संबंधी अपनी नीति की समीक्षा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि वह वर्ष 1993 में आरंभ की गई निर्वाचक नामावलियों के प्रति दूसरे वर्ष सघन पुनरीक्षण की अपनी विद्यमान नीति का पुनर्विलोकन कर रही है क्योंकि उसके द्वारा प्राप्त अनुभव से यह पता चला है कि सघन पुनरीक्षण की आवृत्ति को बढ़ाने और अन्तराल को कम करने से अधिक शुद्ध और अद्यतन नामावलियां तैयार करने का प्रयोजन पूरा नहीं होता है।

स्वापक पदार्थों की तस्करी

1109. **श्री केशव महन्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पूर्वोत्तर राज्यों में स्वापक द्रव्यों की तस्करी के मामले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए तथा दोषी ठहराए गए; और

(ख) दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान स्वापक द्रव्यों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किए गए तथा दोषी ठहराए गए व्यक्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या	
	गिरफ्तार किए गए	दोषी ठहराए गए
1994	1420	3
1995	611	3
1996 (अनंतिम)	427	12

(ख) एन डी पी एस अधिनियम, 1985 के प्रावधान के तहत दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

[हिन्दी]

कृषि आधारित उद्योग

1110. **श्री पंकज चौधरी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ग) कृषि आधारित उद्योगों को के॰वी॰आई॰सी॰ द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है जिसने उन्हें विकसित करने के लिये विभिन्न कदम उठाये हैं। के॰वी॰आई॰सी॰ अपने पंजीकृत संस्थानों, सहकारी समितियों, राज्य के॰वी॰आई॰बी॰ तथा व्यक्तिगत उद्यमियों को उनके द्वारा प्रस्तुत की गई व्यवहार्य परियोजनाओं के आधार पर अनुदान तथा ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। के॰वी॰आई॰सी॰ तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराता है, सुधरे हुये औजारों तथा साधनों की आपूर्ति की व्यवस्था करता है तथा ग्रामीण कास्तकारों द्वारा तैयार किये गये उत्पाद की मार्किटिंग तथा प्रशिक्षण में सहायता देता है। के॰वी॰आई॰सी॰ द्वारा संवर्धित प्रमुख कृषि आधारित गतिविधियां मधुमक्खी पालन, घानी तेल, शहद, गन्ने का गुड़ और खण्डसारी, खजूर का गुड़, अनाज तथा दालों का प्रसंस्करण, फल तथा सब्जी, रेशे, औषधीय प्रयोजनार्थ जंगली पौधे तथा फल इत्यादि हैं। के॰वी॰आई॰सी॰ ने शहद के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण कास्तकारों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करने के लिये मधुमक्खी पालन पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आरम्भ किया है। के॰वी॰आई॰सी॰ के क्षेत्राधिकार में कृषि आधारित उद्योगों का विकास करना एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

वाहनों की कीमतों में वृद्धि

1111. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में रियायत दिए जाने के बावजूद भी मोटर-कार निर्माता कम्पनियां अपने वाहनों भी कीमतों में निरन्तर वृद्धि कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) यद्यपि, पिछले दो वर्षों के दौरान वाहनों के मूल्य में वृद्धि हुई है, लेकिन ये वृद्धि सामान्यतः लगभग 6 प्रतिशत तक ही रही है। देश में आटोमोबाइल के मूल्य में वृद्धि सामान्य मूल्य वृद्धि के मुकाबले कम है। यह वृद्धि मुख्यतः निविष्टयों की लागत जैसे कि कच्चा माल, कम्पोनेन्ट, पूंजी, विद्युत आदि के मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विदेशी निवेश की सहायता से उद्योगों की स्थापना

1112. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री आर॰ एल॰ पी॰ वर्मा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार देशों के नाम सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें कुल कितना निवेश करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले रोजगार के अवसरों के संबंध में सर्वेक्षण रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ग) 1.1.96 से 31.12.96 की अवधि के दौरान 36146.80 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कुल 2303 प्रस्तावों (वित्तीय और तकनीकी) को अनुमोदित किया गया।

ऐसे प्रस्तावों के ब्यौरे नामतः विदेशी सहयोगकर्ता का नाम व देश, अन्तर्ग्रस्त ईक्विटी निवेश, विनिर्माण/कार्यकलाप की मद भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा मन्थली न्यूजलैटर के पूरक के रूप में प्रकाशित किये जाते हैं और इनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

(घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से विशेष रूप से जुड़े रोजगार सृजन के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। यह प्रासंगिक है कि जब उद्योगों में विदेशी निवेश होगा तो इसके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन के अवसर भी उत्पन्न होंगे।

मध्य प्रदेश को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

1113. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवें वित्त आयोग ने मध्य प्रदेश को आयोजना राजस्व घाटा अनुदान प्रदान करने की सिफारिश नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस राज्य को आयोजना हेतु व्यय के लिए राजस्व जुटाने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और आयोजना हेतु कम संसाधन उपलब्ध होंगे; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आयोजना के वित्त पोषण हेतु राज्य को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने तथा उपर्युक्त अनुदान नहीं प्रदान करने के परिणामस्वरूप संसाधनों की कमी पूरी करने हेतु राज्य की विशेष समस्याओं पर पुनर्विचार करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) दसवें वित्त आयोग ने राज्यों को आयोजना राजस्व घाटा अनुदान प्रदान करने की सिफारिश नहीं की है।

(ख) और (ग) पिछली अवधि 1990-95 के लिए नौवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत 7843 करोड़ की तुलना में वर्तमान अवधि 1995-2000 के लिए दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार मध्य प्रदेश को कुल अंतरण के लिए 16094 करोड़ रुपए का अनुमान किया गया है। दसवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार राज्य के कुल अंतरण में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

आयोजना के वित्त पोषण के लिए संसाधनों की आवश्यकता का मूल्यांकन योजना आयोग द्वारा राज्यों के साथ विचार विमर्श करके किया जाता है। वर्ष 1996-97 के लिए मध्य प्रदेश की वार्षिक योजना, जिसे योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया गया है, पूरी तरह से वित्त पोषित हैं। योजना आयोग द्वारा आबंटित की गई धनराशि के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दिए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा विकास निगम

1114. श्री एन॰ डेनिस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा विकास निगम ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए विदेशी वित्त आमंत्रित करने के लिए बुनियादी ढांचा संबंधी सुधारों के ब्यौरे की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा उक्त निगम द्वारा खोजे गये शोध क्षेत्र कौन-कौन से हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) वर्ष 1996-97 के बजट भाषण में घोषित की गई आधारभूत संरचना विकास वित्त कंपनी (आई डी एफ सी) को दिनांक 31.1.97 को गैर-सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया है। कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के अनुसार, कंपनी के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ, घरेलू और विदेशी निवेशकों से पूंजी जुटाना देश में आधारभूत परियोजनाओं के विकास या वित्तपोषण में लगी कंपनियों को वित्तीय सहायता, गारंटी और अन्य प्रकार का ऋण प्रदान करना शामिल है। फिलहाल, कंपनी एक विस्तृत व्यवसाय योजना तैयार कर रही है।

पांचवां वेतन आयोग

1115. श्री संदीपान थोरात : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग ने मंत्रालयों का पुनर्गठन करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) सरकारी मशीनरी के आकार को अनुकूलतम बनाने के उद्देश्य से उसका पुनर्गठन करने की दृष्टि से पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को समाप्त करने, योजना आयोग का आकार घटाने तथा कुछ एक विद्यमान विभागों के पुनर्मिश्रण/विलय की सिफारिश की है। पुनर्मिश्रण/विलय के लिए सुझाए गए विभागों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

सरकार ने आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सिफारिशों पर उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।

विवरण

क्र॰सं॰	विलीन किए जाने वाले विभाग	मंत्रालय/विभाग जिनमें विलय किया जाना है
1.	प्रशासनिक सुधार विभाग	मंत्रिमण्डल सचिवालय
2.	पशु-पालन और मत्स्य पालन	कृषि एवं सहकारिता विभाग (कृषि विभाग के नाम से जाना जाएगा)
3.	जम्मू और कश्मीर विभाग राजभाषा और अंतर्राज्यीय परिषद	गृह मंत्रालय
4.	उपभोक्ता मामले विभाग	नागरिक आपूर्ति एवं लोक वितरण विभाग
5.	उर्वरक विभाग	रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग
6.	परिवार कल्याण विभाग, भारतीय औषध और होम्योपैथी प्रणाली	स्वास्थ्य विभाग
7.	औद्योगिक नीति एवं प्रगति विभाग, औद्योगिक विकास, सार्वजनिक उद्यम, भारी उद्योग, लघु उद्योग, कृषि-ग्रामीण उद्योग और वस्त्र मंत्रालय	सभी को मिलाकर एक नए विभाग-औद्योगिक विकास विभाग के रूप में जाना जाएगा
8.	संस्कृति, युवा मामले और खेल विभाग, महिला एवं शिशु विकास	शिक्षा विभाग
9.	खाद्य अधिप्राप्ति और वितरण, खाद्य संसाधन उद्योग	खाद्य विभाग
10.	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	विद्युत विभाग
11.	ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन विकास, बंजर भूमि विकास	ग्रामीण विकास विभाग
12.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग	शहरी विकास विभाग
13.	सांख्यिकी विभाग	योजना विभाग
14.	केन्द्रीय जांच ब्यूरो की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा	केन्द्रीय सतर्कता आयोग

[हिन्दी]

ग्रामीण उद्योगों का विकास

1116. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि का आवंटन किया गया है;

(ख) क्या उक्त प्रयोजनार्थ उक्त राशि पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) पिछले तीन वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग एककों के विकास के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग को निम्नलिखित राशियां जारी की गई हैं :

वर्ष	(रुपये करोड़ में)
1993-94	208.00
1994-95	216.00
1995-96	337.00

(ख) और (ग) खादी ग्रामोद्योग आयोग को यह राशियां खादी ग्रामोद्योग के विभिन्न कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दिये जाने पर जारी की गई हैं।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड

1117. श्री एस॰डी॰एन॰आर॰ वाडियार : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा पुरूषों के लिए कन्नड़ भाषा की अंकों वाली घड़ियों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 के दौरान इस प्रकार की कितनी घड़ियों का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या महिलाओं के लिए कन्नड़ भाषा की अंकों वाली घड़ियों का निर्माण नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार महिलाओं के लिए भी इस प्रकार की घड़ियों का निर्माण कराये जाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख) जी नहीं।

लेकिन एच॰एम॰टी॰ द्वारा अभी तक पुरूषों के लिए कन्नड़, गुरूमुखी और मलयालम भाषाओं के अंकों वाली क्वार्टज़ एनालाग घड़ियों का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 1996-97 में, इस प्रकार की लगभग 500 घड़ियों के निर्माण की योजना है।

(ग) से (ङ) एच॰एम॰टी॰ ने महिलाओं के लिए किसी प्रकार की क्वार्टज़ डिजिटल घड़ियों का निर्माण नहीं किया है। तथापि, वर्ष 1997-98 में एच॰एम॰टी॰ द्वारा उपर्युक्त भाषाओं में अंकों के साथ, महिलाओं के लिए क्वार्टज़ एनालाग घड़ियों के निर्माण की योजना है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी गोस्वामी रिपोर्ट

1118. श्री बी॰एल॰ शंकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार गोस्वामी रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने का है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की इक्विटी घटाकर 24 प्रतिशत कर दी जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर कब तक कार्यवाही करने की संभावना है; और

(घ) इससे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्गठित करने में किस हद तक मदद मिलेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) गोस्वामी रिपोर्ट भारतीय उद्योग परिसंघ (सी॰आई॰आई॰) द्वारा नियुक्त आयोग द्वारा तैयार की गई थी, इसलिए सरकार के पास इन सिफारिशों के ब्यौरे के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बैंकों में बेनामी खाते

1119. श्री आई॰डी॰ स्वामी : क्या वित्त मंत्री बैंकों में बेनामी खाते के बारे में 22.11.1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 432 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) (क) से (ग) संबंधित बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक से कुछ सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है।

यूरोपीय कमीशन से सहायता

1120. **श्री अनंत गुढ़े :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों से यूरोपीय कमीशन ने भारत को सहायता देना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ब्रिटेन के साथ व्यापार संतुलन

1121. **श्री के॰एच॰ मुनियप्पा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार दुगुना हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ब्रिटेन के साथ और अधिक व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत-यू॰के॰ द्विपक्षीय व्यापार के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वर्ष	भारत-इंगलैड द्विपक्षीय व्यापार करोड़ रु॰ में
1993-94	9143.79
1994-95	10200.57
1995-96	13141.53
1996-97	9594.63

(अप्रैल-नवम्बर, 1996)

(स्रोत: डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता)

(ग) विशेष निर्यात संवर्धन उपाय करने के लिए 15 उत्पादों को अभिज्ञात किया गया है ताकि यू॰के॰ सहित विदेशी बाजारों को भारतीय वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की जा सके। इस दिशा में किए गए अन्य सहायक उपायों में कुछेक उपाय ये हैं; अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना, व्यापार शिष्टमंडलों का तेजी से आदान-प्रदान करना, आवश्यक सूचना की आपूर्ति करना तथा वाणिज्यिक संगठनों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, भण्डागार सुविधाओं की स्थापना करना, संयुक्त उद्यमों का संवर्धन करना आदि।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

1122. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्रीमती केतकी देवी सिंह :
प्रो॰ ओमपाल सिंह 'निडर' :
कुमारी उमा भारती :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इसके उत्पादों के लिए विदेश में शोरूम खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन देशों के क्या नाम है जहां पर ऐसे शोरूम खोले जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) सरकार ने विदेशों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विनिर्मित उत्पादों के शोरूम खोलने का कोई निर्णय नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों के संसाधनों का अन्तरण

1123. **श्री संतोष मोहन देव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जनवरी, 1997 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "मिनिस्ट्री सपोर्टस फाइनेन्स पैनलज न्यूज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने राज्यों के संसाधनों के अन्तरण हेतु दसवें वित्त आयोग द्वारा सुझाये गये विकल्पों की पूरी तरह सिफारिश की है;

(घ) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा क्या विचार व्यक्त किये गये हैं;

(ङ) दसवें वित्त आयोग द्वारा कुल कितनी सिफारिशें की गई हैं; और

(च) सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उनमें से अब तक सरकार द्वारा कितनी स्वीकृत की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) 22 जुलाई 1996 को वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में दसवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अन्तरण की वैकल्पिक योजना पर एक परिचर्चा पत्र लाया गया तथा 20 दिसम्बर, 1996 को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखा गया और इसकी प्रतियां संसद के माननीय सदस्यों के बीच वितरित की गई। यह मामला 15.11.1997 को अन्तर्राज्यीय परिषद् के समक्ष रखा गया तथा उनके विचाराधीन है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट में निवेश

1124. श्री बी॰ एल॰ शंकर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट की योजना में अपनी धनराशि निवेश करने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निवेश करने के कौन-कौन से तरीके हैं;

(ग) इससे कितनी सहायता मिलने की सम्भावना है;

(घ) इसे कब तक क्रियान्वित करने की संभावना है; और

(ङ) उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनका उक्त निवेश के लिए पता लगाया गया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ङ) सरकार ने 14 फरवरी, 1997 को सभी सरकारी उपक्रमों द्वारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के यूनिटों/योजनाओं में पूंजी निवेश किए जाने सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा लिया है। इससे यू॰टी॰आई॰ सरकारी उपक्रमों की अतिरिक्त निधि का तुलनात्मक रूप से सुरक्षित ढंग से प्रबन्धन कर पाने में सफल हो सकेगा और साथ ही आकर्षक प्रतिफल भी प्राप्त हो सकेगा। भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियामक ढांचे के अन्तर्गत यू॰टी॰आई॰ के यूनिटों को उपयुक्त प्रतिभूति माना जाता है।

विदेशी वाणिज्यिक ऋण

1125. श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अब तक विदेशी वाणिज्यिक ऋण के रूप में कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ख) किस क्षेत्र को अधिकतम राशि स्वीकृत की गई है;

(ग) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और उन्हें किन-किन प्रयोजनों के लिए राशि स्वीकृति की गई है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को विदेशी वाणिज्यिक ऋण के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है; और

(ङ) इन आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं और उन्हें स्वीकृत करने के लिए कितना समय लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 21 फरवरी, 1997 तक सरकार द्वारा कुल 8333.392 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

(ख) विनिर्माण क्षेत्र (100 प्रतिशत ई॰ओ॰यू॰ सहित)

(ग) सरकार द्वारा विद्यमान क्षमता का विस्तार करने और नए निवेश हेतु भारतीय कंपनियों के लिए वित्तीय स्रोत के रूप में विदेशी वाणिज्यिक उधारों को स्वीकृति दी गई है।

जिन कंपनियों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी वाणिज्यिक उधारों के अनुमोदन प्राप्त हुए हैं, वे अनुबंध में दी गई हैं।

(घ)

वर्ष	विदेशी वाणिज्यिक उधारों के लिए सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1994	492
1995	623
1996	960

* कलैण्डर वर्ष।

(ङ) जो प्रस्ताव सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित दिशा-निर्देशों के अनुरूप पाए जाते हैं उनको बिना किसी अनुचित विलम्ब के मंजूरी दे दी जाती है बशर्ते कि उचित ऋण प्रबन्ध के सुसंगत विदेशी वाणिज्यिक उधार कैप उपलब्ध हों।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान अनुमोदित विदेशी वाणिज्यिक उधारों के मामले (21 फरवरी, 1997 की स्थिति के अनुसार)

मूल्य : मिलियन अमरीकी डालर

क्र॰सं॰	कंपनी का नाम
1	2
1.	जिंदल ऑयरन एण्ड स्टील कंपनी लि॰
2.	चीमा स्पिनटैक्स लि॰
3.	गणपति इलैक्ट्रॉनिक्स लि॰
4.	हेबरलीन मशीन वर्क्स (ई॰) लि॰
5.	भारतीय निर्यात-आयात बैंक

1	2
6.	भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन बैंक
7.	ए॰एम॰पी॰ टूल्स (ई॰) लि॰
8.	फीडलिटी टेक्सटाइल्ज (प्रा॰) लि॰
9.	कारूम्या शैक्षणिक न्यास
10.	कलॉकनर सुप्रीम पेनप्लास्ट लि॰
11.	मुल्डर (इ॰) प्रा॰ लि॰
12.	ओवरसीज़ फाइनलीज़ लि॰
13.	ओवरसीज़ टेक्सटाइल्ज लि॰
14.	पारसरामपुरिया टैक्टसटाइल्ज लि॰
15.	पीरसी लेज ली इंडिया लि॰
16.	प्रकाश चावल निर्यात प्रा॰लि॰
17.	परकोट मिल्स
18.	रेमंड कालित्री डेनिम लि॰
19.	रिलायंस इंडिया लि॰
20.	एस॰ए॰एफ॰ए॰ मेरीन इंडिया लि॰
21.	सजावट इंडिया लि॰
22.	सौराष्ट्र सीमेंट लि॰
23.	सुशांत कैपीटल्ज लि॰
24.	टिस्को
25.	यू॰जी॰आई॰ गुजरात गैस इंडिया लि॰
26.	यूनीकिलर इंडिया लि॰
27.	भूषण स्टील एण्ड स्ट्रिप्स लि॰
28.	सी॰ई॰एस॰सी॰ लि॰
29.	ईस्टर इंडिया
30.	ग्रीनवियु पावर प्रोजेक्टस लि॰
31.	निपन डेनरो
32.	निपन डेनरो
33.	उड़ीसा हाईड्रो पावर कार्पो॰ लि॰
34.	सर्च केमि॰ इंडिया लि॰
35.	स्टर्लाइट इंडिया लि॰
36.	सैन्चुरी टेक्सटाइल्ज
37.	गणपति कामर्स लि॰
38.	इंडीटलिया रेफ्कान लि॰
39.	श्री वाराना कृषि वस्तु अधि॰ समिति लि॰

1	2
40.	एस॰के॰एफ॰ बेयरिंग इंडिया लि॰
41.	बी॰पी॰एल॰ लि॰
42.	हाइटेक ड्रिलिंग सर्विसिज़ लि॰
43.	हयुमा इण्टरनेशनल
44.	जिंदल परेक्सेयर आक्सीजन कं॰ लि॰
45.	मोसर बेयर इंडिया लि॰
46.	ओ॰पी॰ एक्वाकल्चर (इ॰) लि॰
47.	पैंक फाइनेंस (प्रा॰) लि॰
48.	हार्डिया केमिकल्ज
49.	टेरा एग्रो टेक्नोलोजीस लि॰
50.	आडको इंडिया लि॰
51.	ग्वाला इंडिया लि॰
52.	इंडो स्विस ज्वैल्ज़ लि॰
53.	साउथ एशिया टायरस लि॰
54.	महावीर स्पिनिंग
55.	भारत अर्थ मूवर्स लि॰
56.	इंडियन फर्नीचर प्रोडेक्ट्स लि॰
57.	राणा पॉलीकाट लि॰
58.	वूलवर्थ इंडिया लि॰
59.	ए॰जी॰ फूड्स लि॰
60.	अशोक लीलैण्ड सूचना प्रौद्योगिकी लि॰
61.	एसोसियेटिड निपन टेक सर्विसिज़ लि॰
62.	अरविन्देवाल इस्पात वाणिज्य (प्रा॰) लि॰
63.	भूपेन्द्र कार्पोरेशन लि॰
64.	भूपेन्द्र इंडिया लि॰
65.	बायोमेड हाइटेक इंडिया लि॰
66.	सैन्ट्रल रोडलाइन्स कार्पो॰ लि॰
67.	सी॰आर॰सी॰ भूपेन्द्र सीमेन्टस लि॰
68.	सी॰आर॰सी॰ इंटरनेशनल फ्रेट सर्वि॰ लि॰
69.	दुर्गा एक्सपोर्ट लि॰
70.	एसन नियल स्टार इ॰ लि॰
71.	यूरोप्लास्ट इंडिया लि॰
72.	एक्साइड इ॰ लि॰
73.	जिल्लेट डाइवर्सीफाइड आप्रेशन्स प्रा॰ लि॰

1	2
74.	जिल्लेट इंडिया प्रा॰ लि॰
75.	इन्कोवेक्स लि॰
76.	इंडो स्कोटल आटो पार्टस प्रा॰ लि॰
77.	इस्पात एलोय लि॰
78.	आई॰टी॰सी॰ भद्राचालम पेपर बोर्डस लि॰
79.	जेन्सन एण्ड निकोलसन
80.	कल्याणी शार्प इंडिया लि॰
81.	कल्याणपुर सीमेंटस लि॰
82.	कैप स्टील लि॰
83.	कीतरन फूड्स प्रा॰ लि॰
84.	लक्ष्मी मशीन वर्क्स लि॰
85.	लोगेर मशीन (इ॰) लि॰
86.	नेशनल फटिं॰ लि॰
87.	नीलाचल इस्पात निगम लि॰
88.	ओमनी मेट्रिक्स प्रा॰ लि॰
89.	प्रीमियर मिल्स लि॰
90.	प्रीटेक इंट्रेड लि॰
91.	राहा पॉली प्रोडेक्टस लि॰
92.	राहा पॉली प्रोडेक्टस लि॰
93.	रवीश इंफयुसन लि॰
94.	साबू बरलॉक लैब लि॰
95.	सर्वमंगलम सिंथैटिक्स लि॰
96.	साऊथ ईस्ट इलैक्ट्रानिक कम्पोनेटस प्रा॰ लि॰
97.	साऊदर्न एल॰पी॰जी॰ लि॰
98.	स्टानली इंडिया (आई॰) लि॰
99.	सुप्रती प्लास्टिक्स लि॰
100.	टाई-गोल्ड कोटिंग्स प्रा॰ लि॰
101.	टाइटन इंडस्ट्रीज लि॰
102.	यूनीस्पिन इंडिया लि॰
103.	यू॰टी॰आई॰ बैंक लि॰ (लाइन आफ क्रेडिट)
104.	वेट्रोरेक इंडिया लि॰
105.	विस्ता प्रोसैसड फूड्स प्रा॰ लि॰
106.	विल्किंसन स्वार्ड इंडिया प्रा॰ लि॰
107.	जिंदल विजयनगर स्टील लि॰

1	2
108.	भारतीय निर्यात-आयात बैंक
109.	आई॰एफ॰सी॰आई॰
110.	कोट्स वियला
111.	मारनाइट पोलीकॉस्ट लि॰
112.	विप्रो फाइनेंस लि॰
113.	जे॰बी॰जी॰ एयरवेज़
114.	आई॰डी॰बी॰आई॰
115.	एकेडमी आफ कारवेर एवीऐशन
116.	गोंटेरमान पीपेरे (इ॰) लि॰
117.	हीरो स्काईलाईन
118.	हाईलींस पेन्स (प्रा॰) लि॰
119.	इंडिया फायल्स
120.	लासेरकोडा प्रिंटोग्राफिक सिस्ट्म
121.	लक्सर राईटिंग
122.	रहोनी पोलेस
123.	आर॰पी॰जी॰--बी॰टी॰पी॰ (इ॰) लि॰
124.	एफ॰ए॰जी॰ प्रीसीजन बेयारंग
125.	हाइटेक मेडिकल प्रोडेक्टस
126.	पटेल फलोरा लि॰
127.	आई॰डी॰बी॰आई॰
128.	आलपिक फाइनेंस
129.	अण्डामान टिम्बर
130.	ए॰टी॰एल॰ (ई॰) लि॰
131.	ए॰वी॰टी॰ मेक कोरमिक
132.	बिग डचमैन गैरसन
133.	इलैक्ट्रा॰ इंजीनियरी
134.	हीरो होंडा
135.	आई॰पी॰सी॰एल॰
136.	जे॰के॰ कार्पो॰
137.	मलहोत्रा शेविंग
138.	मेक कैन एरिकसन
139.	प्रीमियर पालीफिल्म
140.	साकेडी इंजी॰
141.	बलारपुर इंड॰

1	2
142.	टेलको
143.	एयर इंडिया
144.	आई॰डी॰बी॰आई॰
145.	एस॰सी॰आई॰सी॰आई॰
146.	आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰
147.	निपन डेनरो इस्पात
148.	चाकन एग्रो इंड॰ लि॰
149.	क्लासिक एग्रीफूड्स लि॰
150.	नागार्जुन उर्वरक एवं रसायन लि॰
151.	नेचरसॉफ्ट क्रिएटिव सॉफ्टवेयर साल्युशन्स प्रा॰लि॰
152.	वालप्लस बायोटेक लि॰
153.	डुरासैल इंडिया
154.	एसकार्टस लि॰
155.	यूफर्मा लैब लि॰
156.	गिरनार प्लास्टिक प्रा॰ लि॰
157.	हट्टी गोल्ड माइंस कं॰ लि॰
158.	इंडिया कामनेट इंटरनेशनल लि॰
159.	इंडो-स्विस एम्ब्रोयडरी (इ॰) लि॰
160.	जे॰सी॰टी॰ (लि॰)
161.	जे॰के॰ इंड॰ लि॰
162.	जार्ड इंजी॰ इंडिया लि॰
163.	मल्टी टेक कम्प्युटर्स प्रा॰ लि॰
164.	मुंजाल शोवा लि॰
165.	आकिड केमि॰ एण्ड फार्मा॰ लि॰
166.	रॉयल कुशन विनाइल प्रोडक्टस लि॰
167.	सरवार्या टेक्स्टाइल्स लि॰
168.	सर कीकाभाई प्रेमचन्द ट्रस्ट सेटलमेंट नं॰ II
169.	साऊथ एशिया टायर्स लि॰
170.	टिस्को
171.	ऊषा इस्पात लि॰
172.	वीडियोकॉन इंटरनेशनल लि॰
173.	वी॰एम॰टी॰ स्पिनिंग कं॰ लि॰
174.	रिलायंस पैट्रोलियम
175.	मैगनम पावर जेनेरेशन लि॰

1	2
176.	केमफ्लास्ट सनमार लि॰
177.	ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कं॰ लि॰
178.	ए॰सी॰सी॰ लि॰
179.	भारतीय निर्यात-आयात बैंक
180.	भारतीय निर्यात-आयात बैंक
181.	कोटस वियला इंडिया लि॰
182.	इन्ट्रान लि॰
183.	साई इंटरनेशनल इलैक्ट्रीकल लि॰
184.	अरविंद मिल्स लि॰
185.	असाही फाइबर्स लि॰
186.	एलम्बिक केमिकल्स वर्क्स कं॰ लि॰
187.	कास्मेट मैक्स प्रा॰ लि॰
188.	डाबर इंडिया लि॰
189.	गोवा फ्रूट स्पेशियलिटीज लि॰
190.	हीरो होन्डा मोटर्स लि॰
191.	इंडो नेशनल लि॰
192.	किटि स्टील्स लि॰
193.	कोनी एलीवेटर इंडिया लि॰
194.	लक्ष्मी सैथिटेंक्स मशीनरी मैन्यु॰ लि॰
195.	ऑस्कर फार्मास्युटिकल्स प्रा॰ लि॰
196.	पारसरामपुरिया टेक्सफेब्स लि॰
197.	पंजाब मेज़ प्रोडैक्टस लि॰
198.	रॉयल एम्ब्रोयड्रीज़ प्रा॰ लि॰
199.	श्री गणेश फार्जिंग्स लि॰
200.	स्काई इंड॰ लि॰
201.	सोलस फार्मास्युटिकल्स लि॰
202.	व्युअर्थ इंडिया प्रा॰ लि॰
203.	एस॰ए॰एस॰ ब्रीवरीज़ (प्रा॰) लि॰
204.	महाराजा इंटरनेशनल लि॰
205.	विद्युत मेटैलिक्स
206.	सेमकन डिवाइसिज़ (प्रा॰)
207.	डाबर
208.	उकाल फ्यूल सिस्टम्स
209.	वात इंडिया प्रा॰लि॰

1	2
210.	अर्चना एयरवेज़
211.	फ्लेक्स इंडिया लि॰
212.	इंडिया सीमेंटस
213.	सूर्य लक्ष्मी कॉटन
214.	दि पेपर प्रोडक्ट्स
215.	वेल्सपन स्टारॉन
216.	अमर शिप मैनेजमेंट
217.	फेण्टफोर सॉफ्टवेयर
218.	ए॰ई॰सी॰ सांगयांग
219.	ए॰ई॰सी॰ सांगयांग
220.	अरविन्द इनटेक्स
221.	बिनानी जिंक लि॰
222.	कोर हेल्थकेयर लि॰
223.	एस्सार स्टील प्लांट
224.	सिन हो पेट्रोकेमिकल्स
225.	सिन् हो पेट्रोकेमिकल्स
226.	ए॰पी॰ गैस पावर कॉरपोरेशन
227.	ग्रैफाइट इंडिया लि॰
228.	एल॰एण्ड॰टी॰
229.	ग्रेट इस्टर्न शिपिंग
230.	ट्वेनटिएथ सेंचुरी फाइनेंस कॉरपोरेशन लि॰
231.	अभिषेक स्पिन फैब्रिक्स
232.	ग्रेट फाइर्नेनसियल सर्विसेज़
233.	कोर मास्टर प्लान (आई॰) प्रा॰
234.	आई॰टी॰सी॰ क्लासिक फाइ॰ लि॰
235.	जैन इरिगेशन सिस्टम
236.	रोजी साउथर्न सिल्कस
237.	आई॰टी॰सी॰ भद्राचलम
238.	सिग्मा ब्लूमस (पी॰) लि॰
239.	एशिया पैशिफिक एक्सपोर्ट्स लि॰
240.	इन्टेग्रेटेड स्टील्स लि॰
241.	सिलिकॉन ग्रॉफिक्स लि॰
242.	जे॰एम॰टी॰ प्लास्प प्रा॰ लि॰
243.	कल्याणी स्टील्स लि॰

1	2
244.	पॉजिटिव पैकेजिंग इंडिया लि॰
245.	सौराष्ट्र सीमेंट्स लि॰
246.	श्री अहिंसा माइन्स एण्ड मिनरलस् लि॰
247.	स्टाबैक इंडिया लि॰
248.	अबैकस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (मुंबई) प्रा॰ लि॰
249.	चित्रा लियी बर्ने प्रा॰ लि॰
250.	इंडो स्कॉटल ऑटो पार्ट्स प्रा॰ लि॰
251.	जे॰सी॰टी॰ इलेक्ट्रॉनिक्स लि॰
252.	के॰ई॰सी॰ इंटरनेशनल लि॰
253.	मित्शु इंडिया लि॰
254.	आवेन्स बिल्ट लि॰
255.	परफेक्ट सर्किल विक्टर लि॰
256.	पुरोलेटर इंडिया लि॰
257.	रैनबेक्सी लैब
258.	स्पाइसर इंडिया लि॰
259.	तमिलनाडु पेट्रोकेमिकल्स लि॰
260.	वान्डेल एंड गोल्टरमैन प्रा॰ लि॰
261.	वेस्टर्न बायोसिस्टमस प्रा॰ लि॰
262.	हाइटेक कैप्स्यूल्स प्रा॰ लि॰
263.	डी॰सी॰एम॰ देअवू मोटर्स लि॰
264.	एल्कॉजिन एलॉय कास्टिंग्स लि॰
265.	एस॰एस॰ इंडस्ट्रीज़
266.	वर्धमान शिपिंग एंड जनरल मिल्स लि॰
267.	महावीर स्पिनिंग मिल्स लि॰
268.	वर्धमान पॉलीटेक्स लि॰
269.	जैन इण्टरनेशनल लि॰
270.	कलमटिया संगम ट्रैवेल्स प्रा॰ लि॰
271.	कोंकन रेलवे कॉरपोरशन लि॰
272.	डी॰सी॰डब्ल्यू॰ लि॰
273.	कॉस्टसिल्क इण्टरनेशनल
274.	पिटी सिमेंट एण्ड इण्डिया लि॰
275.	सोनातला मिलान संघ
276.	बलरपुर इण्डिया लि॰
277.	बॉडेक्स इण्डिया लि॰

1	2
278.	बी॰पी॰एल॰ मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि॰
279.	बी॰पी॰एल॰ टेक्नालॉजी लि॰
280.	डाबर इण्डिया लि॰
281.	ग्रासिम इण्डिया
282.	ग्रासिम इण्डिया
283.	गुजरात अम्बुजा सीमेंट्स लि॰
284.	हीरो होण्डा मोटर्स लि॰
285.	हीरो होण्डा मोटर्स लि॰
286.	हिण्डालको इण्डिया लि॰
287.	इण्डियन ऐडिटीव्स लि॰
288.	एल॰एण्ड॰टी॰ लि॰
289.	सेल
290.	संघी इण्डिया लि॰
291.	टाटा टी लि॰
292.	दि मोरारजी गोकुलदास स्पिनिंग एण्ड वीविंग क॰ लि॰
293.	दि सुप्रीम इण्डिया लि॰
294.	वरीफोन इण्डिया प्रा॰ लि॰
295.	दि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि॰
296.	इण्डिग्रा एक्सपोर्ट्स प्रा॰ लि॰
297.	नवनीतलाल प्रा॰ लि॰
298.	वूलवर्थ (इण्डिया) लि॰
299.	भारत फोर्ज लि॰
300.	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि॰
301.	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि॰
302.	चेमिबार ड्रग्स लि॰
303.	कोट्स विघेला इण्डिया लि॰
304.	सेकाल्स लि॰
305.	श्री रॉयलसीमा एल्केलाइन एण्ड एलाइड केम लि॰
306.	तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लि॰
307.	टिस्को
308.	श्री रॉयलसीमा एल्केलाइन
309.	आई॰डी॰बी॰आई॰
310.	आई॰एफ॰सी॰आई॰
311.	पर्ल इजी॰ पॉलिमिर्स लि॰

1	2
312.	भारत फोर्ज लि॰
313.	ग्रेब्रियेल इण्डिया
314.	सुप्रीम पेट्रोलियम
316.	वीडियोकॉन इन्टरनेशनल
317.	वोल्टास लि॰
318.	सेंचरी टेक्सटाइल्स
319.	एक्साइड इण्डिया
320.	हिण्डालको इण्डिया लि॰
321.	कोठारी शुगर एण्ड केमिकल्स
322.	के॰डब्ल्यू॰एच॰ हेलीप्लैशेज
323.	लकी लेबोरेटरीज
324.	मोदीपॉन फाइबर्स लि॰
325.	ओरिएन्ट पेपर्स इ॰ लि॰
326.	पोलरॉयड इण्डिया लि॰
327.	टी॰डी॰टी॰ कॉपर
328.	जिन्दल ट्रैक्टेवाल
329.	जिन्दल ट्रैक्टेवाल
330.	ए॰सी॰सी॰ मशीनरी
331.	अरिहन्ट पेट्रोकेमिकल्स
332.	ऐवरेडी इ॰
333.	गैडंनस डिजाइन
334.	इण्डिया पिस्टन लि॰
335.	मिर्क इलेक्ट्रानिक्स लि॰
336.	नेस्ले इण्डिया लि॰
337.	प्रेसीजन गीयर्स प्रा॰ लि॰
338.	एस॰के॰एफ॰ बीयरिंग्स
339.	सॉफ्ट टच क॰
340.	सोना सोनिक लोम्पो
341.	टाइ-डाइमण्ड
342.	ट्रिना क्यूबेक गियर्स
343.	ट्यूब इन्वेस्टमेन्ट इण्डिया
344.	डब्ल्यू॰एस॰ इण्डिया
345.	रिंग्ले इण्डिया प्रा॰ लि॰

1	2
346.	सी॰ई॰एस॰सी॰ लि॰
347.	सिमंट आर॰पी॰जी॰ इण्डिया
348.	स्टरलाइट कम्युनिकेशन्स
349.	विशॅनॉथ टी॰ क॰
350.	हिवॉच कलर
351.	के॰जी॰ डेनिम लि॰
352.	मद्रास अल्युमीनियम
353.	माइक्रोसिन्थ फैब्रिक
354.	पंजाब वायरलैस सिस्टम
355.	सरले (आई॰) लि॰
356.	हिन्दुस्तान मैक्स–जी॰वी॰ लि॰
357.	हिन्दुस्तान मैक्स–जी॰वी॰ लि॰
358.	एवैकस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (व॰) प्रा॰ लि॰
359.	फ्लेक्स इ॰ लि॰
360.	एल॰ एण्ड टी॰ फा॰ लि॰
361.	एल॰ एण्ड टी॰ लि॰
362.	मोदी जीरॉक्स
363.	ए॰सी॰ओ॰ नाइट्रॉन कास्टिंग लि॰
364.	अडवानी ओरलिन्टन लि॰
365.	वलरपुर इ॰ लि॰
366.	गोदरेज सॉप्स लि॰
367.	हगकुन्ड्स हाइड्रिलिक (आई॰) प्रा॰ लि॰
368.	इण्डिया कैस्टर लि॰
369.	नर्मदा सीमेन्ट कं॰ लि॰
370.	नाथ पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि॰
371.	नाथ सीड्स लि॰
372.	रीड इल्सेवीज इण्डिया (प्रा॰) लि॰
373.	एस॰एस॰इ॰ एण्ड इन्टरप्राइजेज लि॰
374.	सैण्डविक एशिया लि॰
375.	टेलरमेड इण्डिया (प्रा॰) लि॰
376.	गेस्को
377.	ए॰सी॰ई॰ लेबोरेटरीज लि॰
378.	अल्सा मैरीन एण्ड हारवेट्स लि॰
379.	भीलवाड़ा टेलेन्ट सर्विसेज लि॰

1	2
380.	चोलमण्डलम इनवेस्टमेन्ट एण्ड फा॰ कं॰ लि॰
381.	इन्ट्रॉन लि॰
382.	महाराजा इन्टरनेशनल लि॰
383.	पटौडिया ग्लास इ॰ लि॰
384.	क्विककॉल्स (पी॰) लि॰
385.	सिल्टाप केमिकल्स लि॰
386.	स्मॉलटॉक (पी॰) लि॰
387.	टाइटन इंडिया लि॰
388.	मिनल ऑयल एग्रो इंडिया लि॰
389.	आनन्द निशिकावा कं॰ लि॰
390.	भारतीय समृद्धि इनवे॰ एंड कनसल्टिंग सर्विसेज लि॰
391.	क्रिस्टल लेस (ई॰) लि॰
392.	डॉ॰ रेडीज लैब लि॰
393.	हेन्केल स्पिक इंडिया लि॰
394.	जे॰के॰ कॉरपोरेशन लि॰
395.	मंगलम सीमेंट लि॰
396.	फिल कारपोरेशन लि॰
397.	वेनलॉन कारपोरेशन लि॰
398.	अलबराका फाइनेंस हाउस लि॰
399.	गॉथम ग्रैनाइटस लि॰
400.	काले टेक्स इंडिया लि॰
401.	केरल आयुर्वेद फार्मेसी लि॰
402.	सुप्रीम पेट्रोकेम लि॰
403.	अर्जनदास ब्रिजलाल एंड कंपनी
404.	ग्लोबल बोर्डस लि॰
405.	हाइड्रालिक्स लि॰
406.	वार्नर हैम्बर्ट इंडिया (पी॰) लि॰
407.	कन्टीनेन्टल पेट इंडिया (पी॰) लि॰
408.	कॉवलॉग बीच होटल्स (इ॰) लि॰
409.	इस्कार्टस यामहा मोटर्स लि॰
410.	इंडियन रिसार्टस होटेल्स लि॰
411.	फिलिप्स इंडिया लि॰
412.	द्वारकाधीश स्पिनर्स
413.	आई॰एफ॰बी॰ इंडिया लि॰

1	2
414.	एस॰ कुमार सिफैबस लि॰
415.	आई॰डी॰बी॰आई॰
416.	ए॰पी॰आर॰ लि॰
417.	ए॰पी॰आर॰ लि॰
418.	अशोक लेलैण्ड लि॰
419.	अशोक लेलैण्ड लि॰
420.	भूपेन्द्र इंडिया लि॰
421.	विश्वनाथ टी॰ कं॰ लि॰
422.	सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडिया लि॰
423.	डालमिलया सीमेंट्स (भारत) लि॰
424.	इस्कार्टस लि॰
425.	इस्कार्टस लि॰
426.	इस्कार्टस यामहा लि॰
427.	फिनोलेक्स इंडिया लि॰
428.	फिनोलेक्स इंडिया लि॰
429.	जार्ज विलियमसन (असम) लि॰
430.	जार्ज विलियमसन (असम) लि॰
431.	हीरो साइकिलस लि॰
432.	हीरो साइकिलस लि॰
433.	इंडियन अल्युमिनियम कं॰ लि॰
434.	इंडियन अल्युमिनियम कं॰ लि॰
435.	आई॰टी॰सी॰ लि॰
436.	कल्याणी ब्रेक्स
437.	कल्याणी ब्रेक्स
438.	केसोराम इंडिया लि॰
439.	केसोराम इंडिया लि॰
440.	एल॰जी॰ हॉटलाइन सी॰पी॰टी॰ लि॰
441.	एल॰जी॰ हॉटलाइन सी॰पी॰टी॰ लि॰
442.	मैकलियॉड रसेल्स (इ॰) लि॰
443.	मैकलियॉड रेसेल्स (इ॰) लि॰
444.	मोटर इंडिया लि॰
445.	निकोलस पिरामल इंडिया लि॰
446.	निकोलस पिरामल इंडिया लि॰
447.	ओरिएण्ट पेपर एंड इंडिया लि॰

1	2
448.	रेमंड्स लि॰
449.	रेमंड्स लि॰
450.	आर॰ई॰पी॰एल॰ इंजीनियरिंग
451.	रोर्न-पाल्यूनक एग्रोकेन्स (इ॰) लि॰
452.	एस॰ कुमार सिफबास लि॰
453.	टाटा संस लि॰
454.	टाटा संस लि॰
455.	टिस्को
456.	टिस्को
457.	यूनाइटेड फॉस्फोरस लि॰
458.	वेल्सपन इंडिया लि॰
459.	वेल्सपन इंडिया लि॰
460.	इस्सार ऑयल लि॰
461.	गुजरात अल्केलाइंस एंड केमि॰ लि॰
462.	हिन्डालको इंडिया लि॰
463.	जैन इरीगेशन लि॰
464.	जैन इरीगेशन लि॰
465.	जैन प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स लि॰
466.	जैन प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स लि॰
467.	गरूडा कैरियर्स एंड शिपिंग प्रा॰ लि॰
468.	ग्रेव्स लि॰
469.	ग्रेव्स लि॰
470.	अरविन्द मिल्स
471.	एशियन पेन्टस लि॰
472.	ओरिएण्ट पेपर इंडिया
473.	ओसवाल स्पिनिंग एंड वीविंग
474.	ओसवाल स्पिनिंग एंड वीविंग
475.	संचुरी इंक लि॰
476.	पिएम होटल्स लि॰
477.	रेवेफा टूलिंग्स (प्रा॰) लि॰
478.	रेवेफा टूलिंग्स (प्रा॰) लि॰
479.	एस॰वी॰जे॰ - पी॰ओ॰एन॰ कम्पाउण्डर
480.	स्टेरलाइट इंडिया
481.	विमको लि॰

1	2
482.	अरूणोदय मिल्स लि॰
483.	ए॰टी॰आई॰ टेक्सटाइल्स लि॰
484.	बालाजी इंडिया लि॰
485.	इलेवन स्टार प्रोपर्टीज
486.	इंडियन होटल कं॰
487.	कुमार श्रीनिधि यार्न
488.	लक्ष्मी ऑटोमेटिक लूम्स वर्क्स लि॰
489.	मोदी फेडरल लि॰
490.	ग्लोस्टार टेलीकॉम लि॰
491.	ग्लोस्टार टेलीकॉम लि॰
492.	बिरला वी॰एक्स॰एल॰ लिमिटेड
493.	डी॰जी॰पी॰ डिनोडाय इंड॰
494.	ई॰सी॰ई॰ इंड॰ लि॰
495.	प्रो-एग्रो बीड्स कं॰ लिमिटेड
496.	एल्डरिच फार्मास्यूटिकल्स
497.	सैन्ट्रल पल्प मिल्स
498.	आई॰टी॰सी॰ लि॰
499.	करेबसोजा एक्सल लि॰
500.	लिटाल फैब्रिकेशन
501.	कर्नाटक पावर कार्पोरेशन
502.	नाथपा झाकरी पावर
503.	नाथपा झाकरी पावर
504.	नाथपा झाकरी पावर
505.	नाथपा झाकरी पावर
506.	रिलायंस पता लगंगा
507.	बेल ग्रेनाईट सिरामिक्स लि॰
508.	डीनोसिल क्रोप प्रोट
509.	एन॰आर॰बी॰ बियारिंग्स लि॰
510.	रिन्यूएबल एनर्जी सिस॰
511.	नेशनल हाउसिंग बैंक लिमिटेड
512.	शटल रटैक॰ रेस॰ (पी) लि॰
513.	आई॰एल॰ एंड एफ॰एस॰
514.	टोरेंट फामास्यूटिकल्स लि॰
515.	विसाका इंडस्ट्रीज लि॰
516.	अरिहंत इंडस्ट्रीज लि॰
517.	बोईचरीओरिगा मैनहैम इंडिया
518.	जे॰सी॰टी॰ लि॰
519.	मफतलाल माइक्रो मैक
520.	यूनाईटेड राईसलैंड लि॰
521.	विटारा कैम
522.	मयूर इंड॰ एंड मार्केटिंग लि॰
523.	एम॰आर॰ एंड पैट्रो कैम
524.	डी॰जी॰पी॰ विंडसर
525.	युनाईटेड फास्फोरस
526.	आलोक टेक्सटाईल्स इंड॰
527.	ब्ल्यू स्टार कं॰ लि॰
528.	केमीनार ड्रग्स
529.	दीपक नाईट्राईट लि॰
530.	डी॰के॰ बेक एंड कं॰ (आई)
531.	मैक्स एटोटेक प्रा॰ लि॰
532.	प्रिकोट मिल्स कं॰ लि॰
533.	राने ब्रेक लाईनिग
534.	सूर्या रोशनी लि॰
535.	थियागरसर मिल्स
536.	ब्लोप्लास्ट लि॰
537.	आई॰डी॰एल॰ इंड॰ लि॰
538.	एल॰जी॰ हाटलाईन कार्पो॰ प्रा॰ लि॰
539.	मैरिको इंड॰
540.	एम॰डब्ल्यू॰पी॰ मिगमा लि॰
541.	प्रकाश इंड लि॰
542.	रामा पल्प एंड पेपर
543.	यू॰बी॰ डेल्टा कैम॰ लि॰
544.	बेयर इंडियन सिन्टंस लि॰
545.	ब्रिको गोयट्स (आई) लि॰
546.	कोइलेमैन इंडिया प्रा॰ लि॰
547.	सूरटेक्स प्रोफीलैक्टिस (आई) लि॰
548.	सिरकार पेपर मिल्स लिमिटेड
549.	जिन्दल स्ट्रिप्स लि॰

1	2
550.	लायड्स मैटल्स एंड इंजि॰ लि॰
551.	अरिहंत थ्रेडस लि॰
552.	सिफाम मिल्क सपेशलिटिज लि॰
553.	कोरटोल्ड्स पैकेजिंग (आई) प्रा॰ लि॰
554.	धर्मशिला कैंसर फाउंडेशन एंड रिसर्च सैंटर
555.	डायामाल्ट फार्मास्यूटिकल प्रा॰ लि॰
556.	लिक्विड कंट्रोल्स इंडिया प्रा॰ लि॰
557.	मायो (आई) लि॰
558.	पीरामल हैल्थकेयर लि॰
559.	प्रीमियर हाउसिंग एंड इंड॰ एन्टरप्राइजेज लि॰
560.	स्पेशलिटी गैस कं॰ लि॰
561.	दी धामपुर शुगर मिल्स लि॰
562.	ए॰एम॰बी॰ कंम्प्यूटर इंटिग्रेटिड इंजि॰ लि॰
563.	कम्प्यूटरविजन रिसर्च एंड डेव॰ (आई) प्रा॰ लि॰
564.	जय श्री टी एंड इंड॰ लि॰
565.	लार्डस शूज मेकर्स प्रा॰ लि॰
566.	मेरींड लि॰
567.	नाथ इंड॰ कैम लि॰
568.	इंडिया माल्ट प्रा॰ लि॰
569.	लुपिन लैब लि॰
570.	मार्कैटिंग एंड रिसर्च ग्रुप प्रा॰ लि॰
571.	बाला जी डिस्टिलरीज लि॰
572.	चंबल फर्टिलाईजर एंड कैम॰ लि॰
573.	फिरेंजे शूज (प्रा॰) लि॰
574.	फारच्यून बायोटैक लि॰
575.	ग्रोज बेकर्ट एशिया लि॰
576.	लायड्स स्टील्स इंड॰ लि॰
577.	मोहन ब्रिवरीज एंड डिस्टीलरीज लि॰
578.	एस॰ कुमार्स सिन फैक्स लि॰
579.	बिरला ए॰टी॰एन॰ कम्यूनिकेशन्स
580.	भारत गियर्स लि॰
581.	ब्ल्यू डार्ट एक्सप्रैस लि॰
582.	इलैक्ट्रोनिक हाईटैक कंपोनैंट्स प्रा॰ लि॰
583.	इलैक्ट्रोनिक हाईटैक कंपोनैंट्स प्रा॰ लि॰

1	2
584.	कोपरान लि॰
585.	एल॰के॰ पेस प्रा॰ लि॰
586.	मोड एटायर प्रा॰ लि॰
587.	सीग्राम मैन्यूफैक्चरिंग प्रा॰ लि॰
588.	सील फिशरीज लि॰
589.	व्हर्लपूल इंडिया लि॰
590.	भारत फोर्ज लि॰
591.	जिन्दल स्ट्रिपुस लि॰
592.	मफतलाल फाईनैंस कंपनी लि॰
593.	निकोलस पीरामल इंडिया लि॰
594.	विंटेज फूड्स एंड इंड॰ लि॰
595.	वी॰आई॰पी॰ इंड॰ लि॰
596.	विप्रो लि॰
597.	सांघी इंड॰ लि॰
598.	क्रोम्पटन ग्रीव्स लि॰
599.	क्रोम्पटन ग्रीव्स लि॰
600.	क्रोम्पटन ग्रीव्स लि॰
601.	एस॰आर॰एफ॰ लि॰
602.	एस॰आर॰एफ॰ लि॰
603.	वी॰आई॰पी॰ इंड॰ लि॰
604.	कोठारी शुगरस एंड कैम॰ लि॰
605.	सौराष्ट्र सीमेंट लि॰
606.	बेनेट कोलमैन एंड कंपनी
607.	कलर कैम लि॰
608.	कलर कैम लि॰
609.	फलैक्स इंड लि॰
610.	फलैक्स इंड लि॰
611.	ग्रोज–बेकर्ट एशिया लि॰
612.	इस्पात इंड॰ लि॰
613.	लुपिन लैब॰ लि॰
614.	ओरियंटल होटल्स लि॰
615.	सिरायकेला ग्लास वर्क्स लि॰
616.	व्हर्लपूल इंडिया लि॰
617.	व्हर्लपूल इंडिया लि॰

1	2
618.	आई॰बी॰आई॰एल॰ एनर्जी सिस्टम्स लि॰
619.	मोहन ब्रिवरीज एंड डिस्टीलरीज लि॰
620.	अदानी एक्सपोर्ट्स लि॰
621.	जेजे सर्कट्स लि॰
622.	श्रीनुज एंड कंपनी लि॰
623.	व्हील्स इंडिया लि॰
624.	डी॰एस॰एस॰ मोबाईल कोम॰ लि॰
625.	एच॰डी॰एफ॰सी॰ बैंक लि॰
626.	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि॰
627.	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि॰
628.	ओवेन्स कोर्निंग (इंडिया) प्रा॰ लि॰
629.	ओवेन्स कोविंग (इंडिया) प्रा॰ लि॰
630.	आई॰ओ॰सी॰
631.	पी॰एफ॰सी॰
632.	कासमोस लेदर एक्सपोर्ट्स लि॰
633.	हिमतसिंगका सीड लि॰
634.	हिमतसिंगका सीड लि॰
635.	एन॰आई॰आई॰टी॰
636.	एन॰आई॰आई॰टी॰
637.	जी॰एम॰आर॰ वासवी पावर कार्पो॰ लि॰
638.	अहमदनगर फोर्जिंग्स लि॰
639.	अरिहंत कोटसिन लि॰
640.	आटोलेक इंड लि॰
641.	ब्रेक्स इंडिया लि॰
642.	सी॰ एंड एम॰ फार्मिंग लि॰
643.	सी॰ एंड एम॰ हेचरिच लि॰
644.	कार्बो एवरफलो लि॰
645.	लायड्स फाईन॰ लि॰
646.	लायड्स इंटरनेशनल लि॰
647.	नासिक ब्रिडिंग रिसर्च फार्मस् लिमिटेड
648.	सानमार इंटरनेशनल लि॰
649.	सानमार स्पेशलिरीज कैम॰ लि॰
650.	एस॰आई॰सी॰ओ॰एम॰
651.	बिनायी इंड॰
652.	सी॰जी॰जी॰ पैन इंडिया
653.	चोकसी ट्यूब कं॰
654.	फलोट ग्लास इंडिया लि॰
655.	गरवारे वाल रोप्स
656.	इंडो काउंट इंड॰
657.	मुकंद लि॰
658.	सरवाल इंड॰
659.	वी॰एस॰टी॰ इंड॰ लि॰
660.	एशिया इंडस्ट्रीयल टैक
661.	डूरेसल (आई) लि॰
662.	हिंदुजा कंसलटैंसी
663.	हिंदुजा प्रोप्रटीज
664.	इंडुसिंड मीडिया/कम॰
665.	पीडीलाईट इंड लि॰
666.	सिद्धार्थ टैक्सटाईल प्रा॰ लि॰
667.	सवारे पर्ल इंड॰
668.	सवारे पर्ल इंड॰
669.	आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰
670.	ए॰आई॰सी॰ वाटसन कन्सलटैंट्स लि॰
671.	बेनेट कोलमैन एंड कं॰ लि॰
672.	ब्रोंक्स प्रोसेस इंजि॰ (प्रा॰) लि॰
673.	बिजनस इंडिया टेलीविजन इंटल लि॰
674.	कैमप्लास्ट सानमार लिमिटेड
675.	चेवरो लेदर मन्यूफैक्चरिंग
676.	इंडियन शेविंग प्रोडक्ट्स लि॰
677.	एल॰जी॰ बाल्पकृष्णन् एंड ब्रदर्स लि॰
678.	नेशनल स्टेंडर्ड डंकन लि॰
679.	रूप टेलसोनिक अल्ट्रासोनिक्स लि॰
680.	स्कॉट विल्सन किर्कपैटनिक इंडिया प्रा॰ लि॰
681.	विंटेज फूड्स एंड इंड॰ लि॰
682.	विलकिंसन सवोर्ड इंडिया लि॰
683.	हाईटेम्प फर्नेसिज लि॰
684.	ओरियंटल होटल्स लि॰
685.	रूचि सोया इंड॰ लि॰

1	2
686.	स्पिक जेट इंजि॰ कसंट्रक्सन लि॰
687.	एल्लैरगेन इंडिया लि॰
688.	भारत अर्थमूवर्स लि॰
689.	कोआप्रेटिव डेव॰ फाउंडेसन
690.	एस्कार्टस कलास लि॰
691.	गलवारे (आई) लि॰
692.	जी॰ई॰सी॰ अलस्थम इंडिया लि॰
693.	होटल लीला वेंचर लि॰
694.	पीयर्स लेसली कैस्यूज एंड कॉफी लि॰
695.	रेलको रावमेंट इलैक्ट्रोनिक्स एसोसिएट्स लि॰
696.	रिलायसं इंड॰ लि॰ (बांड्स)
697.	रिलायसं इंड॰ लि॰ (बांड्स)
698.	स्काईवेज प्रोपर्टीज लि॰
699.	सोमानी स्विस इंड॰ लि॰
700.	स्टार हाउसिंग एंड प्रोपर्टीज लि॰
701.	टाटा पैट्रोडाईन लि॰
702.	जिलेट डाईवर्सिफाईड आप्रेशन प्रा॰ लि॰
703.	मेरीडियन इंडस्ट्रीयल लि॰
704.	मोराल ओवरसीज लि॰
705.	प्रीमियर मिल्स लि॰
706.	प्रीमियर पोलीट्रोनिक्स लि॰
707.	प्रीमियर पोलीट्रोनिक्स लि॰
708.	सुपर स्पिनिंग मिल्स लि॰
709.	विसाखा इंड॰ लि॰
710.	बिजनस इंडिया इंफोरमेशन टैक्नोलाजी लि॰
711.	इंडो हालैंड एग्री-टैक लि॰
712.	मैटा फिल्म्स (आई) लि॰
713.	मोदी-जी॰एस॰सी॰ लि॰
714.	राधा न्यूट्रिएंट्स लि॰
715.	श्री लकनायकी टैक्सटाईल लि॰
716.	बिरला जी॰टी॰एम-इंटरपोज लिमिटेड
717.	फ्लोट ग्लास इंडिया लि॰
718.	खिमलाईन पंपस लि॰
719.	रूचि सोया इंड॰ लि॰

1	2
720.	गोकुलम वंडरलैंड लि॰
721.	एन॰बी॰एस॰ हालैंड एग्रोटैक लि॰
722.	ओरियंट वेजिटैक्सपो लि॰
723.	साउदर्न ग्रीनफिल्ड्स लि॰
724.	विप्रो लि॰
725.	बेस्क बिल्ट लेदर लि॰
726.	गुजरात स्टेट फर्ट॰ एंड कैम॰ लि॰
727.	सरायकेला ग्लास वर्क्स लि॰
728.	एस॰आर॰एफ॰ लि॰
729.	थामस कुक (आई) लि॰
730.	व्हील्स इंडिया लि॰
731.	अंबोरेज इंड॰ लि॰
732.	फिनोलैक्स केबल्स लि॰
733.	इंडियन एयरलाईन्स लि॰
734.	सिरीस लि॰
735.	चमाकी एग्रो एंड स्थाईसिज लि॰
736.	इंडियन हास्पिटलिटीज लि॰
737.	ईस्ट इंडिया मिनरल्स लि॰
738.	जीनट एक्सपोर्टस लि॰
739.	इस्पात इंड॰ लि॰
740.	मंगलौर रिफाईनरी एंड पैट्रोकैम लि॰
741.	पी॰एल॰ एग्रो टैक्नोलाजी
742.	आई॰डी॰बी॰आई॰
743.	आई॰आर॰एफ॰सी॰
744.	इनफार्मेसन टैक्नोलाजी पार्क
745.	इंडो नीदरलैंड एग्रो-फूड्स लि॰
746.	जम्बोज जायपार्क लि॰
747.	बहल पेपर मिल्स लि॰
748.	चीमा स्पाईटैक्स
749.	हारो पालीवाल प्रा॰ लि॰
750.	सत्यम कम्प्यूटर्स
751.	अंसल प्रोपर्टीज
752.	आई॰सी॰आई॰पी॰आई॰ (एफ॰आर॰एन॰)
753.	एम॰आर॰ एंड पैट्रोकैम॰

[हिन्दी]

ऋण-जमा अनुपात

1126. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य सरकार ने ऋण-जमा अनुपात को बढ़ाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को एक ज्ञापन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि बिहार में बैंकों द्वारा प्राप्त जमा राशि को राज्य के बाहर उपयोग में लाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें माननीय जल संसाधन मंत्री, बिहार सरकार से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उठाए गए विभिन्न मुद्दों में अन्य बातों के साथ-साथ बिहार में संस्थागत वित्त के माध्यम से ऋण प्रवाह, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा विस्तार, अग्रणी बैंक जिम्मेवारियों का पुनर्गठन और बिहार में वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धि शामिल हैं। मामले की जांच भारतीय रिजर्व बैंक कर रहा है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि चूंकि बैंक वाणिज्यिक संगठन हैं, अतः ऋण देने और विवेकपूर्ण मानदण्डों के कारण ऋण देने में उनकी कुछ सीमाएं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि उस क्षेत्र में निधियों के विनियोजन के प्रस्ताव में जहां से यह प्राप्त हुआ था अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षा की जाती है कि वहां पर्याप्त आधार-भूत सुविधाओं, ऋण खपाने की क्षमता निवेश के लिए अनुकूल वातावरण और बैंक ऋणों की पर्याप्त वसूली जैस संघटक उपलब्ध हों।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बिहार में ऋण जमा अनुपात में सुधार करने के उपाय सुझाने हेतु वर्ष 1993 में एक कार्य बल गठित किया था। कार्य बल ने विभिन्न सिफारिशें की थी, जिन्हें बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के तत्वाधान में निरंतर आधार पर कार्यान्वित किया जाता है।

[अनुवाद]

आधारभूत सुविधाओं का विकास

1127. श्री प्रभु दयाल कठीरिया :
श्री महेन्द्र सिंह भाटी :
श्री भक्त चरण दास :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधारभूत सुविधाओं के विकास के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषज्ञ दल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) अक्तूबर, 1994 में, वित्त मंत्रालय ने उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार में तत्कालीन आर्थिक सलाहकार डा॰ राकेश मोहन की अध्यक्षता में आधारभूत परियोजनाओं के वाणिज्यिकरण पर एक विशेषज्ञ दल का गठन किया। विशेषज्ञ दल ने 22 जून, 1996 को वित्त मंत्री को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(ख) रिपोर्ट में नीतिगत सुधारों के लिए निर्देश दिए गए हैं जो सरकारी-निजी भागीदारी के संवर्द्धन सहित मूलभूत ढांचे के बृहत्तर वाणिज्यिकरण में सहायता कर सकते हैं। विशेषज्ञ दल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

* सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना जोखिम स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लिए गए हैं तथा विभिन्न पयबन्धारियों को आवंटित कर दिए गए हैं तथा 'बिल्ड ओन ट्रांसफर' प्रकार की परियोजनाओं के सरल कार्यान्वयन के लिए पारदर्शी ढांचे को सुनिश्चित करना चाहिए।
* दीर्घावधि की आधारभूत परियोजनाओं में इक्विटी निवशों पर कर राहतें दी जानी हैं और इक्विटी निवेश पर उचित सीमा तक वैयक्तिक शेयर धारक को दिए जाने वाले लाभांशों को कर मुक्त किया जाना है।
* पेंशन, भविष्य निधि और बीमा निधियों को उदारीकृत किया जाए ताकि ये निधियां भी निजी आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए उपलब्ध हो सकें।
* विदेशी आधारभूत निधियों से प्राप्त निवेशों को प्राथमिकता प्राप्त स्थान पर लगाया जाए।
* आधारभूत निवेश का संवर्द्धन करने के लिए एक आधारभूत वित्त विकास निगम स्थापित किया जाए।
* विदेशी निवेश संस्थाओं (एफ॰आई॰आई॰) को ऋण बाजार में भागीदारी करने की अनुमति दी जाए तथा निजी क्षेत्र की आधारभूत कंपनियों को कर मुक्त बांड जारी करने की अनुमति दी जाए।
* भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की तर्ज पर प्रत्येक आधारभूत क्षेत्र के लिए एक स्वायत्तशासी विनियामक निकाय स्थापित किया जाए।
* परियोजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कराने के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफ॰आई॰पी॰बी॰) के प्रकार की एक आधारभूत समन्वय समिति गठित की जाए।

* शहरी आधारभूत संरचना के विकास के लिए सरकारी-निजी भागीदारी अपनाई जाए।
* छोटी नगर पालिकाओं के लिए निधियों को सरणीबद्ध करने के लिए एक राज्य स्तर का केन्द्रीय आधारभूत वित्तपोषण निगम स्थापित किया जाए।
* प्रत्येक उपभोक्ता खंड के लिए चरणबद्ध रूप से लागत-आधारित मूल्य निर्धारण।
* सरकार के प्रचालनात्मक नियंत्रण के बाहर एक केन्द्रीय बिजली विनियामक आयोग की स्थापना।
* राज्य बिजली बोर्डों का सघन, व्यवहार्य और निगमित इकाइयों के रूप में तुरंत पुनर्गठन।
* दूर-संचार विभाग का 'इंडिया टेलीकॉम' के रूप में निगमीकरण किया जाना।
* प्रमुख दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण क्षमताओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए जाएं।
* आधारभूत परियोजनाओं को ऋण और इक्विटी उपलब्ध कराने के लिए सभी दूरसंचार लाइसेंस शुल्कों को आधारभूत निधियों में अंतरित किया जाना चाहिए।
* उच्च राष्ट्रीय राजमार्गों, बाई-पासों और स्थल निवेशों को निजी प्रयासों के जरिए अंजाम दिया जाए।
* सरकार द्वारा एक राजमार्ग विकास नीति तैयार की जाए तथा अपनाई जाए।
* सरकार द्वारा औद्योगिक उद्यानों के लिए एक व्यापक कानूनी-नीति की घोषणा की जाए।
* निर्माण प्रचालन अंततरण आधार पर किए जाने के लिए विस्तार परियोजनाओं को अनुमति देने के लिए प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 को संशोधित किया जाए।

(ग) सरकार की विकास रणनीति में सक्षम आधारभूत संरचना के विकास तथा आधारभूत क्षेत्र में निजी सहभागिता के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है। सरकारी निजी भागीदारी के लिए उपलब्ध विकल्पों की विविधता भी बेहतर जोखिम भागीदारी, उत्तरदायित्व, लागत-वसूली तथा आधारभूत ढांचे के प्रबंध को प्रोत्साहन दे सकती है। आधारभूत ढांचे के विकास पर जोर को जारी रखते हुए, 1996-97 के बजट में आधारभूत संरचना का संवर्द्धन करने के लिए कई प्रस्तावों की घोषणा की गई है, जो इस प्रकार हैं :—

* आधारभूत ढांचा क्षेत्र को दीर्घावधि वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिए बजट में 5000 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी के साथ एक आधारभूत ढांचा विकास वित्त कम्पनी (आई॰डी॰एफ॰सी॰) की स्थापना की घोषणा की गई। चालू वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। तदुपरान्त आई॰डी॰एफ॰सी॰ की 5000 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी के साथ 30.1.97 को कम्पनी अधिनियम के तहत संस्थापना की जा चुकी है।
* सड़कों, पुलों, नए हवाई अड्डों, पत्तनों और रेलवे परियोजनाओं जैसी आधारभूत सुविधाओं का विकास, रखरखाव और प्रचालन कर रही कम्पनियों को उपलब्ध 5 वर्ष के करावकाश का जल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था और सीवर व्यवस्था परियोजनाओं को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया।
* आधारभूत सुविधा का विकास, अनुरक्षण और प्रचालन करने के लिए स्थापित निधियों या कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभांश, ब्याज या दीर्घावधि पूंजी लाभों पर आय कर छूट।
* भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन॰एच॰ए॰आई॰) के निधिसंग्रह में 200 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया ताकि इसे घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से निधियों के उद्यम लाभ के योग्य बनाया जा सके।
* विशिष्ट क्षेत्रों में आधारभूत कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित डिबेंचरों और शेयरों में घरेलू बचतों को सरणीबद्ध करने में सहायता करने के लिए कर-छूट की सीमाओं में वृद्धि करना। इस प्रयोजन के लिए, जनता के लिए प्रस्तुत ऐसे निवेश कर छूट के लिए पात्र होंगे।

[हिन्दी]

विदेशी ऋण

1128. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे भारत ने ऋण प्राप्त किया है तथा इसकी कुल धनराशि कितनी है; और

(ख) भारत द्वारा इसके लिए वार्षिक रूप से कितनी धनराशि का भुगतान किया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) दि॰ 31.3.96 तक किया गया पुनर्भुगतान संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वार्षिक पुनर्भुगतान के संबंध में ब्यौरा वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विदेशी सहायता पुस्तिका, 1994-95 में दिया गया है। इस पुस्तिका की प्रतिलिपि सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

विवरण

31 मार्च, 1996 तक दाता-देश वार कुल प्राप्तियां और पुनर्भुगतान दर्शाने वाला विवरण

(दाता मुद्रा मिलियन में)

क्र॰सं॰	देश/संस्था का नाम	मुद्रा	प्राप्ति	पुनर्भुगतान
1	2	3	4	5
बहुपक्षीय				
1.	एडीए	अमरीकी डालर	1607.580	76.706
2.	आईबीआरडी	अमरीकी डालर	11459.923	4705.866
3.	आईडीए	अमरीकी डालर	8157.069	1368.460
4.	आईडीए	एसडीआर	7246.754	135.619
5.	आईएफएडी	एसडीआर	163.769	18.567
6.	ओपीईसी	अमरीकी डालर	172.429	120.795
द्विपक्षीय				
7.	अबुदाबी	यूएई दिरहम	68.000	67.999
8.	आस्ट्रिया	आस्ट्रियन शिलिंग	1672.826	1072.312
9.	बेल्जियम	बेल्जियम फ्रैंक	4958.446	2183.750
10.	कनाडा	कनाडी डालर	924.846	357.286
11.	चैक और स्लोवाक गणराज्य	भारतीय रुपया	1569.861	1183.935
12.	डेनमार्क	दानिश क्रोनर	1148.753	286.460
13.	ईईसी	यू॰के॰ पोण्ड	30.332	1.887
14.	जर्मनी	ड्यूश मार्क	11242.881	5741.884
15.	फ्रांस	फ्रैंच फ्रैंक	10842.179	4920.486
16.	आईएमएफ न्यास निधि	एसडीआर	529.009	529.009
17.	ईरान	अमरीकी डालर	496.944	496.944
18.	ईरान	एसडीआर	438.539	438.539
19.	इटली	ड्यूश मार्क	144.200	0.000
20.	इटली	अमरीकी डालर	161.187	38.756
21.	इटली	इटालियन लीरा	33125.000	33125.000
22.	पौलेंड	भारतीय रुपया	366.355	366.355
23.	कतर	यू॰के॰ पौण्ड	7.158	7.158
24.	जापान	जापानी येन	1064723.064	295276.397
25.	कुवैत निधि	कुवैत दीनार	78.981	45.303
26.	नीदरलैंड	डच गिल्डर	2555.347	1023.833
27.	सऊदी निधि	सऊदी रियाल	581.830	465.688
28.	स्पेन	अमरीकी डालर	46.000	0.000

1	2	3	4	5
29.	स्वीडन	स्वीडिश क्रोनर	1093.642	0.000
30.	स्वीडन	एस॰ फ्रैंक	157.000	0.000
31.	युगोस्लाविया	भारतीय रुपया	267.008	267.008
32.	स्विटजरलैंड	स्विस फ्रैंक	283.888	211.544
33.	यूएई	अमरीकी डालर	70.000	70.000
34.	यूके	यूके पौण्ड	744.086	708.987
35.	यूएसए	अमरीकी डालर	5063.630	3115.189
36.	यूएसएसआर	भारतीय रुपया	28402.024	3903.704
37.	आस्ट्रिलिया	अमरीकी डालर	11.131	0.000
38.	हंगरी	भारतीय रुपया	122.647	122.647
39.	इराक	अमरीकी डालर	182.746	182.746
40.	ईएसओ	अमरीकी डालर	5.708	0.000
41.	बाहरीन	यूके पौण्ड	5.891	5.891
42.	रोमानिया	भारतीय रुपया	53.260	53.260

[अनुवाद]

बैंकों द्वारा कंपनियों को अति वित्त पोषण

1129. **श्री वी॰ प्रदीप देव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान अनुमेय बैंक सीमा से अधिक प्रदान की गई राशि का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए मार्गनिर्देश क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछ गए ढंग के अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिकतम कार्यशील पूंजी वित्त (अर्थात अधिकतम अनुज्ञेय बैंक वित्त) के मूल्यांकन के लिए बैंकों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं जो उधारकर्ताओं को उनके द्वारा किए गए कारबार प्रक्षेपण के आधार पर मंजूर किया जा सकता है। ये मार्गनिर्देश उन उधारकर्ताओं पर लागू होते हैं जो बैंकिंग प्रणाली से 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक की निधि आधारित ऋण सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। इन मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित किए गए मानदण्ड उस रीति को दर्शाते हैं जिनके अनुसार परिसम्पत्तियों और देयताओं को वर्गीकृत किया जाना होता है और अनुज्ञेय बैंक वित्त का निर्धारण करने के लिए निवल कार्यशील पूंजी (अर्थात दीर्घावधिक उपयोग पर दीर्घावधिक स्रोतों की अधिकता) की गणना की जानी होती है। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि वित्तपोषित चालू परिसम्पत्तियों का 25 प्रतिशत भाग उधारकर्ता द्वारा दीर्घावधिक स्रोतों से लिया गया है। इसके अलावा, वित्तपोषित की जाने वाली वस्तु-सूची, प्राप्य राशियों आदि के स्तर के संबंध में सांकेतिक मानदण्ड भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

नए आर्थिक सुधार

1130. **श्री ब्रज भूषण तिवारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नए आर्थिक सुधारों के सम्बन्ध में पिछले छः वर्षों के दौरान सामने आए लाभों तथा हानियों के बारे में एक श्वेत पत्र निकालने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों के दौरान किए गए आर्थिक सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्चतर वृद्धि के पथ पर प्रशस्त किया है। उपादान लागत पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, जो 1991-92 के संकटकालीन वर्ष में मात्र 0.8 प्रतिशत तक गिर गई थी,

में पिछले तीन वर्षों (1994-95 से 1996-97) में लगभग 7 प्रतिशत की औसत वृद्धि तक की बढ़ोतरी हुई है। 25 फरवरी, 1997 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा 1996-97 में विभिन्न क्षेत्रों में जारी आर्थिक सुधारों तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा उपलब्ध है।

[हिन्दी]

कोयला खानों में आग

1131. **श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :**

डा॰ जी॰आर॰ सरोदे :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितने कोयला भण्डारों में आग लगी है;

(ख) कोयला भण्डारों में आग की घटनाओं के कारण सरकार द्वारा कितने रुपयों का वित्तीय घाटा उठाया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार कोयला कंपनियों हेतु अग्नि नियंत्रण प्रकोष्ठ स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य प्रभावी कदम उठाये गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (को॰इं॰लि॰)/सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि॰ (सिं॰को॰कं॰लि॰) की किसी भी खान के कोयला भंडारों में आग नहीं लगी है।

(ख) उपर्युक्त (क) भाग के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) और (घ) सिं॰को॰कं॰लि॰ में तथा को॰इं॰लि॰ की सभी सहायक कंपनियों में भारत कोकिंग कोल लि॰ (भा॰को॰को॰लि॰) को छोड़कर, विद्यमान सुरक्षा विभाग सभी प्रकार के सुरक्षा संबंधी क्रियाकलापों, जिसमें आग पर नियंत्रण/प्रबोधन किया जाना भी शामिल है, के लिए उत्तरदायी है। भा॰को॰को॰लि॰ में अधिक संख्या में आगों के विद्यमान होने को दृष्टिगत करते हुए, एक पृथक अग्नि नियंत्रण कक्ष, जो कि महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी के अधीन है तथा जिसकी अन्य अधिकारी सहायता करते हैं, उक्त कक्ष कार्यरत हैं।

(ङ) कोयला खान विनियमन, 1957 में खानों में आग लगने से बचाव किए जाने तथा नियंत्रण संबंधी उपाय किए जाने के लिए व्यवस्था है, जिनमें अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित बातें भी सम्मिलित हैं :—

(i) भूमिगत क्रियाकलापों को भागीयकृत किया जाना;

(ii) हाइड्रोलिक रेत भराई से संबद्ध मोटी सीमों का उत्खनन किया जाना;

(iii) भूमिगत खान, जिसमें क्रियाकलाप हो रहे हैं, के निकट क परिसर को पानी के छिड़काव से नमी करना तथा पुरानी खानों की सफाई तथा स्टोनडस्ट करना;

(iv) अग्निग्रस्त भूमिगत खानों में गैस प्रबोधन पद्धति की स्थापना करना;

(v) अग्नि-शमन उपकरण की व्यवस्था किया जाना;

(vi) खानों के क्रिया-कलापों का निरंतर निरीक्षण किया जाना; और

(vii) सतही धंसाव के मामले में दरारों को भरने के लिए सतह को आच्छादित करना।

[अनुवाद]

न्यायाधीशों के रिक्त पद

1132. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :**

डा॰ मुरली मनोहर जोशी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में की गई नियुक्तियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन नियुक्तियों के बावजूद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद खाली पड़े हैं जिसके परिणामस्वरूप न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब होता है;

(ग) यदि हां, तो अब भी खाली पड़े पदों की न्यायालयवार संख्या क्या है;

(घ) न्यायालयों में न्यायाधीशों के खाली पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन खाली पदों को तत्काल भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप) : (क) से (ग) वर्ष 1995 और वर्ष 1996 के दौरान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों की संख्या तथा 1.1.1997 को रिक्त पदों की संख्या को दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) ऐसी नियुक्तियों की प्रक्रिया में अनेक सांवैधानिक प्राधिकारियों के बीच परामर्श किया जाना आवश्यक है। तथापि विद्यमान रिक्त पदों को शीघ्रतम भरे जाने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है।

विवरण

क्र॰सं॰	उच्च न्यायालय	निम्नलिखित वर्षों में की गई नियुक्तियों 1995	1996	1.1.97 को न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों के रिक्त पद
1.	इलाहाबाद	8	5	9
2.	आंध्र प्रदेश	11	4	1
3.	मुंबई	4	12	11
4.	कलकत्ता	10	–	10
5.	दिल्ली	4	2	3
6.	गुवाहाटी	–	4	1
7.	गुजरात	7	–	3
8.	हिमाचल प्रदेश	3	–	–
9.	जम्मू-कश्मीर	4	–	2
10.	कर्नाटक	9	3	5
11.	केरल	1	9	5
12.	मध्य प्रदेश	4	4	7
13.	मद्रास	–	14	–
14.	उड़ीसा	1	4	1
15.	पटना	–	5	4
16.	पंजाब और हरियाणा	–	7	4
17.	राजस्थान	5	8	–
18.	सिक्किम	–	–	2
	योग	71	81	68
II	उच्चतम न्यायालय	5	2	4

[हिन्दी]

कोयले की बिक्री

1133. **प्रो॰ रीता वर्मा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कोयला डिपुओं से कोयले की बिक्री कब शुरू की गई थी;

(ख) उस समय प्रति टन "डम्प" शुल्क दर क्या थी;

(ग) इन केन्द्रीयकृत डंपिंग केन्द्रों तथा कोयला खानों जिनके लिए इन्हें स्थापित किया गया था, के बीच कितनी दूरी है;

(घ) डम्प शुल्क में अब तक कितनी बार वृद्धि की गयी है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) भारत कोकिंग कोल लि॰ के कोयला डिपो (सेटेलाइट डम्प) से कोयले की बिक्री दिनांक 29.7.1983 से आरंभ हुई थी और उस समय डम्प शुल्क 20/- रु॰ प्रति टन निर्धारित किया गया था।

(ग) केन्द्रीकृत डम्पों से कोलियरियों की दूरी प्रत्येक डम्प के मामले में भिन्न होती है। कोलियरियों तथा डम्पों के बीच की औसत दूरी 3 से 5 कि॰मी॰ के रेंज में होती हैं।

(घ) और (ङ) डम्प प्रभारों को वर्ष 1987, 1991, 1992 तथा 1996 में बढ़ाया गया था। डम्पों की परिचालन लागत के कारण डम्प प्रभारों में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

दुर्गावती परियोजना

1134. **श्री ब्रज मोहन राम** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पलामू जिले के पाटन खण्ड में दुर्गावती परियोजना चालू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सी॰सी॰एल॰ ने उक्त परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहीत कर ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं। बिहार के पलामू जिले में पाटन ब्लाक में दुर्गावती परियोजना शुरू किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक योजनाएं

1135. **श्री हरिवंश सहाय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण उद्योगों की स्थापना हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने कई योजनाएं तैयार की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) भारती लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूचित किया है कि वह सिडबी की संमिश्र ऋण योजना (सी एल एस), एकल खड़की योजना (एस डब्ल्यू एस) और राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना (एन ई एफ) के अंतर्गत ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित लघु उद्योग/अति लघु उद्योग क्षेत्र के एककों को उनकी सावधि ऋण/कार्यशील पूंजी और बीज पूंजी संबंधी आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम (आर आई पी), व्यष्टि ऋण योजना (एम सी एस), महिला विकास निधि (एम वी एन) योजना और ग्रामीण उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम (आर ई डी पी) नामक चार विशेष योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। उपर्युक्त चार विशेष योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:—

1. ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम (आर आई पी) का उद्देश्य औद्योगिक उद्यम स्थापित करने के लिए ग्रामीण उद्यमियों का पता लगाकर और उन्हें प्रेरित करके ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले अर्थक्षम उद्यमों को बढ़ावा देना है। आर आई पी का उद्देश्य स्थानीय संसाधनों का बेहतर वाणिज्यिक उपयोग करना है। इस समय, यह योजना ग्रामीण गरीबों को बहुलता वाले 11 राज्यों में चल रही है।

2. व्यष्टि ऋण योजना (एम सी एस) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब व्यक्तियों की ऋण संबंधी वास्तविक आवश्यकताओं के वित्त पोषण में प्रत्यक्ष अंतराल को पूरा करना है। इस योजना के अंतर्गत, प्रति उधारकर्ता अधिकतम 10,000/- रुपए तक की सहायता रियायती दर पर प्रदान की जाती है। नवम्बर 1996 के अन्त की स्थिति के अनुसार, 16 राज्यों में एम सी एस के अंतर्गत 57 स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को कुल 636 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई।

3. महिला विकास निधि (एम वी एन) का उद्देश्य आधारभूत सुविधाओं के सृजन को आसान बनाकर महिलाओं, विशेषरूप से ग्रामीण गरीबों को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से शक्ति सम्पन्न बनाना है। नवम्बर 1996 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार, 23 राज्यों में 104 गैर-सरकारी संगठनों को कुल 417 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है।

4. ग्रामीण उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम (आर ई डी पी) का उद्देश्य विभिन्न लक्ष्य समूहों को उद्यमवृत्ति में प्रशिक्षित करना है ताकि वे स्वयं अपना उद्यम स्थापित करने के लिए पर्याप्त जानकारी, प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। 30 नवम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार, देश के विभिन्न क्षेत्रों में 269 कार्यक्रम चलाए गए।

[हिन्दी]

सांसदों को विदेशी मुद्रा

1136. श्रीमती शीला गौतम :
श्री शिवराज सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्प्रति संसद सदस्यों को अध्ययन दौरों के लिए कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई जाती है;

(ख) क्या सरकार का इस राशि में वृद्धि करने का विचार है ताकि संसद सदस्य अपने अध्ययन दौरों से अधिकाधिक लाभान्वित हो सकें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) संसद का कोई भी सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान 1,00,000/- रु॰ "स्टडी ट्यूर कोटा" प्राप्ति का हकदार है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि कोटा बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कोयला कामगारों का कल्याण

1137. श्री सुखलाल कुशवाहा :
श्री बुद्धसेन पटेल :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996-97 के दौरान मध्य प्रदेश में कोयला खानों द्वारा कुल कितने कोयले का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या सरकार ने कोयला श्रमिकों के लिये बीमा कवर देने तथा कल्याण हेतु कोई योजना बनायी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) वर्ष 1996-97 (जनवरी, 1997 तक) की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में कोल इंडिया लि॰ (को॰इं॰लि॰) की कोयला खानों में कच्चे कोयले का कुल उत्पादन 66.442 मि॰ट॰ (अनंतिम) हुआ है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा पहले ही एक बीमा योजना अर्थात् कोयला खान जमा सहबद्ध बीमा योजना, 1976 पहले ही प्रतिपादित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, कोयला कामगारों हेतु विद्यमान कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के एवज् में एक सेवानिवृत्ति-सह-परिवार पेंशन योजना आरंभ करने का निर्णय लिया गया है।

जहां तक कोयला कामगारों के कल्याण का संबंध है, कोयला कंपनियों द्वारा आवास, शिक्षा, जलापूर्ति, सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के बारे में कोई कल्याणकारी उपाय किए गए हैं। कोल इंडिया लि॰ द्वारा सहायक कंपनियों को शैक्षिक अनुदान तथा कल्याणकारी उपायों हेतु निधियों का वार्षिक रूप में आवंटन किया जाता है।

चन्दन की लकड़ी की तस्करी

1138. **श्री दत्ता मेघे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से अभी भी चन्दन की लकड़ी की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा चन्दन की लकड़ी की तस्करी रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वस्त्र निर्यात

1139. **श्री के॰ एस॰ रायुडू** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान अब तक वस्त्र मदों विशेष रूप से सूती धागों तथा ऊनी वस्त्रों के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) कपड़ा उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार तथा वस्त्र क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी का पुनर्गठन करने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) वस्त्र मंत्रालय में उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1996-97 (दिसम्बर, 1997 तक) के दौरान वस्त्र मदों के निर्यात में डालरों के रूप में हुई समग्र वृद्धि लगभग 10.5 प्रतिशत थी। इस अवधि के दौरान सूती यार्न तथा ऊनी वस्त्रों के संबंध में हुई वृद्धि क्रमशः लगभग 48.3 प्रतिशत तथा 22 प्रतिशत थी।

(ख) सरकार ने फैब्रिक तथा परिधान क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय तथा गुणवत्ता उन्नयन के लिए अनेक उपाय किए हैं जैसे कि प्रयोगशाला परीक्षण संबंधी इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाना, निर्यातकों में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार अभियान चलाना, बुनाई, प्रसंस्करण तथा परिधान विनिर्माण मशीन मदों पर आयात शुल्क में कटौती करना, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान तथा अपैरल प्रशिक्षण तथा डिजायन केन्द्रों जैसे संस्थानों के माध्यम से मानव संसाधन का विकास करना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल को शुल्क मुक्त आयात के विशेष प्रबंध करना आदि।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1140. **श्री राजकेशर सिंह** :

श्री पंकज चौधरी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :,

(क) क्या सरकार के पास इस प्रकार का प्रस्ताव है जिसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश संबंधी सुस्पष्ट और सर्वस्वीकार्य प्रणाली जिससे निवेशकों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के हितों की भी रक्षा हो, को अपनाये जाने पर जोर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब से क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (घ) जी, नहीं। यद्यपि यह आशा की जाती है और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा किए गए प्रयत्न यह सुनिश्चित करते हैं कि पूंजी बाजार में निवेश की पद्धति उचित तथा पारदर्शी है, सरकारी क्षेत्र सहित उद्यमों के कार्य-निष्पादन तथा संभावनाओं के संबंध में वास्तविक निवेश निर्णय का मार्ग-दर्शन निवेशकों के दृष्टिकोण द्वारा किया जाता है। सरकार ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है।

कोयला हैंडलिंग संयंत्र

1141. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि॰ की विभिन्न सहायक कंपनियों द्वारा कोयला हैंडलिंग संयंत्रों पर कुल कितना व्यय किया गया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा कोयले के हैंडलिंग संयंत्रों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1993-94 से 1995-96 की अवधि के दौरान कोल इंडिया लि॰ (को॰इं॰लि॰) की प्रत्येक सहायक कंपनी द्वारा

कोयला रख-रखाव संयंत्रों पर किए गए कुल व्यय की राशि नीचे दर्शायी गई है :—

	(करोड़ रु॰ में)
ई॰को॰लि॰	44.99
भा॰को॰को॰लि॰	23.90
से॰को॰लि॰	8.77
ना॰को॰लि॰	0.49
वे॰को॰लि॰	13.27
सा॰ई॰को॰लि॰	18.51
म॰को॰लि॰	10.98
को॰इं॰लि॰	120.91

(ख) और (ग) कोयला रख-रखाव संयंत्र के कार्य-निष्पादन की को॰इं॰लि॰ तथा कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। कोयला रख-रखाव संयंत्रों के कार्य-निष्पादन के गहन प्रबोधन के परिणामस्वरूप, वर्ष 1995-96 के अंत में को॰इं॰लि॰ में परिचालित कोयला रख-रखाव संयंत्र (वाशरियों सहित) की स्थापित क्षमता 232.51 मि॰टन प्रतिवर्ष थी, जो को॰इं॰लि॰ के उत्पादन के लगभग कुल उत्पादन स्तर का रख-रखाव किए जाने के लिए पर्याप्त है। 1996-97 के दौरान (दिसम्बर, 1996 तक) 8.24 मि॰ट॰ प्रतिवर्ष की और अतिरिक्त क्षमता जोड़ दी गई है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कम्पनी अधिनियम, 1956 के कार्यक्षेत्र से हटाना

1142. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कम्पनी अधिनियम, 1956 से "सरकारी कंपनी" की अवधारणा हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कदम से सरकारी क्षेत्र के उपक्रम प्रभावित होंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम गैर सरकारी क्षेत्र को न सौंपें जायें, क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

निर्यातोन्मुख इकाइयों द्वारा विद्युत का उपयोग करने से विद्युत क्षेत्र को राजस्व की हानि

1143. **डा॰ एम॰ जगन्नाथ :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने निर्यातोन्मुख इकाइयों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया है या निर्यात उद्देश्यों के लिए वस्तुओं का उत्पादन करने हेतु रियायती दर पर विद्युत उपलब्ध कराने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन इकाइयों ने विद्युत क्षेत्र को हुई राजस्व की हानि को उचित ठहराने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में निर्यात किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) निर्यात-आयात नीति के उपबंधों के अनुसार निर्यात-अभिमुख इकाइयों को कर-रियायतें प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने भी निर्यात प्रयाजनों के लिए निर्धारित किए गए निर्यात अभिमुख फेरेरो एलौय इकाईयों या फर्नेसिज वाली इकाइयों को एनटीपीसी के टैरिफ तथा लाने-ले जाने के प्रभारों (व्हीलिंग चार्ज) पर बिजली की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है।

(ग) से (ङ) निर्यात-अभिमुख इकाइयों का निर्यात-निष्पादन कुल मिलाकर संतोषजनक रहा है। एनटीपीसी की रियायती बिजली की आपूर्ति केवल उन निर्यात-अभिमुख फैरेरो एलौय इकाइयों या फर्नेसिज वाली इकाइयों को की जा रही है जो पूरी तरह निर्यात के लिए अभिनिर्धारित है, जहां बिजली का बिल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनको प्रतियोगी बनने के लिए, उनकी उत्पादन लागत के 35 प्रतिशत या इससे अधिक होता है। यह व्यवस्था छमाही समीक्षा के आधार पर होती है। इकाइयों को जुलाई से दिसंबर, 1996 की अवधि के दौरान अपने उत्पादन तथा निर्यात की विस्तृत जानकारी, दस्तावेजी साक्ष्य के साथ, प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों का उत्पादन

1144. **प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने गैर-शीरा पदार्थों से अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों के उत्पादन को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की घोषित नीति के विरूद्ध बाद में इन इकाईयों को सस्ते शीरा के अल्कोहल को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, हां। अल्कोहलिक उत्पादों के विनिर्माण की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि पेय मध के विनिर्माण हेतु किसी नयी क्षमता की अनुमति नहीं होगी। और यह भी कि संयुक्त उद्यम कम्पनी की लाइसेंस प्राप्त क्षमता भारतीय सहभागी की लाइसेंस प्राप्त क्षमता तक ही सीमित होगी अर्थात् प्रस्तावित संयुक्त उद्यम प्रस्तावित उत्पादों के विनिर्माण के लिए भारतीय सहभागी (यों) के विद्यमान वैद्य लाइसेंस का प्रयोग कर सकेगा।

(ख) ऐसे प्रस्तावों के ब्यौरे अर्थात् विदेशी सहयोगी का नाम तथा देश अन्तर्ग्रस्त इक्विटी निवेश, विनिर्माण/कार्यकलाप की मद भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा मासिक न्यूजलेटर के पूरक के रूप में प्रकाशित की जाती हैं और इनकी प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को प्रदान की जाती हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने उपर्युक्त शर्तों के साथ अल्कोहलिक उत्पादों के विनिर्माण हेतु शीरे का प्रयोग करने वाले 4 प्रस्तावों को अब तक मंजूरी दी है।

हेरोइन की तस्करी

1145. **श्री चुन चुन प्रसाद यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र में कतिपय उन मार्गों की जानकारी है जिनसे होकर 'गोल्डन ट्राएंगल' से देश में हेरोइन की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मार्गों से तस्करी करके माह-वार देश में लाई गई हेरोइन का अनुमानित मूल्य कितना होता है; और

(घ) सरकार ने देश में हेरोइन की तस्करी के इन मार्गों को बंद करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) यद्यपि, दक्षिण पूर्व एशिया में गैर कानूनी स्वापक औषधों के पैदावार क्षेत्रों की सन्निकटता के कारण, जिसे आमतौर पर गोल्डन ट्राएंगल तथा कठिन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, सभी उत्तर पूर्वी राज्य स्वापक औषधों के अवैध व्यापार के लिए संवेदनशील है, कुछ मार्गों को अति सुस्पष्ट माना गया है। ये मार्ग संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) स्वापक औषधों का सही मूल्यांकन, जो प्रायः अनिर्धारित क्षमता और मिश्रण के होते हैं, संभव नहीं है। अतः इन मार्गों से देश में हेरोइन की तस्करी का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता।

(घ) भारत सरकार ने उत्तर पूर्वी मार्गों पर हेरोइन की तस्करी को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

1. सभी प्रवर्तन एजेंसियों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरतें।
2. अधिकारियों को उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वाहन तथा संचार उपस्कर प्रदान करा दिए गए हैं।
3. सीमा पर स्वापक औषधों के प्रत्याख्यान के लिए एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ एक्ट के अंतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी प्रवर्तन एजेंसियों के अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल को शक्तियां प्रदान की गई हैं।
4. मुखबिरों तथा प्रवर्तन अधिकारियों के लिए पुरस्कार योजना का कार्यान्वयन उत्साहपूर्वक किया जाता है।
5. नई दिल्ली में महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की अध्यक्षता में तिमाही समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं जिसमें उच्च स्तर पर स्वापक औषधों के विरूद्ध लड़ रही सभी प्रवर्तन एजेंसियां भाग लेती हैं।
6. भारत सरकार तथा म्यांमार संघ सरकार, स्वापक औषधों की मांग में कमी तथा अवैध व्यापार के निवारण के लिए एक व्यापक द्विपक्षीय समझौते में शामिल हुए हैं।
7. भारत सरकार ने म्यांमार को स्वापक औषधों की पहचान के लिए दो स्वापक औषध सूंघने वाले कुत्ते तथा प्रशिक्षित कुत्तों के संचालक प्रदान किए हैं।

विवरण

1. तामु-मोरेह इम्फाल
2. मंडाले-टिडीय-बेहींग-सिंहघाट-चुरेचांदपुर-इंफाल
3. मंडाले-टिडीय-चम्फाई-अजवाल-सिलचर-गुवाहटी- कलकत्ता
4. लाएसी-मेल्लूरी (नागालैंड)-जेसामी-कोहिमा
5. सिंगकालिंग हकामती/होमालिन/तामान्थी-नोकलाक-तूनसंग-मोकोकुचंग-दीमापुर
6. कालेमायो-चम्फाई-आनवाल
7. पालेटवा-अलीकादाम (बंग्लादेश)-कोक्स का बाजार/चीतागोंग
8. पामसात (म्यांमार)-तुसोम क्रिस्चयन-तुसूमसूलेन-खारासोम-उखरूल/जेसामी-कोहिमा-तूनसंग-माकोकचींग-जोरहट
9. कुलतूक (म्यांमार)-चासाद-कामजोंग-जेसामी-दीमापुर-वाया कोहिमा
10. कुलतूक (म्यांमार)-चासाद-कामजोंग-इंफाल-सिलचर/दीमापुर
11. कालेमायो (म्यांमार)-मोलचेम-जोमूपी-चाकपिकारोंग-सेनगनू-काकचींग-इम्फाल
12. कालेमयो-जंगदुंग-साजीकराम्पक-सिंगव-चाकपिकारोंग-सेनगना-इम्फाल-चुरूचांदपुर

निर्यातोन्मुख इकाइयों द्वारा निर्यात लक्ष्य को पूरा न किया जाना

1146. श्री हरिन पाठक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995 और 1996 के दौरान सरकार द्वारा देश में निर्यातोन्मुख इकाइयों के लिए निर्धारित किया गया निर्यात का लक्ष्य क्या था तथा विदेशी मुद्रा में उसका मूल्य कितना था;

(ख) इन इकाइयों द्वारा उपर्युक्त अवधि में किए गए निर्यात का प्रतिशत क्या है और उसका विदेशी मुद्रा में मूल्य कितना है;

(ग) निर्यात लक्ष्य प्राप्त न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(घ) निर्यात लक्ष्य प्राप्त न किए जाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) सरकार द्वारा निर्यात-अभिमुख एककों के लिए कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, पिछले दो वर्षों के दौरान इन इकाइयों द्वारा किए गए निर्यातों का कुल मूल्य निम्नानुसार है :—

वर्ष	करोड़ रु॰ में	यू॰एस॰ डालर मिलियन में
1994-95	4709.59	1499.96
1995-96	6992.46(अ)	2090.60

(अ) —अनंतिम।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड

1147. श्री परस राम मेघवाल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड रूग्ण हो गया है; और

(ख) सरकार द्वारा इस कम्पनी को पुनः चालू करने और इसके कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, हां।

(ख) कम्पनी के पुनरूद्धार पर सरकार तथा बी॰आई॰एफ॰आर॰ द्वारा विचार किया जा रहा है। पुनरूद्धार योजना को अंतिम रूप दिए जाने तक, सरकार कंपनी को बजटीय सहायता दे रही है।

सरदार सरोवर परियोजना हेतु विश्व बैंक ऋण

1148. श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तमदास पटेल :
श्री सनत मेहता :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना के "रिवर बेड पावर हाउस" में प्रयोग की जाने वाली कुछ प्रतिवर्ती यूनिटों की खरीद के लिए विश्व बैंक को धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक यूनिटों की खरीद के लिए धनराशि उपलब्ध कराने पर सहमत नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन यूनिटों की खरीद के लिए विश्व की अन्य एजेंसियों से ऋण प्राप्त करने हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरदार सरोवर परियोजना के नदी तल विद्युत गृह के लिए टर्बो जेनरेटिंग सेटों की खरीद पर हुए आरंभिक व्यय की पूर्ति 2.85 बिलियन के ओईसीएफ (जापान) ऋण को उपयोग में लाकर की गई थी। समझौता यह था कि ओईसीएफ सहायता उन टीजी सेटों की अधिप्राप्ति और संस्थापन पर होने वाली सम्पूर्ण लागत को कवर करने के लिए उपलब्ध होगी जिसकी संविदा अगस्त, 1987 में 24.64 बिलियन येन और 35.5 करोड़ रुपए की राशि के लिए जापान के मैसर्स सुमिटोमों कारपोरेशन लि॰ के साथ निष्पन्न हुए थे। तथापि, दि॰ 25.11.90 को ओईसीएफ ऋण की पहली किस्त के बंद होने के पश्चात आगे दिए जाने वाले ओईसीएफ ऋणों पर जापान सरकार द्वारा सहमति नहीं दी गयी।

सूचना देने वाले को पुरस्कार

1149. श्री पी॰ एस॰ गढ़वी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तस्करी के सामान के बारे में जानकारी देने वाले लोगों को पुरस्कार देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में तस्करी के सामान के संबंध में सूचना देने वाले लोगों को ऐसी पुरस्कार राशि के भुगतान के कितने मामले लंबित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) तस्करी के माल के बारे में सुराग देने वाले मुखबिर अभिगृहीत माल के मूल्य की 20 प्रतिशत राशि तक पुरस्कार पाने के हकदार होते हैं। सोने, चांदी और स्वापकों के मामले में अभिगृहीत

माल के वजन और उनकी शुद्धता के अनुसार पुरस्कार की राशि की मात्रानुसार दरें निर्धारित की गई हैं जो इस प्रकार हैं :—

(क) सोना	500 रु॰ प्रति 10 ग्राम
(ख) चांदी	1000 रु॰ प्रति किलो ग्राम
(ग) अफीम	220 रु॰ प्रति किलो ग्राम
(घ) मार्फिन	8000 रु॰ प्रति किलो ग्राम
(ङ) हेरोइन	20,000 रु॰ प्रति किलो ग्राम
(च) कोकीन	40,000 रु॰ प्रति किलो ग्राम
(छ) हशीश	400 रु॰ प्रति किलो ग्राम
(ज) गांजा	80 रु॰ प्रति किलो ग्राम

31.12.96 की स्थिति के अनुसार उन मुखबिरों को पुरस्कार अदा करने के आठ मामले अनिर्णित पड़े हैं जिन्होंने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में तस्करी के माल के बारे में सूचना दी थी। इन आठ मामलों में से सात मामलों में पुरस्कार की अग्रिम राशि का भुगतान कर दिया गया है।

नोट प्रिंटिंग प्रैस सालबोनी

1150. **श्री अजय मुखोपाध्याय :**

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सालबोनी स्थित नोट प्रिंटिंग प्रैस ने उत्पादन कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रैस में केवल 10 रुपए के नोट छापने का निर्णय लिया है;

(घ) क्या यह प्रैस अन्य मूल्य वर्ग के नोट छापने में भी सक्षम है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रैस में सभी मूल्य वर्ग के नोट छापने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) सालबोनी मुद्रणालय (फेज I) ने 11.12.96 से उत्पादन आरंभ कर दिया है और अभी तक इसने 10 रुपए मूल्यवर्ग के 30 मिलियन नोटों का उत्पादन तथा उनकी आपूर्ति की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, हां।

(ङ) मुद्रणालय के फेज II के लिए भवन तैयार हो रहा है। सभी मूल्यवर्गों के मुद्रण हेतु मशीनरी के लिए पहले ही आदेश दे दिए गए हैं।

दीर्घावधिक बांडों की खरीद हेतु एशियाई विकास बैंक का ऋण

1151. **श्री विजय पटेल :**

श्री सनत मेहता :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने देश में निजी क्षेत्र के संरचना कोष से दीर्घावधिक बांडों की खरीद हेतु लगभग 300 मिलियन डालर देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को एशियाई विकास बैंक से ऐसी कोई पेशकश प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बांडों के जरिये देश में राज्यवार किस क्षेत्र में प्रस्तावित राशि को निवेश किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) एशियाई विकास बैंक ने निजी क्षेत्र आधारभूत सुविधा परियोजना हेतु 7 नवम्बर, 1990 को विद्युत, दूरसंचार, सड़कों और पत्तनों जैसे चार उप-क्षेत्रों में निजी क्षेत्र द्वारा प्रायोजित आधारभूत परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने के लिए, भारतीय औद्योगिक निवेश निगम लि॰ (150 मिलियन डालर), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि॰ (100 मिलियन डालर) और भारतीय जहाजरानी ऋण और निवेश निगम लि॰ (एससीआईसीआई लि॰) (50 मिलियन डालर), नामक तीन सहभागी वित्तीय संस्थानों को कुल 300 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की स्वीकृति प्रदान की है।

निजी क्षेत्र आधारभूत सुविधा का उपयोग केवल आधारभूत उप-परियोजनाओं द्वारा जारी किए गए प्रत्याभूत ऋण के लिए ऋण पत्रों अथवा दीर्घावधिक ऋण प्रतिभूतियों का वित्त पोषण के लिए किया जा सकता है। ऋण करारों में कोई विशेष राज्य-वार आबंटन नहीं दिया गया है। एशियाई विकास बैंक ऋण की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष की छूट सहित 20 वर्ष की है।

वाणिज्य सचिव स्तर की भारत-रूस संयुक्त कार्य-दल की मास्को में बैठक

1152. **श्री आर॰ साम्बासिवा राव :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस भारत के प्रधानमंत्री के मास्को दौरे के पूर्व व्यापार संवर्धन के "पैकेज उपायों" पर सहमत हो गए हैं;

(ख) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार से संबंधित सभी मुद्दों पर पूरी तरह से विचार किया गया है तथा सहमति हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हाल के भारत-रूस संयुक्त कार्य दल की मास्को में हुई वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक के दौरान किसी योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भारत ने उच्च प्रौद्योगिकी वाले उत्पादों के निर्यात पर सहमति दे दी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं तथा इससे भारत किस हद तक लाभान्वित होगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ङ) भारतीय पक्ष से वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में 23-27 जनवरी, 1997 को व्यापार तथा आर्थिक सहयोग संबंधी भारत-रूस कार्यदल की तीसरी बैठक में द्विपक्षीय व्यापार का संवर्धन करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपाय/लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं :-

1. दोनों देशों के बीच व्यापार की गई वस्तुओं का विस्तार करना;
2. रूस में भारतीय वस्तुओं की त्वरित तथा नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऋण पुनर्भुगतान व्यवस्था के तहत रूस को खेप निर्यातों के लिए योजना तैयार करना;
3. समय-समय पर अनुभवी रूसी संगठनों को रुपया निधियों का आबंटन;
4. दोनों देशों की बीमा एजेंसियों के बीच सहयोग;
5. व्यापार तथा आर्थिक सहयोग संबंधी कार्यदल के तत्वावधान में वित्तीय तथा बैंकिंग मामलों से संबंधित उप-समूह की स्थापना करने हेतु सिफारिश करना; और
6. दोनों देशों में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना करने को सुकर बनाने में सहयोग देना।

इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के बीच संयुक्त नौवहन सेवाओं के परिचालन के लिए एक करार को अंतिम रूप दिया गया था। तदंनुसार, 11.2.97 को "नोवोशिप" तथा शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

(च) और (छ) सामान्य रूप से द्विपक्षीय व्यापार तथा विशेष रूप में उच्च-तकनीक मदों में वृद्धि करने के लिए 1 जनवरी, 1997 के ऋण पुनर्भुगतान निधियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने भारत से रूस को कुछेक उच्च-तकनीक मदों के निर्यात पर मूल्यवर्द्धन मानदंडों को 100 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत तक कर दिया है।

मसाला बोर्ड द्वारा आंध्र प्रदेश में केन्द्र की स्थापना

1153. श्रीमती शारदा टाडीपारथी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसाला बोर्ड का विचार आंध्र प्रदेश में मसालों के विकास के लिए केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मिर्च के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को रोकने हेतु किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) मसाला बोर्ड का हैदराबाद में एक क्षेत्रीय कार्यालय है जिसके अध्यक्ष उप-निदेशक स्तर के अधिकारी हैं। यह कार्यालय आंध्र प्रदेश के बागवानी विभाग के निकट सहयोग से आंध्र प्रदेश में मसालों की गुणवत्ता में सुधार, कटाई के बाद के क्रियाकलापों में सुधार तथा मसालों के विकास से संबंधित कार्य कर रहा है।

(ग) मिर्च के निर्यातों को बढ़ाने के लिए कीटनाशकों के अधिक उपयोग को रोकने के लिए किए गए/किए जाने वाले कुछेक उपाय निम्नानुसार हैं :-

1. मिर्च में कीटनाशक अवशिष्ट को कम करने के लिए रीजनल एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशन (आर॰ए॰आर॰एस॰), "लैम, गुंटूर" के सहयोग से समेकित कीट प्रबंध कार्यक्रम की शुरूआत।
2. मिर्च के उपजकर्ताओं के बीच गुणवत्ता प्रबंध तथा कीटनाशकों के जरूरत-आधारित प्रयोग पर बल देकर मिर्च के कटाई-पश्चात् बेहतर रख-रखाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गुंटूर, खम्माम, वारांगल, करीमनगर तथा प्रकासम जिलों में कार्यक्रम चलाना।
3. मिर्च में अफलाटोक्सिन्स के कारण होने वाले फफूंदी की समस्या से बचने के लिए मिर्च के उपजकर्त्ताओं को रियायती दर पर एचडीपीई शीटों की आपूर्ति करना।

निर्यात में वृद्धि और निर्यातकों को बैंक ऋण

1154. श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी और सातवीं योजनावधि के दौरान निर्यात और आयात वृद्धि तथा भुगतान संतुलन का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं योजनावधि के दौरान 31 दिसम्बर, 1996 तक उपर्युक्त भाग (क) को मद्देनजर रखते हुए स्थिति क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान आर्थिक उदारीकरण नीति ओर समय-समय पर रुपए के अवमूल्यन से डालर की दृष्टि से भारत की भुगतान संतुलन स्थिति स्थिर होने में मदद मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निर्यातकों को बैंकों द्वारा ऋण पर प्रतिबंध लगाने, उदार अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतिस्पर्धा होने तथा कुछ और समस्याओं की वजह से व्यापार के क्षेत्र को बढ़ाने में किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस चुनौती का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) डी॰जी॰सी॰आई॰ एण्ड एस॰ के आंकड़ों के अनुसार, छठी योजना (1980-85), सातवीं योजना (1985-90) और 8वीं योजना (1992 से अप्रैल-दिसंबर, 1996) के दौरान यू॰एस॰ डालर के रूप में निर्यात और आयात की औसत वार्षिक वृद्धि दर निम्नानुसार है :—

वृद्धि-दर (प्रतिशत में)

योजनाएं	निर्यात	आयात
छठी योजना	4.7	6.5
सातवीं योजना	11.6	8.2
आठवीं योजना (दिसम्बर, 1996 तक)	13.9	14.9

आर॰बी॰आई॰ के आंकड़ों के अनुसार, जी॰डी॰पी॰ के प्रतिशत के रूप में चालू खाते के घाटे का औसत स्तर छठी योजना के लिए 1.3 प्रतिशत सातवीं योजना के लिए 2.2 प्रतिशत और आठवीं योजना के लिए 1.3 प्रतिशत रखा गया है।

(ग) और (घ) व्यापार उदारीकरण एवं मुद्रा विनिमय दरों सहित आर्थिक उदारीकरण की नीतियों से भुगतान संतुलन की स्थिति को सुदृढ़ करने के साथ-साथ भारत के निर्यात आधार को सुदृढ़ करने एवं विदेश में निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता बनाए रखने में सहायता मिली है।

(ङ) और (च) पर्याप्त निर्यात ऋण जरूरत के प्रत्युत्तर में पोतलदान के पूर्व एवं बाद के चरणों "लावर" से जुड़ी ब्याज दरों पर रुपए और विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण प्रदान करने के लिए प्रयास किए गए हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्यात क्षेत्र को सकल बैंक ऋण का न्यूनतम 12 प्रतिशत ऋण देना अपेक्षित है। निर्यात क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण की निगरानी आर॰बी॰आई॰ द्वारा की जा रही है। सरकार निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी दरों पर विदेशी मुद्रा एवं रुपए दोनों रूप में ऋण की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आर॰बी॰आई॰ के साथ निरंतर संपर्क कर रही है।

निर्यात संबंधी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना

1155. डा॰ जी॰ आर॰ सरोदे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कोई प्रोत्साहन देने संबंधी घोषणा करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) निर्यात के लिए किन-किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) सरकार निर्यात निष्पादन की ध्यानपूर्वक निगरानी कर रही है और निर्यात बढ़ाने के लिए समय-समय पर उपाय कर रही है। इस संदर्भ में, निर्यात और आयात नीति, 1992-97 ने अनेक निर्यात संवर्धन योजनाओं के प्रचालन के लिए एक स्थिर और गतिशील नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराया है, जिनका उद्देश्य उद्योग, कृषि और सेवा-क्षेत्रों की उत्पादकता, आधुनिकीकरण और सतत् वृद्धि करने के लिए प्रतियोगी कीमतों पर उत्पादन निविष्टियों की आसानी से पहुंच को सुकर बनाना है ताकि निर्यातों में और वृद्धि की जा सके।

नई दीर्घ अवधि एक्जिम नीति, 1997-2002 जो 1 अप्रैल, 1997 से प्रभावी होगी, 1992-97 की एक्जिम नीति के जरिए सम्भव हो सकी, उपलब्धियों को समेकित करेगी।

(ग) निर्यात-आयात नीति का थ्रस्ट सभी क्षेत्रों से निर्यात का संवर्धन करने पर है। यद्यपि, ऐसे क्षेत्रों, जो उच्च निबल विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले हैं, को अतिरिक्त महत्व दिया जाएगा।

अग्रिम लाइसेंस जारी करने में भ्रष्टाचार

1156. श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 दिसम्बर, 1996 के "दी हिन्दुस्तान टाइम्स" में "करप्शन एलिज्ड इन एडवांस लाइसेंस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने संबंधी आवेदनों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) निर्यातकों को लाइसेंस जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा विदेश व्यापार महानिदेशालय में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु तथा सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा में निर्यातकों को अग्रिम लाइसेंस जारी करने संबंधी मामलों को जल्द से जल्द निपटाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां। इस समाचार के आधार पर डीजीएफटी ने फिओ से स्पष्टीकरण मांगा था और फिओ ने 10.1.97 को स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने एक नमूना अध्ययन के आधार पर क्रिया-विधि सरलीकरण के बारे में अध्ययन कराया था। उन्होंने समाचार में दी गयी खबर के अनुसार ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला था।

(ख) और (ग) क्रियाविधियों का सरलीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और क्रियाविधि संबंधी मामलों की निरन्तर समीक्षा की जाती है। नई एक्जिम नीति में, जो 1 अप्रैल, 97 से लागू होगी, अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के तहत क्रियाविधि को युक्तिसंगत बनाने के पहलू पर अतिरिक्त ध्यान दिया जा रहा है।

(घ) आम तौर पर, अग्रिम लाइसेंस समय पर जारी किए जाते हैं। तकनीकी प्राधिकारियों की विशेषज्ञ राय की कमी और आवेदन-पत्र भरने में पायी गयी कमी की वजह से कुछ मामलों में देरी हो ही जाती है।

(ङ) आम तौर पर विलम्ब के विशिष्ट मामलों को खुले सदन में लाया जाता है और उनका मौके पर निराकरण किया जाता है। इसके अलावा, मुख्यालय में डीजीएफटी के नेतृत्व में तथा चार क्षेत्रों में उनके अध्यक्षों के नेतृत्व में ऐसे मामलों को निपटाने के लिए शिकायत निवारण समितियां हैं। निर्यात को सुकर बनाने के लिए विभिन्न कार्यालयों में सहायता प्रकोष्ठ काउन्टर कार्य कर रहे हैं।

बुनियादी ढांचा विकास वित्त कंपनी

1157. **श्री तारीक अनवर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित बुनियादी ढांचा विकास वित्त कंपनी में अपनी इक्विटी विभिन्न संस्थागत निवेशकों द्वारा बहुत अधिक मात्रा में धनराशि निवेश करने के कारण कम कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बुनियादी ढांचा विकास वित्त कंपनी एक गैर सरकारी कंपनी स्थापित करेगी जिसमें एक स्वतंत्र निदेशक मंडल होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) वर्ष 1996-97 के लिए बजट भाषण में की गई घोषणा की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में 5,000 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी वाली एक आधारभूत संरचना विकास वित्त कंपनी (आई डी एफ सी) को दिनांक 30.1.1997 को एक गैर सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया है। आई डी एफ सी को केन्द्रीय सरकार के अंशदान के रूप में चालू वित्तीय वर्ष में किए गए 500 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान में से 200 करोड़ रुपए इक्विटी अंशदान के रूप में होगा और 300 करोड़ रुपए, कंपनी के अनुमोदित स्वामित्व पैटर्न को ध्यान में रखते हुए दीर्घावधिक गौण ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

खाड़ी देशों को नकली बासमती चावल का निर्यात

1158. **डा॰ कृपासिंधु भोई :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जनवरी, 1997 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "विद टू कर्ब सेल ऑफ फेक बासमती इन गल्फ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को चावल निर्यातकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) सऊदी अरब सहित अनेक देशों द्वारा अपनाई जा रही ऐसी परंपरा को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ने अपने प्रत्यावेदन में आरोप लगाया है कि मध्य-पूर्व में कुछ बेईमान व्यापारी अन्य स्थानों से लाकर भारतीय गनी बैगों में कम कीमत और घटिया किस्म का चावल बेच रहे हैं ताकि अधिक कीमत वाला भारतीय बासमती चावल बाजार में न टिक पाए। दिनांक 1.1.1997 की सार्वजनिक अधिसूचना सं॰ 390 (पीएन)/92-97 जारी की गई है जिसके द्वारा ऐसे खाली प्रिंटिड गनी बैगों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिन पर भारतीय बासमती चावल के उत्पाद होने के चिन्ह का संकेत हो।

[हिन्दी]

प्रशिक्षण केन्द्र

1159. **श्री डी॰ पी॰ यादव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत देश में इस समय राज्य-वार प्रशिक्षण केन्द्र का ब्यौरा क्या है और इन प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों को राज्य-वार किस प्रकार की सहायता दी जाती है;

(ख) क्या सरकार का निकट भविष्य में ऐसे केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

कोयला-भंडार

1160. **श्री शिवराज सिंह :**

श्री एस॰डी॰एन॰आर॰ वाडियार :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण ने देश में नये कोयला भंडारों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान किन-किन राज्यों में सर्वेक्षण किया गया; और

(ग) इन राज्यों में स्थित कोयला भंडारों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 1996-97 के दौरान अभी तक भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा 1889.31 मिलियन टन नये कोयले के भंडार का पता लगाया गया है। इस संबंध में राज्य-वार नये कोयले के भंडारों की अवस्थिति का ब्यौरा

नीचे दिया गया है :—

राज्य	भंडार (मि॰ टन में)
आंध्र प्रदेश	36.73
मध्य प्रदेश	250.81
उड़ीसा	1168.17
पश्चिम बंगाल	433.60

कपड़ा मिलों में दुर्घटनाएं

1161. श्री निहाल चन्द चौहान : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश की कपड़ा मिलों में हुई दुर्घटनाओं की संख्या क्या है;

(ख) यदि हां, तो ये दुर्घटनाएं कब और कहां हुई;

(ग) क्या इन दुर्घटनाओं में मारे गए कार्मिकों के परिवारों को पूरी मुआवजा राशि दी गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह राशि कब तक दिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰एल॰ जालप्पा) : (क) से (घ) देश में वस्त्र मिलों को वस्त्र मिलों में होने वाली दुर्घटनाओं/विपत्तियों की रिपोर्ट करना अपेक्षित नहीं होता। इस प्रकार वस्त्र मंत्रालय, हुई दुर्घटनाओं की संख्या तथा अन्य संबंधित ब्यौरों की सूचना नहीं रखता।

[अनुवाद]

भ्रष्टाचार के मामलों के लिए स्थायी पैनल

1162. श्री प्रमोद महाजन : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जनवरी, 1997 को नई दिल्ली से प्रकाशित "आब्जर्वर ऑफ बिजनेश एण्ड पॉलिटिक्स" में "सी॰बी॰आई॰ सीक्स पर्मानेंट पैनल फार इन्क्रीजिंग नम्बर ऑफ करप्शन केसेज" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक न्यायालय में लम्बित पड़े भ्रष्टाचार के मामलों की वर्तमान संख्या क्या है;

(ग) ये मामले कब से लम्बित हैं;

(घ) इन मामलों को शीघ्र निपटाए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) सरकार द्वारा सी॰बी॰आई॰ के मामलों को निपटाने के लिए नए न्यायालय कब तक स्थापित किए जाने का विचार है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आयकर मुक्त बांड

1163. डा॰ मुरली मनोहर जोशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत अथवा शासित आयकर से मुक्त बांडों/जमाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पर प्रत्येक वर्ष कितनी राशि के ब्याज तथा लाभांश का भुगतान किया गया है; और

(ग) उक्त योजनाओं में से प्रत्येक में कुल कितनी धनराशि जमा की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) उन बांडों/जमाओं/योजनाओं, जिनके अन्तर्गत आर्जित ब्याज आयकर से मुक्त होता है, का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपए)

	वार्षिक ब्याज दर	1995-96 के अंत में कुल बकाया
	1	2
1. राहत बांड	9 प्रतिशत-10 प्रतिशत (वर्तमान में 10 प्रतिशत राहत, 1995 बांड अभिदान के लिए खुले हैं)	2135.00
2. गैर सरकारी भविष्य/अधिवार्षिता/उपादान निधि के लिए विशेष जमा योजना, 1975	12 प्रतिशत	68944.00
3. सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, 1968	12 प्रतिशत	11825.00

		1	2
4.	सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना, 1989 तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजना, 1991	10 प्रतिशत	102.17
5.	डाकघर बचत खाता	5.5 प्रतिशत	19756.00
6.	राज्य भविष्य निधि	12 प्रतिशत	17707.00

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

1164. **श्री के॰डी॰ सुल्तानपुरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में गत एक वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पदों को भरा गया तथा कितने पद अभी भी रिक्त हैं; और

(ख) अभी भी रिक्त पड़े ऐसे पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और एकत्र होने पर सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

[अनुवाद]

"इलेक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज"

1165. **श्री गोरधन भाई जावीया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और "इलेक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज" (ईडीआई) स्थापित करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो लाभान्वित होने वाले पत्तनों और हवाई अड्डों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) सरकार ने "निकनेट" राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेंटर) के उपग्रह आधारित कम्प्यूटर संचार नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली कस्टम हाउस में इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज (ई॰डी॰आई॰) को कार्यान्वित किया है। वर्ष 1997-98 के दौरान देश भर के सभी कस्टम हाउसों में इलैक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेंज खोलने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

कटिहार जूट मिल

1166. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटिहार स्थित पुरानी पटसन मिल लम्बे अरसे से बंद पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपर्युक्त पटसन मिल को पुनः चालू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰एल॰ जालप्पा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार के समक्ष कटिहार स्थित बंद मिलों का पुनरूद्धार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

जर्मनी के साथ व्यापार संबंध

1167. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जर्मनी के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन द्विपक्षीय संबंधों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने जर्मनी संघीय गणराज्य की सरकार के साथ 19.3.1952 और 31.3.1955 में दो द्विपक्षीय व्यापार करार किए

थे। इन करारों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों का संवर्धन तथा उद्योग, पत्तन, शिपिंग इत्यादि जैसे अन्य क्षेत्रों में सहयोग करना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

हम्पी, कर्नाटक के समेकित विकास हेतु विदेशी सहायता

1168. श्री के॰सी॰ कोंडय्या : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हम्पी के समेकित विकास हेतु 3962.31 मिलियन रुपए की विदेशी सहायता प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बीमा कारोबार का निजीकरण

1169. डा॰ वाई॰एस॰ राजशेखर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीमा कारोबार के निजीकरण के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में योजना तैयार करने और तौर-तरीके तथा मार्ग निर्देश निर्धारित करने के लिए बीमा विनियम प्राधिकरण की स्थापना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) बीमा क्षेत्र के संबंध में वर्तमान सरकार की नीति न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दी गई है जिसमें कहा गया है कि :

> "हमने बैंकिंग क्षेत्र की कार्य प्रणाली से पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया हैं। उक्त अनुभव को बीमा उद्योग की पुनर्संरचना के लिए उपयोग में लाया जाएगा लेकिन इसके साथ ही जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम आदि जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को भी सुदृढ़ बनाया जाएगा।"

(ग) और (घ) सरकार ने, दिनांक 23.1.96 को संकल्प द्वारा एक बीमा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की है जो अन्य बातों के साथ-साथ, बीमा बाजार के संवर्धन तथा उसमें सुव्यवस्थित विकास से संबंधित सभी मामलों को निपटाने; और बीमा उद्योग के निजीकरण की पूर्णतः अथवा आंशिक सम्भावना को ध्यान में रखते हुए, इस प्रयोजनार्थ एक व्यापक विधान तैयार करने तथा ऐसी भूमिका और शक्तियों, के संबंध में जिन्हें बीमा विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऐसे परिदृश्य में उपयोग किए जाने की आवश्यकता होगी, उपयुक्त सिफारिशें करेगा।

साधारण बीमा निगम के क्षेत्रीय प्रमुखों का सम्मेलन

1170. श्री सौम्य रंजन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा निगम ने हाल ही में बंगलौर में अपनी चार सहायक कम्पनियों के क्षेत्रीय प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कम्पनियों के कार्यकरण के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) 30 जनवरी से 2 फरवरी, 1997 तक बंगलौर में संलग्न विवरण में विस्तृत रूप से दिए गए कतिपय आंतरिक प्रचालनात्मक मामलों पर विचार करने के लिए साधारण बीमा निगम की सहायक कम्पनियों के क्षेत्रीय अध्यक्षों का एक सम्मेलन हुआ। जिसका उद्देश्य साधारण बीमा उद्योग की वर्तमान संरचना को सुदृढ़ बनाना है। सम्मेलन में की गई सिफारिशों और रिपोर्ट पर साधारण बीमा निगम और इसकी चार अनुषंगी कम्पनियों के प्रबंध मंडल के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया गया जिन्होंने उपयुक्त अनुवर्ती कार्यवाही हेतु उन्हें नोट कर लिया।

विवरण

सम्मेलन में विचार-विमर्श किए गए आंतरिक प्रचालनात्मक मामले

(1) संगठनात्मक संरचना को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इसका पुनरीक्षण;

(2) मध्यस्थों-विकास अधिकारियों, एजेंटों और ब्रेकरों की पद्धति का पुनरीक्षण;

(3) विपणन नीति-खुदरा और निगमित ग्राहक;

(4) वाहन दावों का प्रबंध-स्वयं की हानि और तीसरा पक्ष;

(5) उद्योग में कम्प्यूटरीकरण; और

(6) शीघ्र निर्णय लेने की प्रक्रिया के संबंध में मानव शक्ति का प्रभावशाली उपयोग।

बालनगीर में हस्तशिल्प हेतु बाजार सेवा केन्द्र खोलने पर विचार

1171. **श्री शरत पटनायक** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा के बालनगीर में हस्तशिल्प हेतु बाजार सेवा केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰एल॰ जालप्पा) : (क) से (ग) जी नहीं। इस समय उड़ीसा में भुवनेश्वर तथा सम्बलपुर स्थित दो केन्द्रों सहित देश के विभिन्न भागों में 47 विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र कार्य कर रहे हैं। बालनगीर जिले के शिल्पकार सम्बलपुर में स्थित केन्द्र से विपणन सहायता व विस्तार सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं।

[हिन्दी]

पांचवां वेतन आयोग

1172. **डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने की स्थिति में इसे कितना वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा;

(ख) क्या केन्द्र को राज्य सरकारों के पास सीमित संसाधन उपलब्ध होने के कारण इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू किए जाने में प्रतिवर्ष 8800 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने की संभावना है। तथापि, यदि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़कर 60 वर्ष हो जाती है तो प्रतिवर्ष निवल वित्तीय भार 7300 करोड़ रुपए रह जाएगा।

(ख) और (ग) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों तथा सभी अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों पर लागू होती हैं।

एशियन विकास बैंक द्वारा गुजरात को ऋण

1173. **श्री जयसिंह चौहान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियन विकास बैंक ने गुजरात को 875 करोड़ रुपए की सहायता देने के बारे में स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त धनराशि को स्वीकृति करने के लिए क्या शर्त रखी गई है; और

(घ) इस धनराशि का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) गुजरात सार्वजनिक क्षेत्र संसाधन प्रबंध कार्यक्रम के लिए 18 दिसम्बर, 1996 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच 250 मिलियन अमरीकी डालर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आधारभूत क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए बाजारोन्मुख नीतियों को बढ़ावा देते समय घरेलू संसाधन जुटाने, सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता एवं आबंटन में सुधार करने और वाणिज्यिक गतिविधियों में गुजरात सरकार की भूमिका को कम करने में गुजरात सरकार की सहायता करता है। यह विदेशी सहायता साधारण पूंजी संसाधन मानक से सम्बद्ध निबंधन और शर्तों पर बैंक की साधारण पूंजी संसाधन से, 15 वर्ष की परिशोधन अवधि सहित जिसमें 3 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है, भारत सरकार को प्राप्त होगी। यह विदेशी सहायता भारत सरकार द्वारा नियत प्रक्रिया के अनुसार 70:30 के अनुपात में, ऋण और अनुदान के रूप में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में रुपयों में गुजरात सरकार को अन्तरित की जाएगी। ये समकक्ष निधियां (1) ऋण पुनर्निर्माण और श्रम यौक्तिकीकरण सहित एसओई सुधारों का संरचनात्मक समायोजना (2) कर सुधारों के परिणामस्वरूप अल्पकालिक राजस्व हानियां और (3) मुख्य आधारभूत क्षेत्रों में गुजरात आधारभूत विकास बोर्ड द्वारा प्रायोजित परियोजना विकास और संभाव्यता अध्ययन लागत का वित्तपोषण करेंगी।

[अनुवाद]

"सेल" के साथ समझौता

1174. **श्री जगमोहन** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत "सेल" को मध्य प्रदेश में तसरा कोयला खानों रक्षित उपयोग के लिए सौंपी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के मुख्य प्रावधान क्या हैं; और

(ग) किन-किन अन्य खनन ब्लॉकों का पता लगाया गया है और अन्य सरकारी तथा निजी क्षेत्र के एककों के साथ रक्षित खनन के लिए खनन सौदे किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) मैसर्स भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि॰ को ग्रहीत खनन हेतु अप्रैल, 1996 में बिहार में झरिया कोलफील्ड्स लि॰ के तसरा ब्लॉक का आवंटन किया गया था। आवंटन किए जाने हेतु कोल इंडिया लि॰ के साथ किसी तरह का करार किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) ग्रहीत उपयोग हेतु आवंटन के लिए 69 ब्लॉकों को विनिर्दिष्ट किया गया है। अभी तक कोयला मंत्रालय की जांच समिति द्वारा 20 सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की यूनिटों को 28 ब्लॉक/उप-ब्लॉक आबंटित किए गए हैं।

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

1175. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने तिपहिया स्कूटरों और दुपहिया स्कूटरों का निर्माण किया गया और उनकी कितनी बिक्री की गई;

(ख) संचार प्रणाली में सुधार के लिए देश के दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में इन वाहनों को पहुंचाने हेतु उपर्युक्त अवधि के दौरान कंपनी द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन वाहनों में ध्वनि और धुंए के प्रदूषण को कम करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ने असम, मेघालय, मणिपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में डीलर नियुक्त किए हैं। ग्रामीण बाजार की कंपनी द्वारा बल क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है।

(ग) और (घ) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ने ध्वनि एवम् उत्सर्जन स्तरों में कमी लाने के लिए ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया को एक परियोजना प्रायोजित की है जिस पर इस समय कार्य चल रहा है।

विवरण

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा पिछले तीन वर्षों में निर्माण तथा बिक्री किए गए तिपहिया स्कूटरों और दुपहिया स्कूटरों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

विवरण	1993-94		1994-95		1995-96		1996-97	
	निर्माण -	बिक्री	निर्माण -	बिक्री	निर्माण -	बिक्री	निर्माण -	बिक्री
							(अप्रैल से जनवरी)	
तिपहिया	4222	4356	7863	7276	11095	11509	12667	12635
दुपहिया	403	789	110	272	233	159	181	195
कारोबार (करोड़ रुपए में)	27.98		49.03		84.44		98.47	

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन

1176. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) की औद्योगिक विकास संबंधी विश्व रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत के संदर्भ में विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में बदलती हुई नीतियों के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) तकनीकी और निवेश सहयोग के क्षेत्रों में सार्वभौमिकीकरण प्रक्रिया से किस प्रकार लाभ हुआ है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ग) सरकार को औद्योगिक विकास पर यूनिडो की विश्व रिपोर्ट 1996 की एक प्रतिलिपि प्राप्त हो गई है जिसमें ऐसे अवसरों तथा चुनौतियों का विशेष उल्लेख है जो सर्वव्यापीकरण के कारण विकासशील देशों तथा परिवर्तनाधीन अर्थव्यवस्थाओं दोनों के सामने विशेषकर मानव संसाधन विकास प्रौद्योगिकी क्षमताओं, सतत औद्योगिक विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की दृष्टि से आती हैं।

यूनीडो तकनीकी तथा निवेश सहयोग के क्षेत्र में उत्प्रेरक की भूमिका अदा करता है। यह निवेश एवं प्रौद्योगिकी के देश में आने व बाहर जाने दोनों ही के पोषण को ध्यान में रखते हुए भारत में निवेश एवं प्रौद्योगिकी बाजार आयोजित करने के लिये तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है।

"इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन"

1177. **श्री मुखतार अनीस** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुनावों में मतदान के लिए "इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन" का उपयोग शुरू करने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) ऐसी कितनी मशीनों की खरीद की गयी है तथा इन पर कितना व्यय किया गया है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप) : (क) निर्वाचन आयोग ने मार्च, 1997 के लिए नियत बैठक के दौरान राजनैतिक दलों के साथ इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन के उपयोग करने के मुद्दे पर चर्चा करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) वर्ष 1989 में 1.5 लाख इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनें लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत पर खरीदी गई थीं।

[हिन्दी]

कोयला धोवन प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु ऋण

1178. डा॰ रमेश चन्द तोमर :

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ने कोयला धोवन प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए भारत को ऋण देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन संयंत्रों के नाम क्या हैं जिनके लिए इस प्रस्तावित ऋण के दिए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

आर्थिक सुधार

1179. श्री माधवराव सिन्धिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूचना पाने के अधिकार तथा आर्थिक सुधार और अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के क्रियान्वयन में खुलेपन तथा पारदर्शिता को प्रोत्साहन देने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यदल का गठन तथा इसके निर्देश पद क्या हैं तथा इस दल की जांच से परे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) सरकार ने सूचना के अधिकार और खुले व पारदर्शी शासन के संवर्धन के संबंध में एक कार्यदल गठित किया है। कार्मिक, लोक शिकायत मंत्रालय के दिनांक 2 जनवरी, 1997 के कार्यालय ज्ञापन सं॰ 34011/1 (एस॰)/97-स्थापना (ख) की प्रति, जिसमें दल की संरचना और विचारार्थ विषयों का विवरण दिया गया है, 26 फरवरी, 1997 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 773 के उत्तर में सदन के पटल पर रखी गई थी।

सरकारी उद्यमों में वेतन के सम्बन्ध में सद्यः स्थिति अध्ययन पत्र

1180. श्री संदीपान थोरात : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के कामगारों के वेतन सांविधिक देयों के सम्बन्ध में सद्यः स्थिति अध्ययन पत्र को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में मजदूर संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में श्वेत पत्र

1181. प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

श्री सुरेन्द्र यादव :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 दिसम्बर, 1996 के "स्टेट्समैन" में "स्कोप अर्जेज यू एफ॰ टू प्रेजेन्ट वाइट पेपर ऑन पी॰एस॰ यूज़" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में श्वेत पत्र जारी करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है साथ ही यह श्वेत पत्र कब तक जारी कर दिये जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में अलग से नीति पत्र जारी करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि नीति सम्बन्धी स्थूल प्रांचलों का उल्लेख साझा न्यूनतम कार्यक्रम में किया गया है।

(ग) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में वस्त्र मिलें

1182. **श्री बीर सिंह महतो :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में वस्त्र मिलों की संख्या और उनकी उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान इन मिलों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी और वस्त्र मिलों के बंद होने की वजह से जो नौकरी से बर्खास्त हुए, उनकी संख्या कितनी थी; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य की रूग्ण वस्त्र मिलों को पुनः चालू करने और मिलों के बंद होने की वजह से बेरोजगार हुए कर्मचारियों को फिर से रोजगार दिलवाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰एल॰ जालप्पा) : (क) 31.12.1996 तक की स्थिति अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य में 39 सूती/मानव निर्मित वस्त्र मिलें थीं जिनकी स्थापित क्षमता 1142 हजार तकुए, 3 हजार राटर्स तथा 7 हजार करघे थी।

(ख) 31.12.1996 तक के अनुसार पश्चिम बंगाल में इन 39 सूती/मानव निर्मित फाईवर वस्त्र मिलों की नामावलियों में 53 हजार कामगार थे। पिछले तीन कैलेण्डर वर्षों की समाप्ति पर पश्चिम बंगाल में बन्द पड़ी वस्त्र मिलों की नामावलियों में कामगारों की संख्या निम्नानुसार है :—

कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति	बंद मिलों की संख्या	ऐसी बंद मिलों की नामावलियों में कामगारों की संख्या
1	2	3
1994	6	12,950
1995	7	17,987
1996	6	15,922

(ग) रूग्ण वस्त्र मिलों का पुनरूद्धार करने के लिए विगत में केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में जून 1985 की वस्त्र नीति के अनुसार "नौडीय अभिकरण" की स्थापना करना, वस्त्र उद्योग की आधुनिकीकरण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्त्र आधुनिकीकरण विधि योजना का सृजन करना तथा रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम (एस॰आई॰सी॰ए॰) 1985 तथा औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी॰आई॰एफ॰आर॰) की स्थापना करना शामिल है जिसका उद्देश्य रूग्ण तथा संभाव्य रूप से रूग्ण मिलों का समय पर पता लगाने तथा ऐसी कंपनियों के संबंध में आवश्यक निषेधी, सुधारात्मक, उपचारी तथा अन्य उपायों का तेजी से निर्धारण करने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना करना शामिल है। 31.11.97 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल की 7 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें बी॰आई॰एफ॰आर॰ के पास पंजीकृत थी।

(II) वस्त्र मिलों के बंद होने से प्रभावित कामगारों को राहत देने के लिए सरकार ने वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना की स्थापना की है। भारत में अभी तक (31.1.1997 तक की स्थिति अनुसार) 28 मिलों के 42,461 कामगारों को 84,61 करोड़ की राशि वितरित की गई है। तथापि, पश्चिम बंगाल में अभी तक एक भी मिल को वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना को राहत के लिए पात्र नहीं पाया गया है।

बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना

1183. **श्री जार्ज फर्नांडीज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निदेश दिया है कि बैंकों के 50 प्रतिशत ऋण जिसमें नये गैर-सरकारी बैंकों के ऋण भी शामिल हैं, प्राथमिक क्षेत्रों को दिये जाने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी बैंकों को ऐसे ऋण दिये जाने से छूट दी गई है;

(घ) ऐसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने की शर्तों को पूरा करने में कितने बैंकों को दोषी पाया गया है; और

(ङ) इस स्थिति को सुधारने के लिएं सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर॰बी॰आई॰) ने सूचित किया है कि वर्तमान में सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र (गैर-सरकारी क्षेत्र के नए बैंकों सहित) दोनों क्षेत्रों में बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निवल बैंक ऋण (एनबीसी) का 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को उधार दें।

(ग) भारत में परिचालन कर रहे विदेशी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निवल बैंक ऋण का 32 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को उधार दें।

(घ) मार्च 1996 के अंत की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के 11 बैंकों और 5 विदेशी बैंकों ने कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों से संबंधित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये थे।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाने वाले बैंकों के मामले में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(I) **सरकारी क्षेत्र के बैंक**

सितम्बर 1994 के अंत तक निवल बैंक ऋण के 18 प्रतिशत का कृषि उधार लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे सरकारी क्षेत्र के बैंकों

से समानुपातिक आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के 2000 करोड़ रु॰ के "ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि-I (आरआईडीएफ-I)" में अंशदान करने के लिए कहा गया था।

आरआईडीएफ में अपने अंशदान को शामिल करने के पाचात भी 40 प्रतिशत के प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्य को पूरा न कर पाने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) में 1000 करोड़ रु॰ के संघीय उधार में भागीदारी करने के लिए कहा गया था।

2. मार्च 1996 के अंत तक प्राथमिकता क्षेत्र उधार लक्ष्य के 40 प्रतिशत के समग्र लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों से नाबार्ड के 2,500 करोड़ रु॰ के "ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि-II (आरआरईडीएफ-II)" में अंशदान करने के लिए कहा गया था।

(II) **गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक**

1. उन पुराने गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों (22.01.93 से पर्व) से आरआईडीएफ-I में अंशदान करने के लिए कहा गया था जो मार्च, 1994 के अंत तक 18 प्रतिपात का कृषि उधार लक्ष्य प्राप्त कर पाने में असफल रहे।

2. मार्च 1996 के अंत तक निवल बैंक ऋएर के 40 प्रतिशत का समग्र लक्ष्य प्राप्त न कर पाने वाले गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया है कि वे कमी के 50 प्रतिशत के बराबर राशि नाबार्ड या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के पास जमा करें।

(II) **विदेशी बैंक**

विदेशी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक वर्ष की अवधि के लिए अपने प्राथमिकता उधार में हुई कमियों को प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत तक सिडबी के पास जमा करा दें।

टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का पुनरूद्धार

1184. **श्री बसुदेव आचार्य :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की पुनरूद्धार योजना काफी लम्बे समय से लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पुनरूद्वार योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख) बी॰आई॰एफ॰आर॰ ने टॉयर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए 15.2.96 को एक पुनरूद्धार योजना स्वीकृत की। दिसम्बर, 1994 में परिचालित मसौदा पुनरूद्धार स्कीम के आधार पर, इस स्कीम पर भारत सरकार की सहमति का अनुमान लगाया गया था जो अंततोगत्वा स्वीकृत स्कीम से अनेक प्रकार से भिन्न थी। अतः, रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकारण के समक्ष एक अपील दायर की गई थी।

(ग) दिनांक 7.2.97 को हुई सुनवाई में, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण ने सरकार द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया है और मामले को, नए सिरे से विचारार्थ, बी॰आई॰एफ॰आर॰ को प्रेषित कर दिया है।

फर्जी खाताधारी

1185. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :**

श्री जय प्रकाश (हरदोई) :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों को बैंक खाता खोलते समय औपचारिकताओं का पालन करने के लिए अनुदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जारी किये गये अनुदेशों की उपेक्षा की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आये हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या बैंकों ने एक नई व्यवस्था शुरू करने के लिए नकद जमाराशि तथा दस लाख रुपयों के आहरण की सूक्ष्म जांच करने हेतु वर्ष 1995 में जारी किये गये अनुदेशों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को आवश्यक आदान-प्रदान किये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जमा खातों के खोखले जाने के समय बैंकों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं। ऐसे अनुदेशों में, अन्य बातों के साथ-साथ जमा खातों के खोले जाने के समय संतोषजनक परिचय प्राप्त करना और कुछ विशेष मामलों के अलावा सभी नए खातों के जमाकर्ताओं की फोटोग्राफ प्राप्त करना शामिल हैं।

(ग) और (घ) आरबीआई की आंकड़ा सूचना प्रणाली से मांगे गए तरीके के अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती है। धोखाधड़ी से लेनदेन के लिए प्रयुक्त अवास्तविक लेखे के कुछ मामले आरबीआई की जानकारी में आए हैं। ऐसे मामलों में, जहां खाते खोले जाने में अनुदेशों की अवहेलना का संदेह हुआ है, बैंकों ने संबद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की है जिसमें उनका निलंबन भी शामिल है। आरबीआई द्वारा बैंकों को ये अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे धोखाधड़ी के मामलों की पुलिस/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में रिपोर्ट करें।

(ङ) और (च) आरबीआई ने सूचित किया है कि सभी बैंकों ने 10 लाख रुपए से अधिक के प्रत्येक जमा/आहरण की निकट से निगरानी करने की प्रणाली आरम्भ करने की पुष्टि की है।

[हिन्दी]

पांचवां वेतन आयोग

1186. **श्री काशीराम राणा :**
श्री राम टहल चौधरी :
श्री के॰पी॰ सिंह देव :
श्री नन्द कुमार साय :
श्री जय प्रकाश (हरदोई) :
श्री आई॰डी॰ स्वामी :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री विजय गोयल :
श्री राम सागर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवें वेतन आयोग द्वारा क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन सिफारिशों को अंतिम रूप देकर कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा;

(ग) पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में सेनाध्यक्षों, विभिन्न राजनीतिक दलों तथा कर्मचारी संघों द्वारा क्या विचार व्यक्त किए गए हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) आयोग ने कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए व्यापक सिफारिशें की हैं। सशस्त्र सेना कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकारी तथा अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों की कुछ यूनियनों/संगठनों ने आयोग की कुछेक सिफारिशों के विरूद्ध आपत्तियां व्यक्त की हैं। सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर विचारण के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति गठित कर दी है। कर्मचारियों के मत-अभिमतों का अभिनिश्चय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जे॰सी॰एम॰) की राष्ट्रीय परिषद के माध्यम से किया जाएगा तथा इसी तरह सशस्त्र सेना कार्मिकों के विचारों को सचिव रक्षा मंत्रालय, जो कि अधिकार प्राप्त समिति के एक सदस्य भी हैं, के माध्यम से अभिनिश्चित किया जाएगा तथा यथोचित निर्णय लेते समय इन्हें ध्यान में रखा जाएगा।

[अनुवाद]

महिला विधायक

1187. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : प्रत्येक राज्य विधान सभा/परिषद में विधायकों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से महिला सदस्यों की संख्या कितनी है;

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप) : अपेक्षित जानकारी वाले विवरण I और II संलग्न है।

विवरण-I

विधान सभा

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	कुल स्थानों की संख्या	वर्तमान विधान सभा सदस्यों की कुल संख्या	महिला विधान सभा सदस्यों की कुल संख्या	रिक्त स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	294	294	10	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	60	60	1	–
3.	असम	126	126	6	–
4.	बिहार	324	323	10	1
5.	गोवा	40	40	4	–
6.	गुजरात	182	181	2	1
7.	हरियाणा	90	90	5	–
8.	हिमाचल प्रदेश	68	68	4	–

1	2	3	4	5	6
9.	जम्मू-कश्मीर	87	87	1	–
10.	कर्नाटक	224	223	7	1
11.	केरल	140	140	13	–
12.	मध्य प्रदेश	320	318	17	2
13.	मणिपुर	60	56	–	4
14.	महाराष्ट्र	288	288	12	–
15.	मेघालय	60	60	1	–
16.	मिजोरम	40	40	–	–
17.	नागालैंड	60	60	–	–
18.	उड़ीसा	147	147	10	–
19.	पंजाब	117	117	7	–
20.	राजस्थान	200	200	10	–
21.	सिक्किम	32	32	1	–
22.	तमिलनाडु	234	234	11	–
23.	त्रिपुरा	60	60	1	–
24.	उत्तर प्रदेश	425	424	18	1
25.	पश्चिमी बंगाल	294	294	20	–
26.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र	70	70	3	–
27.	पांडिचेरी	30	30	1	–
	योग	4072	4062	175	10

विवरण-II

विधान परिषद्

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	सीटों की कुल सं॰		वर्तमान में विधान परिषद् सदस्यों की कुल संख्या		महिला विधान परिषद् सदस्यों की कुल सं॰		रिक्त स्थान	
		निर्वाचित	नामित	निर्वाचित	नामित	निर्वाचित	नामित	निर्वाचित	नामित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बिहार	84	12	50	3	4	–	34	9
2.	जम्मू-कश्मीर	28	8	–	7	–	–	28	1
3.	कर्नाटक	64	11	39	11	4	1	25	–
4.	महाराष्ट्र	66	12	66	12	7	3	–	–
5.	उत्तर प्रदेश	96	12	57	12	3	–	39	–

हथकरघा संबंधी समिति की सिफारिशें

1188. **श्री नामदेव दिवाथे** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा क्षेत्र से संबंधित उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰एल॰ जालप्पा) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस समिति की सिफारिशें अभी हाल ही में प्राप्त हुई हैं।

विवरण

हथकरघा उद्योग पर गठित सुश्री मीरा सेठ कमेटी की मुख्य सिफारिशें

1. सभी प्रमुख हथकरघा बाहुल्य राज्यों में प्रथक हथकरघा विभाग स्थापित किए जायें। राज्य हथकरघा निगमों और शीर्ष समितियों को उपयुक्त पुनः स्थापना सहायता प्रदान करके पुनर्जीवित किया जाये।
2. सहकारी क्षेत्र से बाहर के बुनकरों को क्रेडिट सुविधा देने के लिए कम से कम 500 करोड़ रु॰ की राशि का एक राष्ट्रीय हथकरघा क्रेडिट फंड स्थापित किया जाये।
3. नाबार्ड द्वारा दी जाने वाली क्रेडिट लिमिट के संबंध में गारंटी देने के प्रावधानों पर छूट देने के लिए नाबार्ड विचार करे। बैंकों के हितों के संरक्षण के लिए 'लोस गारंटी स्कीम' आरम्भ की जाये। धागे के व्यापार के लिए क्रेडिट भी 9.50 प्रतिशत ब्याज दर पर पुनर्वित्त किया जाये।
4. सभी राज्य सरकारें हैंक यार्न और हथकरघा उत्पादों को सभी करों से मुक्त रखें जिनमें बिक्रीकर, प्रवेश कर और चुंगी शामिल है।
5. यह सुनिश्चित किया जाये कि विशेष रूप से हथकरघा बाहुल्य क्षेत्रों में व्यापक परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हों और एक ऐसी योजना भी आरम्भ की जाये जिससे हथकरघा निगम/शीर्ष समितियां बीआईएस-14000/आईएसओ-9000 मानक को प्राप्त और प्रमाणित कर सकें।
6. एक राष्ट्रीय हथकरघा केन्द्र की स्थापना की जाये जिसमें समकालीन श्रेष्ठ हथकरघा उत्पादों का संग्रह किया जाये, हथकरघों से संबंधित जानकारी रखी जाये और हथकरघों पर अनुसंधान किया जाये।
7. केन्द्र/राज्य सरकारों अथवा उनके अभिकरणों द्वारा विपणन कम्पलैक्स स्थापित किए जायें जिनमें ग्राम, उपखण्ड, जिला और शहरी स्तर पर हथकरघा हाट और स्थाई प्रदर्शनी स्थल की स्थापना शामिल हैं।
8. निर्यात्य उत्पादों के विकास के लिए एक व्यापक परियोजना विकसित की जाये।
9. एक विपत्ति राहत योजना आरम्भ की जाये ताकि राज्य सरकारों की विभिन्न वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत हथकरघों और उनके उपकरणों की खरीद, हैंक यार्न सब्सिडी योजना के अंतर्गत हैंक यार्न की खरीद पर सब्सिडी, क्रेडिट उपलब्ध करवाने, उत्पादन को पुनः खरीदने हेतु सहायता दी जा सके।
10. कल्याणकारी योजनाओं में केवल बुनकरों को ही नहीं अपितु सभी हथकरघा कार्मिकों को शामिल किया जाये। हथकरघों की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सहकारी और गैर सहकारी दोनों ही क्षेत्रों में हथकरघा कार्मिकों की कवरेज को बढ़ाया जाये।
11. हथकरघा क्षेत्र की वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत यथापेक्षित अतिरिक्त वित्तिय निवेश देकर उत्तर पूर्वी राज्यों के समूचे विकास के लिए विशेष बल दिया जाये।

ब्रिटेन द्वारा निवेश

1189. **श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जनवरी, 1997 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "3 बिलियन यू॰के॰ इन्वेस्टमेंट आर इन पाइपलाइन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निवेश के लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है तथा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) वर्ष 1991-96 के दौरान भारत सरकार ने यू॰के॰ की फर्म से 52.4 बिलियन रुपये तक के निवेश संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदित किया है।

(ख) जनवरी, 1997 में आयोजित भारत-ब्रिटिश सहभागिता पहल की बैठक के दौरान, दोनों ओर से पहचान किये गये सहयोग के संभाव्य क्षेत्र है : आधारभूत सुविधाएं, वित्तीय सेवायें, शिक्षा तथा प्रशिक्षण, खनन, पर्यटन तथा विनिर्माणकारी भारत सरकार ने यू॰के॰ सहित भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए सरल, पारदर्शी, स्वचालित तथा विवेकपूर्ण प्रणाली स्थापित की है।

रबर का उत्पादन

1190. **श्री पी॰सी॰ थामस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बेहतर किस्म के रबर उत्पादन हेतु किसानों को प्रशिक्षण देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विशेष रूप से केरल राज्य में छोटे और सीमान्त रबर उत्पादकों की संख्या क्या है;

(घ) क्या उनके उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु उन्हें कोई वित्तीय अथवा अन्य सहायता प्रदान की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या किसानों द्वारा उत्पादित रबर चादरों के शोधन हेतु कोई संस्थान अथवा उद्योग देश में कार्य कर रहे हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) देश में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले प्राकृतिक रबर का उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) रबड़ बोर्ड, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन की गुणवत्ता सुधारने में मदद के लिए छोटे रबड़ उत्पादकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। चालू वित्तीय वर्ष में आयोजित कार्यक्रमों के विवरण नीचे दिये गए हैं :—

क्र॰सं॰	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	बैच संख्या	भाग लेने वालों की संख्या
1.	रबड़ कल्चर और एस्टेट प्रबंध पर लघु अवधि कोर्स	18 दिन	1	24
2.	रबड़ की खेती और फसल संसाधन पर छोटी जोत वाले उपजकर्ताओं लिए लघु-अवधि कोर्स	5 दिन	3	36
3.	रबड़ संसाधन	5 दिन	2	32
4.	शीट रबड़ की ग्रेडिंग	1 दिन	6	17
				109

इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त, 935 छोटे उपजकर्ताओं ने रबड़ की खेती और संसाधन के अनेक पहलुओं को प्रचलित बनाने के लिए रबड़ बोर्ड द्वारा आयोजित एक-दिवसीय दौरे में भी भाग लिया।

(ग) देश में 9.11 लाख छोटी जोतें होने का अनुमान है, जिनमें से 8,37,400 (छोटी जोतें-8,23,035 और न्यूनतम जोतें 14,365) केरल में होने का अनुमान है।

(घ) और (ङ) जी, हां। रबड़ बोर्ड स्मोक हाउस स्थापित करने हेतु (3000/- रु॰ प्रति स्मोक हाउस की दर से), रबड़ शीटिंग रोलर प्राप्त करने के लिए (एक शीटिंग रोल के लिए 1000/- रु॰ की दर से) और साथ ही छोटे उत्पादकों को रबड़ संसाधन के लिए आवश्यक बर्तनों हेतु, वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

(च) और (छ) जी, हां। रबड़ प्रोड्युसिंग सोसाइटी (आर पी एस) सदस्यों द्वारा उत्पादित रबड़ शीटों की सफाई/श्रेणी में सुधार के लिए कम्यूनिटी स्मोक हाउस स्थापित कर रही हैं। रबड़ शीटों के धुलाई और सफाई कार्य निजी स्मोक हाउसों द्वारा भी किए जाते हैं।

(ज) रबड़ का अच्छी किस्म का उत्पादन सुनिश्चित कराने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं—उत्पादकों को प्रशिक्षण देना, जन संपर्क अभियान चलाना और समूह बैठकें आयोजित करना। रबड़ बोर्ड बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है और छोटे उत्पादकों को रियायती दरों पर बागान उपकरणों की आपूर्ति भी कर रहा है।

निर्यात करने वाली फर्मों का निरीक्षण

1191. **श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :**
श्री शिवराज सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष निर्यात करने वाली उन फर्मों की संख्या क्या है जिनके विरूद्ध निर्यात निगरानी परिषद को शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) उपरोक्त अवधि में ऐसी कितनी फर्मों का निरीक्षण निर्यात निगरानी परिषद द्वारा किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार दोषी पायी गई इन फर्मों के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन फर्मों के विरूद्ध किस एजेन्सी के माध्यम से कार्यवाही/जांच कराई गई?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (घ) निर्यातकों के खिलाफ शिकायतें सरकार के विभिन्न कार्यालयों द्वारा प्राप्त की जा सकती है जिनके साथ निर्यात करने वाली फर्मों का सम्पर्क है। इस प्रकार, विशेषकर शिकायतों के विशिष्ट स्वरूप के बारे में किसी विस्तृत विवरण के अभाव में ऐसी फर्मों की

सही संख्या बताना कठिन है जिनके खिलाफ सरकार को शिकायतें मिली हैं। चालू नीति के अनुसार, सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्यात करने वाली फर्मों को नित्यक्रम जांच तब तक नहीं की जाती है जब तक उनकी जांच के प्रथमदृष्टया कारण न हों। डी॰जी॰एफ॰टी॰ की व्यवस्था में ऐसी जांच सामान्यतया मुख्यालय के प्रवर्तन-सह-न्याय-निर्णय प्रभाग या इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रवर्तन शाखाओं द्वारा की जाती है। जिन मामलों में निर्यात करने वाली फर्मों को दोषी माना जाता है, वहां विदेश व्यापार (विकास और नियमन) अधिनियम, 1992 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत ऐसी फर्मों के खिलाफ उपयुक्त दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की संख्या बढ़ना

1192. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री बी॰ प्रदीप देव :
श्री भक्त चरण दास :
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की वैधानिक शर्तों का उल्लंघन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसी कम्पनियों को कोई चेतावनी दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसी वित्तीय कम्पनियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर॰बी॰आई॰) ने सूचित किया है कि इस समय आर बी आई के क्षेत्रीय कार्यालयों की डाक प्रेषिती सूची में लगभग 41000 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एन बी एफ सी) हैं।

(ख) और (घ) जी, हां।

(ग) और (ङ) आर॰बी॰आई॰ के अनुसार, अधिकतर कंपनियां आर॰बी॰आई॰ को, अपने वार्षिक तुलन पत्र, लाभ तथा हानि के लेखे और वार्षिक विवरणियां तथा बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य विवरणियां नहीं प्रस्तुत करते हैं। ऐसी भी देखने में आया है कि कुछ कंपनियों ने, जमा राशियां स्वीकार करने, जमा राशियों पर ब्याज दर, चल परिसंपत्ति के रख-रखाव आदि के बारे में आर॰बी॰आई॰ द्वारा जारी किए गए निदेशों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के उपबंधों का उल्लंघन किया है। इस संदर्भ में आर॰बी॰आई॰ द्वारा कठोर कार्रवाई करना आवश्यक समझा गया जिसमें ऐसी कंपनियों के विरूद्ध निषेधात्मक आदेश जारी करना भी शामिल है जो सांविधिक दायित्वों का अनुपालन करने में लगातार असफल रही हैं। इस संबंध में आर॰बी॰आई॰ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को सचेत करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है।

दिनांक 9.1.97 को एक अध्यादेश जारी कर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 को संशोधित किया गया है। अध्यादेश से आर॰बी॰आई॰ को उन गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से निपटने की शक्ति प्राप्त होगी जो, उन्हें जारी किए गए निदेशों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुपालन की अवहेलना करती हैं।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण के वितरण हेतु सर्वेक्षण

1193. श्री आई॰डी॰ स्वामी :
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण के वितरण हेतु नमूना सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के अन्तर्गत आने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण संबंधी स्वीकृत किए गए आवेदन अभी भी संबंधित बैंकों में निपटान हेतु लम्बित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो इस आवेदनों का राज्यवार और बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का ऋण जारी करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के कार्यनिष्पादन के संबंध में सभी राज्यों में पिछले दो वर्षों में चार नमूना क्षेत्र अध्ययन करवाए हैं। इन अध्ययनों में कुछ बाधाओं का पता लगा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कृतिक बल समितियों द्वारा अर्थक्षम प्रस्तावों को अपर्याप्त संख्या में प्रायोजित करना, वित्तपोषित क्रियाकलापों से प्रत्याशित आय प्राप्त न होना, जिससे वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अपर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं शामिल हैं।

(ग) से (ङ) नवम्बर, 1996 के अंत की स्थिति के अनुसार, प्रधान मंत्री रोजगार योजना के कार्य निष्पादन की बैंक-वार एवं राज्य-वार स्थिति दर्शाने वोल ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गये हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि शाखा स्तर पर आवेदन-पत्र लम्बित रखने के कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारण शामिल थे :—

(i) ऋणकर्ताओं द्वारा प्रशिक्षण लेने, स्थानीय निकायों से अनुमोदन प्राप्त करने, बिजली का कनेक्शन लेने आदि जैसी अपेक्षाओं को पूरा न करना।

(ii) शाखाएं वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य तक पहले ही पहुंच गई थीं और आवेदन पत्र शाखा-स्तर पर जांच के लिए लम्बित थे।

मार्गनिर्देशों में पहले ही यह प्रावधान किया गया है कि राज्य पीएमआरवाई समिति को संबंधित प्राधिकरण से आवश्यक निकासी (क्लियरेन्स) तुरन्त प्राप्त करने में ऋणकर्ता की सहायता करनी चाहिए।

विवरण

वर्ष 1996-97 (30 नवम्बर, 1996 तक) के दौरान प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अन्तर्गत बैंक-वार प्रगति जिसमें प्राप्त हुए आवेदन पत्रों, मंजूर हुए आवेदन पत्रों और लम्बित पड़े आवेदन पत्रों की संख्या दशाई गई है।

बैंक का नाम		प्राप्त हुए आवेदनपत्र	मंजूर आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
1		2	3	4
	सरकारी क्षेत्र के बैंक			
1.	भारतीय स्टेट बैंक	61494	19718	23500
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	4747	1372	2861
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	5768	2893	4504
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	3669	1367	2001
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	3574	888	2666
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	3848	1346	-
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1142	655	109
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	4317	1656	1515
9.	इलाहाबाद बैंक	10489	2021	4506
10.	आन्ध्रा बैंक	6467	2660	2357
11.	बैंक आफ बड़ौदा	15894	6729	-
12.	बैंक आफ इण्डिया	17564	6713	8034
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	7078	3065	2847
14.	केनरा बैंक	16156	6929	5213
15.	सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	22513	5727	11192
16.	कार्पोरेशन बैंक	2982	1312	763
17.	देना बैंक	7972	2520	3332
18.	इंडियन बैंक	9945	2453	-
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	9309	2954	3718
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	3971	1215	1481
21.	पंजाब नैशनल बैंक	24536	6721	10086
22.	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	3457	489	2307

1		2	3	4
23.	सिंडिकेट बैंक	8536	2635	3552
24.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	9913	3976	3768
25.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	8740	1547	3846
26.	यूको बैंक	6579	1057	4368
27.	विजया बैंक	5644	1894	2572
	सरकारी क्षेत्र के कुल बैंक	286304	92512	111096
	गैर-सरकारी क्षेत्र के कुल बैंक	12003	4167	3147
	कुल सभी बैंक	298307	96679	114245

विवरण-II

वर्ष 1996-97 (30 नवम्बर, 1996 तक) के दौरान प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रगति जिसमें अद्यतन उपलब्ध आवेदन-पत्रों, मंजूर हुए आवेदन-पत्रों और लंबित पड़े आवेदन-पत्रों की संख्या दर्शाई गई है।

क्र॰सं॰	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	प्राप्त हुए आवेदन पत्र	मंजूर किये गए आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	23826	11264	9266
2.	अरुणाचल प्रदेश	50	20	28
3.	असम	3279	1067	1304
4.	बिहार	24753	6542	11474
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3731	440	1380
6.	गोवा	471	247	71
7.	गुजरात	10460	5000	1463
8.	हरियाणा	8507	3132	1849
9.	हिमाचल प्रदेश	2138	1068	479
10.	जम्मू एवं कश्मीर	950	309	312
11.	कर्नाटक	18863	5992	9591
12.	केरल	12609	4691	4435
13.	मध्य प्रदेश	37183	8828	19719
14.	महाराष्ट्र	38269	15097	13887
15.	मणिपुर	2200	517	1433
16.	मेघालय	264	75	120
17.	मिजोरम	57	12	24
18.	नागालैण्ड	121	56	49
19.	उड़ीसा	2787	626	1666
20.	पंजाब	11051	3126	3929
21.	राजस्थान	15357	4762	5013
22.	सिक्किम	145	50	67
23.	तमिलनाडु	17501	5560	4178
24.	त्रिपुरा	1628	146	826
25.	उत्तर प्रदेश	42263	13308	12200
26.	पश्चिम बंगाल	13848	2615	7231
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	64	20	21
28.	चंडीगढ़	119	55	28
29.	दादर एवं नागर हवेली	114	48	41
30.	दमन एवं दीव	27	14	9
31.	पांडिचेरी	525	84	154
32.	लक्षद्वीप	35	7	24
	अविनिर्दिष्ट	5112	1901	1974
	अखिल भारत	298307	96679	114245

वित्तीय संस्थानों द्वारा ब्याज की उच्च दर देना

1194. श्री टी॰ गोपाल कृष्ण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास पर्याप्त धनराशि है जिसे वे वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण पर दे सकते हैं;

(ख) क्या वाणिज्यिक क्षेत्र भारी धनाभाव के बावजूद वित्तीय संस्थानों की उच्च ब्याज दर के कारण ऋण सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन निधियों के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच असंतुलन है क्योंकि बैंकों की तुलना में इन वित्तीय संस्थानों द्वारा उच्च ब्याज दर पर धन संग्रहण करके ऋण उच्च ब्याज दर पर दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि वित्तीय संस्थानों के पास जमा राशि अप्रयुक्त न रहे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 1996-97 (31 जनवरी, 1997 तक) के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियों में 49.519 करोड़ रुपए (11.4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 24,767 करोड़ रुपए (6.4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। जमाराशि में हुई अधिक वृद्धि के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरक्षित नकदी निधि अनुपात में नवम्बर, 1995 से निरन्तर कमी अर्थात वर्ष 1995-96 के दौरान 7,525 करोड़ रुपए और वर्ष 1996-97 के दौरान जनवरी 1997 तक 17,850 करोड़ रुपए करके संसाधन जारी करने से बैंकों की नकदी की स्थिति अच्छी हो गई है। अतः चालू वर्ष के दौरान बैंकों के ऋण योग्य संसाधनों में वृद्धि हुई है। जहां तक वित्तीय संस्थानों का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के पास प्रचुर निधियां नहीं हैं और यह कि भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने सूचित किया है कि उनके पास अपने ऋणकर्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां हैं।

(ख) अक्तूबर, 1996 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित मुद्रा नीति में बैंकिंग प्रणाली में ब्याज दर के संबंध में बैंकों से कहा गया है कि वे मूल ऋण दर में कमी करके आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी के कारण हुए अपने लाभ का एक भाग ऋणकर्ताओं को दें और साथ ही आरक्षित नकदी निधि अनुपात के अधिकतम विस्तार भी सूचित करें। वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रभारित उच्च ब्याज दरों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि वे बाजार से संबंधित ब्याज दरों पर निधियां प्राप्त करती हैं। इस प्रकार, इन संस्थाओं की ऋण दरें उनकी निधियों की लागत पर निर्भर करती हैं। तथापि, आई॰डी॰बी॰आई॰, आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰, एस॰सी॰आई॰सी॰आई॰ जैसी कुछ आवधिक ऋणदात्री संस्थाओं ने हाल ही में अपनी ब्याज दरें कम कर दी हैं।

(ग) और (घ) वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की निधियों के स्रोत भिन्न-भिन्न हैं। वाणिज्यिक बैंकों की निधियों के स्रोत मुख्यतः जनता से प्राप्त जमाराशियां हैं। सामान्यतः बैंकों द्वारा जुटाई गई निधियां अल्पावधि से मध्यावधि प्रकृति की होती हैं और उनकी अधिकांश निधियां अल्पावधि से मध्यावधि आधार पर अभिनियोजित की जाती हैं। तथापि, वित्तीय संस्थाएं बांडों के सरकारी और गैर-सरकारी नियोजन, जमा प्रमाण-पत्रों और मध्यावधि से दीर्घावधि आधार पर विदेशी मुद्रा ऋणों के जरिए अपनी निधियां प्राप्त करती हैं। वित्तीय संस्थाएं ये निधियां बाजार से संबंधित दरों पर प्राप्त करती हैं। इन भिन्नताओं के कारण वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रभारित ब्याज दरें उन दरों से भिन्न होती हैं जो बैंकों द्वारा प्रभारित की जाती हैं।

विधि आयोग की सिफारिश

1195. श्री संतोष मोहन देव : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उच्च प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण के अध्यधीन प्रत्येक जिले में जांच एजेंसियों के एक अलग संवर्ग बनाये जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह संविधान के अनुच्छेद 21 में किए गए प्रावधानों के अनुसार आपराधिक मामलों की शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किया गया है;

(ग) यदि हां, तो विधि आयोग द्वारा की गयी अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उनमें से कितनी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकृत किया है; और

(घ) अपराध दंड संहिता में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) तारीख 20.12.1996 को सदन के पटल पर रखी गई विधि आयोग की 154 वीं रिपोर्ट के अध्याय 22 में सिफारिशों के ब्यौरे अन्तर्विष्ट हैं। रिपोर्ट की गृह मंत्रालय में समीक्षा की जा रही है।

(घ) इस संबंध में कोई विनिर्दिष्ट समय सीमा बता पाना संभव नहीं होगा। इसे यथा संभव शीघ्र कार्यान्वित किए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

कोयले की मांग और पूर्ति

1196. श्री नीतीश कुमार :

जस्टिस गुमान मल लोढा :

श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल :

श्री दिनशा पटेल :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कई वर्षों से कोयले की मांग और पूर्ति के बीच अन्तर लगातार बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना के शुरू में देश में कोयले की मांग और पूर्ति के बीच कितना अन्तर था;

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान मांग और पूर्ति के बीच कितना अन्तर था तथा 1997-98 के दौरान इसके कितना बढ़ जाने की संभावना है; और

(घ) नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस अंतर को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से, वर्ष 1997-98 तक, योजना आयोग द्वारा आंकलित कच्चे कोयले की मांग की तुलना में 8 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक/प्रत्याशित कोयले की आपूर्ति तथा वर्ष 1997-98 हेतु आपूर्ति के लिए बनाई गई योजना नीचे दी गई है :—

(मिलियन टन में)

वर्ष	मांग	आपूर्ति*	कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल
1992-93	256.00	241.69	15.01
1993-94	268.80	252.87	15.93
1994-95	268.50	260.64	7.86
1995-96	288.00	279.73	8.27
1996-97	325.00	296.27	28.73
1997-98	323.38	310.60	12.78

* इसमें आयातित कोयला शामिल है।

(घ) 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयले की मांग तथा आपूर्ति के बीच अंतराल को कम किए जाने हेतु कोयले के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के लिए उठाए जा रहे कदमों में, अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

1. संरचनात्मक ढांचे की सुविधाओं तथा आगतों की समय से उपलब्धता को सुनिश्चित करना और नई प्रौद्योगिकियों को लागू किया जाना, आधुनिकीकरण द्वारा विद्यमान खानों में उत्पादकता तथा कार्य कुशलता में वृद्धि तथा इर्न खानों को खोला जाना।
2. कोयले की कीमतों का आंशिक रूप में विनियंत्रित किया जाना, जिससे कोयला कंपनियों के आंतरिक वित्तीय संसाधनों की उत्पत्ति में सुधार होने की संभावना है, जो परियोजनाओं के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाएगा। इससे नई खनन परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता में भी सुधार होगा।
3. कोल इंडिया लिमिटेड के पूंजीगत आधार की पुनर्संरचना की गई है, जिससे पूंजी बाजार से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाए जाने को सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह नई कोयला उत्पादन क्षमता में वृद्धि किए जाने हेतु अपेक्षित है।
4. इन कोलफील्ड क्षेत्रों में, जहां उत्पादन में वृद्धि की संभावना है, रेलवे के सहयोग से परिवहन अवरोधों को दूर किए जाने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।
5. कोयला परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु वन भूमि की स्वीकृति दिए जाने तथा भूमि अधिग्रहण में आने वाले अवरोधों को दूर किए जाने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।
6. लौह एवं इस्पात, सीमेंट तथा विद्युत के उत्पादन में नियोजित निजी क्षेत्र की कंपनियों को गृहीत उपभोग हेतु कोयले का खनन किए जाने की अनुमति दे दी गई है। इससे घरेलू कोयले के उत्पादन तथा उसकी उपलब्धता में वृद्धि होने की संभावना है।
7. कोयला क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए, सरकार ने कोयले के खनन के संबंध में आवश्यक विधायी परिवर्तन किए जाने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है ताकि कोई भी भारतीय कंपनी बिक्री हेतु कोयले और लिग्नाइट का खनन कर सकें।

विदेशी निवेश

1197. श्रीमती वसुंधरा राजे :

श्री एन॰एस॰वी॰ चित्यन :

श्री प्रमोद महाजन :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेशकों के कई प्रस्ताव विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो निर्णय लेने में विलम्ब के कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 31 दिसंबर, 1996 तक विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा मंजूर की गई विदेशी निवेश प्रस्तावों की संख्या क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख) इस समय विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के पास लगभग 90 आवेदन लंबित हैं। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विदेशी निवेश हेतु आवेदनों की प्राप्ति और उन पर विचार करना एक निरंतर प्रक्रिया है। यदि आवेदन पत्र अनुमोदन हेतु मानदंडों के अनुरूप हों तो सामान्यतः आवेदन पत्र दायर करने के 4 से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर अनुमोदन दे दिया जाता है।

(ग) अगस्त, 1991 से दिसंबर, 1996 तक विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा कुल ऐसे 3583 प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें 889.6 बिलियन रुपये के विदेशी निवेश की परिकल्पना है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय में लाइसेंस हेतु लम्बित पड़े आवेदन

1198. **श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश व्यापार महानिदेशक के कार्यालय में विभिन्न प्रकार के लाइसेंस जारी किए जाने और लाइसेंसों में मामूली संशोधन किए जाने हेतु बड़ी संख्या में आवेदन लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय के मुख्यालय और संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक (जे॰डी॰जी॰एफ॰टी॰) के कार्यालयों में मामूली संशोधन/पुनर्वैधीकरण किए जाने हेतु लम्बित पड़े अग्रिम लाइसेंस आवेदनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा में इन मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) विदेश व्यापार महानिदेशालय के मुख्यालय तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों के आंशिक संशोधन/पुनः वैधीकरण किए जाने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लंबित नहीं हैं।

(ख) अग्रिम लाइसेंसों से संबंधित सूचना राजयवार नहीं रखी जाती है।

(ग) आंशिक संशोधन/वैधीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों का क्रियाविधि पुस्तिका, भाग-I के पैरा 258 के अंतर्गत, इसके लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर तेजी से निपटान करने के लिए लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा हर सम्भव प्रयास किए जाते हैं। ऐसे मामलों की प्राप्ति तथा उनका निपटान एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसका समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए निरंतर मानीटरिंग की जाती है। विलम्ब के विशेष मामलों को ओपन-हाऊसेस के समक्ष लाया जाता है और वहीं पर ही इनका निपटान किया जाता है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय में विदेश व्यापार महानिदेशक की अध्यक्षता में तथा चार जोनों में क्षेत्रीय प्रमुखों की अध्यक्षता में शिकायत समितियां हैं जो मामलों के निपटाने का कार्य देखती हैं। निर्यात को सुकर बनाने के प्रयोजन से विभिन्न कार्यालयों में काउंटर सहायता कक्ष भी कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

लाल मटिया कोयला खानें

1199. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाल मटिया खानों के कारण कितने गांवों को उजाड़ा गया है तथा आज तक उनके पुनर्वास हेतु क्या व्यवस्था की गई है तथा उन परिवारों को कितने लोगों को रोजगार दिया गया है जिनके खेत खान के अंतर्गत आ गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि न तो सभी विस्थापित परिवारों को पुनर्वासित किया गया है और न ही उन्हें रोजगार दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा बिना और किसी विलंब के क्या कार्यवाही की जा रही है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) अभी तक लाल मटिया खानों (राजमहल ओपनकास्ट परियोजना) में खनन क्रियाकलापों के कारण तीन गांव अर्थात् बारा सिमरा, घाट सिमरा तथा हिजुकिटा प्रभावित हुए हैं। अब तक इन तीन गांवों के प्रभावित परिवारों की संख्या तथा उनके पुनर्वास की स्थिति नीचे दर्शायी गई है :—

गांव का नाम	प्रभावित परिवारों की कुल सं॰	अभी तक विस्थापित तथा पुनर्वासित किये गए परिवारों की संख्या	विस्थापित तथा पुनर्वासित शेष परिवारों की संख्या
(1) बारा सिमरा	262	262	-
(2) घाट सिमरा	33	29	4
(3) हिजुकिटा	104	25	79
	399	316	83

अभी तक 924 भू-वंचित व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है।

(ख) और (ग) यह लागू नहीं है, चूंकि विस्थापित परिवारों का पुनर्वास कर दिया गया है और शेष प्रभावित परिवारों का विस्थापन किये जाने के बाद पुनर्वास कर दिया जायेगा।

[अनुवाद]

ब्रिटेन के साथ व्यापार संबंध

1200. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ब्रिटेन ने दोनों देशों के बीच व्यापार में सुधार लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ब्रिटेन के प्रधान मंत्री की व्यापारियों के एक शिष्टमंडल के साथ हाल की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में भारत और ब्रिटेन द्वारा कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1997-98 के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार को किस सीमा तक बढ़ाया जाएगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ङ) यूनाइटेड किंगडम सहित सभी देशों के साथ व्यापार संबंधों में सुधार करने का सरकार का सतत प्रयास है। व्यापारियों के प्रतिनिधिमण्डल के साथ ब्रिटिश प्रधान मंत्री के हाल के दौरे के समय यू॰के॰ और भारत की कुछ निजी कम्पनियों के बीच कुछ संयुक्त उद्यमों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और यू॰के॰ की फर्मों के बीच संयुक्त उद्यमों और समझौतों में बीमा, दूरसंचार, साफ्टवेयर, इंजीनियरी वस्तुएं, भूसम्पत्ति विकास का विपणन इत्यादि शामिल थे। दोनों पक्ष के व्यापारियों के बीच इस संपर्क के परिणामस्वरूप और ज्यादा आर्थिक तथा वाणिज्यिक सहयोग होने की आशा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय रेशम उद्योग परियोजना

1201. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

श्री शिवराज सिंह :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रेशम उद्योग परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब होने का मुख्य कारण पर्याप्त ऋण राशि के संवितरण की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं;

(ग) राष्ट्रीय रेशम उद्योग परियोजना के जल्द से जल्द क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰एल॰ जालप्पा) : (क) राष्ट्रीय रेशम परियोजना के कार्यान्वयन में ऋण का संवितरण एक बाधा नहीं रहा है क्योंकि विश्व बैंक द्वारा निधियों को एक विशेष खाते में रखा गया था जिसमें से समय-समय पर परियोजना की कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा पुनर्भुगतान दावों के खाते में समाप्त/होने पर प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जो परियोजना वर्ष 1989 में शुरू हुई थी, 31 दिसंबर, 1996 को समाप्त हो गई।

मारिशस को मदद

1202. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार मारिशस को ऋण देने का है;

(ख) यदि हां, तो मारिशस को कुल कितना ऋण किस उद्देश्य के लिए दिये जाने का विचार है;

(ग) भारत मारिशस आर्थिक संबंध में सुधार करने और दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का क्या ब्यौरा है;

(घ) क्या इस प्रकार का ऋण अन्य देशों को भी दिया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या अन्य देशों द्वारा ऐसी ही मदद भारत को भी दी गई थी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) भारत सरकार ने पोर्ट-लुईस, मॉरीशस में हाल में आयोजित संयुक्त आयोग की बैठक (3 से 5 फरवरी, 1997) के दौरान मॉरीशस के साथ 3 मिलियन अमरीकी डालर के करार पर हस्ताक्षर किए। भारत द्वारा दी गई उपर्युक्त ऋण श्रृंखला पूंजीगत वस्तुओं और उपस्कर के निर्यात, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और परामर्शी सेवाओं के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

(ग) भारत-मॉरीशस संयुक्त आयोग की बैठकें दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर आयोजित की जाती है। संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक मॉरीशस में 3-5 फरवरी, 1997 को हुई। भारत सरकार मॉरीशस के साथ व्यापार सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिए निम्न प्रकार से भी प्रयास

करती है :— (1) उद्योग एवं व्यापार शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान; (2) एकमात्र भारतीय प्रदर्शनी/मेलों का आयोजन (3) मार्गावरोधों को हटाने के लिए समय-समय पर आधिकारिक स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत का आयोजन (4) भारत सरकार ने, आर्थिक सम्बन्धों को सुविधाजनक बनाने के अनुक्रम में, मॉरीशस के साथ एक दोहरे कराधीन परिवर्तन करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

(घ) और (ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने श्रीलंका और वियतनाम को क्रमशः 30 मिलियन अमरीकी डालर तथा 90 करोड़ रुपए की ऋण श्रृंखलाएं प्रदान की हैं।

(च) और (छ) द्विपक्षीय दाताओं से विदेशी सहायता के ब्यौरे, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित, विदेशी सहायता विवरणिका, 1994-95 में उपलब्ध हैं। विवरणिका की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय का कार्य निष्पादन

1203. **श्री वी॰ प्रदीप देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक के उत्पादन कार्य में 1992-93 से 1996-97 तक गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (आई॰एस॰पी॰) विभिन्न प्रतिभूति/डाक सम्बन्धी मदों जैसे पासपोर्ट, गैर-न्यायाधिक स्टाम्पों चैक बकों और डाक सम्बन्धी लेखन सामग्री के विनिर्माण और छपाई में संलग्न है। आई॰एस॰पी॰ का उत्पादन निष्पादन डाक सम्बन्धी लेखन सामग्री की मदों के अतिरिक्त गिरावट पर नहीं है; ऐसा उसकी उत्पादन क्षमता को अत्यावश्यक वस्तुओं जैसे चैक बुकों/गैर न्यायाधिक स्टाम्पों के विनिर्माण की तरफ मोड़ दिए जाने के कारण है।

स्टाक मार्किट

1204. **श्री बृज भूषण तिवारी** :
श्री कुंवर सर्वराज सिंह :
श्री चित्त बसु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्टाक मार्किट के उतार-चढ़ाव से संतुष्ट हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) स्टाक मार्किट के अनियमित उतार-चढ़ाव के क्या कारण हैं और इस संबंध में विदेशी निवेशकों की भूमिका क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे उतार-चढ़ाव को राकने और निवेशकों में विश्वास पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) सरकारी नीति की मुख्य दिलचस्पी यह सुनिश्चित करना है कि स्टाक बाजार निवेशकों के अधिकारों की रक्षा और स्टाक बाजार में निवेशकों का विश्वास कायम रखने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों और विनियमों का पूरा अनुपालन करते हुए व्यवस्थित और पारदर्शी ढंग से कार्य करें।

(ग) शेयरों की कीमतों के उतार-चढ़ाव को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। इनमें से कुछ कारक कार्पोरेट क्षेत्र और आम तौर पर अर्थव्यवस्था के कार्य-निष्पादन के संबंध में निवेशकों की प्रत्याशाओं, सरकार की आर्थिक नीतियों के बारे में निवेशकों की राय, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में घटनाओं और सट्टेबाजी की गतिविधियों से संबंधित हैं। भारतीय स्टाक बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ॰आई॰आई॰) के लेन-देन सेबी (विदेशी संस्थागत निवेशक) विनियमों से शासित होते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए जाने वाले निवेश पोर्टफोलियों माध्यम के अंतर्गत किसी एक भारतीय कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 24 प्रतिशत की सीमा तक सीमित होते हैं। इसके अलावा, विदेशी संस्थागत निवेशकों को केवल सुपुर्दगी-आधार पर प्रतिभूतियों में लेन-देन करने की अनुमति दी जाती है। इन कारकों को देखते हुए, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए जाने वाले लेन-देनों को स्टाक बाजार में होने वाली घट-बढ़ का कारण बताना उचित नहीं होगा।

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) बाजार के कार्यकरण पर कड़ी नजर रखे हुए है और बाजार के व्यवस्थित विकास के लिए, कदाचारों पर रोक लगाने और निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए सेबी अधिनियम, नियम और विनियम के उपबंधों के अंतर्गत समय-समय पर उपाय करता रहा है।

[हिन्दी]

गैर बैंककारी संस्थायें

1205. **श्री आर॰एल॰पी॰ वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1997 की स्थिति के अनुसार देश में राज्यवार कितनी गैर बैंककारी संस्थायें कार्य कर रही थीं;

(ख) क्या सरकार का गैर बैंककारी संस्थाओं को बन्द करने संबंधी विधेयक लोक सभा में पुनः स्थापित करने का विचार हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बैंक की डाक-सूची में शामिल गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गैर-बंककारी वित्तीय कंपनियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	2,416
2.	असम	170
3.	बिहार	362
4.	चंडीगढ़	446
5.	दिल्ली	8,875
6.	गोवा	169
7.	गुजरात	2,574
8.	हरियाणा	1,062
9.	हिमाचल प्रदेश	95
10.	जम्मू एवं कश्मीर	295
11.	कर्नाटक	1,384
12.	केरल	1,085
13.	मध्य प्रदेश	452
14.	महाराष्ट्र	7,072
15.	मणिपुर	15
16.	मेघालय	11
17.	नागालैंड	6
18.	उड़ीसा	135
19.	पांडिचेरी	69
20.	पंजाब	1,710
21.	राजस्थान	463
22.	सिक्किम	1
23.	तमिलनाडु	5,079
24.	त्रिपुरा	2
25.	उत्तर प्रदेश	1,940
26.	पश्चिम बंगाल	5,669
	जोड़	41,557

(ख) से (घ) अन्य बातों के साथ-साथ गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों को विनियमित करने के प्रयोजन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 को संशोधित करने के लिए दिनांक 9 जनवरी, 1997 को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है। सभी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के कार्यकरण को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

बैंकों द्वारा लघु और सीमान्त उद्यमियों को सहायता

1206. **डा॰ असीम बाला :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों द्वारा लघु और सीमान्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि लघु उद्योगों (अति लघु क्षेत्र सहित) को वित्तीय सहायता, बैंकों द्वारा दिए जाने वाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधारों का ही भाग होते हैं। मार्च, 1994 और 1995 के अन्त की स्थिति के अनुसार, इन बैंकों द्वारा इस क्षेत्र को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता नीचे दी गई है :—

(लाख रुपए)

	मार्च, 1994		मार्च, 1995	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
लघु उद्योग (अति लघु क्षेत्र सहित)	2947670	2397828.41	2963458	2917452.35

[हिन्दी]

विश्व बैंक से प्राप्त ऋण

1207. **श्री दत्ता मेघे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान विश्व बैंक द्वारा भारत को स्वीकृत किए गए ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत ऋणों को सरकार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) पिछले वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान स्वीकृत किए

गए ऋणों/उधारों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्र॰सं॰	परियोजना का नाम	दाता एजेंसी	उधार/ऋण
1.	मध्य प्रदेश वानिकी	अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी	58.00
2.	कृषि मानव संसाधन विकास	अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी	59.50
3.	असम ग्रामीण आधारभूत ढांचा और कृषि	अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी	126.00
4.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन	अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी	282.90
5.	पन-बिजली	अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी	142.00
6.	मद्रास जल संसाधन द्विवतीय	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	275.80
7.	मुम्बई मल-निकासी	अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी/अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	192.00
8.	उड़ीसा जल संसाधन-समेकन	अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी	290.00

(ख) सरकार विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण ले रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बेकार पड़ी मशीनें

1208. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जनवरी, 1997 के "स्टेट्स मेन" में "एक्सपैंसिव मशीनन्स लाइंस अनयूज्ड एट सी॰आई॰एल॰" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा खरीदी गई और विभिन्न कोयला क्षेत्रों में स्थापित की गई अनेक मशीनें बेकार पड़ी हैं;

(ग) इन मशीनों की वास्तविक लागत क्या है और इन्हें किस उद्देश्य के लिए खरीदा गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इन मशीनों का भरपूर उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। कोल इंडिया लि॰ की विभिन्न सहायक कंपनियों में दूरसंचार विभाग के रिमोट एरिया बिजिनेस मैसेज़ नेटवर्क (आर॰ए॰बी॰एम॰एन॰) के साथ कार्यरत किए जाने हेतु लघु स्वरूप के छिद्र टर्मिनलों (वी॰एस॰ए॰टी॰) के 92 नगों की खरीद की गई और उनकी स्थापना की गई थी। 39 टर्मिनल प्रयोग किए जाने के बाद कुछ समयावधि के लिए अनुप्रयुक्त रह गए, जोकि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰ के क्षेत्रों के खानों का पुनर्गठन के कारण हुआ है। अभी तक 14 टर्मिनलों का पुनः आवंटन किया गया है और अद्यतन स्थिति के अनुसार 25 टर्मिनल अभी अनुप्रयुक्त पड़े हैं।

प्रत्येक वी॰एस॰ए॰टी॰ की लागत 7,44,676.70 रु॰ है। इन वी॰एस॰ए॰टी॰ की खरीद वर्ष 1992 में की गई थी। इनकी खरीद "प्वाइंट टू प्वाइंट" दूरसंचार संबंधी आकंड़े विभिन्न क्षेत्रों के बीच तथा सहायक कंपनियों के महत्वपूर्ण परियोजनाओं में तथा विभिन्न सहायक कंपनियों के बीच उक्त कार्रवाई किए जाने के लिए की गई थी, जोकि कोल नेट के चरण-III के अनुसार दूरसंचार विभाग के आर॰ए॰बी॰एम॰एन॰ को प्रयोग करके खरीद संबंधी कार्रवाई की गई है।

(घ) जैसकि उपर्युक्त (क) से (ग) में उल्लेख किया गया है, अनुप्रयुक्त पड़े वी॰एस॰ए॰टी॰ को लाभकारी रूप में प्रयोग किए जाने हेतु अन्य क्षेत्र/परियोजनाओं को अक्तूबर, 1993 से पुनः आवंटित किए जाने संबंधी कार्रवाई पहले कर ली गई है।

मंत्रालयों/विभागों द्वारा पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की सेवाओं का उपयोग

1209. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग द्वारा पूर्ति और निपटान महानिदेशालय की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी अधिसूचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को अनेक मांग पत्र लौटा दिए गए हैं ताकि सम्मिलित मदों की वे सीधी खरीद कर सकें;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग को लौटाए गए मांग-पत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों की पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की दर संविदा के तहत शामिल की गई आम (कामन) इस्तेमाल की उन मदों की खरीद करनी होती है जिनका क्रय मूल्य, सीधी खरीद के लिये प्रदत्त शक्तियों से अधिक होता है अर्थात एक बार में 20 हजार रुपये और एक साल में कुल एक लाख रुपये। उन मदों की अधिप्राप्ति, मंत्रालयों/विभाग द्वारा सीधे ही की जानी होती है जो मदें, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की दर संविदाओं में शामिल नहीं होती हैं। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय/विभागों द्वारा उन मदों के लिये, जो मदें पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की दर संविदाओं के तहत शामिल नहीं हैं, दिये गये तदर्थ मांगपत्र भी निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के शर्ताधीन केवल अपवाद के रूप में स्वीकार किये जाते हैं। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त, अन्य बातों के साथ-साथ, पूर्ति विभाग के 26 जुलाई 1995 और 6 दिसम्बर 1995 के कार्यालय ज्ञापन संख्या पी-III-1(9)/95 द्वारा अधिसूचित किये गये हैं।

(ग) से (ङ) जिन किन्हीं मामलों में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को दिये गये मांगपत्र, निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं होते हैं तो उन मांगपत्रों को, सीधी अधिप्राप्ति के लिये संबंधित मंत्रालयों/विभागों को वापिस लौटा दिया जाता है।

कपास का निर्यात

1210. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**

श्री सनत मेहता :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास उत्पादक राज्य विशेषकर गुजरात ने कपास उत्पादकों को कपास का उचित मूल्य देने हेतु निर्यात के लिए कपास का और कोटा जारी करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कपास निर्यात हेतु सरकार द्वारा जारी कोटे का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰एल॰ जालप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात सहकारिता राज्य निगम कपास परिसंघ लि॰ को आज तक 1.00 लाख गांठों का कोटा आबंटित किया गया है। उत्पादन के अनुमानों, उपलब्धता, उपभोग, संभावित बेशी, कीमत प्रवृत्तियों आदि सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखने के पश्चात सरकार द्वारा कपास निर्यात कोटों की घोषणा की जाती है। सरकार एक ओर तो कपास उपजकर्ताओं तथा दूसरी ओर कपास खपत वाले क्षेत्रों, विशेषकर विकेन्द्रीकृत हथकरघा बुनकरों के हितों के संतुलन का प्रयास करती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान रिलीज किए गए कोटों का विवरण निम्न है :—

वर्ष	रिलीज किया गया कोटा
	(लाख गांठ में)
1993-94	5.00
1994-95	1.856
1995-96	15.900

सिरेमिक उद्योग

1211. **श्री परस राम मेघवाल :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत सिरेमिक उद्योगों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में और सिरेमिक इकाइयां स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से सहायता प्रदान करने और लाइसेंस जारी करने हेतु अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) 1.4.96 के अनुसार देश में संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे सिरेमिक उद्योगों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) सिरेमिक उद्योग लाइसेंसमुक्त है। आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य	सिरेमिक इकाईयों की संख्या
1	2
महाराष्ट्र	3
मध्य प्रदेश	2
कर्नाटक	2

1	2
हरियाणा	7
गुजरात	10
राजस्थान	3
उत्तर प्रदेश	3
आन्ध्र प्रदेश	8
पांडिचेरी	3
केरल	1
तमिलनाडु	2
उड़ीसा	1
	45

[हिन्दी]

शुल्क में कमी

1212. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यदि भारत शुल्क में कमी करता रहा तथा अन्य देशों ने इसका अनुसरण नहीं किया तो इससे न केवल भारत अपने कतिपय निर्यात बाजारों से वंचित हो जायेगा अपितु, घेरलू बाजार में इसकी भागीदारी भी काफी कम हो जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार का दृष्टिकोण क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) भारतीय आयातों की टैरिफ दरें अधिकांश विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रचलित टैरिफ दरों की तुलना में ऊंची हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के हितों को ध्यान में रखते हुए आयात टैरिफ दरों में कमी धीमी और अंशाकित रही है। अतः भारत के हाथ से निर्यात बाजार निकल जाने अथवा घरेलू उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ने के बारे में कोई आशंका करने की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

सूती कपड़े का निर्यात

1213. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान सरकार द्वारा कपास के स्वीकृत निर्यात कोटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों को आबंटित कोटे का ब्यौरा क्या है तथा राज्यों द्वारा वास्तव में कितना निर्यात किया गया;

(ग) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्यों द्वारा स्वीकृत कोटे के अनुसार कपास का निर्यात नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा कपास के निर्यात की मांग को पूरा करने में विभिन्न राज्यों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰एल॰ जालप्पा) : (क) कपास मौसम 1995-96 तथा वर्तमान कपास मौसम 1996-97 (आज तक) के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न राज्य परिसंघों/निगमों तथा अन्य एजेंसियों को निर्यात के लिए क्रमशः 15.90 लाख गांठ तथा 12,20 लाख गांठ के कपास कोटे रिलीज किए गए थे।

(ख) और (ग) विभिन्न परिसंघों/निगमों द्वारा रिलीज किए गए तथा वास्तविक रूप से निर्यात किए गए कपास निर्यात कोटे के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) वर्ष 1995-96 में कुछ परिसंघ/निगम समग्र निर्यात कोटों का प्रयोग नहीं कर पाए जिनके अनेक कारण हैं जिनमें वित्तीय कठिनाईयां, कपास की अपर्याप्त अधिप्राप्ति अथवा उनको स्तर की कपास के लिए पर्याप्त क्रेताओं का प्राप्त नहीं होना आदि शामिल हैं।

विवरण

वर्ष 1995-96 के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में आज तक रिलीज की गई तथा निर्यात की गई मात्रा के एजेंसी-वार ब्यौरे।

(मात्रा लाख गांठ में)

	एजेंसी/निगम	1995-96		1996-97	
		रिलीज की गई मात्रा	निर्यात की गई मात्रा	रिलीज की गई मात्रा	निर्यात की गई मात्रा
	1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र फेडरेशन	4.20	4.166	1.00	0.285
2.	गुजरात फेड॰	1.15	1.070	1.00	

1		2	3	4	5
3.	पंजाब फेड॰	0.15	0.138	0.25	
4.	हरियाणा फेड॰	0.05	0.047	0.05	
5.	राजस्थान फेड॰	0.10	–	0.15	
6.	आंध्र प्रदेश फेड॰	0.15	0.034	1.00	
7.	तमिलनाडु फेड॰	–	–	–	
8.	कर्नाटक फेड॰	0.25	0.006	0.25	
9.	एम॰पी॰ कारपोरेशन	–	–	0.05	
10.	ए॰पी॰ गिरिजन	0.05	–	–	
11.	एम॰पी॰ फेड॰	–	*0.089	0.10	
12.	पंजाब फेड॰	–	–	0.25	
			* 94–95 का शेष		
	योग :	6.10	5.550	4.10	0.285

"ई॰सी॰बी॰" योजना को सरल बनाया जाना

1214. डा॰ कृपासिंधु भोई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी वाणिज्यिक व्यापार योजना को सरल कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विदेशी वाणिज्यिक व्यापार योजना के सरलीकरण का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) जून, 1996 में सरकार ने नवीनतम संशोधनों और आवेदन के लिए प्रारूप (फारमेट) को सम्मिलित करते हुए विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ई॰सी॰बी॰) की नीतियों और प्रक्रियाओं संबंधी दिशा-निर्देशों का एक व्यापक सेट जारी किया है जिसका उद्देश्य नीति में पारदर्शिता बढ़ाना तथा प्रक्रिया को सरल बनाना है ताकि भारतीय उद्योग निवेश और आर्थिक कार्यकलाप को सहायता देने के लिए विदेशी निधियों तक अपेक्षाकृत आसानी से पहुंच सके।

कंपनियों और संस्थाओं के हित के लिए आगे और सरलीकरण और विनियंत्रण उपाय के रूप में और लघु उधारकर्ताओं के लिए अपेक्षाकृत अधिक लचीलेपन की व्यवस्था के लिए सरकार ने 3.00 मिलियन अमरीकी डालर की योजना के अन्तर्गत मंजूरी देने की शक्तियां 15 दिसम्बर, 1996 से भारतीय रिजर्व बैंक को प्रत्यायोजित कर दी हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1215. श्री डी॰पी॰ यादव :

श्री भगवान शंकर रावत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और विशेषकर सम्भल के ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कितना ऋण वितरित किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान बैंकों में कुल निक्षेप की तुलना में इन ऋणों का प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या लाखों रुपयों का ऋण फर्जी नामों में प्रदान किया गया है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में जांच की है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) उत्तर प्रदेश में 3035 शाखाओं के साथ 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। मुरादाबाद जिले में कार्यरत प्रथमा ग्रामीण बैंक की सम्भल ग्रामीण क्षेत्र में 23 शाखाएं हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि मार्च 1995 और मार्च 1996 के अन्त की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा संवितरित ऋण और साथ ही कुल जमाराशियों की तुलना में उनका प्रतिशत निम्नानुसार था :—

(लाख रुपए)

मार्च 1995		मार्च 1996	
संवितरित ऋण	कुल जमाराशियों की तुलना में %	संवितरित ऋण	कुल जमा जमाराशियों की तुलना में %
42025	13.92	49094	12.89

इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की व्यापक संचित हानियों को देखते हुए, चुकता पूंजी के साथ साथ इनकी जमाराशियों का भी पर्याप्त रूप से क्षरण हो गया है। अतः जमाराशियों की तुलना में जारी ऋणों की उपर्युक्त वर्णित स्थिति से राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की सही स्थिति का संभवतः पता न चले।

(घ) नाबार्ड ने सूचित किया है कि उन्हें अभी तक ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं मिली है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

कृषि ऋण

1216. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे तथा सीमांत किसानों के ऋण की आवश्यकता का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पर्याप्त कृषिजन्य ऋण प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित कृषि ऋण तथा सहयोग संबंधी कार्यकारी समूह ने, अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 1997-98 से 2001-02 तक की अवधि के लिए लघु और सीमांतिक किसानों की संभावित कृषि ऋण अपेक्षाओं का आंकलन किया है जो तदनुरूपी अवधि की संभावित कृषि ऋण अपेक्षा का 47.25 प्रतिशत है।

(ग) कृषि क्षेत्र को पर्याप्त और समय पर ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने कई कदम उठाए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) वाणिज्यिक बैंकों से पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1996-97 के दौरान कृषि के लिए ऋण के प्रवाह को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए कहा गया है;

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और सीमांतिक किसानों की ऋण अपेक्षाओं को पूरा करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को पुनर्पूंजीकरण सहायता दी जा रही है;

(3) खास तौर पर उच्च्य तकनीक वाले कृषि अग्रिमों का कार्य देखने के लिए बैंकों से प्रत्येक राज्य में विशेषज्ञता प्राप्त कृषि शाखाएं खोलने के लिए कहा गया है;

(4) बैंकों से अच्छा कार्यनिष्पादन रिकार्ड रखने वाले किसानों की संमिश्र ऋण अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नकदी ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहा गया है;

(5) संस्थागत ऋण तक लघु किसानों की पहुंच में सुधार करने के उद्देश्य से, नाबार्ड ने सहकारी बैंकों से लघु, सीमांतिक और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के पक्ष में निधियां निर्धारित करने के लिए कहा है।

(6) नाबार्ड ने बैंकों से यह भी कहा है कि उन लघु और सीमांतिक किसानों की ऋण अपेक्षाओं (सामान्यतः 10 प्रतिशत तक और पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 20 प्रतिशत तक) को पूरी तरह से पूरा किया जाना चाहिए।

चन्दा

1217. श्री प्रमोद महाजन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय जम्मू-कश्मीर में विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक संगठनों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन, 1973 का उल्लंघन कर प्राप्त चंदों की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त मामलों में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के मामले में पाये गये दोषी व्यक्तियों/संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) जी हां। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के उपबंधों के अन्तर्गत जम्मू एवं कश्मीर में विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक संगठनों की हुरियत कान्फ्रेंस द्वारा प्राप्त चंदों की जांच करता रहा है। उक्त संगठनों के दो सदस्यों, सर्वश्री अफाक हुसैन लोन और शाहाबुद्दीन गौरी के विरूद्ध की गई जांच से पता चला

है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए उन्होंने लाखों रुपए प्राप्त किए थे और अदायगियां की थीं।

(ग) और (घ) अदालत में समवर्ती अभियोजन कार्रवाई के अलावा उक्त सर्वश्री अशफाक हुसैन लोन और शाहाबुद्दीन गौरी के विरूद्ध न्याय-निर्णयन कार्रवाई आरम्भ की गई है।

बैंक ऑफ इण्डिया

1218. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक ऑफ इण्डिया ने अपनी पूंजी में से 93.47 करोड़ रुपए लौटाने के लिए केन्द्र सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) बैंक ऑफ इंडिया ने दिनांक 31.1.97 को अपनी पूंजी में से 93.47 करोड़ रुपए की राशि सरकार को लौटा दी है। दिनांक 31.3.96 की स्थिति के अनुसार अब बैंक की पूंजी 582.47 करोड़ रुपए के स्तर से घटकर 489.00 करोड़ रुपए रह गई है।

कोयले का अवैध खनन

1219. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में कोयले का अवैध रूप से खनन करने के राज्य-वार कितने मामले सामने आए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा कोयले का इस प्रकार अवैध रूप से खनन रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) कोल इंडिया लिमिटेड (को॰इं॰लि॰) से प्राप्त सूचना के अनुसार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰ (ई॰को॰लि॰), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (भा॰को॰को॰लि॰) की कुछ खानों से कोयले का गैर-कानूनी रूप से उत्खनन होता रहा है।

पिछले 3 वर्षों की अवधि के दौरान गैर-कानूनी रूप से उत्खनन किए गए क्रिया-कलापों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

कम्पनी	1993-94	1994-95	1995-96
ई॰को॰लि॰	55	58	61
भा॰को॰को॰लि॰	38	60	32
से॰को॰लि॰	16	25	23

(ख) गैर-कानूनी रूप से उत्खनन पर रोक लगाए जाने हेतु कोयला कम्पनियों द्वारा निम्न कदम उठाए गए हैं :—

(1) प्रयोग में न लाई गई ओपनकास्ट खानों के अनुवृत कोयले के मुहाने, जहां तक संभव हो, को मलबे से ढक दिया जाये।

(2) जब कभी भी कोयलाधारी क्षेत्रों के अंदर गैर-कानूनी रूप से उत्खनन किए जाने संबंधी कोई घटना कोलियरीज अधिकारियों के नोटिस में आती है, तो ऐसी स्थिति में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी॰आई॰एस॰एफ॰) द्वारा गश्त को बढ़ा दिया जाता है। कभी-कभी सी॰आई॰एस॰एफ॰ द्वारा संयुक्त रूप में ऐसे क्षेत्रों पर छापे मारे जाते हैं।

(3) कोयला कंपनियों द्वारा ऐसे गैर-कानूनी क्रियाकलापों पर रोक लगाए जाने हेतु राज्य प्राधिकारियों/पुलिस के साथ निकटतम संपर्क रखना पड़ता है।

व्यापार समझौता

1220. श्री नीतीश भारद्वाज : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देकर व्यापार को बढ़ाने हेतु पता लगाये गये क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ सरकार का विचार प्राथमिकता के आधार पर द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का है;

(ग) क्या गत पांच वर्षों के दौरान व्यापार नीति की कोई समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भुगतान संतुलन की स्थिति सुधारने हेतु और क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित कर व्यापार को सुधारने के लिए सरकार द्वारा जो क्षेत्र अभिज्ञात किए गए हैं उनमें शामिल हैं-परम्परागत और गैर-परम्परागत निर्यात उद्योग जिनमें अन्य उद्योगों के साथ-साथ वे उद्योग शामिल हैं जो मूल्य वर्धित निर्यात की अनुमति देते हैं। महत्वपूर्ण अभिज्ञात क्षेत्र हैं-कृषि उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, साफ्टवेयर समेत इलैक्ट्रानिक, वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान, चर्म विनिर्माण एवं रसायन उत्पाद।

(ख) भारत के पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, पूर्वी यूरोप, अमरीका, अफ्रीका, स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल, लाटिन अमरीका तथा अन्य क्षेत्र के लगभग सभी प्रमुख देशों के साथ व्यापार संबंध हैं। सभी व्यापारिक साझेदारों के साथ द्विपक्षीय व्यापार में सुधार करने के प्रयास संयुक्त आयोग की बैठकों, व्यापार करारों और व्यापार मेलों में भागीदारी के जरिए किए जाते हैं। निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण देश

हैं : यू॰एस॰ए॰, जापान, हांगकांग, यू॰के॰, जर्मनी, यू॰ए॰ई॰ एवं बेलजियम। उभरते बाजारों में संभाव्यता को देखते हुए अफ्रीका लाटिन, अमरीका और सार्क देशों के साथ व्यापार बढ़ाने पर बल दिया गया है।

(ग) और (घ) निर्यातक समुदाय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दशाओं की जरूरतों को पूरा करने की मंशा से 1992–97 अवधि के लिए प्रभावी एग्जिम नीति को समय-समय पर अद्यतन किया गया है।

(ङ) भुगतान संतुलन की स्थिति व्यापार संतुलन पर निर्भर रहती है। चूंकि व्यापार घाटा आयात और निर्यात मूल्य के बीच का अन्तर होता है अतः व्यापार घाटों को कम करने का मुख्य मार्ग निर्यात को बढ़ाने पर निर्भर करता है। निर्यात संवर्धन उपाय निर्यात के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए नीति और क्रियाविधियों में परिवर्तन के जरिए राज्य सरकारों की भागीदारी एवं व्यापार और उद्योग के साथ सामयिक परामर्श द्वारा किए जाते हैं।

विदेशी और घरेलू ऋण पर श्वेतपत्र

1221. **श्री नारायण अठावले : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गत पांच वर्षों के दौरान की गई विदेशी और घरेलू ऋण की स्थिति तथा इस संबंध में आगामी पांच वर्षों हेतु अनुमामों पर श्वेतपत्र तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऋण की स्थिति और इसकी उभरती हुई प्रवृत्ति संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नुकसानदेह प्रवृत्ति को कारगर ढंग से निपटाने हेतु क्या रणनीति तैयार की गई है; और

(घ) गत पांच वर्षों से घटती जा रही आंतरिक घरेलू बचत दर में वृद्धि हेतु प्रस्तावित प्रोत्साहन पैकेजों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में भारत के विदेशी ऋण पर एक प्रास्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो ऐसे श्वेतपत्रों की श्रृंखला में तीसरी है। यह पत्र हाल के वर्षों में देश की विदेशी ऋणग्रस्तता की स्थिति में निरन्तर सुधार को दर्शाता है।

आंतरिक ऋण पर श्वेतपत्र लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जिसके ब्यौरे प्राप्ति बजट दस्तावेजों में अन्तर्निहित हैं।

(ग) सरकार द्वारा अपनाई गई विदेशी ऋण प्रबन्धन नीति में निर्यातों की उच्च वृद्धि दर को निरंतर बनाए रखना, गैर-ऋण सृजक पूंजी अन्तःप्रवाहों को बढ़ावा देना और परिपक्वता संरचना के साथ-साथ वाणिज्यिक ऋण की कुल राशि को नियंत्रणाधीन रखना शामिल हैं। सरकार व्यय को नियंत्रण में करके और इसकी गैर-ऋण प्राप्ति के माध्यम से राजकोषीय घाटे (अतिरिक्त उधार राशियां) को नियंत्रित करने का भी प्रयास करेगी।

(घ) आंतरिक बचत दर को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहनों के पैकेज के ब्यौरे बजट निर्माण का एक हिस्सा है जो कि गुप्त प्रकृति है, का है और इस समय इसके कोई भी ब्यौरे देना संभव नहीं है।

भविष्य निधि पर ब्याज-दर

1222. **श्री चित्त बसु : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भविष्य निधि पर ब्याज दर बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रस्ताव इस समय किस चरण पर है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) भविष्य निधि पर ब्याज दर बढ़ाने के लिए वर्तमान में सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का प्रस्ताव

1223. **श्री शरत पटनायक : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 24 देशों की प्राथमिकता सूची से भारत को हटाने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 24 देशों की कोई प्राथमिकता सूची नहीं है और इसलिए भारत को इस प्रकार की सूची से हटाने का प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटेन के साथ आर्थिक संबंध

1224. **श्री एस॰डी॰एन॰आर॰ वाडियार : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ब्रिटेन के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) यूनाइटेड किंगडम के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में उठाए गए कुछ कदम

इस प्रकार हैं-अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना, व्यापारिक शिष्टमंडलों का व्यापक आदान-प्रदान, वाणिज्यिक संगठनों को आवश्यक जानकारी देना और यथासंभव सभी सुविधाएं मुहैया कराना, भारत-ब्रिटिश संबंधों के प्रमुख मुद्दों और संवर्धनात्मक गतिविधियों पर अधिक ध्यान दिया जाना।

भारत सरकार ने 1994 में यूनाइटेड किंगडम के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका जनवरी, 1995 में अनुसमर्थन करके करार को प्रभावी बनाया गया।

भारत यूनाइटेड किंगडम से सर्वाधिक सहायता प्राप्त करने वाला देश भी है और इस सहायता में वृद्धि हो रही है।

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों की इक्विटी

1225. **श्री जगमोहन :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड की कुछेक आर्थिक दृष्टि से बेहतर सहायक कंपनियों की इक्विटी को ऋण में परिवर्तित करने और कुछ आर्थिक दृष्टि से कमजोर सहायक कंपनियों में नई इक्विटियों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कमजोर सहायक कंपनियों में नई इक्विटी के रूप में कितनी धनराशि लगाने का प्रस्ताव है; और

(ग) वे कौन सी सहायक कंपनियां हैं जिनका बेहतर और कमजोर सहायक कंपनियों के रूप में पता लगाया गया है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां। कोल इंडिया लि॰ (को॰इं॰लि॰) से प्राप्त सूचना के अनुसार, को॰इं॰लि॰ की वित्तीय रूप में अच्छी स्थिति की कुछ सहायक कंपनियों की इक्विटी को कम किए जाने का प्रस्ताव है, जो कि इन सहायक कंपनियों में ऋण में इक्विटी को परिवर्तित किए जाने के साथ वित्तीय रूप में कमजोर सहायक कंपनियों में इक्विटी की तुलना में ऋण के प्रत्यावर्तित परिवर्तन संबंधी है तथा यह कार्रवाई महानदी कोलफील्ड्स लि॰ में भी की जाए जहां कि पूंजीगत इक्विटी की मात्रा बहुत कम है।

(ख) वित्तीय रूप में कमजोर सहायक कंपनियों के मामले में, नई इक्विटी के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए संभावित राशि को नीचे दर्शाया गया है :

ई॰को॰लि॰	923.60 करोड़ रु॰
भा॰को॰को॰लि॰	979.50 करोड़ रु॰

(ग) वित्तीय स्थिति पर विचार करते हुए वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰, नार्दर्न कोलफील्ड्स लि॰, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰ और महानदी कोलफील्ड्स लि॰ को वित्तीय दृष्टि से अच्छी कंपनियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰, भारत कोकिंग कोल लि॰ और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि॰ को वित्तीय दृष्टि से कुछ कमजोर स्थिति की सहायक कंपनियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

साधारण बीमा निगम तथा इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा अर्जित राजस्व

1226. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान भारतीय साधारण बीमा निगम और इसकी तीन सहायक कम्पनियों द्वारा कुल कितना राजस्व प्राप्त किया गया/बिक्री की गई;

(ख) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान इन तीनों सहायक कम्पनियों में से प्रत्येक के द्वारा किस-किस प्रकार के बीमे से कितनी बिक्री की गई तथा राजस्व प्राप्त किया गया; और

(ग) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान साधारण बीमा निगम की इन तीनों सहायक कम्पनियों द्वारा अलग-अलग बीमों के अन्तर्गत कितने बीमाधारकों (बीमाधारक पार्टियों) का बीमा किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान भारतीय साधारण बीमा निगम और इसकी चार सहायता कम्पनियों द्वारा भारत में प्रत्यक्ष सकल प्रीमियम आय कारोबार द्वारा कुल राजस्व क्रमशः 4959.44 करोड़ रुपये और 6047.39 करोड़ रुपये था।

(ख) अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :—

(राशि करोड़ रु॰ में)

कम्पनी का नाम	अग्नि		समुद्रीय		विविध	
	1994-95	1995-96	1994-95	1995-96	1994-95	1995-96
नेशरल	243.34	303.51	165.30	197.19	536.72	694.47
न्यू इंडिया	415.44	497.83	230.16	263.67	878.69	1105.98
ओरिएन्टल	262.21	312.57	170.56	204.94	641.58	779.07
यूनाइटेड इंडिया	327.19	386.70	260.83	295.49	707.71	848.18

(ग) बीमा कम्पनियां सूचना केवल पालिसी-वार सुरक्षित रखती हैं न कि ग्राहक-वार। वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान जारी की गई पालिसियों की कुल संख्या निम्नलिखित है :-

(लाख में)

कम्पनी का नाम	जारी की गई पालिसियों की संख्या	
	1994-95	1995-96
नेशनल	47.09	58.70
न्यू इंडिया	70.15	77.65
ओरिएन्टल	47.27	50.48
यूनाइटेड इंडिया	55.32	59.08

पांचवां वेतन आयोग

1227. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग, जिसकी रिपोर्ट 30 जनवरी, 1997 को प्रस्तुत की गई है, ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो पूर्व में सेवानिवृत्ति हुए कर्मचारियों/सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों, जिनकी उम्र साठ वर्ष से अधिक नहीं हुई है, के संबंध में विसंगतियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है तथा इससे संबंधित मुद्दों सहित इसका औचित्य क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। आयोग ने केन्द्रीय पुलिस संगठन तथा सशस्त्र सेना कर्मियों और बढ़ाई गई सेवा अवधि पर कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने की सिफारिश की है। सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन कर दिया है। इस सिफारिश पर भी समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

वाहनों का विनिर्माण

1228. **प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
डा॰ महादीपक सिंह शाक्य :
श्री सुरेन्द्र यादव :
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :
श्री नवल किशोर राय :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न किस्म के वाहनों के विनिर्माण में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में विभिन्न प्रकार के कारों, ट्रकों, स्कूटरों, ट्रेक्टरों और बसों की विनिर्माण क्षमता कितनी है;

(ग) विदेशी निवेश से वाहनों का विनिर्माण करने हेतु कितनी औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी दी गई है; और

(घ) उनमें कुल कितना निवेश किया गया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में विभिन्न तरह के वाहनों का उत्पादन इस प्रकार रहा है :-

	1993-94	1994-95	1995-96
वाणिज्यिक वाहन	1,41,436	1,94,999	2,59,131
कार तथा जीपें	2,59,591	3,13,739	4,15,921
तिपहिया	91,608	1,33,693	1,73,412
दुपहिया	!7,56,155	21,95,260	26,56,017
ट्रैक्टर्स	1,37,608	1,62,900	2,10,000

भारतीय आटोमोबाइल विनिर्माता संघ के अनुसार विभिन्न आटोमोटिव क्षेत्रों में उत्पादन क्षमता इस प्रकार है :—

वाणिज्यिक वाहन	9,18,000 प्रति वर्ष
कार/जीप, 2/3 पहिया	44,70,000 प्रति वर्ष
ट्रैक्टर	1,71,800 प्रति वर्ष

(ग) वाहनों के विनिर्माण हेतु सरकार ने विदेशी निवेश संबंधी 15 प्रस्तावों को अनुमोदित किया है।

(घ) अलग-अलग उपक्रमों के निवेश के ब्यौरे सरकार द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

साबुन तथा डिटर्जेंट का उत्पादन

1229. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने विदेशी तथा घरेलू बड़े उद्योग साबुन और डिटर्जेंट का उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का इस उद्योग को नितान्त रूप से लघु क्षेत्र के लिए रखने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश के सभी जिलों में ऐसी लघु इकाइयां स्थापित करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (घ) साबुन तथा डिटर्जेंट के उत्पादन में लगभग 15 बड़ी उद्योग इकाइयां कार्यरत हैं जिसमें विदेशी इक्यूटी सहभागिता से स्थापित कुछ इकाइयां शामिल हैं।

लान्ड्री साबुन केवल लघु उद्योग क्षेत्र में ही विकास के लिये आरक्षित है। नहाने का साबुन तथा डिटर्जेन्ट का उत्पादन लघु उद्योग क्षेत्र के लिये आरक्षित नहीं हैं तथा नई औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेन्स मुक्त हैं। नहाने का साबुन तथा डिटर्जेन्ट उद्योगों को नितान्त रूप से लघु उद्योग क्षेत्र के लिये ही आरक्षित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

निवेश तथा उत्पादन का विनियमन नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत पर्याप्त रूप से उदार कर दिया गया है तथा औद्योगिक अनुमोदनों के लिये प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को काफी सरल बना दिया गया है। इन उपायों ने व्यापारिक वातावरण को रूपान्तरित किया है तथा अर्थव्यवस्था के लिए बड़े पैमाने पर घरेलू तथा विदेशी निवेश का मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिये विभिन्न स्थलों पर इकाइयां स्थापित करने के लिये संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पेशकश की गई सुविधाओं का लाभ उठाना अलग-अलग उद्यमी पर निर्भर करता है। वे लघु क्षेत्र के लिए उपलब्ध सभी सुविधाओं/रियायतों का लाभ उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

उच्च न्यायालयों की खण्डपीठें

1230. **श्री काशी राम राणा : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों में उच्च न्यायालयों की खण्डपीठें स्थापित की गई हैं;

(ख) इन खण्डपीठों और उनके क्षेत्राधिकार संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप) : (क) और (ख) गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ तारीख 4.2.1995 को शिलांग में स्थापित की गई थी और इसकी अधिकारिता मेघालय राज्य पर है।

[अनुवाद]

दूसरे देशों को ऋण

1231. **श्री मुख्तार अनीस :**
श्री कचरू भाऊ राउत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा दूसरे देशों को ऋण के रूप में जो धन राशि दी गई उसका देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने ऋण की पूरी राशि अदा नहीं की है; और

(ग) सरकार द्वारा इन ऋणों की वसूली करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित देशों ने भारत सरकार से ऋण प्राप्त किए हैं :

देश/वर्ष	राशि
तजाकिस्तान (1994)	5 मिलियन अमरीकी डालर
मारिशस (1994)	3.2 मिलियन अमरीकी डालर
उजबेकिस्तान (1994)	10 मिलियन अमरीकी डालर
तुर्कमेनिस्तान (1995)	5 मिलियन अमरीकी डालर
कजाखस्तान (1995)	10 मिलियन अमरीकी डालर
किर्घीस्तान (1995)	5 मिलियन अमरीकी डालर
तुर्कमेनिस्तान (1995)	10 मिलियन अमरीकी डालर
श्रीलंका (1996)	15 मिलियन अमरीकी डालर
वियतनाम (1996)	90 करोड़ रुपए
श्रीलंका (1997)	15 मिलियन अमरीकी डालर
मारिशस (1997)	3 मिलियन अमरीकी डालर

(ख) वापसी अदायगी की निर्धारित अवधि जो सामान्यता पूंजीगत वस्तुओं के लिए 3 वर्षीय ऋण स्थगन अवधि सहित 12 वर्ष और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं/परामर्श सेवाओं के लिए 1 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि सहित 3 वर्ष है, अभी समाप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेंशन एवं भविष्य निधि संबंधी नीति

1232. **श्री नामदेव दिवाथे :**
श्री अनंत गुढ़े :
श्री सनत कुमार मण्डल :
श्री शरत पटनायक :
श्री चित्त बसु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मौजूदा प्रणाली में सरलता लाने और कर्मचारियों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए पेंशन और भविष्य निधि की राशि का पूंजी बाजार में निवेश करने हेतु वर्तमान नीति में कोई परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में प्रस्तावित परिवर्तन के क्या प्रभाव होंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) निधियों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की अनुशंसाओं के आधार पर श्रम मंत्रालय ने पेंशन तथा भविष्य निधियों के अभियोजन की नीति में कतिपय परिवर्तनों का प्रस्ताव किया है। मामला विचाराधीन है।

जूता घोटाला में लिप्त बैंक की जांच

1233. **श्री रामसागर :** क्या वित्त मंत्री जूता घोटाला में लिप्त बैंकों की जांच के बारे में 22 नवम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 533 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में सूचनाएं प्राप्त कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय 22 नवम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 533 में दिये गये आश्वासन से है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पुलिस उपायुक्त, मुम्बई से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गयाहै कि कारीगरों/मोचियों की सहकारी संस्थाओं जैसे समाज के कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित वित्त के कथित दुरूपयोग की जांच करने के लिए कुछ अग्रणी जूता कंपनियों और विभिन्न चमड़ा सहकारी संस्थाओं के विरूद्ध आईपीसी के अन्तर्गत एक अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने वित्तपोषण करने वाले बैंकों पर अनियमितताओं का आरोप नहीं लगाया है।

जैसाकि पुलिस प्राधिकारियों द्वारा इच्छा व्यक्त की गई थी, आरबीआई ने जनवरी, 1997 में सभी संबंधित वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे 1980 से और उसके बाद मोचियों को किसी भी सूचीबद्ध सहकारी समिति से किए गए लेन-देनों का ब्यौरा दें। बैंक उपर्युक्त सूचना को भेजने की प्रक्रिया में हैं। आरबीआई से बैंकों से पुनः कहा है कि कारीगरों/उनकी मोची संस्थाओं को प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण और अग्रिमों और अन्य सुविधाओं को मंजूर/संवितरित करते समय, उनसे यह भी सुनिश्चित करने की आशा की जाती है कि आवेदन-पत्र प्रमाणिक हैं और वे उन कार्यकलापों को करें जिनके लिए संबंधित योजना बनाई गई हैं। बैंकों से यह भी कहा गया है कि ऋणों/अग्रिमों की मंजूरी के लिए निर्धारित किसी भी कार्यविधि (उधारकर्ता पार्टियों की प्रमाणिकता की जांच सहित) की केवल इस कारण उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि उसके लिए गारंटियां प्राप्त कर ली गई हैं। बैंकों से पुनः कहा गया है कि वे उधार दी गई निधियों के अन्तिम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी संवितरण पश्चात पर्यवेक्षण और ऋणों/अग्रिमों की अनुवर्ती कार्रवाई करें।

वित्तीय संस्थानों द्वारा धनराशि प्रदान किया जाना

1234. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री भक्त चरण दास :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995-96 के दौरान देश में वित्तीय संस्थानों द्वारा मंजूर की गयी कुल धनराशि गत वर्ष मंजूर की गयी धनराशि की तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान वित्तीय संस्थानों द्वारा राज्यों के लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गयी है तथा राज्य-वार एवं संस्थान-वार इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान अधिक धनराशि का भी वितरण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार और स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ग) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फिजूलखर्ची

1235. **श्री संदीपान थोरात :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक सरकारी विभाग उन्हें आबंटित पूरी राशि का उपयोग दिखाने के लिए मार्च माह में अत्यधिक व्यय करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आंकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) फिजूलखर्ची/परिहार्य व्यय रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) सरकारी विभागों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु तैयार किए गए/किए जाने वाले मार्ग-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ङ) सामान्य वित्तीय नियमावली के तहत प्रशासनिक रूप से सम्बद्ध विभाग या वह प्राधिकरण जिसकी ओर से संसद द्वारा अनुदान अथवा विनियोग प्राधिकृत किया जाता है, ही उसे सौंपे गए स्वीकृत अनुदानों और विनियोगों की तुलना में व्यय के नियंत्रण के लिए जवाबदेह होगा। इन नियमों में यह भी विनिर्दिष्ट है कि अत्यधिक व्यय, विशेषकर वित्त वर्ष के अंतिम माह में, वित्तीय नियमितता में बाधा समझा जाएगा और इस स्थिति से बचा जाना चाहिए। इस

मंत्रालय द्वारा जून, 1996 में व्यय प्रबंधन, वित्तीय नीति तथा सरलीकरण पर मार्गदर्शी निर्देश जारी किए गए थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक व्यय न हो, इन मार्ग निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने राजस्व तथा व्यय के नकद प्रवाह का मासिक आंकलन तथा प्रबोधन (मानीटरन) करते रहें।

दक्षेस देशों के साथ व्यापार संबंध

1236. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षेस देशों के साथ व्यापार संबंध में सुधार करने तथा उनको व्यापक बनाने के लिए कोई कदम उठाया है;,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत के इन देशों के साथ व्यापार संबंध के बारे में सरकार की वर्तमान स्थिति तथा नीति क्या है; और

(घ) दिसंबर, 1995 में ढाका घोषणा के लागू होने की तारीख से इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (घ) सार्क के सदस्य पड़ोसी राष्ट्रों यथा, नेपाल, भूटान, बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान के साथ व्यापार को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति है। पाकिस्तान को छोड़कर इनमें से प्रत्येक राष्ट्र के साथ औपचारिक द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत-नेपाल व्यापार संधि तथा भारत-भूटान व्यापार समझौते के द्वारा व्यापार अधिमानों का आदान-प्रदान किया गया है। बांगलादेश, श्रीलंका और मालदीव के साथ परम मित्र राष्ट्र (एम॰एफ॰एन॰) व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पाकिस्तान के मामले में भारत सरकार सामान्य निर्यात-आयात नीति के अनुसार, पाकिस्तान से सभी आयातों को एम॰एफ॰एन॰ व्यवहार प्रदान करती है। किन्तु, पाकिस्तान की सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार नीति का पालन कर रही है, जिसमें पाकिस्तानी व्यापारियों द्वारा भारत से सिर्फ निर्दिष्ट मदों के आयात की अनुमति दी जा रही है। भारत से आयातों को एम॰एफ॰एन॰ व्यवहार प्रदान करने के लिए पाकिस्तान को राजी करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

2. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) जिसमें बांगलादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं, वह 8 दिसम्बर, 1985 को अस्तित्व में आया, जिसका मूल उद्देश्य सहयोग के सहमत क्षेत्रों में संयुक्त कार्रवाई के द्वारा सदस्य राष्ट्रों में आर्थिक और सामाजिक सहयोग की प्रक्रिया को बढ़ाना है। सार्क सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष सहयोग की प्रगति को मानीटर करने के लिए समय-समय पर बैठकें करते आ रहे हैं। ढाका में अप्रैल, 1993 में आयोजित 7वें सार्क सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा एक घोषणा की गई (जिसे ढाका घोषणा के रूप में भी जाना जाता है) जिसमें "कदम-दर-कदम तरीके से जितनी जल्दी संभव हो, व्यापार को उदारीकृत करने की आवश्यकता" पर जोर दिया गया। सार्क अधिमानी व्यापार समझौता (साप्टा) के लिए ढाका में "अप्रैल, 1993 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया जो कि 7 दिसम्बर, 1995 को प्रभाव में आया। इसका उद्देश्य अंतःक्षेत्रीय व्यापार के लिए टैरिफ शुल्क में लगातार कमी करना था। अन्तःक्षेत्रीय व्यापार के लिए टैरिफ दरों में कमी करने हेतु दो दौर की वार्ताएं की जा चुकी हैं। वार्ताओं के पहले दौर के निष्कर्ष में छह अंकों के स्तर पर 484 टैरिफ लाइनों पर टैरिफ रियायतों का आदान-प्रदान किया गया है एवं वार्ताओं के दूसरे दौर के निष्कर्ष में अतिरिक्त 1975 टैरिफ लाइनों पर रियायतों का आदान-प्रदान किया गया है।

3. सबसे कम विकसित देश यथा, नेपाल, भूटान, बांगलादेश और मालदीव के मामले में अलग अस्तित्व के रूप में बर्ताव किया गया है, जिनके साथ व्यापार तरजीहों के मामले में बेहतर बर्ताव किया गया है।

4. सार्क क्षेत्र में सम्पूर्ण मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना अधिमानतः 2000 ई॰ तक लेकिन अधिक से अधिक 2005 ई॰ तक करने का प्रस्ताव है।

5. अन्तःसार्क क्षेत्रीय व्यापार में सुधार करने के लिए उठाए गए अन्य कदमों में शामिल हैं :—

(क) क्षेत्र के अन्दर व्यापार विवादों को निपटाने के लिए सार्क विवाचन बोर्ड की तरह एक संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) सीमाशुल्क प्रक्रियाओं को सरलीकृत करने, वर्गीकरण तथा मूल्यांकन नियमों को सुमेलित करने, इलैक्ट्रानिक आंकड़ा आधार एवं सीमाशुल्क प्रक्रियाओं में कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से एक सीमा शुल्क सहयोग दल की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

(ग) इस क्षेत्र में निर्यात की वस्तुओं के उत्पादन संबंधी विशिष्ट निर्देशों को मानकीकृत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(घ) अंतःक्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सदस्य राष्ट्रों में निवेश विनियमों से संबंधित सूचना का आदान-प्रदान नियमित आधार पर सार्क सचिवालय, काठमाण्डु के द्वारा किया जा रहा है।

(ङ) सदस्य राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु उपाय सुझाने के लिए शिक्षाविदों, सरकार एवं व्यापार क्षेत्रों की भागीदारी से एक त्रिपक्षीय अध्ययन किया गया है।

(च) सार्क क्षेत्र में परिवहन और पारगमन अवस्थापना विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(छ) सार्क क्षेत्र से पश्चिमी देशों को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जी॰एस॰पी॰ व्यवहार के लिए उद्गम के संचयी नियमों संबंधी अनुमति प्रदान करने हेतु सार्क को एक संघ रूप में मान्यता देने के लिए यूरोपीय संघ से संपर्क किया जा रहा है।

(ज) सार्क क्षेत्र में सरकारी एजेंसियों द्वारा बल्क खरीदारियों से संबंधित सूचना का सदस्य राष्ट्रों द्वारा आदान-प्रदान किया जा रहा है।

(झ) व्यापार सहयोग की प्रगति को मानीटर करने हेतु सार्क के वाणिज्य मंत्रियों की नियमित आधार पर बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। सार्क के वाणिज्य मंत्रियों की पहली बैठक नई दिल्ली में जनवरी, 1996 में आयोजित की गई और अन्तःक्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए शीघ्र ही दूसरी बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है।

(ञ) जनवरी, 1996 में दिल्ली में पहले सार्क व्यापार मेले का आयोजन किया गया तथा शीघ्र ही दूसरे मेले का आयोजन का कार्यक्रम है।

(ट) सार्क वाणिज्य और उद्योग मंडल (एस॰सी॰सी॰आई॰) सेमिनारों, कार्यशालाओं और बैठकों का आयोजन करके व्यापार स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

ऋण हेतु विदेशी वाणिज्यिक ऋण आवेदन पत्र

1237. **श्री एन॰एस॰वी॰ चित्यन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक मुम्बई को विदेशी वाणिज्यिक ऋण स्वीकृत करने का अधिकार दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी वाणिज्यिक ऋण की स्वीकृति हेतु जारी दिशा-निर्देशों का पालन करता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और विदेशी वाणिज्यिक ऋण प्रणाली को सरल बनाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां। भारत सरकार ने 3 वर्ष से कम की परिपक्वता वाले लघु अवधि के विदेशी मुद्रा के ऋण जुटाने के लिए आवेदनों पर विचार करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकृत किया है। हाल ही में 15 दिसम्बर, 1996 से सरकार ने 3 मिलियन अमरीकी डालर योजना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को स्वीकृति की शक्तियां भी प्रत्यायोजित की हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) (ख) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

भारत-पाकिस्तान व्यापार समझौता के संबंध में कार्ययोजना

1238. **डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "फैडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री" तथा "पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया" ने अपनी-अपनी सरकारों को व्यापक भारत-पाक व्यापार समझौता तैयार किये जाने तथा संयुक्त व्यापार परिषद की शीघ्र स्थापना किए जाने हेतु एक व्यापक कार्ययोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या 22 सदस्यीय ई पी सी सी आई तथा पी एच डी सी आई ऑफ इंडिया ने उक्त योजना को अन्तिम रूप देने के लिए 24 दिसम्बर, 1996 को नई दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या दोनों सरकारों ने मसौदा प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो भारत-पाकिस्तान व्यापार समझौते पर कब तक हस्ताक्षर हो जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ङ) पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के वाणिज्य और उद्योग मंडल के परिसंघ (पी॰ एच॰ डी॰ सी॰ सी॰ आई॰) ने 26 सदस्यीय पाकिस्तानी वाणिज्य और उद्योग मंडल के परिसंघ (एफ॰पी॰सी॰सी॰आई) के साथ 24 दिसम्बर, 1996 को बैठक की। इस बैठक के दौरान, भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव दिए गए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, भारत-पाक व्यापार समझौते, भारत-पाक संयुक्त व्यापार परिषद इत्यादि के गठन का सुझाव दिया गया। इस संबंध में पी॰एच॰डी॰सी॰सी॰आई॰ को विस्तृत दस्तावेज अभी तैयार करने हैं। सरकार को इसके बारे में कोई सूचना नहीं है कि एफ॰पी॰सी॰सी॰आई॰ ने इस मुद्दे पर पाकिस्तानी सरकार को कोई कार्रवाई योजना प्रस्तुत की है या नहीं।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं का निजीकरण

1239. **श्री आर॰एल॰पी॰ वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं का निजीकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक के निजीकरण के लिए फिलहाल सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अब तक, भारतीय स्टेट बैंक और चार राष्ट्रीयकृत बैंकों अर्थात्, ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया से पूंजी बाजार से अतिरिक्त इक्विटी जुटाई है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में निजी शेयरधारकों द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकांश शेयरधारिता की परिकल्पना नहीं की गई है। जहां तक वित्तीय संस्थाओं का संबंध है, उनके निजीकरण के लिए फिलहाल सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 में संशोधन

1240. **डा॰ असीम बाला :**

श्री नारायण अठावले :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयला खान अधिनियम, 1973 तथा खान और खनिज विनियमन अधिनियम, 1957 में कोई परिवर्तन/संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं के आधार पर विद्युत उपयोगिताओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों सहित भारतीय कंपनियों को नए खनन ब्लाकों की पेशकश किए जाने तथा कोयला एवं लिग्नाइट संसाधनों के अन्वेषण किए जाने हेतु एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना किए जाने संबंधी एकीकृत कोयला नीति पर समिति की सिफारिशों को स्वीकृति दे दी गई है। इन निर्णयों को कार्यान्वित किए जाने के लिए वैधानिक परिवर्तन किए जाने अपेक्षित होंगे।

[हिन्दी]

भारत-फ्रांस आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग

1241. **श्री दत्ता मेघे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-फ्रांस आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग संबंधों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) फ्रांस द्वारा सहायता प्रदत्त मुख्य परियोजनाओं के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार इन परियोजनाओं के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) भारत-फ्रांस सहयोग संबंधों के अन्तर्गत विचाराधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आगामी तीन वर्षों के दौरान भारत-फ्रांस आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान फ्रांस द्वारा सहायता प्राप्त मुख्य परियोजनाएं हैं : दिल्ली जलापूर्ति और मल-व्ययन संस्थान के लिए जल प्रबंध परियोजना, जयपुर के लिए जल प्रबंध परियोजना, सी॰आई॰एल॰ के लिए हाइड्रोलिक शोवल, एस॰सी॰सी॰एल॰ की बी॰के॰ 7 पर विस्फोटन दीर्घा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भू-विज्ञानी केन्द्र की स्थापना, गुजरात में फ्यूज गेटों की अधिष्ठापना, पश्चिम बंगाल और गुजरात में दो अंडज उत्पत्तिशालाओं का निर्माण, उड़ीसा में धातुओं के प्लेटिनम ग्रुप की खोज, ऊपरी तुंगा बांध, कर्नाटक के लिए फ्यूज गेट, बन्ध्यीकरण और दुग्ध पैकेजिंग, (एन॰डी॰डी॰बी॰ और आंध्र प्रदेश डेरी विकास बोर्ड)। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत-फ्रांस प्रोटोकोल के ढांचे के अन्तर्गत किए गए वित्तीय करार इस प्रकार हैं :—

1994	266.30 मिलियन फ्रांसीसी फ्रैंक (186.4 करोड़ रुपए)
1995	370.07 मिलियन फ्रांसीसी फ्रैंक (259.04 करोड़ रुपए)
1996	151.00 मिलियन फ्रांसीसी फ्रैंक (105.7 करोड़ रुपए)

(घ) भारत-फ्रांस आर्थिक सहयोग के विचाराधीन परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है-खान मंत्रालय द्वारा भारत के ई॰ई॰जैड॰ में समुद्री-तल खोजबीन के भारतीय कार्यक्रम के लिए 550-600 मिलियन फ्रांसीसी फ्रैंक के समुद्र विज्ञानी उपस्कर और तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहायता, खान मंत्रालय द्वारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में एक पर्यावरणीय भू-विज्ञान खंड की स्थापना के लिए 40 मिलियन फ्रांसीसी फ्रैंक, जल-संसाधन मंत्रालय द्वारा गुजरात में नदी बेसिन प्रबंधन नीति के लिए 21 मिलियन फ्रांसीसी फ्रैंक।

भारत-फ्रांस सांस्कृतिक सहयोग के विचाराधीन कार्यक्रम (क) कला और संस्कृति (ख) भाषा और शिक्षा, (ग) सामाजिक विज्ञान और मानविकी, (घ) पुस्तक और प्रकाशन, (ङ) युवा और खेलकूद और (च) सिनेमा और दृश्यश्रव्य, क्षेत्रों में हैं।

(ङ) भारत सरकार का नियमित कार्यकलापों के माध्यम से आर्थिक सहयोग को बढ़ाने का प्रस्ताव है जैसे केन्द्र सरकार के विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा कोयला और खान आदि के क्षेत्र में

की गई संयुक्त आयोग की बैठकें और संयुक्त कार्यचालन दल की बैठकें भावी भारत-फ्रांस प्रोटोकोल वित्तपोषण के अन्तर्गत कवरेज के लिए विभिन्न परियोजनाओं का भी पता लगाना।

जहां तक भारत-फ्रांस सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए उठाए गए जाने वाले कदमों का संबंध है, वर्ष 1997, 1998 और 1999 के लिए अगले सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के लिए प्रारूप तैयार किया गया है और अगले तीन वर्षों के दौरान सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस पक्ष की प्रतिक्रिया के लिए वहां भेजा गया है।

[अनुवाद]

विदेश निवेश हेतु मानदण्ड

1242. डा॰ कृपासिंधु भोई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेश हेतु मानदण्डों को और उदार बनाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार किए गए मार्ग-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए मार्ग-निर्देशों को कब से लागू किया जायेगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग) भारत सरकार की दिनांक 7.11.96 की अधिसूचना के आधार पर आर बी आई ने विदेशी निवेश के लिए उदार मानदं लागू किए हैं। इन रियायतों में शामिल हैं : (1) जिन भारतीय निगमों के पास निर्यात आय के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा आय भी है, उन्हें भी योजना के तहत फास्ट ट्रैक रूट के लाभ प्रदान करना, (2) उन आवेदन कर्ताओं की अभिभावक अथवा सहायक कंपनी के निर्यात निष्पादन/विदेशी मुद्रा आय को भी हिसाब में लेना जिनके पास फास्ट ट्रैंक क्लीयरेंस के लिए आवश्यक निर्यात/ विदेशी मुद्रा आय ट्रैंक रिकार्ड नहीं है, (3) लाभांश, फीस इत्यादि के जरिए निवेश की वापसी के लिए पांच वर्ष की अवधि का परिकलन निवेश की स्वीकृति की तारीख की बजाए इक्विटी के प्रेषण की तारीख से लगाना। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक को आवेदन पत्र जमा कराने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों से एक परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त करने की अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है; इसके बजाए, केवल एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित अनुपातों/पूर्वानुमानों का एक विवरण देना होगा।

वित्तीय क्षेत्र में सीधे विदेशी निवेश के लिए अब कुछ अतिरिक्त मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं। जो वित्तीय सेवा कंपनियां विदेशों में संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी स्थापित करना चाहती हैं, निम्नलिखित अतिरिक्त आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी :—

(क) उनका कम से कम तीन वर्ष का अच्छा ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए और वे श्रेणी 1 मर्चेंट बैंकर के रूप में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा पंजीकृत हों अथवा गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकृत होनी चाहिए।

(ख) उनके पास कम से कम 15 करोड़ रु॰ की सफल पूंजी होनी चाहिए।

(ग) उन्हें 8 प्रतिशत के पूंजी पर्याप्तता अनुपात के विवेकपूर्ण मानदंडों को पूरा करना होगा।

भारतीय वित्तीय संस्थानों की जो सहायक कंपनियां उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करती हैं वे भी विदेशी निवेश हेतु आवेदन करने के योग्य हैं।

बैंक ऑफ इण्डिया का सार्वजनिक निर्गम

1243. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक ऑफ इंडिया एक सार्वजनिक निर्गम जारी कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बैंक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितना लाभ अर्जित किया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) 675/- करोड़ रुपए का बैंक ऑफ इण्डिया का 15,00,00,000 शेयरों का इक्विटी इश्यू 21.02.1997 को खुला है। इसके बन्द होने की तारीख 28.02.97 है। इक्विटी शेयर 35/-रुपए प्रति शेयर के प्रीमियम सहित 10/-रुपए प्रति शेयर पर दिए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप निर्गम मूल्य 45/- रुपए प्रति शेयर हो जाता है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अर्जित लाभ नीचे दिया गया है:—

वर्ष	परिचालित लाभ	निवल लाभ
	(करोड़ रुपए)	
31.3.94	164.69	(-)953.50
31.3.95	317.09	50.35
31.3.96	473.86	276.48

(-) हानि दर्शाता है।

कपास का भंडार

1244. श्री नारायण अठावले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान कपास का बहुत अधिक उत्पादन होने और निर्यात का कोटा जारी करने की गति धीमी

होने और पिछले वर्ष की तुलना में वस्त्र मिलों द्वारा कपास की कम मांग किए जाने की वजह से कपास का बहुत भारी स्टाक जमा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान कपास का निर्यात करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और राज्य सरकार को अब तक कितना कोटा राज्यवार जारी किया गया है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰एल॰ जालप्पा) : (क) कपास सलाहकार बोर्ड ने 24.2.1997 को हुई अपनी बैठक में मौजूदा फसल का आकार 160 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया है। बाजार में कपास की दैनिक आवक अत्यधिक है। सरकार ने मौसम के आरंभ में तथा बाद में भी पर्याप्त निर्यात कोटे रिलीज किए हैं ताकि विशेषकर मिलों से कपास की अपेक्षा धीमी मांग को ध्यान में रखते हुए स्टाक जमा न हो जाए।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा कपास के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, सरकार द्वारा उत्पादन के प्राक्कलन, उपलब्धता, खपत, संभावित बेशी, कीमत की प्रवृत्तियों आदि सहित विभिन्न सभी संबद्ध कारकों पर विचार करने के बाद ही कपास के निर्यात कोटों की घोषणा की जाती है। राज्य सरकारों को कोई निर्यात कोटा रिलीज नहीं किया गया है। तथापि, चालू कपास मौसम, 1996-97 के दौरान अभी तक 12.20 लाख गांठों का निर्यात कोटा विभिन्न राज्य परिसंघों तथा अन्य एजेंसियों को रिलीज किया गया है।

टैरिफ आयोग

1245. श्री शरत पटनायक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शुल्क (टैरिफ) सुधारों पर विचार करने के लिए टैरिफ आयोग की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत स्वायत्तशासी प्रशुल्क आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने आयोग के विचारार्थ विषयों से संबंधित मामलों को सचिव-समिति को भेजने का भी निर्णय लिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जापान की ओ॰डी॰ए॰

1246. श्री एस॰डी॰एन॰आर॰ वाडियार :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्यारह परियोजनाओं हेतु जापान की ऑफीशियल डेवलपमेंट एजेंसी (ओ॰डी॰ए॰) से सहायता प्राप्त कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वे परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ग) वित्त वर्ष 1997-98 में जापान से ओ॰डी॰ए॰ सहायता की कुल कितनी राशि प्राप्त किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या वित्त वर्ष 1996-97 में सरकार द्वारा इतना ही ऋण लिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो किन परियोजनाओं के लिए सहायता ली गयी थी और अब तक इन परियोजनाओं में कितना विकास हुआ है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) जापान सरकार 1996-97 के दौरान निम्नलिखित 11 परियोजनाओं के लिए भारत सरकार को सरकारी विकास सहायता (ओ डी ए) प्रदान कर रही है :-

		मिलियन येन
1.	उत्तरी भारत पारेषण प्रणाली परियोजना	8,497
2.	पश्चिम बंगाल पारेषण प्रणाली परियोजना	11,087
3.	उमियाम हाइड्रो पावर स्टेशन सुधार परियोजना	1,700
4.	टुइरियाल पन-बिजली विद्युत केन्द्र परियोजना	11,695
5.	सिंहाद्रि ताप विद्युत केन्द्र परियोजना	19,817
6.	दिल्ली मास रैपिड ट्रांसपोर्ट प्रणाली परियोजना	14,760
7.	कलकत्ता परिवहन आधार ढांचा विकास परियोजना	10,679
8.	पूर्वी कर्नाटक वनरोपण परियोजना	15,968
9.	तमिलनाडु वनरोपण परियोजना	13,324
10.	केरल जलापूर्ति परियोजना	11,997
11.	राजघाट नहर सिंचाई परियोजना	13,222

(ग) वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए जापान सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रदान की जाने वाली संभावित सरकारी विकास सहायता (ओ डी ए) की कुल राशि ज्ञात नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (क और ख) के अनुसार।

(ङ) 11 परियोजनाओं के लिए ऋण करारों पर 25.2.1997 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड को ऋण माफी

1247. **श्री जगमोहन :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने "अनुदान" अथवा "ऋण" के रूप में भारी कर राशि की अदायगी को माफ करने के लिए कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

शुल्क अपवंचन

1248. **श्री सनत कुमार मण्डल :**

श्री रामसागर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग के अधिनिर्णायक प्राधिकारी ने रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आर॰ आई॰ एल॰) द्वारा तथाकथित शुल्क अपवंचन के मामलों में सुनवाई पूरी करने में सात वर्ष लगा दिए तथा कम्पनी से इसके पाताल गंगा संयंत्र से पार्शियली ओरियण्टेड यार्न (पी॰ओ॰वाई॰) के हटाने के लिए देय 16.4 करोड़ रुपये उत्पाद शुल्क अदा करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कम्पनी ने न्यायाधिकरण के निदेशानुसार धनराशि का भुगतान कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) अद्यतन सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। इसे एकत्र किया जा रहा है और सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

दस्तकारी को बढ़ावा देने हेतु कारीगरों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध

1249. **श्री काशीराम राणा :**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली दस्तकारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कारीगरों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने कारीगरों को ऐसे ऋण उपलब्ध कराए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰ एल॰ जालप्पा) : (क) और (ख) सरकार द्वारा भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए कारीगरों को ऋण देने की कोई विशिष्ट योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तथापि, हस्तशिल्प कारीगर विभिन्न निर्धनता निवारक कार्यक्रमों के अन्तर्गत निम्न दरों पर ऋण पाने के पात्र हैं, जिनमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा ट्राइसेम, डवाकरा आदि जैसे इसके सम्बद्ध कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, हस्तशिल्प कारीगरों को नाबार्ड तथा सिडबी से वित्त पोषित बैंकों और वित्तीय संस्थानों की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निम्न दरों पर ऋण उपलब्ध होता है।

(ग) ऐसे ऋण लेने वाले हस्तशिल्प कारीगरों की राज्यवार संख्या अलग से उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

बैंकों का निदेशक मंडल

1250. **श्री नामदेव दिवाथे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशक मंडल का पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कारगर कार्यकरण हेतु निदेशक मंडल में अच्छे रिकार्ड वाले व्यावसायिकों को शामिल करने को सुनिश्चित करने के लिए नये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बोर्डों में निदेशकों की नियुक्तियां संगत सांविधियों में निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के निदेशक मंडलों में कई व्यावसायिकों को भी शामिल किया गया हैं। ऐसे बोर्डों का गठन करते समय भारतीय समाज के अनेकत्व को भी ध्यान में रखा जाता है।

महाराष्ट्र के उद्यमियों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ऋण

1251. **श्री संदीपान थोरात :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र के उद्यमियों से कितने ऋण आवेदन प्राप्त हुए तथा स्वीकृत आवेदनों और जारी की गई धनराशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा महाराष्ट्र में औद्योगिक उद्यमों को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई तथा इसके परिणामस्वरूप वृद्धि का प्रतिशत क्या रहा;

(ग) क्या महाराष्ट्र में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति/उनके कार्यनिष्पादन की हाल ही में विशेषज्ञ समिति द्वारा पुनरीक्षा की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) महाराष्ट्र में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का ऋण अदा न करने वालों की संख्या क्या है तथा इसमें कितनी धनराशि शामिल है; और

(च) ऋणों की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में उद्यमियों से आईडीबीआई द्वारा प्रत्यक्ष वित्त योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों और मंजूर की गई सहायता का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया अनुसार है :—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	प्राप्त आवेदन संख्या	सहायता मंजूर किए गए आवेदन	
		संख्या	राशि
1993-94	453	359	2857
1994-95	409	383	3782
1995-96	322	245	3245

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में औद्योगिक उद्यमों के लिए आईडीबीआई द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	* मंजूर सहायता	प्रतिशत वृद्धि	संवितरित सहायता	प्रतिशत वृद्धि
1993-94	3113	+50.7	1938	+74.2
1994-95	3964	+27.3	2450	+26.4
1995-96	3556	-11.3	1994	-18.6

* कवर की गई योजनाएं हैं : प्रत्यक्ष वित्त, पुनर्वित्त और बिलों के लिए वित्त

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) आईडीबीआई ने सूचित किया है कि दिनांक 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र में आईडीबीआई के चूककर्ताओं की संख्या 111 थी और इसमें 212.7 करोड़ रु॰ की राशि अंतर्ग्रस्त थी।

(च) आईडीबीआई ने सूचित किया है कि उसके वरिष्ठ कार्यपालक मामलों की आवधिक रूप से पुनरीक्षा करते हैं और यदि प्रारम्भिक रूग्णता पाई जाती है तो सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। अस्थायी कठिनाइयों से पार पाने के लिए ऐसे उपायों में मूलधन की बकाया राशि का पुनर्निर्धारण, ब्याज का आस्थगन, दंडात्मक ब्याज आदि को समाप्त करना शामिल है। रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली रूग्ण इकाइयों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के पास भेजा जाता है और अर्थक्षम परियोजनाओं के उपचार शुरू किए जाते हैं। उधारकर्ता इकाइयों के साथ एक मुश्त समझौता भी किया जाता है।

कपास का निर्यात

1252. **डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :**

श्री निहाल चन्द चौहान :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास का मौसम प्रारंभ होने के दो माह के भीतर कपास का निर्यात करने के लिए दूसरी किश्त जारी करने की अनुमति देने संबंधी निर्णय लिए जाने के खिलाफ सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कपास का मौसम शुरू होने के दिन से आज तक कुल कितनी मात्रा में कपास का निर्यात करने की अनुमति दी गई; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात और आयात की गई कपास का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर॰एल॰ जालप्पा) : (क) और (ख) सरकार को कपास मौसम 1996-97 के लिए 7.10.96 तक की स्थिति अनुसार कपास की 5 लाख गांठों के निर्यात कोटे को रिलीज करने के लिए सरकार के निर्णय के विरूद्ध उत्तरी भारत टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (एन आई टी एम ए) से दिनांक 31 अक्टूबर, 1996 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। एन आई टी एम ए ने अपने अभ्यावेदन में, अन्य बातों के साथ-साथ सुझाव दिया है कि सरकार को कम से कम जनवरी, 97 तक कपास निर्यात आस्थागित रखने चाहिए तथा कपास यार्न निर्यातों पर प्रतिबंध समाप्त करने चाहिए तथा कपास निर्यात को ओ जी एल के अंतर्गत नहीं रखना चाहिए।

(ग) अब तक सरकार द्वारा 25.9.96 से कपास की 12.20 लाख गांठ का कुल कोटा रिलीज किया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई एवं आयात की गई मात्रा निम्न अनुसार है :—

(लाख गांठ-प्रत्येक गांठ 170 कि॰ग्रा॰)

वर्ष	आयात	निर्यात
1993-94	3.00	3.89
1994-95	5.89	1.086
1995-96	0.50	12.241

नौवीं योजना में लघु औद्योगिक क्षेत्र पर जोर

1253. डा॰ असीम बाला :

डा॰ कृपासिंधु भोई :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं योजना में लघु औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर जोर देने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनावधि में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) निकट भविष्य में लघु औद्योगिक क्षेत्र को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित नवीं योजना हेतु "एप्रोच पेपर" के अनुसार रोजगार सृजन एक वरीयता वाला क्षेत्र होगा। बड़े और मझौले क्षेत्र की तुलना में लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा अपेक्षाकृत कम निवेश से अतिरिक्त रोजगार सृजित करने की क्षमता को देखते हुए नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर बल दिया जायेगा।

(ख) और (ग) क्योंकि अभी विस्तृत नवीं योजना तैयार की जानी शेष है इसलिए लघु औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रस्तावित कदमों/प्रोत्साहनों के बारे में अभी बताना असामयिक होगा।

[हिन्दी]

निर्यात प्रोत्साहन के लिए नीति

1254. श्री दत्ता मेघे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत वर्ष के दौरान किन्हीं विशेष निर्यातों हेतु कोई नये बाजार ढूढ़े गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुये हमारे विदेशी व्यापार में क्या उपलब्धियां हुई हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) सरकार का उद्देश्य अपनी नीति और क्रियाविधियों के माध्यम से निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात के अनुकूल और उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रयासों के माध्यम से सभी देशों के साथ व्यापार सुधारने के सतत् प्रयास किए जाते हैं।

(ग) और (घ) सरकार सभी व्यापारिक सहभागियों के साथ व्यापार बढ़ाने को महत्व देती है। तथापि, हाल ही में म्यांमार के साथ सीमा व्यापार संबंधी करार, दक्षिण अफ्रीका और इजराइल के साथ व्यापार संबंधों को खोलना, यू॰एस॰ और यूरोपियन संघ के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक संबंध, तथा सार्क देशों के साथ व्यापार के लिए क्षेत्रीय अगुआई जिसके परिणामस्वरूप साप्टा प्रचालन में आया, के माध्यम से विशेष प्रयास किए गए।

(ङ) भारत के निर्यातों में तीव्र तथा सतत् वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

आयकर प्राधिकरण

1255. श्री एस॰डी॰एन॰आर॰ वाडियार : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)* देश में कितने और कहां-कहां आयकर प्राधिकरण स्थापित किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव बंगलौर में आयकर प्राधिकरण स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) अन्य जिन-जिन स्थानों पर नये आयकर प्राधिकरण स्थापित किये जाने की संभावना है उनका ब्यौरा क्या है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप) : (क) इस समय पूरे देश में आय-कर अपील अधिकरण की 19 आस्थानों पर 38 न्यायपीठें हैं। इन न्यायपीठों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

आस्थान का नाम		न्यायपीठों की संख्या
	1	2
1.	मुंबई	5
2.	दिल्ली	5
3.	कलकत्ता	5
4.	मद्रास	4
5.	अहमदाबाद	3

	1	2
6.	नागपुर	1
7.	पुणे	1
8.	इलाहाबाद	2
9.	अमृतसर	1
10.	चंडीगढ़	1
11.	इन्दौर	1
12.	जबलपुर	1
13.	जयपुर	1
14.	कटक	1
15.	गुवाहटी	1
16.	पटना	1
17.	बंगलौर	1
18.	कोचीन	1
19.	हैदराबाद	2

(ख) से (घ) सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित स्थानों पर अधिकरण की 15 नई न्यायपीठें स्थापित करने का विनिश्चय किया है :-

	स्थान का नाम	खंडपीठों की संख्या
1.	राजकोट	1
2.	आगरा	1
3.	बंगलौर	2
4.	मुंबई	5
5.	चंडीगढ़	1
6.	नई दिल्ली	2
7.	जोधपुर	1
8.	पणजी	1
9.	विशाखापटनम	1

तूफान राहत वस्तुओं को शुल्क छूट देना

1256. श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तूफान राहत वस्तुओं को शुल्क से छूट देने के लिए आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय से आंध्र प्रदेश में तूफान पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाने और उनके पुनर्वास करने में काफी मदद मिली है;

(ग) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश के तूफान पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाने और उनके पुनर्वास के लिए कुल कितनी वस्तुओं का आयात किया गया और कितनी दान दी गई;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश के तूफान पीड़ित लोगों को और अधिक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से कुछ और छूट दी जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां। सरकार ने दिनांक 15.1.97 की अधिसूचना 2/97-सी॰शु॰ और 1/97-के॰उ॰शु॰ जारी की हैं जिसमें आंध्र प्रदेश के तूफान से प्रभावित लोगों को राहत देने और उनके पुनर्वास के लिए आयातित/विनिर्मित एवं दान दिए गए माल को सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट दी गई है। ये दोनों ही छूट अधिसूचनाएं 30.6.1997 तक वैध हैं।

(ख) और (ग) इस संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) चूंकि अधिसूचनाओं में तूफान से पीड़ित लोगों को राहत देने और उनके पुनर्वास के लिए दान दिए गए सभी माल पर सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दोनों ही से पूर्ण छूट दी गई है, अतः सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में और अधिक रियायतें देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में दीर्घावधि ऋण

1257. श्रीमती मीरा कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष संचय किए गए कुल लघु बचत राशि में से बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को कितनी राशि दीर्घावधि ऋण के रूप में दी गई;

(ख) इस प्रकार के दीर्घावधि ऋण दिए जाने की क्या शर्तें हैं; और

(ग) सम्बन्धित राज्यों द्वारा उक्त शर्तों का किस हद तक पालन किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) वर्ष 1993-94 से 1995-96 की अवधि के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश राज्यों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को निवल अल्प बचत संग्रहों के प्रति निर्मुक्त किए गए ऋणों की धनराशि निम्नलिखित हैं :—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	1993-94	1994-95	1995-96
बिहार	168.99	245.10	428.49
उत्तर प्रदेश	797.39	1644.17	1462.98
दिल्ली	–	343.03	607.38

* संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों (विधानमण्डल युक्त) को अल्प बचत ऋण वर्ष 1994-95 से ही दिए गए हैं।

(ख) इस समय अल्प बचत योजनाओं के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा निवल संग्रह का 75 प्रतिशत उन्हें 14.50 प्रतिशत की दर पर दीर्घावधिक ऋणों के तौर पर दिया जाता है। ऋण की अवधि 25 वर्ष है जिसमें मूल की वापसी अदायगी के लिए प्रारम्भ में पांच वर्ष की ऋण स्थगन अवधि भी शामिल हैं जिसके दौरान ब्याज की वसूली नौ समान मासिक किश्तों में की जाती है जो जुलाई माह से शुरू करके प्रत्येक माह की पहली तारीख को वसूल की जाएगी। ऋण-स्थगन की अवधि समाप्त होने पर ऋण की वसूली 20 समान वार्षिक किश्तों में की जाएगी।

(ग) अब तक बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार द्वारा उपर्युक्त शर्तों का पालन न करने के संबंध में केन्द्र सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं।

उड़ीसा में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार

1258. **श्री भक्त चरण दास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश विशेष रूप से उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यवार ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषत: उड़ीसा में, किन-किन स्थानों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोले जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) भारती रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यह निर्णय अलग-अलग बैंकों पर छोड़ दिया गया है कि वे अपने सेवा क्षेत्रों में अतिरिक्त ग्रामीण शाखाएं खोलने की आवश्यकता का मूल्यांकन करें। आवेदक बैंकों के सेवा-क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण केन्द्रों में शाखाएं खोलने के बैंकों के प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे जाते हैं।

(ख) तथा (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 1995 से 31 जनवरी, 1997 की अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी प्राधिकार, जिनकी अभी शाखाएं खोली जानी हैं, के राज्य-वार (उड़ीसा सहित) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए और जिन्हें अभी खोला जाना है, 1.4.1995 से 31.1.1997 की अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी किए प्राधिकारों का राज्य वार ब्यौरा।

बैंक	केन्द्र	जिला	राज्य
1	2	3	4
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	पोरनकी	कृष्णा	आंध्र प्रदेश
इंडियन बैंक	नागयलंका	कृष्णा	आंध्र प्रदेश
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	बरहारिया	सिवान	बिहार
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	खजुरा	गोपालगंज	बिहार
कारपोरेशन बैंक	बदालिया	कच्छ	गुजरात
कारपोरेशन बैंक	माधोपुर	कच्छ	गुजरात
सिंडिकेट बैंक	मानेसर	गुड़गांव	हरियाणा
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	मदलौदा	पानीपत	हरियाणा
बैंक ऑफ बड़ौदा	देसारका गांव	अम्बाला	हरियाणा
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	मानेसर	गुड़गांव	हरियाणा
पंजाब नेशनल बैंक	दोभी	कुलु	हिमाचल प्रदेश
पंजाब नेशनल बैंक	बगाना	उना	हिमाचल प्रदेश
पंजाब नेशनल बैंक	गाग्रेट	उना	हिमाचल प्रदेश
पंजाब नेशनल बैंक	अम्ब	उना	हिमाचल प्रदेश
केनरा बैंक	बउडी	सोलान	हिमाचल प्रदेश
बैंक ऑफ इंडिया	मंडी	कुलु	हिमाचल प्रदेश

1	2	3	4
पंजाब नेशनल बैंक	दौलतपुर	उना	हिमाचल प्रदेश
पंजाब नेशनल बैंक	सानुली	उना	हिमाचल प्रदेश
पंजाब एंड सिंध बैंक	मनाली	कुलु	हिमाचल प्रदेश
केनरा बैंक	सुजानपुर-तिहरा	हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश
विजय बैंक	पुरी-एम॰के॰ चौक	बैकमपाड़ी	कर्नाटक
केनरा बैंक	मोद्दापादव	डी॰ केन्नड	कर्नाटक
केनरा बैंक	पीन्या II स्टेज	बंगलौर	कर्नाटक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	कोट्टायम	किलोन	केरल
केनरा बैंक	नेल्लासोपारा	ठाणे	महाराष्ट्र
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	बडगांव	पुणे	महाराष्ट्र
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	वडगांव (बुडरक)	पुणे	महाराष्ट्र
देना बैंक	बरहामपुर	बरहामपुर	उड़ीसा
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	बोपराई	जालंधर	पंजाब
पंजाब एंड सिंध बैंक	पाधियाना	जालंधर	पंजाब
पंजाब नेशनल बैंक	कुट्टा खेरी	पटियाला	पंजाब
ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स	लालरू	पटियाला	पंजाब
ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स	तिबि	श्रीगंगा	राजस्थान
ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स	मिरजावाली गांव	श्रीगंगा	राजस्थान
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	तापुकड़ा	अलवर	राजस्थान
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	माधवराम	चेंगई ए॰	तमिलनाडु
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	धरनी	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

1259. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने पुनरूद्धार हेतु किन-किन रूग्ण कंपनियों को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को सौंपी हैं;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके बारे में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने अर्थक्षमता रिपोर्ट तैयार कर ली है;

(ग) शेष कम्पनियों के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) अर्थक्षमता रिपोर्ट के आधार पर उन कम्पनियों को पुनर्जीवित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"कोफेपोसा"

1260. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में कोफेपोसा के अन्तर्गत बड़ी संख्या में लोग दोषी पाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो फरार व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) जहां तक केरल राज्य के लोगों का संबंध है वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अंतर्गत 72 नजरबन्दी आदेश जारी किए गए हैं।

(ख) 31.12.96 की स्थिति के अनुसार, उन 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है जिनके खिलाफ नजरबन्दी आदेश जारी किए गए हैं।

(ग) लापता व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम की धारा 7 में की गई व्यवस्था के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

कम/अधिक मूल्य के बीजक

1261. **श्रीमती मीरा कुमार :** क्या वित्त मंत्री कम/अधिक मूल्य के बीजक के बारे में 22 नवम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 472 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब सूचना प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सूचना कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान आयातों के अधिक मूल्य के बीजक बनाने और निर्यातों के कम मूल्य के बीजक बनाने का कोई भी ऐसा मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है जिसमें अभिग्रहण की 10 लाख रुपये से अधिक राशि अंतर्ग्रस्त हो।

आयकर का संचय

1262. **श्री मुखतार अनीस :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 में दिसम्बर 1996 तक के दौरान कुल कितना आयकर एकत्र किया गया;

(ख) व्यक्तिगत आयकर तथा निगमित कर का वर्ष-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) कुल संचित कर राशि में से व्यक्तिगत आयकर, सम्पत्ति कर, उपहार कर, सम्पदा कर तथा व्यय कर की प्रतिशतता क्या है; और

(घ) कम कर संचय के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) वसूल किए गए कुल आयकर के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :-

1994-95	26971 करोड़ रु॰
1995-96	33559 करोड़ रु॰
1996-97 (दिसम्बर, 96 तक)	25174 करोड़ रु॰

(ख) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 (दिसम्बर, 1996 तक) के दौरान वसूल किए गए निगम कर और आयकर के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

	1996-97 (दिसम्बर, 96 तक)	1995-96	1994-95
	(करोड़ रु॰ में)		
निगम कर	12222	16487	13821
आयकर	11605	15587	12030

(ग) कुल वसूली का प्रतिशत

	1996-97 (दिसम्बर, 96 तक)	1995-96	1994-95
निगम कर	48.6	49.1	51.2
आयकर	46.1	46.5	44.6
धनकर	0.2	0.2	0.4
मानकर	0.0	0.0	0.1
सम्पदा शुल्क	0.0	0.0	0.0
व्यय कर	0.8	0.7	0.7
(इसमें ब्याज कर शामिल नहीं है)			

(घ) वसूली संबंधी आंकड़े पिछले वर्ष की तद्नुरुपी अवधि की तुलना में कम नहीं हैं। तथापि, निगम कर के अन्तर्गत वसूली बजट अनुमान से कम होने की संभावना है किन्तु उसे आयकर और ब्याज कर में वृद्धि करके पूरा किया जा सकेगा। निगम कर में कमी कम्पनियों के कराधेय अथवा खाता-लाभ में कमी होने के कारण हुई है।

कोयला क्षेत्र में निवेश

1263. **श्री नारायण अठावले :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी दस वर्षों में उद्योग तथा विद्युत उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कोयले की कितनी अनुमानित मांग होगी तथा इसके अनुमानित उत्पादन हेतु सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कितना निवेश किए जाने का विचार है;

(ख) महाराष्ट्र में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है; और

(ग) कोयले के इन भंडारों के खनन हेतु आगामी पांच वर्षों में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है तथा इसमें कितना निवेश किया जायेगा?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) विद्युत के उत्पादन तथा उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने हेतु कोयले की मांग जो नौंवी तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु

कोयले तथा लिग्नाइट पर कार्यकारी दल की मसौदा रिपोर्ट में प्रस्तावित की गई है, उक्त का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(मिलियन टन में)

वर्ष	मांग
2001-02 (नौवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष)	439.70
2006-07 (दसवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष)	716.00

दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अनुमानित किए गए निवेश के अथवा जो कि निजी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, उक्त के संबंध में कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है। किन्तु, कोयले के 339 मि० टन तथा लिग्नाइट के 20 मि० टन के उत्पादन स्तर को प्राप्त किए जाने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 20,783.59 करोड़ रु० की राशि का निवेश होने का अनुमान है (जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आंकलन किया गया है)।

(ख) दिनांक 1.1.1997 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में कोयले के अनुमानित भण्डार नीचे दर्शाये गये हैं :—

(मिलियन टन में)

प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित	जोड़
3633.30	1441.85	1663.64	6738.79

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1997-98 से 2001-02) के दौरान महाराष्ट्र राज्य में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा अपेक्षित निवेश की राशि लगभग 1337.71 करोड़ रु० (अनंतिम) आंकलित की गई है।

"जी०आई०सी०" के मृतक कर्मचारियों हेतु इसकी अनुकंपा संबंधी नीति

1264. **श्री सौम्य रंजन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "जी०आई०सी०" तथा इसकी सहायक कंपनियों द्वारा इसके कर्मचारियों की सेवा-काल में मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिजनों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान किए जाने हेतु अपनाये जाने वाली नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान साधारण बीमा निगम तथा इसकी चार सहायक कंपनियों में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान किए जाने हेतु कितने मामले प्राप्त हुए हैं;

(ग) इनमें से अब तक कितने मामलों का निपटान किया गया है; और

(घ) अन्य मामलों के संबंध में निर्णय नहीं लिए जाने के क्या कारण हैं तथा इन पर कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) यह सूचित किया गया है कि साधारण बीमा उद्योग दिवंगत कर्मचारी की विधवा को अनुकम्पा आधार पर रोजगार तभी मुहैया कराता है यदि वह अर्जन नहीं कर रही है, 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु सीमा में है और पद को ग्रहण करने के लिए कम्पनी द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूरी करती है। यदि वह विधवा या तो रोजगार प्राप्त करने की अनिच्छुक है अथवा अपात्र है तो उसके स्थान पर उसके आश्रित पुत्र या अविवाहित आश्रित पुत्री को रोजगार प्रदान करने पर विचार किया जाएगा। परिवार के एकमात्र आय अर्जक अविवाहित मृतक कर्मचारी के मामले में उसके आश्रित भाई अथवा बहन को यह रियायत दी जा सकती है बशर्ते कि वे इस प्रयोजनार्थ उद्योग द्वारा निर्धारित अपेक्षित अर्हताएं/शर्तें पूरी करते हों।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण

1265. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋण वसूली न्यायाधिकरण किन-किन स्थानों पर पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और ये कार्यरत है;

(ख) 1996 के दौरान ऐसे प्रत्येक ऋण वसूली न्यायाधिकरण के पास कितने मामले/आवेदन दर्ज किए गए; और

(ग) कितने आवेदनों के संबंध में निर्णय दिए जा चुके हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना कलकत्ता, जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलौर, चेन्नई, गुवाहटी और पटना में की गई है तथा उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रिमोट कम्प्यूटर लाक-इन-टर्मिनल

1266. **श्री केशव महंत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में विशेषकर असम में बैंकों में "रिमोट कम्प्यूटर लाक-इन-टर्मिनल" सुविधा शुरू की गई है; और

(ख) सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में इस सुविधा को कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों को घाटा

1267. श्रीमती मीरा कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के पास वर्ष 1993-94 के दौरान कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वहन किए गए घाटे का कम आंकलन करने के बारे में सूचना उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं;

(ग) कितने घाटे का कम आंकलन किया गया; और

(घ) उन बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शहरी तथा ग्रामीण शाखाएं

1268. श्री मुखतार अनीस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 अप्रैल, 1996 तथा 1 जनवरी, 1997 तक की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बैंकवार और राज्यवार शहरी तथा ग्रामीण शाखाओं की संख्या कितनी थी;

(ख) शहरी तथा ग्रामीण शाखाओं के लिए पृथक-पृथक रूप से राज्यवार प्रत्येक शाखा कितनी जनसंख्या को सेवा उपलब्ध कराती है;

(ग) क्या बैंकों को अपनी ग्रामीण शाखाएं बंद करने अथवा दूसरे बैंकों की शाखाओं के साथ विलय करने की स्वतंत्रता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो अप्रैल-दिसम्बर, 1996 के दौरान बैंकवार तथा राज्यवार कुल कितनी ग्रामीण शाखाओं को बंद किया गया अथवा उनका परस्पर विलय किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोल इंडिया लिमिटेड के पुनर्गठन हेतु बाहरी सहायता

1269. श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल :
श्री दिनशा पटेल :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड का बाहरी सहायता से पुनर्गठन करने से संबंधित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कब तक बातचीत पूरी होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

असम में युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऋण का भुगतान

1270. श्री केशव महन्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष बिना किसी सुनिश्चित प्रतिभूति के असम में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भुगतान किये गये एक लाख तथा इससे अधिक रुपये के ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) कुल अग्रिम राशि के मुकाबले राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को दिये गये ऋण राशि की प्रतिशतता क्या है;

(ग) उपर्युक्त बैंक द्वारा सीधे अथवा सरकारी एजेंसियों के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कितने आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उनमें से कितने आवेदन पत्रों को स्वीकृति तथा अस्वीकृति दी गई है तथा अस्वीकृति के क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऋण मंजूर करने हेतु कोई निर्धारित समय सीमा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले तीन वर्षों अर्थात 1993-94, 1994-95, 1995-96 के दौरान मूर्त प्रतिभूति के बिना असम में संवितरित किए गए एक लाख रुपए और इससे अधिक के

ऋणों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है, जो नीचे दिया गया है :—

	मूर्त अतिरिक्त प्रतिभूतियों के बिना संवितरित प्रस्ताव	
	संख्या	राशि (लाख रुपए)
1993-94	487	715.39
1994-95	689	861.25
1995-96	42	60.00

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि इन मामलों में, ऋणों से सृजित की जाने वाली परिसंपत्तियां प्राथमिक प्रतिभूतियों के रूप में दृष्टिबंधक रखी गई थीं।

(ख) और (ग) युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मार्च 1996 के अंत की स्थिति के अनुसार, कुल अग्रिमों की तुलना में असम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को दी गई ऋण राशि की प्रतिशतता 5.4 प्रतिशत थी। 30.6.96 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों से प्राप्त ऋण आवेदनों की कुल संख्या 3517 थी, जिसमें से 2880 आवेदन स्वीकृत किए गए थे और 637 आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए थे। प्रस्तावों को अस्वीकृत किए जाने के प्रमुख कारण ये थे :—

(1) ये प्रस्ताव संबंधित बैंक शाखा के सेवा क्षेत्र के बाहर से प्राप्त हुए थे।

(2) आवेदक ऋण प्राप्त करने के लिए नहीं आए।

(3) समान आर्थिक गतिविधि से संबंधित बहुत से प्रस्ताव प्रायोजित किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप ऋण प्रस्ताव अव्यवहार्य हो गए।

(घ) और (ङ) युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी सूचित किया है कि 25000/-रुपए तक की ऋण सीमा वाले ऋण प्रस्तावों के निपटान हेतु निर्धारित समय सीमा दो सप्ताह है। 25000/- रुपए से अधिक की ऋण सीमा वाले ऋण प्रस्तावों को उनके प्राप्त होने के नौ सप्ताह के अन्दर निपटाना होता है।

खादी वस्त्र

1271. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खादी वस्त्रों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ग) खादी की विपणनीयता में सुधार हेतु खादी वस्त्रों के उत्पादन को हर संभव प्रोत्साहन दिया जा रहा है। खादी की फुटकर बिक्री पर, कपड़ा तथा सिले-सिलाये वस्त्रों, दोनों चरणों में छूट तथा खादी ऋणों पर ब्याज राज-सहायता के माध्यम से भी प्रोत्साहन दिया जाता है।

उत्पादों की जांच

1272. **प्रो॰ अजित कुमार मेहता :**

श्री चुन चुन प्रसाद यादव :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न ब्रांडों के टूथपेस्टों की वैज्ञानिक ढंग से जांच करने का कोई तरीका है जिससे निर्माताओं द्वारा अपने उत्पादों के बारे में विज्ञापित दावों की असलियत को जाना जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्माताओं द्वारा अपने उत्पादों के बारे में झूठा दावा करने संबंधी मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (घ) टूथपेस्ट संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो विशिष्ट आई एस 6356 : 1993 है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस मानक का औषधी और प्रसाधन सामग्री नियमावली की अनुसूची "एस" में उल्लेख करके सभी विनिर्माताओं के लिए इस मानक की अपेक्षताओं का अनुपालन अनिवार्य कर दिया है।

भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानकों के अनुरूप उत्पादों की गुणवत्ता को परखने के लिए एक स्वतः प्रमाणीकरण अंकित करने संबंधी योजना का भी संचालन करता है।

सरकार ने सभी राज्य लाइसेंसीकरण प्राधिकरणों के परामर्श देने के उपाय किये हैं कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियों को विशेषता यदि उनके उत्पादों में कीटनाशक कारक अथवा इनमें फ्लोराइड की कमी अथवा मसूड़ों को मजबूत बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उन्हें अपने उत्पादों की प्रभावशीलता संबंधी किसी भी प्रकार के भ्रामक और अतिशयोक्ति के दावों का अपने लेबलों पर उल्लेख नहीं करना चाहिए। वे यह भी सुनिश्चित करें कि उनके राज्य में बेचे जा रहे उत्पादों की भी भलीभांति जांच पड़ताल की जानी चाहिए ताकि झूठे दावों का पता लगाया जा सके। विनिर्माताओं के विज्ञापन संबंधी दावों की सार्थकता का पता लगाने के लिए उन्हें विभिन्न ब्रांडों के दावों का वैज्ञानिक रूप से परीक्षण करने के लिए एक कार्यविधि का भी विकास करना चाहिए। इस प्रकार ऐसी प्रणाली के आधार पर उन चूककर्ताओं के खिलाफ उचित कार्यवाही की जा सकती है जो विज्ञापन/दावों के निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं करते हैं।

उड़ीसा से लौह अयस्क का निर्यात

1273. **श्री के॰पी॰ सिंह देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार उड़ीसा से कितनी मात्रा में लौह-अयस्क का निर्यात किया गया;

(ख) सरकार द्वारा पारादीप पत्तन से निर्यात के लिए बारबिल-ब्रजमदा क्षेत्र, गधमदर्न क्षेत्र और देतारी क्षेत्रों से लौह अयस्क की खरीद बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) आठवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा से, पारादीप पत्तन से, एम॰एम॰टी॰सी॰ द्वारा निर्यात किए गए लौह-अयस्क की कुल मात्रा निम्नानुसार है :-

वर्ष	मात्रा : लाख मी॰ टन
1992-93	12.85
1993-94	14.28
1994-95	18.81
1995-96	15.81
1996-97 (जनवरी, 97 तक)	6.46

(ख) और (ग) एम॰एम॰टी॰सी॰ द्वारा निर्यात के लिए इस क्षेत्र से खरीद में वृद्धि करने हेतु जो प्रयास किए गए हैं उनमें अन्य के साथ-साथ ये शामिल हैं : खरीद पर लगे मात्रात्मक प्रतिबंध को हटाना, डीजल की कीमत में वृद्धि के लिए खान मालिकों को क्षतिपूर्ति करना, 25 कि॰मी॰ से अधिक की दूरी वाली खानों को खानों से खरीद के लिए अतिरिक्त ढुलाई प्रभार देना; और खान मालिकों के साथ विनिमय दर के उतार-चढ़ाव को शेयर करना। नौवीं योजना-अवधि के दौरान एम॰एम॰टी॰सी॰ ने इस क्षेत्र से 1 से 1.5 मिलि॰ टन तक लौह अयस्क का निर्यात करने की परिकल्पना की है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग

1274. **श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग से राज्य खादी और ग्राम उद्योग बोर्डों को दिये जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस वृद्धि के खिलाफ कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ब्याज दर की पुनरीक्षा करने और पहले वाली स्थिति को बहाल करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को खादी विकास हेतु दिये जानेवाले ऋण पर 4 प्रतिशत की दर लागू है। तथापि, ग्रामोद्योगों के मामले में, ब्याज राजसहायता योजना के सफल न होने के कारण, तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी उच्चाधिकार समिति की अनुशंसाओं के अनुसार सीमांत धन योजना की शुरूआत की गयी है। सीमांत धन योजना के तहत 10 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए अपेक्षित निधियों का 25 प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 10 लाख रुपये से अधिक और 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए 10 लाख रु॰ से अधिक की अतिरिक्त राशि हेतु 10 प्रतिशत की दर से सीमांत धन के रूप में प्रदान किया जाता है। राज्यों के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड तथा संस्थाएं शेष राशि को व्यावसायिक बैंकों से सीधे ही बाजार दर पर ऋण के रूप में ले सकते हैं। इस समय, यह दर 25,000/- रुपये तक के ऋण हेतु मात्र 12 प्रतिशत तथा 2 लाख रुपये तक के ऋणों हेतु 13.5 प्रतिशत है। सीमांत धन के अनुदान के रूप में देने से प्रभावी दर 25 प्रतिशत तक कम हो जाती है। वैकल्पिक स्रोत के रूप में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा केन्द्र सरकार की गारंटी के तहत ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाने हेतु बैंकों के संघ से ऋण के रूप में 1000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं। राज्य बोर्ड और संस्थाएं इस कंसोर्टियम ऋण को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों के संघ द्वारा लिया गया ब्याज मूल ऋण दर से 1.5 प्रतिशत कम है जिसके अलावा खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अपनी सेवाओं के लिए कुछ शुल्क लिया जाता है। इस समय कंसोर्टियम ऋण लेने पर ली जाने वाली ब्याज दर 16.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष बैठती है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय को उच्च ब्याज दरों के विरूद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। तथापि, इस विभाग ने बैंकों द्वारा ब्याज दरों को घटाने हेतु वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है।

[हिन्दी]

भारतीय और विदेशी बैंकों को लाभ और हानि

1275. **श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :**

श्रीमती शीला गौतम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में भारतीय और विदेशी बैंकों को जो लाभ हुआ/हानि हुई है उसका अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1996 के दौरान विदेशी बैंकों का कारोबार भारतीय बैंकों के कारोबार से अधिक रहा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों को कार्यनिष्पादन में सुधार के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सीमेन्ट पेंट उद्योग

1276. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि देश में कुछ जाली सीमेंट पेंट का उत्पादन करने वाली कंपनियां कार्य कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन कम्पनियों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) उद्योग मंत्रालय को देश में कार्यरत जाली सीमेंट पेंट का उत्पादन करने वाली कंपनियों के बारे में हाल ही में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्धारित मानदंडों का "एनेक्स बैंक" द्वारा उल्लंघन

1277. **श्री संदीपान थोरात :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 फरवरी, 1997 के "द बिजनेस स्टैण्डर्ड" में "आर॰बी॰आई॰ रिपोर्ट शोज वायलेशन ऑफ नॉर्म्स बाई एनेक्स बैंक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रिपोर्ट की गयी अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है तथा इनमें कौन-कौन सी औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं; और

(घ) इस संबंध में की गयी/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

घोटालों से जुड़े बैंक अधिकारियों को बचाना

1278. **श्री आई॰डी॰ स्वामी :** क्या वित्त मंत्री 6 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2268 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन बैंक के तत्कालीन सीएमडी के विरूद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज किये गये मामले में इसके द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सूचित किया है कि जांच के दौरान, सात स्थानों की तलाशी ली गई थी तथा कुछ दस्तावेज छानबीन के लिए इकट्ठे किये गए हैं।

आर्थिक अपराध

1279. **श्री शांतिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :**
श्री दिनशा पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आर्थिक अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आर्थिक अपराध रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को आर्थिक अपराधों से निपटने हेतु गुजरात सरकार द्वारा स्थापित किए गए एक स्वतंत्र ब्यूरो के बारे में जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी स्थिति से निपटने हेतु गुजरात सरकार की भांति स्वतंत्र निकाय स्थापित करने हेतु राज्यों को दिशा-निर्देश जारी करेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

वित्तीय घाटा

1280. **श्री आई॰डी॰ स्वामी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रण महालेखा परीक्षक ने वित्तीय घाटे को कम करने हेतु "आयल पूल" से धनराशि निकालने के संबंध में चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार "ऑयल पूल" में धनराशि की कितनी कमी है और सरकार का विचार किस प्रकार इस कमी को दूर करने का है;

(घ) आम आदमी पर इस कमी का क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ङ) मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है।

इंडियन बैंक की पुनरूद्धार योजना

1281. श्री अनंत गुढ़े : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 फरवरी, 1997 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" में "आईसीआरए सबमिट्स इंडियन बैंक रिवाइवल ब्लू प्रिंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समाचार के संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में की गयी/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक को इंडियन बैंक से संबंधित निवेश और ऋण रेटिंग एजेंसी (आईसीआरए) की अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, इस अंतरिम रिपोर्ट में वर्ष 1996-97 और 1997-98 को शामिल करते हुए अल्पावधि कार्यनीति पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। आईसीआरए ने अभी तक इंडियन बैंक के पुनरूज्जीवन योजना के बारे में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इंडियन बैंक संबंधी आईसीआरए की अंतिम रिपोर्ट की प्राप्ति और उसकी जांच के पश्चात ही उपयुक्त कार्रवाई करने का प्रश्न उठेगा।

(ग) और (घ) इंडियन बैंक प्रबंधन को अल्पवधि और दीर्घावधि लक्ष्यों को निश्चित रूप स्वरूप देना पड़ेगा और अपेक्षित परिवर्तनों के साथ आवश्यक कदमों को कार्यान्वित करना पड़ेगा। आईसीआरए ने अभी अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश नहीं की है जिसमें बैंक के परिचालन संबंधी कुछ प्रमुख क्षेत्रों को कवर किया जाएगा।

बैंकों द्वारा कर्नाटक में ऋण का वितरण

1282. श्री बी॰एल॰ शंकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में अनुसूचित और राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य में इन बैंकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को ऋण के रूप में कुल कितनी धन राशि संवितरित की गई हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य में इन बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गई और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और कितनी शाखाएं खोलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) मार्च, 1996 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की 4445 शाखाएं कार्यरत थीं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत कर्नाटक में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संवितरित ऋण नीचे दर्शाए गए हैं :—

(करोड़ रुपए)

	मार्च, 1994 के अन्त में	मार्च, 1995 के अन्त में	मार्च, 1996 के अन्त में
कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	412.59	478.93	60.70
लघु उद्योग	134.21	110.04	195.32
सेवाएं	131.77	225.89	378.24

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष कर्नाटक में खोली गई शाखाओं की संख्या के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, कर्नाटक में शाखाएं खोलने के लिए अप्रैल, 1995 से 31 जनवरी, 1997 के बीच गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी किए गए प्राधिकार जिन्हें अभी खोला जाना है, की संख्या नीचे दी गई है :—

बैंक	प्राधिकारों की संख्या
सरकारी क्षेत्र के बैंक	55
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	6
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	13
योग	74

चारा घोटाला

1283. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक ने बिहार में चारा घोटाले के लिये जिम्मेवार घटनाओं के बारे में

समय पर सूचना न देने के संबंध में आयकर विभाग पर आरोप लगाया है;

(ख) क्या सरकार ने आयकर विभाग द्वारा हुई चूक के कारणों का पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) नियंत्रक महालेखा परीक्षक से लेखा परीक्षा टिप्पणी के रूप में एक प्रारम्भिक टिप्पणी हुई है जिसकी जांच की जा रही है।

राज सहायता प्राप्त वस्तुएं

1284. श्री सिदया कोटा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन प्रमुख वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिये सरकार द्वारा राज सहायता दी जा रही है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इनके लिए वस्तुवार कितनी राशि की राज सहायता उपलब्ध करायी गई;

(ग) क्या सरकार का विचार राजस्व घाटे को कम करने के लिए राज सहायता में कटौती करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) वर्ष 1994-95 और 1995-96 में जिन प्रमुख मदों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है वे निम्नलिखित हैं :—

(करोड़ रुपए)
(सं॰अ॰)

	1994-95	1995-96
खाद्य आर्थिक सहायता	5100	5500
देशी (यूरिया) उर्वरक	4075	4300
आयातित (यूरिया) उर्वरक	1166	1935
किसानों को रियायत देते हुए विनियंत्रित फास्फोटी और पोटाशी उर्वरकों की बिक्री	531	500
निर्यात संवर्द्धन और बाजार विकास	658	315
जोड़	11530	12550

(ग) आर्थिक सहायता के लिए की गई व्यवस्था सरकार की नीति का प्रतिबिम्बक है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बकाया ऋण की वसूली

1285. डा॰ जी॰आर॰ सरोदे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि ऋणों की वसूली का अभियान छेड़ने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो बकाया ऋणों की कुल राशि क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) कृषि ऋण सहित ऋणों की वसूली एक निरंतर चलाने वाली प्रक्रिया है जिसे उन ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा चलाया जाता है जो आवधिक रूप से अपने वसूली कार्यनिष्पादन की पुनरीक्षा करते हैं और वसूली में सुधार लाने के लिए कदम उठाते हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना के अनुसार, जून 1996 के अंत की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की कुल अतिदेय राशियां (बकाया ऋण) नीचे दी गई हैं :—

(करोड़ रुपए)

	कुल अतिदेय राशियां	मांग की तुलना में वसूली की प्रतिशतता
जून, 1996 के अंत की स्थिति के अनुसार	4965.28	61.83*

*आंकड़े अनन्तिम

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1286. श्री येल्लैया नंदी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 9 उपक्रमों को विश्व-स्तर के बड़े उपक्रमों में परिपत करने हेतु उनकी पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के सहायता करने हेतु सहमत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश करने संबंधी नीति में परिवर्तन किया है; और

(च) यदि हां, तो इसमें क्या-क्या परिवर्तन किये जायेंगे?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख) साझा न्यूनतम कार्यक्रम में किए गए उल्लेख के अनुसार सरकार ने अस्थायी रूप से सरकारी क्षेत्र के कुछ ऐसे उपक्रम अभिज्ञात किए हैं, जिनमें विश्व स्तर पर विस्तार की क्षमता है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में एक विस्तृत पैकेज को अंतिम रूप दे दिया है तथा अनुमोदित कर दिया है।

(ङ) और (च) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश से संबंधित नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

बीमा कानून तथा इनका प्रवर्तन

1287. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4-10 जनवरी, 1997 के "ब्लिट्ज" में "इनश्योर एंड बी इनसिक्योर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बीमा नीतियों में समाहरण खंड के अंतर्गत प्रायः महिलाओं सहित गरीब तथा कमजोर वर्गों के लोग ही आते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) जी, हां। जीवन बीमा पालिसियों में समपहरण खंड सामान्यतः तभी लागू होता है जबकि या तो रियायती अवधि के अन्दर प्रीमियम का भुगतान न किया गया हो अथवा यह पाया जाए कि बीमा प्रस्ताव में असत्य या अशुद्ध विवरण दिए गए हैं या फिर वास्तविक सूचना की जानकारी न दी गयी हो। ये संभावनाएं किसी भी पालिसी में, पालिसी लेने वाले व्यक्तियों के लिंग अथवा आर्थिक स्थिति का लिहाज किए बगैर उत्पन्न हो सकती हैं। तथापि, जीवन बीमा निगम ने समपहरण खंड को सख्ती से लागू किए जाने के कारण पालिसी धारकों को होने वाली परेशानी को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि कतिपय शर्तों के अधीन अनुग्रह राशि का भुगतान करना, चाहे पालिसियां तीन वर्ष की अवधि के अन्तर्गत ही व्यपगत हुई हों; और समाज के निम्न वर्ग के लोगों से संबंधित अस्वीकृत दावों की क्षेत्रीय और केन्द्रीय कार्यालय दावा समीक्षा समितियों द्वारा पुनरीक्षा करते समय उन पर सहानुभूतिक दृष्टिकोण अपनाना।

आंध्र प्रदेश को-आपरेटिव बैंक हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता

1288. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश को-आपरेटिव बैंक ने अपने विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश सहकारी बैंक ने उससे कोई सहायता नहीं मांगी है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

कोयले की चोरी

1289. श्री दत्ता मेघे :
श्री जगत वीर सिंह द्रोण :
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :
श्री दिनशा पटेल :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कोयले की चोरी के कितने मामले सरकार के ध्यान में आये हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष, राज्यवार चोरी, लूट और माफिया गतिविधियों के कारण अनुमानतः कितने कोयले की हानि हुई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इसके परिणाम-स्वरूप कितनी राशि की हानि हुई; और

(घ) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) कोयले की चोरी के मामलों के संबंध में जानकारी प्राप्त किया जाना संभव नहीं है, चूंकि ऐसे क्रिया-कलाप गुप्त रूप में किए जाते हैं। कंपनी के सुरक्षा बलों तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आदि द्वारा मारे गए छापों के आधार पर और वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान चोरी के मामले तथा कोयले की, की गई वसूली के मामले में क्रमशः 2713, 2096 तथा 1608 हैं। इसी अवधि के दौरान वसूल किए गए कोयले की मात्रा तथा इसकी कीमत

राज्य-वार नीचे दर्शाई गई है :—

राज्य	1993-94			1994-95			1995-96		
	मामलों की सं॰	वसूल की गई मात्रा (टन में)	वसूल किए कोयले की कीमत (लाख रु॰ में)	मामलों की सं॰	वसूल की गई मात्रा (टन में)	वसूल किए कोयले की कीमत (लाख रु॰ में)	मामलों की सं॰	वसूल की गई मात्रा (टन में)	वसूल किए कोयले की कीमत (लाख रु॰ में)
बिहार	262	10,234	61.99	211	3,577	18.24	206	3,740	20.65
प॰ बंगाल	2,412	21,890	113.28	1,843	19,336	98.14	1,371	12,133	61.77
मध्य प्रदेश	17	331	1.97	28	115	0.69	15	111	0.94
महाराष्ट्र	2	12	0.06	2	4	0.03	4	26	0.11
उड़ीसा	20	143	0.89	10	171	0.80	12	50	0.20
असम	-	-	-	2	103	0.47	-	-	-
जोड़	2,713	32,610	178.19	2,096	23,306	118.37	1,608	16,060	83.67

(घ) ऐसे क्रियाकलापों पर रोक लगाए जाने के बारे में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. कोयले के स्टाकों के चारों तरफ चार-दीवारी को खड़ा किया जाना/निर्माण किया जाना।
2. कोलियरियों को जाने वाली मुख्य सड़कों पर जांच चौकियों की स्थापना किया जाना।
3. वाच-टावरों की स्थापना किया जाना तथा कोयले के स्टाक क्षेत्रों के चारों ओर रोशनी की व्यवस्था किया जाना।
4. आसूचना का संग्रहण किया जाना।
5. स्थानीय पुलिस तथा कोलियरी सुरक्षा कार्मिकों के साथ अचानक छापे मारा जाना।
6. कोलियरी सुरक्षा कार्मिकों द्वारा 24 घण्टे गश्त लगाया जाना।
7. इस समस्या से निपटने हेतु योजना तैयार किए जाने के संबंध में जिला प्राधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया जाना।
8. स्थानीय पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

लोक सभा की बैठक के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक छोटी सी घोषणा करनी है। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि परिपाटी के अनुसार सभा आज अपराह्न 4 बजे स्थगित होकर अपराह्न 5 बजे सामान्य बजट के प्रस्तुतीकरण के लिए पुनः समवेत होगी। आज शुक्रवार है और पुरानी परिपाटी के अनुसार, गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य अपराह्न 2.00 बजे लिया जाएगा और यह अपराह्न 4.00 बजे समाप्त होगा।

अपराह्न 12.1 $^{1}/_{2}$ बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचनायें और कयर बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं और लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण तथा उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का॰आ॰ 827(अ) जो 27 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें प्रताप पेपर मिल्स लिमिटेड, जान्तिपुर पंजाब को अखबारी कागज उत्पादित करने वाली

मिल के रूप में अधिसूचित करने वाला आदेश है।

(दो) का॰आ॰ 828(अ) जो 27 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें कामाक्षी पेपर्स (पी) लिमिटेड, गजरोला, उत्तर प्रदेश को अखबारी कागज उत्पादित करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित करने वाला आदेश है।

(तीन) का॰आ॰ 52(अ) जो 20 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें मैसर्स बी॰वी॰वी॰ पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मरिचि-नैकेनपालायम, तमिलनाडु को अखबारी कागज उत्पादित करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित करने वाला आदेश है।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल॰टी॰ 1400/97]

(2) (एक) कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कयर बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कयर बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1995-96 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल॰टी॰ 1401/97]

इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल॰टी॰ 1436/97]

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत सूचनायें तथा वार्षिक प्रतिवेदन और 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लेखे

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार) : श्री पी॰ चिदम्बरम की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) संशोधन विनियमन, 1996 जो 4 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 851(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उद्यम पूंजी निधि) विनियमन, 1996 जो 4 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 850(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 जो 9 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 856(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निम्नांकक) संशोधन विनियमन, 1997 जो 17 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 46(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल॰टी॰ 1402/97]

(2) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 की धारा 40 की उपधारा (5) के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक के 1 जुलाई, 1995 से 30 जून, 1996 की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल॰टी॰ 1403/97]

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :—

(एक) रायलसीमा ग्रामीण बैंक, कुड्प्पा

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल॰टी॰ 1404/97]

(दो) पुरी ग्राम्या बैंक, पिपली

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल•टी• 1405/97]

(तीन) साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक, मलपपुरम

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल•टी• 1406/97]

(चार) चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतीहारी

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल•टी• 1407/97]

(पांच) गुरदासपुर, अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, गुरदासपुर

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल•टी• 1408/97]

(छः) कपूरथला, फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कपूरथला

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल•टी• 1409/97]

(सात) पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डेल्टनगंज

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल•टी• 1410/97]

(आठ) नालन्दा ग्रामीण बैंक, बिहारशरीफ

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल•टी• 1411/97]

(नौ) संथाल परगनास ग्रामीण बैंक, दुमका

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल•टी• 1412/97]

(दस) बैत्रणी ग्राम्य बैंक, बारीपाडा

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल•टी• 1413/97]

(ग्यारह) प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रतापगढ़

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल•टी• 1414/97]

(बारह) कछार ग्रामीण बैंक, सिल्चर।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल•टी• 1415/97]

(तेरह) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल•टी• 1416/97]

(चौदह) नागार्जुन ग्रामीण बैंक, खम्माम।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल•टी• 1417/97]

(पन्द्रह) चैतन्य ग्रामीण बैंक, तेनाली।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल•टी• 1418/97]

(सोलह) सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चैबासा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल•टी• 1419/97]

(सत्रह) किसान ग्रामीण बैंक, बदायूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल•टी• 1420/97]

(अठारह) बर्धमान ग्रामीण बैंक, बर्धमान।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल•टी• 1421/97]

(उन्नीस) बोलंगिर आंचलिक ग्राम्य बैंक, बोलंगिर।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल•टी• 1422/97]

(बीस) बूंदी चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बूंदी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल•टी• 1423/97]

(इक्कीस) बाराबंकी ग्रामीण बैंक, बाराबंकी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल•टी• 1424/97]

(बाईस) बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल•टी• 1425/97]

(तेईस) इंदौर उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उज्जैन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल•टी• 1426/97]

(चौबीस) झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झाबुआ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल•टी• 1427/97]

(पच्चीस) महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नरसिंहपुर।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल•टी• 1428/97]

(4) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम के 26वें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल•टी• 1429/97]

(5) भारतीय निवेश केन्द्र के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन/वार्षिक लेखाओं* को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल•टी• 1430/97]

(6) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा•का•नि• 74(अ) जो 14 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो साधारण बीमा कारबार करने वाले बीमा कर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवाओं को उन

* वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे 21 फरवरी, 1997 को सभा पटल पर रखे गये।

पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सेवा कर से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 75(अ) जो 14 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवाओं को उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सेवा कर से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 76(अ) जो 14 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 3 अप्रैल, 1996 की अधिसूचना संख्या 5/96 सेवा कर में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1431/97]

(7) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा॰का॰नि॰ 578(अ) जो 20 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य के मूल के सोडियम फेरोसाइनाइड पर भारत में आयात किए जाने पर पाटन रोधी शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 579(अ) जो 20 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य के मूल के 85 प्रतिशत से 92 प्रतिशत एम॰जी॰ओ॰ अंश वाले डेड बर्न्ट मैगनेसाइट पर, भारत में आयात किए जाने पर, पाटन रोधी शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 33(अ) जो 24 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय रूस में उद्भूत या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विनिर्दिष्ट श्रेणी के निम्न कार्बन फैरोक्रोम पर पाटन रोधी शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 34(अ) जो 24 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कजाकिस्तान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विनिर्दिष्ट श्रेणी के निम्न कार्बन फैरोक्रोम पर पाटन-रोधी शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1432/97]

(8) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा॰का॰नि॰ 593(अ) जो 27 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 37/96-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 14(अ) जो 16 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत में उसी प्रकार के लघु उद्योगों को दी जाने वाली छूट योजना के अंतर्गत नेपाल से भारत को आयातित माल पर प्रतिशुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 21(अ) जो 20 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 37/96-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1433/97]

(9) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 39 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कंपनी सचिव (संशोधन) विनियम, 1996 जो 28 नवम्बर, 1996 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 710/1 (एम)/20 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1434/97]

(10) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत 27 दिसम्बर, 1996 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 53/18/96-के॰उ॰शु॰ जिसका आशय जम्मू में ठहरे हुए कश्मीरी विस्थापितों और कश्मीर घाटी में चरारे शरीफ अग्निकाण्ड से प्रभावित लोगों को मुफ्त बांटे गए 500 टेंटों को उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1435/97]

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

सभा का कार्य

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं श्री श्रीकान्त जेना की ओर से यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 3 मार्च, 1997 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
2. वर्ष 1997-98 के लिए रेल बजट पर सामान्य चर्चा।
3. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान :—

   (क) वर्ष 1997-98 के लिए लेखानुदान मांगें (रेल)

   (ख) वर्ष 1996-97 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (रेल)

   (ग) वर्ष 1994-95 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें (रेल)
4. राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अध्यादेश, 1997 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण विधेयक, 1997 पर विचार और पारित करना।
5. वर्ष 1997-98 के लिए सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा।,

अध्यक्ष महोदय : कार्य सूची अभी तक नहीं दी गई है। हम कुछ समय बाद इसकी अनुमति देंगे।

अपराह्न 12.04 बजे

कॉफी (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कॉफी अधिनियम, 1942 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि कॉफी अधिनियम, 1942 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बोला बुल्ली रमैया : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज गैर सरकारी सदस्यों का दिन होने के कारण शून्य काल या नियम 377 के अंतर्गत मामले नहीं हैं। परन्तु श्री जसवंत सिंह कुछ कहना चाहते हैं, जो कुछ वे कहना चाहते हैं, उन्हें बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष जी, आज मध्य प्रदेश की बात नहीं उठाने देंगे क्या। वहां एक महिला को जलाकर मार दिया गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उमा जी, आज जीरो आवर नहीं है, आज प्राइवेट मेम्बर बिल है।

कुमारी उमा भारती : क्या आप हमें मध्य प्रदेश का मामला आज उठाने नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदय : आज नहीं, मन्डे को।

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया (जूनागढ़) : एक महिला को जलाकर मार दिया गया है।

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष जी, इस मामले को आज उठाने की अनुमति दी जाए।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : बहुत महत्वपूर्ण मामला है। एक नया तंदूर कांड हुआ है।...*(व्यवधान)* इस मामले को उठाने की अनुमति दी जाए। यह कोई हवा में मामला नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, सरकार कटघरे में खड़ी है। मध्य प्रदेश में एक महिला को जला दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, इन्हें सोमवार को उठाने की इजाजत दे दें।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-2 दिनांक 28.2.1997 में प्रकाशित

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सोमवार को उठाने की इजाजत दे दी है।

कुमारी उमा भारती : आज क्यों नहीं दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : आज प्राइवेट मैम्बर्स डे है। हाउस की यह कनवेंशन है कि प्राइवेट मैम्बर्स डे में जीरो आवर और 377 नहीं होता है। जसवन्त सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। मैंने उन्हें कुछ कहने की इजाजत दे दी है।

कुमारी उमा भारती : हमें भी दे दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंडे को देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पप्पू जी, कभी-कभी तो आप चुप बैठा कीजिए। आज आप बैठिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री पप्पू यादव, कृपया आप बैठिए। पासवान जी क्या आप अपने सदस्यों को स्थिति समझा सकते हैं? आज शून्य-काल का दिन नहीं है और उन्होंने इस मुद्दे को पहले दो बार उठाया है।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मेरा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में वस्तुतः अत्यंत गंभीर स्थिति पैदा हो गयी है। मैं कानून और व्यवस्था या अन्य मामलों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तीन प्रमुख प्रश्नों-मंत्रिमंडल की संयुक्त जिम्मेदारी, राज्यपाल की भूमिका और कार्य तथा राज्यपाल की केन्द्र सरकार के प्रति जवाबदेही-के बारे में कह रहा हूं।

मैंने ऐसा इसलिए कहा है कि हमने अभी पुनः नियम 184 के अंतर्गत एक प्रस्ताव रखा है। अगर आप अनुमति देते हैं तो मैं प्रस्ताव को संक्षेप में पढ़ता हूं जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी :—

> "उत्तर प्रदेश में संवैधानिक संकट को गम्भीरता से लेते हुए जो कि अन्य बातों के साथ-साथ कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई हालत से परिलक्षित होती है जिसे केन्द्रीय गृह मंत्री ने हत्या, उपद्रव, अव्यवस्था और विध्वंस-इन शब्दों में व्यक्त किया, परन्तु राज्यपाल ने केन्द्रीय सरकार के मूल्यांकन को अस्वीकार कर दिया और यह स्पष्टीकरण दिया कि मैंने प्रधान मंत्री से इस विषय पर बात की है, यह सदन यह संकल्प करता है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को वापस बुलाया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवंत सिंह, मैं समझता हूं कि यह मामला उसी दिन निपटा दिया गया था। मैंने कहा था कि आज गैर सरकारी सदस्यों का दिन होने के कारण हमारे पास आधे घंटे की भी कमी है क्योंकि बजट भी प्रस्तुत किया जाना है। मैं समझता हूं कि यह उचित रहेगा यदि आप प्रस्ताव का नोटिस आज की बजाय सोमवार को रखते।

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदय, आपने इस पर अपनी व्यवस्था दे दी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : निःसंदेह, महोदय, मैं आपका आभारी रहूंगा यदि आप मुझे सोमवार को ऐसा करने की अनुमति देते हैं। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जो कुछ मैंने अभी प्रस्तुत किया वह नियम 184 के अंतर्गत एक नया प्रस्ताव है, यह उसके क्रम में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे देखूंगा।

श्री जसवंत सिंह : यह बिल्कुल ही भिन्न और बदली हुई स्थिति है जिससे प्रभावित होकर मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, मैंने विशेषाधिकार संबंधी नोटिस दिया है। संपूर्ण संसद का अपमानजनक टिप्पणियों द्वारा अपमान किया गया था। यह लोक सभा के भूतपूर्व महासचिव, श्री सुभाष कश्यप द्वारा केवल मानहानि ही है। त्रिवेणी सभागार में 25 फरवरी को सार्वजनिक रूप से यह वक्तव्य दिया गया। भूतपूर्व महासचिव...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : महोदय, मैंने भूतपूर्व महासचिव के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन संबंधी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे पास नहीं पहुंचा है। आज कोई शून्य काल नहीं है।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : महोदय, मैंने आज नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : नोटिस आने दीजिए।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : महोदय, मैं पहले ही नोटिस दे चुका हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे इस समय उठाए जाने की अनुमति नहीं दी है। नोटिस मेरे पास आने दीजिए। पहले मैं इसे देखूंगा।

श्री ए॰सी॰ जोस (इदुकी) : महोदय, मैंने भी लोक सभा के भूतपूर्व महासचिव, श्री सुभाष, सी॰ कश्यप के विरूद्ध विशेषाधिकार का एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा है। जब यह मुझे मिलेगा, तब मैं देखूंगा।

(व्यवधान)

श्री एन्सी॰ जोस (इदुकी) : महोदय, मेरा अनुरोध है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब कोई और अनुरोध नहीं। मैंने नोटिस नहीं देखा है। यह अब तक मेरे पास नहीं आया है। अभी आप कोई अनुरोध नहीं कर सकते। पहले मेरे पास नोटिस आ जाने दीजिए। मैं पहले इसे देखूंगा फिर फैसला करूंगा।

अपराह्न 12.10 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

सभा का कार्य–जारी

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाये :—

1. मध्य प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति विशेषकर महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार की घटनाओं पर चर्चा की आवश्यकता।

2. देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ठप्प पड़ी हुई टेलीफोन व्यवस्था पर चर्चा की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए :—

1. निजी और विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए कोयला खानों को खोलने का सरकार का निर्णय।

2. ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लायज कनफेडरेशन, सी डब्ल्यू सी मजदूर यूनीयन, डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ रेलवे और ऑल इंडिया लोकोमेन स्टाफ एशोसिएशन को मान्यता प्रदान करना।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए :—

लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के एक-तिहाई आरक्षण से संबंधित संविधान (81 संशोधन) विधेयक, 1996

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित लोक महत्व के विषयों को शामिल किया जाये :—

1. नयी युवा नीति की घोषणा, राष्ट्रीय युवा परिषद का गठन एवं राष्ट्रीय युवा परिषद को संवैधानिक दर्जा देने की मांग पर विचार।

2. बिहार राज्य के कोयले की रायलिटी नीति को बदलकर वजन के बदले मूल्य के आधार पर निर्धारित करने की मांग पर विचार।

[अनुवाद]

प्रो॰ जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए :—

1. भारत और बंगला देश के बीच व्यापार और अन्य संबंधों को सुधारने के लिए रेल और सड़क यातायात कायम रखना।

2. स्थानीय डायलिंग प्रणाली द्वारा पश्चिम बंगाल के पूरे सिलीगुढ़ी-जलपाईगुड़ी क्षेत्र के लिए एक समेकित दूरभाष केन्द्र स्थापित करना।

[हिन्दी]

श्री नन्द कुमार साय (रायगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करने का कष्ट करें :—

1. मध्य प्रदेश में रायगढ़ जिलान्तर्गत जशपुर नगर में लगाये गये दूरदर्शन केन्द्र का रेंज बहुत छोटा होने के कारण आस-पास भी ठीक से दिखाई नहीं देता। कम शक्ति होने के कारण स्पष्ट भी दिखाई नहीं पड़ता। जशपुर में स्थित इस दूरदर्शन केन्द्र का और विस्तार तथा शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है।

2. मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिलान्तर्गत जशपुर नगर में कुकिंग गैस की एजेंसी नहीं होने से वहां पर लोगों को ईंधन की भारी मुसीबत है। जशपुर नगर में कुकिंग गैस की एजेंसी स्थापित करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएं :—

1. बिहार और उत्तर प्रदेश से जुड़ी नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्वापक औषधों, हथियारों और नकली मुद्रा की तस्करी द्वारा बढ़ती हुई आई एस आई गतिविधियों पर चर्चा करना।

2. बिहार और उत्तर प्रदेश के विकास और कल्याण गतिविधियों के लिए विशेषरूप से निर्धारित केन्द्रीय

योजना निधियों को उपयोग न किए जाने के संबंध में चर्चा करना।

प्रो॰ अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित प्रस्तावों को सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं :—

1. दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से आए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ॰बी॰सी॰) के उम्मीदवारों को आरक्षण का समुचित लाभ देने के लिए उनकी राज्य की सरकार द्वारा जारी (ओ॰बी॰सी॰) प्रमाण-पत्र के आधार पर एक निश्चित समय सीमा के अंदर दिल्ली सरकार का प्रमाण-पत्र निर्गत करा कर जमा करने का अवसर देना चाहिए।
2. उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को अधिक सुसंगत एवं पारदर्शी बनाने के लिए न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। श्री चित्त बसु, कृपया आप बोलिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : भुवनेश्वर के निकट एक रेल दुर्घटना हुई थी। पांच यात्री मरे थे। महोदय, रेल मंत्री यहां उपस्थित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आज कोई शून्य काल नहीं है। श्री चित्त बसु जी।

श्री बसुदेव आचार्य : जब भी दुर्घटना होती है तो रेल मंत्री स्वतः वक्तव्य देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। वह केवल सोमवार को होता है।

श्री चित्त बसु (बारासाट) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए खड़ा हुआ हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। उन्हें बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : हमने नोटिस दिया हुआ है कल भी हमने रैक्वैस्ट किया था...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे याद है। आप बैठ जाइए। आज जीरो आवर नहीं है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : इतने महत्वपूर्ण मामले पर आप समय नहीं दे रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : मामला महत्वपूर्ण होगा, लेकिन आज जीरो आवर नहीं है। आप बैठ जाइए।

अपराह्न 12.17 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : दोनों सदनों की संयुक्त सभा में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए उत्कृष्ट भाषण के लिए मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

सबसे पहले मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि वह जनादेश को सही ढंग से समझें और जून 1996 में 11वीं लोक सभा के चुनावों के जनादेश की सही व्याख्या करें। लोगों ने साम्प्रदायिक और प्रतिक्रियावादी शक्तियों को केन्द्र की सत्ता नहीं सौंपी। जनता ने किसी एक ही पार्टी को शासन करने का जनादेश नहीं दिया। एकल पार्टी आधारित राजनीतिक स्थिरता का जनादेश भी नहीं मिला है। इसके विरूद्ध, जनता ने विविध पार्टियों के शासन का जनादेश दिया है जिसके द्वारा राष्ट्रीय विकास, समानता, पंथ-निरपेक्षता, सामाजिक न्याय और पारदर्शिता सुदृढ़ हो। यह जनादेश है और इस जनादेश के प्रति सम्मान रखने के लिए संयुक्त मोर्चे का गठन किया गया। संयुक्त मोर्चा सभी लोकतांत्रिक वामपंथी और धर्म-निरपेक्ष पार्टियों का मोर्चा है और यह उद्देश्यहीन अथवा सामाजिक-आर्थिक दिशाहीन गठबंधन नहीं है।

मान्यवर, राष्ट्रपति ने अपने भाषण में यह ठीक ही कहा है कि संयुक्त मोर्चा एक सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम के प्रति वचनबद्ध है। संयुक्त मोर्चा सरकार के उद्देश्य और साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधारभूत दृष्टिकोण की रूपरेखा के संदर्भ में मुझे लगता है कि मेरे लिए माननीय राष्ट्रपति द्वारा कही गई बातों को दोहराना या उद्धरण करना ठीक ही होगा।

संयुक्त मोर्चे के साझा न्यूनतम कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए, राष्ट्रपति महोदय ने कहा था और मैं उद्धृत करता हूं :—

> "संयुक्त मोर्चा के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में राष्ट्रीय विकास, समानता, सामाजिक न्याय और धर्म-निरपेक्षता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित मूल कार्यसूची दी गई है। हमारे समाज और जनता की अधिक समृद्धि और खुशहाली के लिए यह एक माध्यम है। इसमें हमारे संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने, उपेक्षित वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े

[श्री चित्त बसु]

वर्गों और अल्पसंख्यकों को शक्तियां प्रदान करने से संबंधित विशिष्ट नीतियों एवं दिशा-निर्देशों का उल्लेख है।"

अतः साझा न्यूनतम कार्यक्रम वह आधारभूत प्लैटफार्म है जिसके द्वारा सरकार इसको कार्यरूप देने के प्रति कटिबद्ध है और जिसके कार्यान्वयन पर मेरी पार्टी सरकार की मदद करने के लिए कृतसंकल्प है।

इस उद्देश्य को परिप्रेक्ष्य में, मैं सरकार का ध्यान और माननीय सदन का ध्यान सरकार के आठ महीने के शासन की उपलब्धियों और सकारात्मक पहलुओं की ओर दिलाना चाहता हूं। यदि आप मुझे इन पहलुओं का संक्षिप्त में उल्लेख करने की आज्ञा दें तो मैं एक के बाद दूसरे का संक्षेप में निम्नानुसार वर्णन करूंगा :—

अंतर-राज्य परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और मुख्यमंत्रियों की समय-समय पर होने वाले सम्मेलनों को गतिशील बनाया गया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले 31 से 32 लाख लोगों को आधे मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने संबंधी सरकार के निर्णय के संबंध में साझा न्यूनतम कार्यक्रम के कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण उदाहरणों का जिक्र करते हुए मुझे अधिक गर्व होता है। इस समय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या 32 लाख है। हम यह अच्छी तरह समझ सकते हैं कि गरीबी रेखा का भी सही, उचित और वैज्ञानिक आंकलन नहीं किया जाता है क्योंकि आय बहुत ही कम है कि यह आश्चर्य की बात है कि इतनी कम आय से भी लोग जीवन यापन कर पाते हैं। अतः हमारे देश के इतिहास में यह पहली बार है कि गरीब से गरीब को भी आर्थिक कार्यक्रम और देश के विकास कार्यक्रमों में स्थान दिया गया है।

मैं विशेषकर युवा मंत्री श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव का धन्यवाद करना चाहता हूं और इस बात का स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के शीघ्र कार्यान्वयन पर जोर दिया। इतिहास इस बात को याद करेगा कि ग्यारहवीं लोक सभा ने पहली बार भारत को दोहरा भारत—एक अमीरों का और एक गरीबों का—बनाने के बजाय दोहरे मूल्य रखने का निर्णय लिया है। मैं उनका धन्यवाद करने में गर्व महसूस करता हूं। अतः वर्तमान भारत गरीबों का भारत है और यह गरीबों का भारत ही रहेगा क्योंकि देश के गरीबों के उन्नयन के प्रति यह एक वचन-बद्धता है। संयुक्त मोर्चा सरकार को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने लोगों से किये गए इस वायदे को जल्दी जल्दी कार्यान्वित किया है।

इस संबंध में, मैं कुछ और भी कहना चाहूंगा। कुछ लोगों नें यह कहा कि कुछ लोगों ने स्वराज के लिए संघर्ष में भाग नहीं लिया। उन्होंने न केवल स्वराज के संघर्ष में भाग नहीं लिया अपितु उन्होंने स्वराज के प्रति अपनी वचनबद्धता भी व्यक्त नहीं की। जहां तक देश की स्वतंत्रता का प्रश्न है उन्हें यही पता नहीं है कि राष्ट्र क्या है। हमें वह प्रथा विरासत में मिली है, हमने देश को स्वतंत्रता दिलाई है। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें बिना गारंटी का स्वराज मिला। किस प्रकार का स्वराज यहां है यह तो गुजरात से पता चलता है, किस तरह के स्वराज और स्वतंत्रता का कैसा विचार वह रखते हैं इसका उदाहरण तो राजस्थान तथा देश के कई अन्य भाग हैं।

अतः देश के लोगों में संयुक्त मोर्चा के प्रति अनन्त आस्था है सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित स्थिर सरकार न तो कांग्रेस दे सकी और न बी॰जे॰पी॰ चूंकि उनके शब्दों में स्वराज का अर्थ देश के लोगों का अच्छा रहन-सहन है। अतः इन दोनों के मध्य एक तीसरे विकल्प के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह संयुक्त मोर्चे के रूप में विद्यमान है। संयुक्त मोर्चे के घटकों को मैं बताना चाहता हूं कि स्थिरता सदैव संख्या पर ही आधारित नहीं होती। यह सामाजिक समानता के कार्यक्रम पर आधारित होती है। राजनीतिक कार्यक्रम पर आधारित होती है और इन सबसे बढ़कर, सरकार के राजनीतिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर आधारित होती है। यद्यपि आठ महीने पुरानी संयुक्त मोर्चा सरकार की यही सकारात्मक उपलब्धियां हैं, मैं अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण नहीं देना चाहता हूं। पहली बार लोगों ने यह महसूस किया है कि वे भी केन्द्रीय सरकार के अंग हैं। पहले लोगों के मन में यह धारणा थी कि केन्द्र की सरकार राज्यों के लिए पराई है। अब पहली बार पूरे देश के लोग यह महसूस करने लगे हैं कि वे भी सरकार के ही अंग हैं और नीति-निर्धारण और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भी उनका योगदान है।

मुझे लगता है कि सरकार ने सरकारिया आयोग की अधिकतर सिफारिशें मंजूर कर ली हैं। जब देश में कांग्रेस का शासन था तो यह हमारा एक कोरा स्वप्न था और अब स्थायी समितियों का गठन इसलिए हुआ है कि राज्यों की वित्तीय शक्तियां के हस्तांतरण का पुनरीक्षण किया जाये। केन्द्र ने प्रशासन के विकेन्द्रीयकरण, देश के वित्तीय और प्रशासनिक तंत्र के विकेन्द्रीयकरण की ओर एक दूसरा बड़ा कदम उठाया है।

मूल न्यूनतम सेवाओं का प्रतिपादन इस सरकार का एक अन्य दृढ़ निर्णय है। मुझे आशा है कि यदि वह साझा न्यूनतम कार्यक्रम में की गई प्रतिबद्धता को और अधिक कार्यान्वित कर पाते हैं तो देश में स्थिरता की गारन्टी हो जाती है, यह इसलिए नहीं कि सरकार को सदन के एक या दूसरे पक्ष का समर्थक है; अपितु इसलिए क्योंकि उसे जनता का समर्थन हासिल है। स्थिरता देश के लोगों के सहयोग पर निर्भर करती है और अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन द्वारा ही लोगों का सहयोग हासिल किया जा सकता है।

महोदय, जब मैं सकारात्मक पहलुओं का जिक्र कर रहा हूं, ऐसे और भी पहलू हैं जिनको मैं बयान कर सकता हूं। परन्तु हमें नकारात्मक पहलुओं को समझने से कतराना नहीं चाहिए। हमें आठ महीने पुरानी सरकार के नकारात्मक पक्षों को भी जानना चाहिए।

संयुक्त मोर्चे के हमारे अन्य घटकों के अपने मित्रों से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें पूरी गम्भीरता और तत्परता से शेष वायदों को पूरा करना है। परन्तु उससे पूर्व मैं इस आठ महीने पुरानी सरकार के नकारात्मक पहलुओं का भी उल्लेख करना चाहूंगा। हम देश की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त करते हैं और इस तथ्य की सम्पुष्टि इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण से होती है, जो पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है। साथ ही, हम बढ़ रही मुद्रा स्फीति के प्रति भी अपनी चिन्ता व्यक्त करते हैं जो पहले ही पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतों, रेल भाड़े, विद्युत शुल्क और विशेषकर, चीनी और यूरिया की कीमतों में हाल में हुई वृद्धि के कारण पैदा हुई है।

वे सब नियंत्रित मूल्य हैं। यह सब कार्यपालिका के आदेश से किया गया है। यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि इससे मूल्य विगत वर्ष के 7.7 प्रतिशत की अपेक्षा 10 प्रतिशत बढ़ जाएंगे। मूल्य सूचकांक के साथ कुछ अन्य ऐसे पहलू हैं जिन्हें पूरी गम्भीरता से नोट किया जाना चाहिए। हम इस बात पर अपनी चिन्ता व्यक्त करते हैं कि संयुक्त मोर्चा सरकार सी॰एम॰पी॰ कार्यसूची विशेषकर आर्थिक नीतियां संबंधी कार्यसूची का अनुपालन नहीं कर रही है। उदाहरणार्थ, मैं एक दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। पिछली जुलाई में विदेशी निवेश के संबंध में नियंत्रणों को अधिक उदार बनाने के उद्देश्य से उद्योग मंत्रालय की नीतिगत घोषणा द्वारा घरों में चल रहे कुटीर उद्योग हेतु आरक्षित क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश की अनुमति देने, 600 करोड़ रुपये तक के, — जो पहले 300 करोड़ रुपये था — प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को शक्तियां प्रदान करने, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड में निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों को शामिल करने, 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी के स्वतंत्र निवेश की अनुमति वाले उद्योगों की सूची के विस्तार, स्वतः स्वीकृति के लिए की 51 प्रतिशत की सीमा को 74 प्रतिशत तक बढ़ाने और 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी धारी कोयला आधारित, जल-विद्युत और अपारम्परिक ऊर्जा आधारित परियोजनाओं के लिए स्वतः अनुमोदन और कोयला उद्योग को राष्ट्रीयकरण से मुक्त करने के सरकार के हाल ही में लिये गये निर्णय से स्पष्ट होता है। इन सभी बातों से संकेत मिलता है कि कदम उठाए जा रहे हैं और संयुक्त मोर्चा के साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करके नीतियां बनाई जा रही हैं। मैं संयुक्त मोर्चा से अपील करता हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह साझा न्यूनतम कार्यक्रम से इस प्रकार हटकर कार्य न करे। इससे स्थिति अधिक मजबूत नहीं होगी। इससे स्थिरता भी नहीं बढ़ेगी। यदि इसमें सही समय पर उचित संशोधन नहीं किया जाता तो इससे सरकार अस्थिर होगी।

महोदय, चूंकि आपने घंटी बजा दी है इसलिए मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। मुझे आपके दायित्व और सम्मान का बोध है। मैं कभी आपकी अवज्ञा नहीं कर सकता। आपकी अनुमति से मैं दो या तीन बातों का उल्लेख मात्र करूंगा जिन पर सरकार को निश्चित गंभीर कार्यवाही करनी चाहिये। मैं उन क्षेत्रों का भी जिक्र करना चाहता हूं जहां कुछ चूक हुई हैं। मात्र दो मिनट लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप निर्धारित 10 मिनट के स्थान पर पहले ही 14 मिनट ले चुके हैं।

श्री चित्त बसु : महोदय, ये वे क्षेत्र हैं जहां तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम, भूमि सुधारों के क्रियान्वयन पर सरकार द्वारा अब तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। मेरे अन्य मुद्दे निम्नलिखित हैं :—अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को अधिकार देना जो कि अभी भी एक वायदा ही है। संविधान के अनुच्छेद 138(2) के अधीन बाबरी मस्जिद के मुद्दे को उच्चतम न्यायालय को सौंपना, अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम में वृद्धि, भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता और अन्य दण्ड विधियों की समीक्षा; देश में प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति के लिए 100 दिनों के रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम; टैरिफ आयोग का गठन; लोकपाल विधेयक को अंगीकृत किया जाना; महिला आरक्षण विधेयक को अंगीकृत किया जाना; और कृषि श्रमिक विधेयक को अंगीकृत किया जाना।

ये वचनबद्धताएं हैं जो संयुक्त मोर्चा द्वारा की गई हैं। ये क्षेत्र हैं जिन पर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया गया है।

यदि उचित संशोधन नहीं किया जाता है और इन क्षेत्रों पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है तो इस सरकार की विश्वसनीयता पर देश भरोसा नहीं करेगा और वही नियति होगी जैसी हमें आशंका है। जहां तक उनके द्वारा समर्थन वापस लेने या शर्तों पर समर्थन देने की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार उनके समर्थन पर ही निर्भर नहीं है। यह सरकार केवल लोगों की विश्वसनीयता पर चलेगी और लोगों की विश्वसनीयता जीतना केवल इस बात पर निर्भर है कि लोगों से की गई राजनीतिक वचनबद्धता का क्रियान्वयन किस सीमा तक किया गया है। इसलिए, मैं चाहता हूं कि संयुक्त मोर्चा द्वारा बनाये गये कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में संयुक्त मोर्चा सरकार ईमानदार, क्रियाशील और आक्रामक हो।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस मौके पर बोलने का अवसर प्रदान किया। लगातार तीन दिनों से संसद में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा की जा रही है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में दो तरह के मत आये हैं। उनके पक्ष में भी बातें रखी गयी हैं और विपक्ष में भी बातें रखी गयी हैं। लोकतंत्र में यह प्रथा है कि लोग सरकार के पक्ष में और विपक्ष में अपनी बातें रखते हैं। यह उनका अधिकार है।

मैं आज महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हूं। हमने यहां कई माननीय सदस्यों के

[श्री राम कृपाल यादव]

भाषणों को गौरपूर्वक सुना है। इस पर कई गंभीर विचार आये हैं। चाहे हां पक्ष वाले हों या न पक्ष वाले हों, ऐसा कोई सदस्य न होगा जिसने इस देश के गरीबों के उत्थान के विषय में चर्चा न की हो। सबसे अधिक अगर कोई शोषित रहा तो देश का कमेरा वर्ग शोषित रहा। खेत और खलिहान में काम करने वाले, ठेला और रिक्शा चलाने वाले, पिछड़े, दलित और अकलियत के लोग शोषित रहे जिनकी संख्या इस देश में 80-85 प्रतिशत है। आज आजादी के 50 साल पूरे हो गये हैं। हम लोग स्वर्ण जयंती भी मनाने का काम कर रहे हैं मगर इस 50 साल की आजादी के बाद भी क्या सही मायने में उन गरीबों की स्थिति में सुधार हो पाया है? पिछले 50 सालों में जिनके ऊपर यह उत्तरदायित्व था, क्या उन्होंने सही ढंग से इस बात पर सोचने का काम किया है कि इस देश का जो वंचित वर्ग है, जो निचले स्तर पर खड़ा है, उसको उठाने का काम करें?

उपाध्यक्ष महोदय, गरीबों को उठाने की चर्चा हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर सरकार या हर पोलिटिकल पार्टी के लोग करते हैं मगर उनमें इच्छाशक्ति नहीं थी या उनका मन साफ नहीं था जिसके कारण गरीब जाति के लोग इतने वर्षों के बाद भी वहीं खड़े हैं। वे गरीबी में जीने को मजबूर हैं। वे बिना घर के रहने को मजबूर हैं, बिना रोजी-रोटी और कपड़े के रहने को मजबूर हैं। आज तक इस पर सब लोगों ने सिर्फ बोलने का काम किया है, दिल से इस काम को करने का काम नहीं किया।

मैं संयुक्त मोर्चे की सरकार का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिसने आठ महीने में ही गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, किसान और मजदूरों की माली हालत को ठीक करने के लिए ऐतिहासिक काम किया है। सरकार ने गरीब लोगों के लिए जो कंसट्रक्टिव कार्य किए हैं, उसके लिए विपक्ष को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन हर चीज में राजनीति होती हैं। यही कारण है कि आज भी विपक्ष के जो लोग यहां बैठे हैं, उन्होंने सरकार की सही नीतियों की भी आलोचना करने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से सदन में बैठे हुए तमाम सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सही मायने में इस देश के 85 फीसदी लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं तो आइए संयुक्त मोर्चे की सरकार के अच्छे कार्यों में सहयोग करके उन्हें दिशा देने का काम करें ताकि जो सरकार श्री देवेगौड़ा के नेतृत्व में चल रही है, उसे बल मिल सके तथा वे उपेक्षित और वंचित लोगों के लिए अधिक से अधिक काम कर सकें।

मैं आपका ध्यान इस देश में रहने वाले लोगों की 5-7 उन बेसिक समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं जिनके प्रति हम जागरूक नहीं रह पाए हैं। हमारी सरकार ने माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में सात मुख्य मुद्दों की चर्चा की है जिनमें पेयजल की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था, उनकी रोटी की समस्या को हल करने की व्यवस्था और बेरोजगारी की समस्या का हल करने की व्यवस्था है। हम इन तमाम चीजों पर गौर करना चाहेंगे कि सही मायनों में हमारी सरकार जो कहती है, उसे करती है या नहीं।

मैं सबसे पहले खाद्य मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक कदम उठाने का काम किया है। जो बिहार उपेक्षित था या पूरे भारतवर्ष के जो लोग उपेक्षित थे, उसे मुख्य धारा में जोड़ने का काम माननीय रेल मंत्री जी ने किया है। उन्होंने रेल लाइनों का जाल बिछाने का काम किया है। इसके लिए श्री पासवान को धन्यवाद देना चाहिए। लोगों की वर्षों से जो मांग थी, उसे उन्होंने स्वीकारा ही नहीं बल्कि सोनपुर में उसे कार्यरूप देने का भी काम किया हैं। जो ब्रिज बनाया जा रहा है, उससे पूरे उत्तर बिहार का कल्याण होगा। इसके लिए भी उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि आप धन्यवाद नहीं देंगे। आप उसमें भी शिकायत करने का काम करेंगे। भाई देवेन्द्र जी यहां बैठे हैं। इन्होंने गरीब लोगों के लिए रोटी की व्यवस्था करने का काम किया है। आंकड़े बताते हैं कि इस देश में 32 करोड़ जनता ऐसी है जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली है। श्री नीतीश कुमार बोल रहे थे कि गरीबी रेखा का क्या मतलब होता है। उन्होंने कभी गरीबों के साथ रहने का काम नहीं किया, गरीबों की बात करने का काम नहीं किया, उनको क्या मालूम गरीबों का दर्द क्या होता है। इसलिए आपने सरकार की पॉलिसी का समर्थन नहीं किया। मैं आम शब्दों में बताना चाहता हूं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 32 करोड़ जनता वह है जिसके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। खाद्य मंत्री ने अपनी जो किताब छापी है, उसमें ऐसे तमाम लोगों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। वैसे उन्होंने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए ढाई और साढ़े तीन रुपये किलो में चावल और आटे की व्यवस्था करने का काम किया है। यह खाद्य मंत्री और संयुक्त मोर्चे की सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है जिसे समर्थन देना चाहिए।

मगर आप लोग समर्थन नहीं देंगे। इसमें भी राजनीति है और यही कारण है कि काम करने वाले लोग सोचते हैं कि क्या करें। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि ऐसे कार्यों को कार्य रूप में परिणत किया जाये। हमारी सरकार सिर्फ घोषणा नहीं करती है, उसको कार्य रूप देने का काम भी करती है। माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि हम अगले दो-तीन महीने के अन्दर जब पूरे कार्ड बन जाएंगे तो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को लाल कार्ड के माध्यम से अनाज दस किलो प्रति परिवार प्रतिमाह उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके अलावा भी जो सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत काम करने वाले मजदूर हैं, उनको भी प्रतिदिन एक-एक किलो के हिसाब से...*(व्यवधान)* अभी तो मैंने शुरू किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : सब को 10-10 मिनट दे रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव : हम तो आपके बच्चे हैं।...*(व्यवधान)* मैं आपपर भी प्रकाश डाल दूंगा, आपकी पार्टी पर भी मैं प्रकाश डाल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : चलिये बोलिये।

श्री राम कृपाल यादव : मेरा निवेदन यह होगा कि मैं बहुत कम बोलता हूं, इसलिए थोड़ा कोऑपरेट कीजिए और थोड़ा बोलने का अवसर दीजिए। ये इंटरप्ट करते हैं तो मैं भूल जाता हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब उनको बोलने दीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : मैं बता रहा था कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनको प्रतिदिन एक किलो के हिसाब से उसी दर से अनाज मिलेगा और मोटे तौर पर जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको प्रतिमाह 40 किलो गेहूं और चावल की व्यवस्था की जाएगी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के इस कदम की सराहना करनी चाहिए, यह सरकार का ऐतिहासिक कदम है। गरीबों की अगर रोजी-रोटी की व्यवस्था हो जाती है तो निश्चित तौर पर भूखे रहकर जीने का काम वे नहीं करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं, जो एक ही छत के नीचे पूरे खानदान की गुजर-बसर करने का काम करते हैं। बेटा, बाप, दादा, पोता, सारे के सारे लोग एक ही झुग्गी-झोंपड़ी में रहते हैं। उनके पास झुग्गी-झोंपड़ी भी नहीं है। वे फुटपाथ पर पैदा होते हैं, फुटपाथ पर बड़े होते हैं और फुटपाथ पर ही मरने का काम करते हैं, इसलिए सरकार के इस कदम की आप सभी लोगों को सराहना करनी चाहिए, जो ऐतिहासिक काम संयुक्त मोर्चा की सरकार ने करने का काम किया है। गरीब की जो बेसिक समस्या है, रोटी की व्यवस्था, उसको हल करने का काम किया है।

यही नहीं, इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत जो पक्के मकान बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा था ताकि गरीबों के सिर पर छत हो, उसके लिए जो पैसे दिये जा रहे थे, उसमें भी बढ़ोतरी करने का काम किया है। पहले इसके लिए 14,000 रुपया मिलता था, उसको अब 20,000 रुपये करने का काम सरकार कर रही है।

मैं कहना चाहूंगा कि बेसिक काम पेयजल की व्यवस्था का है। पेयजल की व्यवस्था के लिए भी सरकार ने काफी रुपया आवंटित करने का काम किया है और सिंचाई की व्यवस्था के लिए 900 करोड़ रुपये की योजना, ताकि आम गांव तक गरीबों को सिंचाई सुविधा मिल सके, उसके लिए व्यवस्था करने हेतु प्रति राज्यवार देने का काम किया है।

'सबसे बेसिक समस्या खेत और खलिहान में काम करने वालों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की है। आजादी के बाद जितने बड़े पैमाने पर हमारी नहरों की मरम्मत की जानी चाहिए थी, किसानों की सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए थी, वह नहीं हो सकी है। सरकार ने इस ओर भी ध्यान दिया है और कारगर कदम उठाने का काम किया है।

आज क्या है कि शहरों की आबादी बढ़ रही है, क्या कारण है कि शहरों की आबादी बढ़ रही है? देहातों में काम करने वाले जो किसान और मजदूर हैं, उनका आकर्षण खत्म हो रहा है। अगर सरकार की पॉलिसी हो कि हम खेत और खलिहान में काम करने वाले जो गरीब तबके के किसान मजदूर लोग हैं, उनकी सारी की सारी सुविधाओं की वहीं व्यवस्था करा देंगे, सड़कों की व्यवस्था करा देंगे, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करा देंगे, बिजली, पानी की व्यवस्था करा देंगे तो निश्चित तौर पर शहरों की जो आबादी बढ़ रही है, जो देहात में आकर्षण घट रहा है और शहरों की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है, नौकरियों की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है, उसका कारण यह है कि खेत और खलिहान में काम करने वाले जो मजदूर और किसान भाई हैं, उनकी तरफ अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जा रही है, इसलिए सरकार को चाहिए कि उस ओर पूरा-पूरा ध्यान दे, तब बेरोजगारी दूर होगी। बड़े पैमाने पर जो लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारी जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, इस जनसंख्या की वृद्धि के आधार पर हमारी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ रही है और जो सारे अपराध हो रहे हैं और जो समस्याएं उठा रही हैं, वे बेरोजगारी की वजह से उठ रही हैं। इसलिए बेरोजगारी को यदि कम करना है तो खेती में काम करने वाले लोगों को आकर्षक ढंग से फायदा पहुंचाना होगा। खेती को उद्योग का दर्जा देना पड़ेगा, कृषि को उद्योग का दर्जा मिल जाये तो वहां आकर्षण बढ़ेगा और अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सकेगा। 900 करोड़ रुपये गंगा कल्याण योजना के अंदर सिंचाई की व्यवस्था के लिए दिए गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको 15 मिनट हो गए हैं, अब समाप्त करें।

श्री राम कृपाल यादव : मैं दो-चार मिनट में समाप्त करता हूं। मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे देश में बड़े पैमाने पर अशिक्षित लोग हैं। मैं समझता हूं कि हमारे देश के पिछड़ेपन का मुख्य कारण भी यही है। इसी वजह से देश जिस गति से विकसित होना चाहिए, उतनी गति से नहीं हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि बड़े पैमाने पर इस कोढ़ समान अशिक्षा के रोग को दूर करना होगा। खासकर महिलाओं को शिक्षित करना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी एहसास होगा, आप भी किसान के बेटे हैं कि जो हमारे प्राथमिक स्कूल हैं, माध्यमिक स्कूल हैं या हाई स्कूल हैं वहां कुर्सी-मेज, ब्लैक बोर्ड नहीं हैं, अगर यह सब कुछ है तो मास्टर साहब नियमित रूप से बच्चों को पढ़ाने नहीं आते। इस प्रकार की अव्यवस्था हमारे देहातों में हैं। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा और राज्य सरकारों को इस संबंध में निर्देश देना होगा, अनुरोध करना होगा। हमारे आकलन के मुताबिक हम शिक्षा में बहुत नीचे हैं। इसलिए शिक्षा की गति को तेज करना होगा। सरकार ने 2005 तक पूरे देश को साक्षर करने का जो कार्यक्रम चलाया है, मैं समझता हूं यह एक क्रांतिकारी कदम है। हम अशिक्षा के चलते आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं बताना चाहता हूं विपक्ष वालों को कि आप जिस मंशा में लगे हुए हैं, जो आपकी सोच है इस तरफ आने की, वह एक दिवास्वप्न ही है। आप कभी सत्ता में आने वाले नहीं हैं। इस देश में जब तक धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, गरीबों

[श्री राम कृपाल यादव]

की मदद करने वाली ताकतें हैं, तब तक आप सत्ता में नहीं आ सकते। हम लोग संकल्पित हैं। हम गरीबों को ऊंचा उठाना चाहते हैं और साम्प्रदायिक ताकतों को नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। आप पूंजीपतियों को संरक्षण देने वाले लोग हो, केवल हल्ला करने का काम ही करते हो। संयुक्त मोर्चा की सरकार अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी। जो पिछड़ा हुआ इलाका है, गरीब तबके के लोग हैं, अक्लियत वाले हैं, उनको मुनासिब हक देने का काम हम करेंगे। हमारी सरकार ने पहली बार यह काम किया है कि इन लोगों के संरक्षण के लिए केबिनेट कमेटी बनाई है, जो यह देखेगी कि उनको सही हक या मदद मिल रही है या नहीं। वह कमेटी इस बात की समीक्षा करेगी कि कैसे इन वर्गों का जीवन स्तर उठाया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो यहां प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं और रेल मंत्री तथा खाद्य और आपूर्ति मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दलितों, गरीबों और अक्लियतों के लिए सही दिशा में कदम उठाया है।

12.54 बजे

श्री हरभजन लाखा (फिल्लौर) : डिप्टी स्पीकर साहब, 20 फरवरी को जो राष्ट्रपति महोदय ने अभिभाषण दिया, उसके बारे में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। इस देश में सामाजिक न्याय के बारे में, सभी सरकारें बात करती हैं और सब दल उसके लिए बोलते हैं, लेकिन केवल हल्ला-गुल्ला ही किया जाता है। परंतु इस देश में वही लोग जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वे पार्टियां जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं, इन लोगों के साथ सामाजिक अन्याय करती हैं। पचास साल की आजादी के बाद इस देश में सामाजिक अन्याय होने की वजह से आज 10 करोड़ लोग गांवों को छोड़कर शहरों में आ बसे हैं। उनके साथ बहुत अन्याय और अत्याचार होते हैं। वे शहरों में झोंपड़ियों में और गंदे नालों के समीप रहते हैं। उनके स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके रहने को मकानों की व्यवस्था नहीं है। जो कुछ हुआ है, यह सामाजिक अन्याय की वजह से हुआ है। इसी कारण 10 करोड़ लोग शहरों में माइग्रेट हुए हैं।

परन्तु सोशल अनजस्टिस की वजह से जो लोग कश्मीर से जम्मू में माइग्रेट हुए हैं, वहां जाकर मैं देखकर आया हूं। उनके लिए मकान बनाए हुए हैं। एक हजार रुपया मासिक हर एक आदमी को मिलता है। उनके बच्चों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था है। उनके बच्चों के लिए डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के लिए स्पेशल प्रोवीजंस हैं। परंतु जो लोग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से माइग्रेट कर गए हैं, सामाजिक अन्याय के कारण वे झुग्गियों और गंदे नालों में रहते हैं। उनके बारे में सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। सोशल अनजस्टिस की वजह से अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार और कत्लेआम हुए हैं। अंग्रेजों के समय में भी किसी भी सरकार में इतना अन्याय नहीं होता था जितना कि इस देश की आजादी के बाद गरीब लोगों के ऊपर अनजस्टिस हुआ है। इसलिए उनके सैल्फ-रेस्पेक्ट के लिए सरकार की तरफ से उनको वेपंस देकर उनके लिए स्पेशल बजट दिया जाए और वेपंस खरीदे जाएं ताकि कत्लेआम न हों। जब तक इस देश में जाति प्रथा, छुआछूत, ऊंच-नीच खत्म नहीं होती जो कि हजारों साल से इस देश पर एक कलंक के रूप में विराजमान है, तब तक यह देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता।

राष्ट्रपति जी ने कहा है कि इस देश में बत्तीस करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। वे लोग कौन हैं? ये वे लोग हैं जिनके पास इस देश में अपनी जीविका की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार के पास 32 करोड़ हेक्टेअर जमीन है। इस देश का प्लॉनिंग कमिश्नर यह कह रहा है कि जमीन में बोया जा सकता है। जो मजदूर खेतों में काम करते हैं, उन लोगों के पास इस देश में खेत नहीं हैं। जिनके पास खेत हैं, वे खेतों में काम नहीं करते हैं। 90 करोड़ हेक्टेअर जमीन जो सरकार के पास पड़ी हुई हैं, अगर हर एक आदमी जो खेतों में काम करता है, अगर उसको 1820 एकड़ जमीन दे दी जाए तो गरीबी की रेखा तुरंत खत्म हो जाएगी। गरीबी की रेखा इस देश की आजादी के बाद और बढ़ी है। जब देश आजाद हुआ था, उस समय 27 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे। आज 45-48 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। यह किसी भगवान ने नहीं बनाई है। यह किसी भूचाल या किसी कैलेमिटी से उत्पन्न स्थिति नहीं है।

इस देश में 15 प्रतिशत लोग 85 प्रतिशत लोगों को दबाकर, उनके वोट से शराब, पैसा तथा वेपंस खरीदकर उन पर राज करते हैं। वे हमेशा से मजदूरों तथा गरीब किसानों को झांसे देते हैं कि हम दो रुपए किलो राइस देंगे। वे स्वयं 20 रु॰ किलो का चावल खाते हैं और आंध्र प्रदेश में गरीबों को दो रुपए किलो राइस देंगे, यह कहकर उनकी वोट ले ली। अब कहते हैं कि हम इनको आटा सस्ता देंगे। कौन सा आटा सस्ता देंगे? वह आटा सस्ता देंगे जो गेहूं पंजाब में एफ॰सी॰आई॰ के गोदामों में पड़ा हुआ सड़ रहा है। वह गरीबों को देकर क्या सरकार उन्हें बीमार करना चाहती है? ये लोग इन लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन लोग अभी समझने लगे हैं और उन्हें समझाने के लिए हम लगे हुए हैं ताकि ये लोग जिनके साथ हजारों साल से अन्याय और अत्याचार हो रहा है, वे अपने सैल्फ डिफेंस के लिए उठकर खड़े हों। ये 72 करोड़ लोग हैं जो मेजोरिटी में हैं और जिनके साथ अन्याय होता है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में कास्ट-सिस्टम को खत्म करने के संबंध में आज तक कभी कोई जिक्र नहीं किया गया और न ही सरकार द्वारा इस संबंध में कभी भी कोई अभियान चलाया गया है। कभी कांग्रेस ने राज किया और कभी भारतीय जनता पार्टी राज करने लगी। अब यूनाईटेड फ्रंट राज कर रहा है। दुनिया में कहीं भी कास्ट-सिस्टम नहीं है। भारत में कास्ट-सिस्टम है जो मनु ने बनाया और यही कारण है कि इस देश में लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। जब तक

सरकार कास्ट-सिस्टम को खत्म करके देश में भाईचारा कायम नहीं करती तब तक ये लोग कभी भी ऊंचे नहीं उठ सकते।

इस देश में केवल दो प्रतिशत शिक्षित महिलाएं हैं। जब देश में केवल दो प्रतिशत महिलाएं शिक्षित हैं तो उनकी औलाद अच्छी एजुकेशन कब पा सकती हैं और डॉक्टर या इंजीनियर कब बन सकती हैं? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की केवल दो प्रतिशत महिलाएं एजुकेटेड हैं। क्या सरकार ने उनको शिक्षित करने के लिए कोई व्यवस्था बनाई है? उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी। हमने जितने भी स्वीपर्स हैं, एक विशेष अभियान चलाकर उनके बच्चों के लिए बी॰ए॰ तक फ्री एजुकेशन देने की व्यवस्था की थी।

सोशियल रिफार्म लाने के लिए बहुत काम किया था। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान का भी जिक्र हुआ था। बहन मायावती जी की चार मास की सरकार ने दो लाख हैक्टेयर जमीन लैंडलैस मजदूरों को बांटी। जिन सरकारों ने 1972 से 1994 तक पट्टे दिए, उन पट्टों को पक्का करवाया गया। यह काम बहन मायावती जी की सरकार ने चार मास में किया। आफिसर्स कह रहे थे कि वे इस काम को करना चाहते हैं, लेकिन बेईमान सरकारें जो भी वहां पर रही हैं, वे इन लैंडलैस लोगों के लिए काम नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन के पास जो जमीन हैं, अगर उसके भी पट्टे दे दिए जाएं, तो ये गरीब लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ सकते हैं। देश में रोटी-कपड़ा और मकान की पूरी व्यवस्था है। इस देश में लोहा, कोयला और उपजाऊ जमीन उपलब्ध है, फिर भी देश के लोग गरीब हैं। ये लोग इसलिए गरीब हैं, क्योंकि इस व्यवस्था को कन्ट्रोल करने वाले बेईमान लोग हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि बैलाडिला में सात सौ साल तक भी लोहा और कोयला खत्म नहीं हो सकता है। वहां पर उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए। वहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य की सबके लिए बराबर व्यवस्था होनी चाहिए। उद्योग स्थापित होने से बेरोजगारी की समस्या खत्म हो सकती है। मध्य प्रदेश में लोहा और कोयला काफी तादाद में पड़ा हुआ है। सभी लोगों को रोजगार मिल सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज भारत में हैं, फिर भी यह देश गरीब है। गरीबी का एक कारण यह भी है कि इस देश की बागडोर पन्द्रह प्रतिशत लोगों के हाथों में हैं, जो इन मूल निवासी लोगों को ऊपर नहीं उठाना चाहते हैं।

जहां तक सफाई मजदूरों की बात है, सफाई मजदूर हजारों सालों से गन्दगी का टोकरा सिर पर उठाकर सड़कों पर सुबह से शाम तक घूम रहे हैं। एक ही समाज के लोगों को हाथ में झाड़ू देकर और गन्दगी का टोकरा देकर बाजारों में घुमाया जा रहा है। उन लोगों के ऊपर फतवा लगा हुआ है। यह एक काम है, जिसको सब जाति के लोगों को करना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक ही जाति के लोगों को झाड़ू क्यों दी है। यह काम तो हर समाज के लोगों को करना चाहिए। ब्राह्मण से लेकर बाल्मीकि तक, भंगी और चमार तक, सब लोगों को बराबर काम देना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सफाई कर्मचारियों के बारे में जिक्र तक नहीं किया है। कारण यह है कि इनको फतवा दिया हुआ है और इस फतवे को सरकार मिटाना नहीं चाहती है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां पर गरीबी की रेखा से नीचे लोग रहते हैं, वहां न डिस्पैंसरी की व्यवस्था है, न स्कूल की व्यवस्था है और न अन्य कोई व्यवस्था है। इस ओर सरकार को खास तौर से ध्यान देना चाहिए।

अब मैं अपने क्षेत्र की एक समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे पंजाब में एक ए॰बी॰सी॰ पेपर मिल है। इस मिल से एसिडिक वाटर निकल कर गांवों की ओर बह रहा है। हमारे लोगों ने चालीस दिन तक वहां स्ट्राइक की। यह एसिडिक वाटर नलों में आ गया है। इस पानी की वजह से पशु भी मर रहे हैं। गोविन्दपुर, नमाशहर, चेता, कंगरोट और फगवाड़ा आदि गांवों में इस पानी की वजह से स्वास्थ्य खराब हो गया है। इस समस्या की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। सरकार कहती है कि गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन इन छोटी-छोटी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।

जहां तक स्पेशल कम्पोनेंट प्लान की बात है, यह प्लान पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात में अभी तक लागू नहीं हुआ है। इस प्लान के लिए 205 करोड़ रुपया रिकमेंड हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि पंजाब सरकार इस प्लान का पैसा दूसरे प्लान्स में लगा देगी। बिजली में लगा देगी, पानी में लगा देगी, क्योंकि वे पानी और बिजली फ्री देना चाहते हैं। पंजाब में आज तक यह पैसा इस मद में खर्च नहीं हुआ है। केन्द्र सरकार ने 2,216 करोड़ इस स्पेशल प्लान के लिए रखे हैं। राष्ट्रपति जी ने कहा है कि यह पैसा गरीबों की शिक्षा के लिए तथा उनके कार्यक्रम, पैंशन और विडो पैंशन आदि पर ही खर्च होने चाहिए।

मैं यह बात बताना चाहता हूं कि फ्लड कंट्रोल की बात हुई थी, यह होना चाहिए। यहां गरीब मजदूर और किसान रहते हैं। हमारे पंजाब में सतलुज और व्यास, होशियारपुर जिले में जालंधर और कपूरथला में फ्लड बहुत आते हैं। जब गरीब किसान मजदूरों के घर बह जाते हैं तो सरकार उस पर ध्यान देती है और जब वर्षा होती है तब यह बात करते हैं कि हम फ्लड कंट्रोल करेंगे। आज तक सतलुज और व्यास के फ्लड को बचाने के लिए कोई बात नहीं की है। फ्लड बहुत आते हैं। होशियारपुर में अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वहां जितनी भी सड़कों का डेवलपमेंट होता है वह सब फ्लड से खत्म हो जाता है। वहां गांव के गांव बह जाते हैं। 50 सालों में आज तक कोई भी ध्यान इस तरफ नहीं दिया गया। इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं। इस देश में जितने भी लोग गरीबी की सतह के नीचे हैं ये लोग एक दिन उठेंगे, जरूर उठेंगे। डाक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने 1907 में कहा था-"ए सवर्णों, इनके साथ अच्छी तरह से बर्ताव करो। ये एक दिन उठेंगे, जरूर उठेंगे और इतना उठेंगे कि आपको फूंक मार कर इस देश से उठा देंगे।"

[श्री हरभजन लाखा]

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.12 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.12 बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए।*]

अपराह्न 2.14 बजे

गैर—सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा करेगी।

श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि यह सभा 26 फरवरी, 1997 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि यह सभा 26 फरवरी, 1997 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : श्रीमान्, मुझे इस पर आपत्ति है। मद संख्या 8, 'अनिवार्य मतदान विधेयक' को वर्ग ख में रखा गया है। मुझे समिति की यह सिफारिश स्वीकार्य नहीं है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह कौनसी मद है?

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : यह मद संख्या 8 है, 'अनिवार्य मतदान विधेयक'

उपाध्यक्ष महोदय : आपको क्या आपत्ति है?

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : अनिवार्य मतदान विधेयक को वर्ग ख में रखा गया है। मैं चाहता हूं इसे वर्ग क में रखा जाय। इस पर पुनर्विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे लिखित में दें। समिति इस पर पुनर्विचार करेगी।

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : मैं इसे लिखित में दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 26 फरवरी, 1997 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.15 बजे

अवैध आप्रवसन के बारे में संकल्प—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री जगत वीर सिंह द्रोण द्वारा पेश किए गए संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे। आबंटित समय दो घण्टे है। श्री जगत वीर सिंह द्रोण कृपया चर्चा आरम्भ करें।

[हिन्दी]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : उपाध्यक्ष जी, पिछले सत्र में 13 दिसंबर, 1996 को मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया था कि "यह सभा 1975 से देश में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध आप्रवासन पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है और यह सिफारिश करती है कि उन सभी अवैध आप्रवासियों की पहचान करने और उन्हें उनके मूल देश को विवासित करने हेतु ठोस कदम उठाए जाएं।"

उपाध्यक्ष जी, यह राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है जिस पर अब तक जो भी राजनीतिक दल केन्द्र सरकार में रहे हैं, उन्होंने क्षुद्र राजनीतिक कारणों से इसको गंभीरता से नहीं लिया, ऐसा मेरा विश्वास है। अपने देश की सीमाएं बहुत बड़ी हैं। अपने देश में अवैध रूप से कोई भी पंजाब के रास्ते से, राजस्तान के रास्ते से और उत्तर प्रदेश के रास्ते से तथा पूर्व में बंगलादेश से या किसी अन्य स्थान से आ सकता है। यह भी सत्य है कि सभी देशों में यह समस्या हमेशा ही बनी रहती है, लेकिन वे देश सतर्क रहते हैं, उनकी सरकार सतर्क रहती है कि इस तरह के लोगों को अपने देश में स्थापित न होने दें, उनकी पहचान करके उनको डीपोर्ट करें और बाहर निकालें। लेकिन हमारे देश में यह समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में लगभग

दो लाख व्यक्ति प्रति वर्ष अवैध रूप से अपने देश में प्रवेश करते हैं या आकर रहते हैं। उनके राशन कार्ड बनते हैं। मतदाता सूचियों में उनका नाम आता है। वह देश की अर्थव्यवस्था के लिए संकट उत्पन्न करते हैं, रोजगार के अवसरों को कम करते हैं, सुरक्षा के लिए वह घातक सिद्ध होते हैं और सामाजिक अशांति उत्पन्न करने में भी उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

वैसे तो पाकिस्तान से भी लोग आते हैं, लेकिन 1975 के बाद जो पूर्वी पाकिस्तान था और आज बंगलादेश है, धीरे-धीरे वहां से निरंतर आ रहे लोगों के कारण विशेष समस्या उत्पन्न हो रही है जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के लोग आते हैं। विभाजन के पूर्व वहां हिन्दू मूल रूप से रहते थे। बंगलादेश इस्लाम राज्य घोषित हुआ और वहां ऐनीमीज प्रॉपर्टी ऐक्ट में संशोधन करने के बाद उनकी सम्पत्तियों का अधिग्रहण, जबरन स्थानान्तरण, मोलैस्टेशन, रेप, जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन और उनके जीवन को संकट में डालने वाली अनेक घातक समस्याएं उनको बाध्य कर देती हैं कि वह सुरक्षा के लिए किसी अन्य स्थान को जाएं और उनको भारतवर्ष के अलावा कोई स्थान दिखाई नहीं देता है। उनकी प्रकृति और उनकी तुलना अन्य लोगों से नहीं की जा सकती जो केवल यहां पर रोजगार पाने के लिये या हमारी सीमा पर लगे हुए लंबे इलाकों में जनसंख्या के संतुलन को बिगाड़ने के लिए योजनाबद्ध तरीके से यहां घुसपैठ कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष जी, वैसे तो सरकारी आंकड़े इस बात पर मौन हैं, लेकिन अनेक बार लोगों ने इस पर शोध किया है और अनुमानतः ढाई करोड़ ऐसे लोग हमारे देश में वर्तमान में पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम और देश के अन्य भागों में आकर बसे हुए हैं। वह निश्चित रूप से सीमांत प्रदेशों की जनसंख्या के अनुपात को बिगाड़ रहे हैं। उस पर गंभीर चिन्ता करना प्रत्येक राष्ट्रभक्त का सामाजिक कर्तव्य हो जाता है, राष्ट्रीय कर्तव्य हो जाता है। हम इस बात को जानते हैं कि बंगलादेश की सीमाएं करीब 3340 किलोमीटर असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल से मिलती हैं। पश्चिमी बंगाल की अकेली 2203 किलोमीटर की सीमाएं हैं जिनमें करीब 160 स्थानों पर हमारी सीमा पर घुसपैठ सरलता से हो सकती है। वहां से लोग बहुत आसानी से पलायन करके हमारे देश में शरण पा लेते हैं और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि राजनीतिक दलों को वोट बैंक की राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक महत्व को राष्ट्रीय महत्व के ऊपर या राजनीतिक हित को राष्ट्रीय हित के ऊपर तोलने के कारण 1971 से प्रारंभ हुई समस्या आज भयावह हो गई है।

असम में 126 विधान सभा सीटें हैं जिनमें से 40 जो सीमा पर हैं, उनमें आबादी का संतुलन इतना बिगड़ गया है कि विदेश से आए हुए अवैध रूप से घुसपैठिए वहां निर्णायक भूमिका अदा करते हैं।

ऐसे ही 294 सीटें पश्चिम बंगाल की है जिनमें से 62 के ऊपर इस तरह के अवैध घुसपैठ करने वाले प्रवेश करने वाले/लोगों के द्वारा निर्णायक भूमिका का निर्वाह किया जा रहा है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। जहां इससे एक ओर हमारी राजनीतिक स्थिति पर अंतर पड़ता है, वैसे ही उस स्थान पर जहां ये लोग आये हैं, वहां की जमीन पर जबरन कब्जा किया है, वहां के घनत्व को बढ़ाया है। वहां के लोगों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है। वहां के लोगों में रोजगार के अवसर कम होते चले जा रहे हैं और सीमा पर तस्करी, चोरी और लूट बढ़ी है। इधर से दाल, चीनी, मिट्टी का तेल, मसाले अन्यान्य चीजें तस्करी करके विदेशों में भेजी जाती हैं और उधर से इलैक्ट्रोनिक गुड्स, चांदी, सोना और अवैध हथियार हैं जिनका देश में अबाध गति से निरंतर अवैध प्रवेश चल रहा है। इस पर अनेक बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। लेकिन कोई भी ऐसा ठोस कदम उठाने में सरकार सक्षम नहीं रही है जिससे कि इनके आने पर रोक लगाई जा सके और जो लोग वर्तमान में यहां आकर बस गये हैं, जिनकी संख्या पश्चिम बंगाल में एक करोड़ के ऊपर है। दिल्ली में अगर थोड़ा सा भी इनकी ओर ध्यान करें तो हम पायेंगे कि पश्चिम बंगाल की सीमा जो 2203 किलोमीटर है, करीब 160 रास्तों से इनका अवैध प्रवेश होता है और कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, पश्चिम दिनाजपुर, नादिया, मालदा, दार्जिलिंग, मुर्शिदाबाद और 24 परगना की आबादी का चरित्र ही बदल गया है। यहां पर जो विदेश से आये हुए लोग हैं, प्रत्येक बात में उनकी भूमिका निर्णायक हो गई है। जहां स्थानीय लोग अर्थव्यवस्था पर संकट आने के कारण रोजगार के कम अवसर पाते हैं, व्यापार के अवसर कम हो गये हैं, उसी तरह से इन लोगों का ऐसा प्रभाव हो गया है कि वहां के लोग असुरक्षित हो गये हैं। दूसरा वहां पर जो लोग गैरकानूनी कार्य करते हैं, उनकी ये शरणस्थली भी बनते चले जा रहे हैं। कलकत्ता में मटियाबुर्ज तथा राजा बाजार ऐसी बस्तियां हैं जो घुसपैठियों की बस्तियां मानी जाती है। दिल्ली जो वहां से बहुत दूर है, किसी तरह से पश्चिम बंगाल से निकलकर ये लोग बिहार के रास्ते होते हुए दिल्ली तक पहुंच जाते हैं और दिल्ली में सीलमपुर, सीमापुरी, आजाद मार्केट, निजामुद्दीन, जंगपुरा, अंसारी नगर, सादिक नगर, सराय रोहिल्ला, जामा मस्जिद, यमुना पुश्ता, अलकनंदा और कालकाजी जैसे स्थान हैं जहां पर बंगलादेश से आये हुए घुसपैठियों का वर्चस्व है। इससे एक संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। मुझे एक घटना याद है जो 6 दिसम्बर 1992 को हुई थी और तब मुम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद और दिल्ली में सशस्त्र पुलिस बलों के ऊपर आधुनिक हथियारों से हमले हुए थे, दंगे कराये गये थे। उनमें भी बंगलादेश से आये हुए घुसपैठियों की प्रमुख भूमिका मानी गई है, ऐसा उस समय सभी लोगों ने जाना था, इस कारण भी यह चिंता का विषय हो जाता है। कुछ दिनों पहले की बात है कि इन लोगों में इतना साहस बढ़ गया है कि बंगलादेश में एक मौहाजिर संघ है, इसने कलकत्ता की सड़क पर प्रदर्शन किया, प्रैस क्लब ऑफ कलकत्ता के लॉन में संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया और उन्होंने आजाद मुस्लिम बंग भूमि की होमलैंड की मांग करते हुए नागरिकता प्रदान करने के लिए आग्रह किया था। यह सौभाग्य की बात है कि उस मांग को ठुकरा दिया गया

[श्री जगतवीर सिंह द्रोण]

था। लेकिन इस तरह की मांग अवैध रूप से प्रवेश किए हुए विदेशियों की तरफ से हो, यह देश के लिए चिंता की बात है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पश्चिम बंगाल की इकाई ने एक सर्वेक्षण किया है, 25 किलोमीटर की पट्टी में जहां 74 पुलिस स्टेशंस हैं, उनमें और 7238 गांवों में हिंदू और मुसलमानों की आबादी का अनुपात डिस्टर्ब हो गया है। हिंदुओं की आबादी अबाध रूप से गिरती जा रही है। यहां रहने वाले हिंदुओं और मुसलमान भाई जो मूल रूप से देश के भीतर रहते हैं, उनकी जनसंख्या बढ़े तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन विदेशों में रहने वाले लोगों के अवैध रूप से प्रवेश करने के बाद अगर यहां की जनसंख्या का संतुलन बिगड़ेगा तो यह बहुत ही घोर चिंता की बात होगी। देश के भविष्य के लिए यह चिंता की बात होगी। सामान्य रूप से यह देखा गया है और यह ऐतिहासिक सत्य है, जिन लोगों ने इतिहास का अध्ययन किया है, भारतवर्ष के भीतर जहां-जहां आबादी का संतुलन बिगड़ा है, मूल रूप से इस देश में रहने वाले लोगों की जनसंख्या का अनुपात घटा है। वहां से देश का विभाजन, देश का बंटवारा करने की मांगें आती रही हैं। वही इस संदर्भ में हमें एक और बात स्मरण करनी होगी कि 1947 में मौहम्मद अली जिन्ना साहब ने जब टू नेशंस थ्योरी को प्रतिपादित किया था। उस समय देश की एकता को तोड़कर दो राष्ट्र बनाए गए थे। पूज्य महात्मा गांधी जी के आग्रह करने पर भी उन्होंने कहा कि-हिन्दू और मुस्लिम साथ-साथ नहीं रह सकते और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। उस समय उन्होंने बहुत प्रयास किया था कि बिहार का कुछ इलाका और असम का कुछ इलाका पूर्वी बंगाल में, जिसे आजकल बंगला देश कहते हैं, शामिल कर लिया जाए। जब वे अपने प्रयास में असफल रहे तो उन्होंने अफसोस जाहिर किया और कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं असम और बिहार के कुछ हिस्से पूर्वी बंगाल में शामिल नहीं करा पाया।

उपाध्यक्ष जी, यह सोचने का विषय है कि पूर्वी पाकिस्तान बाद में बंगला देश बना और बंगला देश बनने के बाद जब इस्लामी राज्य की उन्होंने घोषणा की तब से वहां पाकिस्तान का जो दूतावास है, वह आतंकवादियों के लिए एक तरह से समन्वय कार्यालय बनकर रह गया है। वहां राजनैतिक हिंसा और आतंकवाद बढ़ रहा है तथा आर्थिक अस्थिरता एवं सामाजिक अशांति उत्पन्न हो रही है। सीमापार लोग तस्करी में लिप्त हैं। हमारे लिए यह सब घोर चिन्ता का विषय है। देश की सुरक्षा के लिए, देश की अर्थ-व्यवस्था के हित में, यहां रहने वाले लोगों के साथ न्याय हो, उसके लिए आवश्यक है कि ऐसे लोगों की पहचान कराई जाए और उन्हें उनके मूल देश वापस भेजा जाए।

यहां मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूं। नार्थ तथा नार्थ-ईस्ट इलाकों में श्री बलजीत राय नामक व्यक्ति जो डायरेक्टर-जनरल ऑफ पुलिस के पद से रिटायर्ड हो चुके हैं और अपने सेवाकाल में बहुत सक्षम अधिकारी रहे हैं, ने इस इलाके का शोध करके एक किताब लिखी है-

"डेमोग्राफिक अग्रेशन अगेन्स्ट इण्डिया-मुस्लिम ऐवलांश फ्राम बंगलादेश" उसकी फाइन्डिंग्स बहुत आश्चर्यजनक और चिन्ताजनक हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक के आधार पर बताया है कि ऐसे करीब दो करोड़ लोग भारत में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि असम, बिहार, त्रिपुरा एवं उत्तर-पूर्वी राज्य इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लेखक ने यहां तक कहा है कि बिहार, असम और पश्चिम बंगाल के कुछ जिले, जिनमें पश्चिम बंगाल के छः सीमावर्ती जिले और बिहार के चार जिले पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज तथा अररिया तथा असम के 10 जिले-धुबरी, बारपेटा, बोंगई-गांव, नलबाड़ी, कोकराझार, लखीमपुर, दारांग, नौगांव और कामरूप शामिल हैं, वे बंगलादेश के एक्सटेंशन के रूप में आ गए हैं और वहां इतना जबर्दस्त आवागमन तथा योजनाबद्ध तरीके से अतिक्रमण या घुसपैठ हुई है कि इन इलाकों में आकर वे लोग वहां के मूल निवासियों के साथ इस तरह स्थापित हो गए हैं, जो निश्चित रूप से बहुत अन्यायपूर्ण और चिन्ताजनक है। इसी नाते मैं सदन में अपने संकल्प को लाया हूं ताकि सरकार इस स्थिति पर ध्यान दे।

अब थोड़ी सी बात मैं अपने दल-भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहूंगा। 1992 में भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी ने इस राष्ट्रीय समस्या पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की थी और एक प्रस्ताव पारित किया था कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के हित में, ऐसे अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर चुके लोगों की पहचान करने और उन्हें उनके मूल देश वापस भेजने के लिए आन्दोलन चलाएगी। यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस कार्य में दूसरे राजनीतिक दलों का अपेक्षाकृत, किन्हीं राजनैतिक कारणों से या ऐसा कहा जाए कि किन्हीं क्षुद्र राजनैतिक कारणों से सहयोग नहीं मिल पाया जो घोर चिन्ता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी तभी से उन क्षेत्रों में जाकर, अन्यान्य क्षेत्रों में जाकर उनकी पहचान करने और उन्हें उनके मूल देश वापस भेजने के लिए निरन्तर आन्दोलनरत रही है और जब तक हमें इस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, तब तक हमारा प्रयास जारी रहेगा।

उपाध्यक्ष जी, मैं यहां एक बात और इंगित करना चाहता हूं जो कटु भी हो सकती है लेकिन राष्ट्र के हित में जब हम बात कर रहे हैं तो एक कटु बात को भी स्वीकारा जाना चाहिए। मैं नहीं मानता कि पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक दल पिछले 20 साल से शासन कर रहा है, बिना उनकी निगरानी और ज्ञान के, कोई व्यक्ति सीमा पार कर हमारे इलाके में प्रवेश करके स्थापित हो सकता है। चूंकि एक विशेष वर्ग के लोग वहां बहुत बड़ी मात्रा में आ रहे हैं, उधर शासन करने वाले राजनैतिक दल के लोगों ने अपने राजनैतिक स्वार्थ को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखकर, उनके राशन-कार्ड बनवाए हैं, उनके नाम मतदाता सूचियों में नामांकित कराए हैं, अवैध कब्जा कराकर उन्हें वहां स्थापित किया है तथा वोट प्राप्त करने के लिए उनकी चाटुकारिता में लगे रहते हैं। जब भी उनको निकालने की बात की जाती है, वे

लोग' उन्हें राजनैतिक संरक्षण प्रदान करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया।

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया। कम्युनिस्ट (सी॰पी॰एम॰) पार्टी ने ऐसा किया और बिहार में जनता दल ने भी ऐसा किया। इन घुसपैठियों के कारण बिहार की जो स्थिति है वह भी कम चिन्ताजनक नहीं है। इसको हमें राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी सोच के साथ देखना पड़ेगा, एक ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा और राजनीतिक दलों की अपनी व्यक्तिगत नीति और सिद्धान्त के आधार पर, केवल राजनीतिक स्वार्थ में लिप्त होकर, इसका समाधान नहीं खोजा जा सकता। इसके लिए एक ऐसी योजना बननी चाहिए जिससे जहां-कहीं भी अवैधरूप से प्रवेश किए हुए विदेशी लोग भारत में रह रहे हैं, जो यहां के लिए घोर संकट हैं, यहां की आन्तरिक सुरक्षा के लिए घोर संकट हैं। उनके बारे में, जिन्होंने पुलिस की नौकरी की है या फौज की नौकरी की है, जिन्होंने सुरक्षा के ऊपर चिन्तन किया है, वे मान सकते हैं कि ये स्थान उनके लिए हारबरिंग कारण हैं, हारबिंग प्लेसेस हैं, आंतकवादियों के लिए शरणस्थली हैं। यहां ये अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाते हैं वहीं आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बाद अन्य लोग भी इसमें सहभागिता करेंगे और जब मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उस समय भी यह कहा था कि कृपा करके इनको राजनीतिक विचाराधारा, अपने दल की स्थिति के आधार पर चिन्तन न करके, अपने विचार व्यक्त न करें, क्योंकि यह राजनीतिक समस्या ही नहीं है बल्कि देश की एक प्रमुख समस्या है, इसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। अतः उसको स्वीकार करते हुए, इसका निराकरण कैसे करना चाहिए, इस बारे में मेरा विशेष आग्रह है कि वे ऐसे सुझाव अवश्य देंगे। उनकी पहचान होनी चाहिए। जहां भी घुसपैठिए हैं उनकी पहचानी होनी चाहिए। उनकी पहचान बहुत आसान है। उनको पहचानना कोई कठिन नहीं है। यह सही हो सकता है कि देखने में, सुनने में, कपड़े पहनने में, बोल-चाल में, चूंकि बार्डर से पहले एक थे, उनमें कोई अन्तर नहीं है, लेकिन निश्चितरूप से हमारे देश में विदेश से आया हुआ जो आदमी है, उसे स्थानीय स्तर पर जहां भी वह रह रहा है, पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले उनकी पहचान होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि अभी हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर कोई नागरिकता के रजिस्टर का निर्माण नहीं हुआ है। इस रजिस्टर का निर्माण होना चाहिए और उन लोगों को इंगित करने के बाद, आइडेंटीफाई करने के बाद, चिन्हित करने के बाद, पहचान करने के बाद, शीघ्रतिशीघ्र शुभकामनाओं सहित उनके देश को, जहां से वे आए हैं, उस देश को डिपोट कर देना चाहिए। इसमें यदि किसी भी देश से कोई विरोध होता है, तो उसके लिए अपने देश को दृढ़ता के साथ अपना संकल्प दोहराना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात यह है जो सीमा पार आसानी से आना जाना लगा रहा है इसके ऊपर सरकार को चिन्तित भी करना चाहिए कि देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। जैसा कहते हैं कि बार्डर इज पोरस है। जहां से चाहे जाइए, बी॰एस॰एफ॰, सी॰आर॰पी॰एफ॰ इंडो तिब्बतन फोर्सेस आदि लगाने के बाद, यह सब पूरे प्रयास करने के बाद, इतने लंबे-चौड़े बार्डर को पार करने के लिए लोगों को स्थान मिल ही जाता है। चाहे वह नदी के मार्ग से हो, चाहे वह पहाड़ों के मार्ग से हो और चाहे वह समतल स्थान के माध्यम से हो। इसको रोकने की भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। पंजाब में कुछ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कश्मीर में आतंकवादियों का आना-जाना कुछ ऐसे मार्ग से होता है क्योंकि हम अपनी सीमा की सुरक्षा करने में अक्षम हैं। राजस्थान में बाड़मेर के रास्ते और गुजरात में कच्छ के रास्ते से जो आतंकवादियों का आना-जाना होता है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। जब तक हम इस पर वोट की राजनीति से सोचेंगे तब तक इसका समाधान राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो सकता है। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि समय सीमा केवल दो घंटे की है इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें अधिक से अधिक लोग सहभागिता करें। मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि इस प्रस्ताव पर ईमानदारी के साथ, राष्ट्र के हित को सर्वोपरि मानते हुए, अपने राजनीति दलों के स्वार्थ और अपने हितों से ऊपर उठकर तथा वोट की राजनीति से परे होकर, जब तक इस पर चिन्तन नहीं करेंगे, तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जब तक सभी लोग इसमें सकारात्मक, रचनात्मक योगदान बहस के द्वारा नहीं देंगे तब तक यह संकल्प पारित नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री द्वारका नाथ दास : महोदय, मैं आपको बोलने का समय देने के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं श्री जगत वीर सिंह द्रोण की इस महत्वपूर्ण संकल्प को लाने हेतु किये गए प्रयासों की प्रशंसा करता हूं। मैं कुछ आंकड़े और उद्धरण देते हुए कुछ निवेदन करूंगा। मैं कई बार संगत आंकड़े और उद्धरणों को पढूंगा।

यह बहुत चिन्ता का विषय है कि बहुत से अवैध अप्रवासी देश में प्रवेश कर गए हैं।

मैं इनके वास्तविक आंकड़े तो नहीं बता सकता परन्तु जहां तक मुझे लगता है भारत में कुल 1.5 करोड़ बंगलादेशी हैं जिनमें से 50 लाख असम में, 70 लाख पश्चिमी बंगाल में, 20 लाख बिहार में और शेष 10 लाख बाकी सभी राज्यों जैसे त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में बिखरे हुए हैं। भारत का पश्चिमी प्रान्त मुम्बई में कुल जनसंख्या 1.2 करोड़ हैं जिनमे से बंगलादेशियों की संख्या एक लाख या इसके आसपास होगी।

मान्यवर, मुझे लगता है कि आर्थिक कारणों से बंगलादेशी नागरिक इस देश में इकट्ठा होना शुरू हुए। बंगलादेश विश्व का सबसे गरीब देश है। विशेषकर असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मेघालय और त्रिपुरा में होने वाले जनसंख्या विस्फोट से तो यही प्रतिबिम्बित होता

[श्री द्वारका नाथ दास]

है। इससे विशेषकर हमारे देश के लिए समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं क्योंकि वह स्थानीय लोगों के साथ धन्धों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। वे रिक्शा-चालकों, मजदूर, कृषि मजदूर बनकर भारत आते हैं। स्थिति यहां तक आ पहुंची है कि कलकत्ता में उन्होंने एक जुलूस निकालकर के नागरिकता के हकों की मांग की। परन्तु उनकी मांगें पूरी नहीं हुई।

यह भी आश्चर्य की बात है कि बहुत से अप्रवासियों ने राशन कार्ड भी प्राप्त कर लिये हैं। 1991 की जनसंख्या जनगणना ने सीमावर्ती जिलों की अल्पसंख्यक जनसंख्या की जानकारी प्रतिशत में दी है। उदाहरणार्थ धुबरी में यह 70.45 प्रतिशत थी, बारपेट में 56.67 प्रतिशत, गोआलपड़ा में 50.18 प्रतिशत, हालाकुण्डी में 54.78 प्रतिशत करीमगंज में 49.17 प्रतिशत और कीचर में 34.48 प्रतिशत थी। इस तथ्य से तो कोई इन्कार नहीं करता कि बंगलादेशी नागरिक आर्थिक रिफ्यूजी है परन्तु एक विकासशील देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है।

ऐसी स्थिति में कुछ राजनीतिक दल इन अप्रवासियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं जबकि पाकिस्तानी आई॰एस॰आई॰ एजेंट इन्हें शस्त्रों और नशीली दवाओं की तस्करी और कुछ अन्य बुरे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस समय असम में जनसंख्या की घनता 284 प्रति वर्ग किलोमीटर है; पश्चिम बंगाल में यह 766 प्रति वर्ग किलोमीटर है और बंगलादेश में 849 प्रति वर्ग किलोमीटर।

अतः स्थिति बड़ी विस्फोटक है। अतः भारत इन अप्रवासियों का बोझ और अधिक देर नहीं वहन कर सकता। जब तक, सम्पूर्ण उत्तर-पूर्व में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत में जनसंख्या-गणना नहीं होती, बंगलादेशी नागरिकों की असली संख्या बता पाना कठिन है। सीमावर्ती जिलों के रहने वालों के लिए अलग पहचान-पत्रों का आबंटन होना चाहिए। केवल यही नहीं अपितु सीमा पर कंटीली तार की बाड़ लगाई जानी चाहिए, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण, सुधार और वृद्धि होनी चाहिए, सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें तैनात की जानी चाहिए, प्रभावित क्षेत्रों में हर समय चौकसी की व्यवस्था होनी चाहिए और सीमा के साथ-साथ ऐसे जोन की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें किसी भी देश का हस्तक्षेप न हो। इसके अतिरिक्त, राज्य पुलिस बलों को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए, वीज़ा प्रणाली को सख्त बनाया जाए तथा केन्द्र और राज्य को एक संचार नेटवर्क प्रणाली से जोड़ा जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि केवल राशन कार्ड होने से या वोटर सूची में नाम होने से किसी अप्रवासी को नागरिकता के हक नहीं मिल सकते। इस सन्दर्भ में मैं मुख्य चुनाव आयुक्त श्री एस॰एल॰ शकधर को उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा :—

> "कुछ राज्यों विशेषकर उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों में विदेशी नागरिकों का बहुसंख्यक आगमन" और उन्होंने इसे विस्फोटक स्थिति बताया जिसे सख्त कार्यवाही की आवश्यकता है।"

असम के मुख्यमंत्री श्री हितेश्वर सैकिया ने अप्रैल 18, 1992 को राज्य विधान-सभा में घोषणा की कि 1987 के बाद से 20 से 30 लाख बंगलादेशी अवैध रूप से भारत में प्रविष्ट हो गए हैं। निश्चय ही मुख्यमंत्री ने यह वक्तव्य मुस्लिम फोरम और अपनी पार्टी के सहयोगियों के दबाव में आकर दिया।

असम, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा देश के कुछ अन्य राज्यों में बंगलादेशी अप्रवासियों की संख्या का ठीक-ठीक अनुमान लगाना असम्भव है। मुझे लगता है कि सरकार असम के मुख्यमंत्री के अनुरोध पर अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा विनिश्चय) अधिनियम, 1983 को निरस्त करने का विचार रखती है। मैं यहां पर माननीय गृह मंत्री द्वारा 3 सितम्बर 1996 को दिए गए उत्तर का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं उद्धृत करता हूं :—

> "अधिनियम का विस्तार सम्पूर्ण भारत में है परन्तु अभी तो यह केवल असम में ही लागू हुआ है। अवैध आव्रजक (न्यायाधिकरणों द्वारा विनिश्चय) अधिनियम, 1983 को निरस्त करने के प्रस्ताव का अनुरोध कई क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है और जल्दी ही इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिये जाने की सम्भावना है।"

27 अक्टूबर, 1996 को प्रधानमंत्री ने अधिनियम को निरस्त करने का वायदा किया था। उन्होंने उत्तर-पूर्वी राज्यों का दौरा भी किया।

मुझे लगता है कि इन न्यायाधिकरणों के माध्यम से विदेशियों की पहचान करने की प्रक्रिया संतोषजनक नहीं हैं। अतः मेरे मतानुसार आई॰एम॰डी॰टी॰ अधिनियम, 1983 को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस अधिनियम के अन्तर्गत केवल उन्हीं लोगों को अवैध अप्रवासी कहा जा सकेगा जो मार्च 25, 1971 के बाद भारतीय सीमा में बिना पारपत्र के दाखिल हुए हैं। इससे पहले आए लोगों के लिए इस कानून में कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस अधिनियम का दायरा सीमित है। इस अधिनियम का कोई फायदा नहीं हैं विशेषकर असम में मेरा मत है कि इस अधिनियम को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

जनवरी 1, 1996 और जुलाई 21, 1993 के बीच की गई पूछ-ताछ के 2,87,412 मामलों का निर्णय न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया। परन्तु केवल 8,694 लोगों को अवैध आव्रजक घोषित किया गया। आई॰एम॰डी॰टी॰ अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत बनाए गए न्यायाधिकरणों का यही कार्यकलाप रहा। न्यायाधिकरण का मुख्य उद्देश्य संदिग्ध व्यक्तियों की स्थिति का विनिश्चय करना है। अपना कर्मचारी दल तैनात करके अवैध आव्रजकों का बाहर निकालने का

अधिकार उसके पास नहीं है। यदि यह कार्य करने का अधिकार न्यायाधिकरण के पास नहीं है तो फिर उसका औचित्य ही क्या है?

इसके अतिरिक्त, मार्च 25, 1971 से पहले आव्रजक के सभी मामलों का निर्णय फौरनर्स अधिनियम 1946 विदेशी अधिनियम न्यायाधिकरण आदेश 1964 और नागरिकता संशोधन अधिनियम के अर्न्तगत किया जाना है। अतः विदेशी के भाग्य का निर्धारण करने वाले अधिनियम बहुत से हैं, फिर आई॰एम॰डी॰टी॰ अधिनियम 1983 का क्या उपयोग है? कानून के प्रावधानों के अर्न्तगत प्रमाणित करने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता की है, न कि संदिग्ध व्यक्ति की। यह कितना हास्यास्पद है कि शिकायतकर्ता को इस बात का प्रमाण देना पड़ता है और संदिग्ध व्यक्ति को नहीं, कि कोई निश्चित व्यक्ति घुसपैठिया है या नहीं। इस अधिनियम के अर्न्तगत बहुत विलक्षण स्थिति बन जाती है।

असम में घुसपैठ लगातार जारी है। वह आज भी चल रही है। सीमा पर घुसने के कई रास्ते हैं। विशेषकर उत्तरी भारत में अवैध आव्रजकों की प्रतिशतता, खतरे की सीमा को पार कर चुकी है। अतः अब समय आ गया है जब अवैध आव्रजकों को देर से सही निकाला जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री उधव बर्मन (बारपेटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री द्रोण द्वारा प्रारम्भ की गयी चर्चा में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

गैर-कानूनी रूप से आये शरणार्थियों की समस्या बढ़ती जा रही है। इससे न केवल आर्थिक और सामाजिक समस्याएं बढ़ती हैं अपितु राजनीतिक समस्या भी उत्पन्न होती है। यह समस्या पूर्वोत्तर क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। इसे भारत के दक्षिण और पश्चिम भागों में भी देखा जा सकता है।

जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर की समस्या उस क्षेत्र में शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप है। इससे पूर्वोत्तर की सामाजिक, आर्थिक और जनांकिकीय स्थिति में अनेक समस्याओं का निर्माण हुआ है। असम में इसके विरूद्ध काफी पहले से लड़ाई लड़ी जा रही है। अब इस समस्या का समाधान होना चाहिए। साथ ही, मेरा कहना है कि वर्तमान संदर्भ में इस समस्या पर ध्यान रखने के साथ-साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि असम की समस्या, विशेषकर शरणार्थियों से संबंधित समस्या, आज की देन नहीं है अपितु इसका अपना इतिहास हैं। इतिहास को ध्यान में रखे बिना इस समस्या का समाधान करना आसान नहीं होगा।

आपको ज्ञात होगा कि असम में अनेक प्रजातियां, भाषायें, संस्कृति और धर्म हैं। असम आज जो भी है ये इन्हीं लोगों की देन है। उन्होंने न केवल असम की नागरिकता ग्रहण की अपितु अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास में भी सहायता दी है। हमें इस तथ्य की अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि एक समय में असम पर अहोम राजा और अन्य लोगों का शासन था। उन्होंने वहां कुछ मुस्लिम बुनकरों आदि को आमंत्रित किया था। उनमें कुछ ऐसे मुस्लिम भी थे जिन्होंने राज्य के विभिन्न समुदायों को एक करने में अपना सहयोग दिया। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने मिलकर मुगलों के आक्रमण के विरूद्ध लड़ाई भी लड़ी। उस अवधि में मुस्लिम समुदाय द्वारा काफी योगदान दिया गया। यानदाबू संधि के बल पर अंग्रेजों ने 1926 में असम पर कब्जा किया। उसकी शासन पद्धति का उद्धेश्य अर्थव्यवस्था को विकसित न करके उस क्षेत्र को लूटना और उस क्षेत्र के सोत्रों का दोहन करना था। उन्होंने बाहर से लोगों को वहां बुलाया। उन्होंने वहां न केवल बंग्ला भाषी लोगों को बुलाया अपितु मध्य प्रदेश और उड़ीसा के छोटा-नागपुर क्षेत्र से कुछ आदिवासियों को भी वहां बुलाया जिससे कि चाय की खेती वहां जारी रखी जा सके। उन्होंने उन लोगों को उस क्षेत्र के संसाधनों को लूटने के उद्देश्य से भी वहां बुलाया था।

एक समय में, विशेषकर उस समय में असम में काफी जंगल और खेती योग्य क्षेत्र उपलब्ध था। जनसंख्या का घनत्व भी कम था। अतः, अन्य जगहों से लोग वहां आये। उन्होंने वहां अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता पहुंचायी और अधिक अनाज आदि का उत्पादन कर कृषि उत्पादन में भी वृद्धि की। उस अंग्रेजी शासन के दौरान न केवल इन चीजों का उत्पादन हुआ अपितु कृषि क्षेत्र का भी कुछ हद तक विकास हुआ। अंग्रेजों का उद्देश्य लूटना था। उन्हें असम के लोगों की समस्या में सुधार करना नहीं अपितु उस क्षेत्र के संसाधनों को लूटना था। देश के विभाजन के पश्चात नई समस्या का निर्माण हुआ। साथ ही आपको भलीभांति याद होगा कि पूरे देश के लोगों ने मिलकर अंग्रेजों को यहां से उखाड़ फैंकने के लिए एकजुट होकर युद्ध लड़ा। इनमें ही कुछ साम्प्रदायिक राजनीतिज्ञ भी थे जो देश को बांटने में लगे थे और ऐसे लोगों के कारण ही भारत का बंटवारा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। इसके फलस्वरूप न केवल लोगों का प्रवासन हुआ अपितु शरणार्थियों की संख्या में भी वृद्धि हुई।

उस अवधि के दौरान, स्वतंत्रता के पश्चात, विभाजन के परिणामस्वरूप जो लोग शरणार्थी हो गए थे, उन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर असम में लाकर छोड़ दिया गया। उस अवधि में केन्द्रीय सरकार ने उन्हें कुछ ज्यादा सहायता उपलब्ध नहीं करायी थी। केन्द्रीय सरकार का कहना था कि चूंकि असम काफी दूर है और बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान और चीन जैसे देशों से घिरा हुआ है इसलिए वहां कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ। लेकिन साथ ही, असम की अर्थव्यवस्था विशेषतः कृषि तक ही सीमित रही जो कि एक उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। असम मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहा। आजादी के इतने वर्षों बाद भी कृषि के संबंध में असम की वही स्थिति है। मैं असम की कुछ समस्याओं का उल्लेख करना चाहता हूं। 1950 के दौरान असम में प्रति व्यक्ति आय पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय से काफी अधिक थी। 1950-51 में असम में प्रति व्यक्ति आय 520.10 रुपए थी जबकि पूरे देश में यह आंकड़ा 469.7 था। यह आंकड़ा पूरे देश के आंकड़े से 50.4 रुपए अधिक था।

[श्री उधव बर्मन]

अब इसमें धीरे-धीरे गिरावट हो रही है। 1984-85 के दौरान यह देखा गया कि असम में प्रति व्यक्ति आय पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय से 219.90 रुपए कम थी। अब इसमें वृद्धि हो रही है। स्वभाविक ही वहां भूमि पर काफी दबाव है। इस बात का पता इस आंकड़े से चलता है कि पूरे देश में भूमि जोत का आकार 2.3 हेक्टेयर है लेकिन असम में औसतन भूमि जोत का आकार 1.47 हेक्टेयर है। असम में प्रति व्यक्ति जोत योग्य भूमि 0.192 है जबकि पूरे देश में यह आंकडें 0.32 हेक्टेयर है। असम में प्रति व्यक्ति जोत क्षेत्र 0.9 हेक्टेयर है जबकि पूरे देश में यह आंकड़ा 1.8 हेक्टेयर है। अतः भूमि पर अत्यधिक दबाव है। लेकिन साथ ही, कृषि के विकास के लिए कोई उपाय नहीं किया गया। असम की भूमि उपजाऊ है। वहां न केवल उपरि पानी उपलब्ध है अपितु जमीन के अंदर भी काफी पानी उपलब्ध है। इसके बावजूद वहां सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः, असम में उत्पादन और उत्पादकता, विशेषकर कृषि क्षेत्र में, काफी कम है और इस कारण वहां के लोग गरीब है। यह स्थिति वहां तत्कालीन केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की गलत नीतियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई। अतः वहां यह समस्या है। इसके परिणामस्वरूप असम के लोगों में काफी आक्रोश और क्षोभ है। वहां कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। वहां, वस्तुतः, कोई कृषि संबंधी विकास भी नहीं हुआ है। लेकिन, साथ ही, वहां न केवल भारत के अन्य भागों से आने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई अपितु अन्य देशों से भी लोग वहां आये। इससे असम के लोगों के मन में काफी आशंकाएं विद्यमान हैं। अतः हम सभी लोग यह जानते हैं कि इसके फलस्वरूप जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है। स्वाभाविक हो, हमें यह सोचना होगा कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। अब कुछ लोग वहां साम्प्रदायिकता का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करके हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हिन्दु और मुस्लिम को बांटकर हम असम की समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। विभाजन के पूर्व असम के कुछ भाग सिलहट में थे। असम की अपनी एक संस्कृति है। असम में, अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के काफी लोग रहते हैं। लेकिन गैर-कानूनी रूप से रह रहे शरणार्थियों का पता लगाने के नाम पर आप लोगों को परेशान नहीं कर सकते हैं। वे लोग काफी पहले से असम में रह रहें हैं। उन्होंने न केवल अर्थव्यवस्था के विकास में ही अपना सहयोग दिया है अपितु असम की संस्कृति में भी अपना योगदान दिया है।

अपराह्न 3.00 बजे

अतः, केवल अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर आप उन लोगों को अपना दुश्मन या बांग्लादेशी के रूप में पहचान नहीं कर सकते। आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना होगा क्योंकि हर अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति बांग्लादेशी नहीं है। बांग्लादेशियों में भी हिन्दु और मुस्लिम हैं। बाहर से आने वाले लोगों को हिन्दू और मुस्लिम में नहीं बांटा जा सकता है।

अपराह्न 3.01 बजे

[श्री चित्त बसु *पीठासीन हुए*]

वे सभी विदेशी हैं। बिना दस्तावेज के देश के अंदर आनेवाला प्रत्येक विदेशी एक घुसपैठिया है।

अतः, समस्या के समाधान के लिए केन्द्रीय सरकार और असम राज्य सरकार ने एक समय आंदोलनकारियों और सभी व्यक्तियों से यह समझौता किया था कि बांग्लादेश या पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य भागों से 25 मार्च, 1971 के बाद असम में आनेवाले कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है।

इस समस्या के समाधान के लिए कानून बने हैं। लेकिन कानून मात्र से ही समस्या का समाधान नहीं हो सकता। भारत के नागरिकों की रक्षा और देश की प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए कानून बने हुए हैं लेकिन मेरा यह मानना है कि भारत के उस भाग में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच विश्वास बनाने के लिए प्रयत्न करने चाहिएं। यदि आप असम के लोगों में विश्वास पैदा करने में असफल होते हैं तो वहां कुछ न कुछ समस्या बनी रहेगी। यदि आप वहां वर्षों से, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से रहने वाले अल्पसंख्यक लोगों के बीच विश्वास पैदा करने में असफल रहते हैं तो भी वहां समस्या बनी रहेगी। वे भी भारत के निवासी हैं। जब तक आप अल्पसंख्यकों के मन में विश्वास नहीं जगाते आप समसया का समाधान नहीं कर सकते।

अतः, मेरा मानना है कि सामप्रदायिक सद्भाव बनाये रखने की अपील मात्र से ही समस्या का समाधान नहीं होगा क्योंकि असम की संस्कृति एक मिली-जुली संस्कृति है। इसमें हिन्दु, मुस्लिम और आदिवासियों का समान योगदान है। अतः सभी वर्ग के लोगों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिएं। इससे हाल ही में गैर-कानूनी रूप से असम में आए लोगों की पहचान की जा सकेगी।

साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि लोगों के मन में विश्वास उत्पन्न करने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके बिना हम असम में गैर-कानूनी रूप से आने वाले लोगों पर रोक नहीं लगा सकते।

अब, मैं उस क्षेत्र के आर्थिक विकास पर चर्चा करूंगा। हम प्रधानमंत्री जी के इस बात के लिए आभारी हैं कि उन्होंने असम और कुछ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया और वहां कुछ दिनों के लिए रूके। उन्होंने उस क्षेत्र की समस्या को समझने की कोशिश की। उन्होंने उस क्षेत्र के लोगों हेतु कुछ आर्थिक और अन्य पैकेजों की भी घोषणा की। आर्थिक विकास के लिए लोकतांत्रिक वातावरण जरूरी है। यदि हम इसका निर्माण करने में सक्षम होते हैं तो हम आई॰एस॰आई॰ के नापाक इरादों का भी मुकाबला कर सकते हैं।

इस तरह की सूचना है कि आई॰एस॰आई॰ के लोग असम, मुम्बई, दिल्ली और राजस्थान में अनेक समस्या पैदा कर रहे हैं। लेकिन उनका अच्छी तरह मुकाबला और उनकी उचित रूप से

पहचान की जा सकती है बशर्ते कि हम जात-पात के आधार पर लोगों को न बांटें और उस क्षेत्र के लोगों में विश्वास जगाकर साम्प्रदायिक ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं। हमें उन्हें यह समझाना होगा कि वे राज्य के एक अभिन्न अंग हैं। वे अन्य भारतीयों के बराबर भारत के नागरिक हैं। जिससे कि वे विदेशियों और आई॰एस॰आई॰ से मुकाबला कर सकें।

मुझे विश्वास है कि ऐसा करके न केवल हम विभिन्न वर्गों के लोगों, विभिन्न भाषा और संस्कृति के लोगों के बीच विश्वास उत्पन्न करने में सक्षम होंगे अपितु उस क्षेत्र की समस्या का भी समाधान कर सकेंगे।

इसके साथ ही मेरा यह विश्वास है कि चूंकि उस क्षेत्र में यह समस्या एक गंभीर रूप ले चुकी है इसलिए हमें असम और त्रिपुरा तक ही आर्थिक विकास कार्यक्रम सीमित नहीं रखना होगा अपितु इसे अन्य क्षेत्रों में भी ले जाना होगा जिससे कि देश के उस भाग में समस्या का समाधान हो सके।

कृषि को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। असम तथा असम की बराक घाटी और मणिपुर में काफी उपजाऊ भूमि है। लेकिन प्रत्येक वर्ष ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों में बाढ़ और कटाव के परिणामस्वरूप असम घाटी में फसल की क्षति होती है।

यदि ब्रह्मपुत्र और उसकी उपनदियों को नियंत्रित कर लिया जाता है और वैज्ञानिक जल प्रबंधन प्रणाली अपनाई जाती है तो उस क्षेत्र में कृषि विकास होगा। इस उत्पादन से हम न केवल पूर्वोत्तर के लोगों की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर पायेंगे अपितु देश के अन्य लोगों की खाद्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर पायेंगे। वन संसाधन और प्राकृतिक तथा अन्य प्राकृतिक और खनिज संसाधन केवल असम में ही नहीं अपितु मेघालय और मणिपुर में भी हैं। इस सम्पूर्ण क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए समस्त संसाधनों को विकसित किया जाना चाहिए। इसके बिना हम असम के लोगों में विश्वास पैदा नहीं कर सकते। उस क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए लोगों में एकता, आत्म-विश्वास और आर्थिक विकास नितान्त आवश्यक है। यदि वहां पर लोकतांत्रिक वातावरण बना रहता है तो देश के लोग इस देश के देशभक्तों की तरह, चूंकि वे भी स्वतन्त्रता-प्रिय हैं, इस समस्या को सुलझाने में सहायता करेंगे।

यह समस्या साम्प्रदायिक दृष्टिकोण द्वारा नहीं सुलझायी जा सकती। अतः मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वे केवल तमिलों की समस्याओं की ओर ही ध्यान न दें अपितु सम्पूर्ण पूर्वोत्तर की समस्याओं को भी अपनी समस्या समझें। केवल हिन्दु और मुसलमान ही इन समस्याओं से नहीं जूझ रहे अपितु आदिवासी भी इन्हीं समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सम्पूर्ण भारत के लोगों को इस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं, आशाओं और आकांक्षाओं में सम्मिलित होना चाहिए ताकि वे देश के कृषि, आर्थिक तथा अन्य विकास गतिविधियों में योगदान दे सकें।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवंती नवीनचंद्र मेहता (मुम्बई दक्षिण) : सभापति महोदय, हमारे मित्र श्री द्रोण जी ने जो यह प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया, उसके लिए मैं हृदय से उनका अभिनन्दन करती हूं। मैं इस प्रस्ताव के प्रति अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहती हूं। हमारा भारत देश एक गौरवमय गाथा का परिचायक है। भारत की संस्कृति हमेशा विश्व में एक आकर्षित संस्कृति बन कर रही है। उन्होंने विश्व को हमेशा दिशादर्शन किया है, मार्गदर्शन दिया है। इसी भारत की गौरव गाथा को देखते हुए, सुनते हुए यहां दुश्मनों की संख्या में वृद्धि हुई है और मित्रों की संख्या में कमी हुई है।

महोदय, हम जब अपने भारत के बारे में सोचते हैं तो सामान्य रूप से हमें यह सोचना पड़ेगा कि आज इन घुसपैठियों के सवाल पर हमें चर्चा क्यों करनी पड़ रही है। सीधी सी बात है कि आजादी के 50 साल बाद में यदि मैं अपने घर के दरवाजे खुले रखूं और वैसे ही दरवाजों को खुला रख कर अपने घर में अपने आपको सुरक्षित पाऊं, ऐसी स्थिति आज नहीं है। जब मेरे घर का दरवाजा खुला होगा तो खुले दरवाजे को देख कर चोरों को आने की इच्छा जरूर होगी और अंदर आने के बाद धन लूटने की भी इच्छा होगी। उनकी हमारी माताओं-बहनों के साथ छेड़-छाड़ की भी इच्छा होगी। इतना ही नहीं बल्कि कल-परसों अगर समय आया तो हमारे घर के ऊपर कब्जा जमाने के लिए भी उन चोरों को कुछ अधिक देर नहीं लगेगी। जब एक घर के कुटुम्ब की सुरक्षा के लिए हमें दरवाजे बंद करने पड़ते हैं तो यह तो हमारा राष्ट्र है। हम यदि अपने राष्ट्र की सीमाओं को खुला छोड़ दें और उन सीमाओं की रक्षा ठीक से न करें, इस प्रकार से हम घुसपैठियों और चोरों को अंदर आने का आमंत्रण दें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

1962 में चीन के साथ जो लड़ाई हुई उसके बाद घुसपैठियों का सीमा पार करके आना शुरू हो गया। तब से लेकर आज तक इस बारे में इस सदन में कई प्रकार के प्रश्न पूछे गये, कई प्रकार के प्रस्ताव लाए गये, कई प्रकार की चर्चाएं हुईं और इस दौरान जो भी गृह मंत्री रहे उन्होंने आंकड़ों के साथ अपने बयान भी दिए। लेकिन उन बयानों को कागजों पर ही छोड़ते हुए किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी ने देश की सुरक्षा के बारे में गंभीरतापूर्वक उपाय नहीं किए। आज जब हम आजादी की स्वर्ण-जयंती की तरफ जा रहे हैं तो हमारे मित्र द्रोण जी ने संयुक्त मोर्चा सरकार के आंख और कान खोलने के लिए इस प्रस्ताव को रखा है। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए संयुक्त मोर्चा सरकार से कुछ मांग करना चाहती हूं।

मैं मुम्बई (दक्षिण) का सदन में प्रतिनिधित्व करती हूं। मैंने 1989 में नवीं लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीतकर सदन की सदस्या बनी। लेकिन उसके केवल 15 महीने बाद संसद भंग हो गयी और अगला चुनाव मई 1991 में होने जा रहा था लेकिन प्रधान मंत्री राजीव

[श्रीमती जयवंती नवीनचंद्र मेहता]

गांधी की हत्या होने के कारण 15 जून को चुनाव हुआ। उस समय तक हमने केवल 15 महीने ही संसद सदस्या होने के नाते बिताए थे। मैं आपको बताना चाहती हूं कि इन 15-16 महीनों के भीतर मेरे चुनाव क्षेत्र में क्या हुआ? और जो हुआ वह ही मेरी हार का कारण बना और इस बारे में चुनाव आयुक्त श्री शेषन को भी पत्र लिखा था। मेरे लोकसभा क्षेत्र में 6 विधान सभा क्षेत्रों में एक ट्राम्बे विधान सभा क्षेत्र है। इस विधान सभा क्षेत्र में इन 15-16 महीनों में 50 हजार के लगभग बंगलादेशी घुसपैठियों के नाम रजिस्टर्ड हुए। मेरी हार का कारण भी ये ही मतदाता बने। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस विधान सभा क्षेत्र में 50 हजार की संख्या कैसे बढ़ गयी। जब मैंने शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और उसके बाद भी जब कोई लाभ नहीं हुआ तो मैंने इस बारे में महाराष्ट्र विधान सभा में प्रश्न किये, महाराष्ट्र की विधान सभा में आवाज उठाई कि इस विधान सभा क्षेत्र में राशन-कार्ड बोगस दिए गये हैं, इसलिए इनकी जांच की जाए। उस समय के मुख्य मंत्री श्री सुधाकर राव नाईक जी थे। उन्होंने पूरा सहयोग किया और जांच की तो 16 हजार बोगस राशन कार्ड उन बंगलादेशी घुसपैठियों से मिले, जिनको बाद में महाराष्ट्र सरकार ने रद्द कर दिया। यह सारी आबादी ट्राम्बे में, शिवाजी नगर, गोवंडी और देवनार में बसी हुई है।

मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहती हूं कि जब 1991 के चुनाव में मैं मतदाताओं से मिलने गयी तो एक मुस्लिम बहन चार दिन का बच्चा लेकर मेरे सामने आई और कहने लगी कि चार दिन पहले ही मेरे बच्चा हुआ है और मेरे पास न पीने के लिए पानी है, न राशन है न कोई और सुविधा है और यदि किसी ने कह दिया तो मुझे यहां से जाना पड़ेगा। उसने मुझे बताया कि मैं बंगला देश से आई हुई महिला हूं। मेरा नाम फातिमा है। मुझे उससे बहुत सहानुभूति हुई और प्यार आया। आप समझ सकते हैं कि इस तरह से जो बंगला देश से आकर लोग वहां रहे, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं की गयी। हां, एक व्यवस्था उनके लिए अवश्य की गयी और वह भी इसलिए कि वहां के पूर्व विधायक और मंत्री उन्हीं के धर्म को मानने वाले थे। इसलिए उनके लिए सारे शिवाजी नगर, गोवंडी, थाना बेलापुर रोड के ऊपर हर झुग्गी-झोंपड़ी के बीच में से वायरलैस तार लगाकर लाऊड स्पीकर की व्यवस्था उनको नमाज पढ़ने की सुविधा दी गयी।

लेकिन उनको राशन पानी की व्यवस्था करके नहीं दी थी। इस प्रकार से बंगलादेशवासियों का भारत में आना और जाना आश्चर्यजनकपूर्ण बात नहीं है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि 20 महीने पहले महाराष्ट्र में बी॰जे॰पी॰ शिव सेना की सरकार जो कि सत्ता में आई है, उसने आह्वान किया कि मुम्बई में अगर विदेशी नागरिक रहते होंगे तो उनकी जांच की जाएगी और उन्हें यहां से वापस जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य देने के बाद तुरन्त कुछ लोग अपने आप चले गए। 'आज भी वहां ऐसे लोग छिप-छिप कर रहते हैं। मुम्बई में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में जब किसी को पकड़ा जाता है तो देखने में आता है कि उसमें आज भी विदेशी नागरिक चाहे वे बंगलादेशी हों, चाहे कहीं और के हों, इस प्रकार के नागरिक उसमें पाए जाते हैं। चोरी, डकैती, बलात्कार के किस्से में जब अपराधियों और असामाजिक तत्वों को पकड़ा जाता है तो उसमें ऐसे कई लोग मिल जाते हैं। मुम्बई में करीब डेढ़ लाख से अधिक बंगलादेशियों की संख्या को देखकर चिन्ता होती है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है।

दूसरी बात यह है कि हम जब बेखबर रहते हैं तो उनके मनसूबे बढ़ते चले जाते हैं। भारत सरकार ने इन घुसपैठियों के बारे में क्या किया? यह प्रश्न जब कभी पूछा जाता है तो मैं उसे जरूर बता सकती हूं कि जो काम भारत सरकार को करना चाहिए था, भारत सरकार ने नहीं किया। उन्होंने तीन दशक पूर्व प्रिवेंशन ऑफ इनफिलट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स की स्थापना की जिसको पी॰आई॰एफ॰ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उसने एन॰टी॰एफ॰ की स्थापना की, मोबाईल टास्क फोर्स बनायी। यह तय करने के बाद केन्द्र सरकार ने खर्चे का वहन करने का निर्णय भी किया। उसको ऐसी उम्मीद थी कि बी॰एस॰एफ॰ के जवानों के साथ इनकी भी चौकियां लगेंगी और बी॰एस॰एफ॰ की आंखों से छिप कर जो घुसपैठिए के रूप में अन्दर आ रहे हैं, उनको पी॰आई॰एफ॰ के लोग पकड़े, उनका रिकॉर्ड बनाएं, सरकार इन्हें वापस भेजे लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 30 साल बीत जाने के बाद भी पी॰आई॰एफ॰, एन॰टी॰एफ॰ के लोगों ने किसी प्रकार का काम नहीं किया। तीस साल से केन्द्र सरकार का सारा पैसा इस पर वेस्ट हो रहा है। योजनाएं कागजों पर हैं। शीर्षस्थ अधिकारियों को पूछा जाता है कि वे पी॰आई॰एफ॰ और एन॰टी॰एफ॰ के बारे में बताएं उन्होंने क्या कार्यवाही की। उसके लिए यही कहा जाता है कि वे सामान्य पुलिसकर्मियों की तरह चौकियों में बैठ कर किसी अधिकारी के घर में सेवा कर रहे हैं और केन्द्र सरकार से पगार ले रहे हैं, वहां से मान धन प्राप्त कर रहे हैं और बाकी आने वाले घुसपैठियों का रिकार्ड नहीं रख रहे हैं। उनके नाम पर पी॰आई॰एफ॰ और एन॰टी॰एफ॰ के बोर्ड बने थे। आप इन चौकियों पर चले जाएं तो ये बोर्ड जर्जर हालत में पाए जाएंगे, कोई ड्यूटी पर नहीं मिलेगा। किसी पत्रकार ने बीच में समाचार पत्रों में लिखा था कि सीमा सुरक्षा बल को अगर कुछ करना है तो उसके लिए आफिस के किसी मानवीय व्यक्ति को नियुक्त न किया जाए लेकिन वहां कुत्तों की लाइन लगायी जाए तो वे ईमानदारी से देश की रक्षा करेंगे। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि यह देशभक्ति का सवाल है, यह देशद्रोहियों का सवाल नहीं है। यदि हम सचमुच में साम्प्रदायिक सौहार्द चाहते हैं तो हमें इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। जो लोग भारत में रहते हैं चाहे वे किसी भी सम्प्रदाय के क्यों न हों, वे राष्ट्रीय प्रवाह में मिलकर साथ चलें। आतंक मचाना और आतंक के माध्यम से विघटनकारी शक्तियों का निर्माण करना यह घुसपैठियों का काम है।

मैं यहां संसद में जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन की बात गृह मंत्री जी को बताना चाहती हूं। जम्मू में जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा

है। आज मेरे मित्र असम, मेघालय और त्रिपुरा के बारे में बात कह रहे थे। सिर्फ असम ही इसका शिकार नहीं है। इसका शिकार पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा है। आज यह धीरे-धीरे सीमा प्रदेशों से बढ़ कर मुम्बई, दिल्ली तक पहुंच गया है। ऐसे घुसपैठियों के आने से देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। उनके लिए अलग कानून और हमारे देशवासियों के लिए अलग कानून। ये बातें अंत तक चलने वाली नहीं हैं। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि पी•आई•एफ• और एन•टी•एफ• के जिन पदों का निर्माण किया गया, केन्द्रीय सरकार की तरफ से उप महानिरीक्षक से लेकर छोटे कांस्टेबिल तक के 3154 पदों का सृजन असम के लिये किया गया है, पश्चिमी बंगाल में 165, मेघालय में 194, त्रिपुरा में 144 लोगों की नियुक्तियां की गई हैं और केन्द्रीय सरकार आज भी उनका खर्च वहन कर रही है। सच्चाई यह है कि यह योजना क्रियान्वित नहीं हो रही हैं। सत्तारूढ़ पार्टी अपना वोट बैंक बनाकर उसका उपयोग अपने लिये सत्ता में येन केन प्रकारेण बने रहने के लिये कर रही है।

सभापति महोदय, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि अभी कुछ दिन पहले बांगला देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती खालिदा बेगम यहां आई थीं तो उन्होंने कहा था कि जो बांगलादेशी लोग हैं, वे हमारे नहीं, आपके हैं। इस प्रकार के स्टेटमेंट से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत सरकार एक निर्बल सरकार रही है जिसने अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं की और अपने देश का रक्षण नहीं कर सकी। हमारे यहां गुजराती की एक कहावत है :

आ कई बीडी नामणी नुं खेतर न थी
के कोई पथ नाय आवीतें घास चरी जाय

इसका मतलब यह है कि यह किसी विधवा महिला का खेत नहीं कि जिसमें किसी की भी गाय आकर चारा खाकर चली जाये, ऐसा यह खेत नहीं है। मैं संयुक्त मोर्चे के प्रधानमंत्री और उसकी सरकार से आह्वान करना चाहती हूं कि सीमाओं की सुरक्षा आपको करनी है। यदि घुसपैठियों को रोकना है तो अपनी ताकत दिखाकर रखो। हमारे पूर्वज श्रीराम, भगवान शंकर या अन्य कोई भी रहे हों, जिनको हम इष्टदेव मानते हैं, उनमें श्री राम ने घुसपैठियों को रोकने के लिये अपने हाथ में धनुष रखा था, शंकर भगवान ने त्रिशूल रखा था। इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि श्रीराम ने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिये यह धनुष अपने हाथ में रखा। आपके पास भी ताकत होनी चाहिये। जब ताकत कम होती है तो कोई भी हमारे देश में घुस सकता है। जब हमारे देश की केन्द्र सरकार ही निर्बल हो, उसका एक कदम पूर्व, कभी पश्चिम या कभी दक्षिण की तरफ जायेगा तो उस निर्बलता को देखकर घुसपैठियों की ताकत बढ़ेगी। यदि इस प्रकार हमारे देश की ताकत रहेगी तो निश्चित रूप से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी।

सभापति महोदय, यहां बैठे हुये संसद सदस्यों को अपने देश से बहुत प्यार है, उनमें देशभक्ति भरी हुई है, इसलिये मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि एन•टी•एफ• की योजना को दुबारा क्रियान्वित करने के लिए तत्पर हो और उसके परिणाम, रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाये कि गत तीस साल में कितना खर्च किया गया, कितने लोगों को पकड़ा गया, कितनों का रिकार्ड रखा गया। यदि इसकी जांच की जाये तो घुसपैठियों को रोकने में हम सफल हो सकते हैं। हमारे गौरवमयी देश की गरिमा को बचाने के लिये धूल चाटती जो योजना कागज पर पड़ी हुई है, उसको निकाल कर सिर्फ सुरक्षा दल बनाना ही काफी नहीं, बल्कि इन घुसपैठियों पर रोक लगाने के लिए यहां पर माताओं और बहनों की सुरक्षा के साथ-साथ घर की भी सुरक्षा करें और आर्थिक अवस्था भी बनी रहे। इससे इस देश में अमन और शान्ति बनी रहेगी।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री द्रोण जो संकल्प लाये हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। ऐसे संकल्प के जरिये हम इस सदन में बार बार बहस करते आये हैं। इस संकल्प में दिया गया मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा हैं जो हमारे देश के हित के लिये है। आप जानते हैं कि यह बहुत ही गंभीर समस्या है। इसका हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में काफी असर पड़ा है। साथ ही सुरक्षा पर भी असर पड़ा है।

इससे समस्या और भी बढ़ जाती है लेकिन हम इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। सारे देश ने देखा कि कुछ समय पहले हमारे देश में योजनाबद्ध तरीके से विदेशी विमान द्वारा पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा पर हथियार गिराए गए। आखिर इतने आधुनिक हथियार जो पुलिस और फौज के पास भी नहीं हैं, वह हथियार कहां से आए और किसके माध्यम से आए? हमारी सरकार की सारी कार्य-प्रणाली शिथिल हो गई और हथियार गिराए गए। इससे आपको पता लगेगा कि हम अपनी सुरक्षा के मामले में कितने सतर्क हैं। अगर हम सतर्क नहीं हैं तो हम कितनी परेशानियां उठा रहे हैं, यह भी सोचने की बात है।

भारत विशाल देश है। इस देश की जनता ने जिन लोगों के हाथ में देश की सत्ता सौंपी है, वह उनकी कारगुजारी को देखती है और उनकी मंशा को समझती है। इन बातों पर जब कोई प्रकाश डालता है तो उसका विरोध होता है जो नहीं होना चाहिए। असम की बात माननीय सदस्य बोल रहे थे। असम में आज नहीं, बहुत पहले यह सवाल उठा था जब असम का आंदोलन तेज हो गया था और जब वहां हत्या की राजनीति शुरू हुई थी। तब वहां के लोगों ने विरोध किया था कि घुसपैठिये इतने आ गए हैं कि असमियों को काम नहीं मिलता है, उनके लिए रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं, असमी लोग सड़कों पर आ गए हैं। उसको लेकर असमियों में क्रोध उत्पन्न हुआ और इस समस्या के निदान के लिए एक समिति बनाई गई कि घुसपैठियों की पहचान की जाए। जब हमें कुछ नुकसान होता है, तब हमारी नींद खुलती है और हम शांति के लिए एक समिति बना देते हैं, लेकिन वास्तव में इसके लिए युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। जैसे आप मास्टर प्लान बनाते हैं और उसके नियमों के विरूद्ध अगर कोई

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

मकान बनाता है तो आप उसको गिराते हैं, उसी प्रकार एक योजना बनाकर नियमों के तहत घुसपैठियों की पहचान करके उनको देश से वापस भेजना चाहिए। अगर देश से वापस नहीं भेजते हैं तो यह खतरा हमारे देश में मौजूद रहेगा। जितनी भी हमारी सीमाएं हैं आप देख लीजिए। कश्मीर में हमें कितनी मुश्किल हो रही है। हमारे देश की आर्थिक चरमराहट इन्हीं सब कारणों से है। हमारे पास धन की कमी नहीं है। हम कहीं से कर्ज नहीं लेते, लेकिन सुरक्षा पर जो ध्यान होना चाहिए वह हम नहीं दे रहे हैं। देश के लिए यह सबसे बड़ी गलती क्षमा के लायक नहीं है। देश को जिस तरह से बांटा गया, उसी का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। अगर देश का विभाजन नहीं होता तो घुसपैठियों का भय नहीं होता, लेकिन देश बांटने से वही लोग घुसपैठिये कहलाने लगे हैं। मेरा सुझाव है कि घुसपैठियों की समस्या हमारे देश को आर्थिक चरमराहट की ओर ले जा रही है, हम इस पर गौर करें। जिस क्षुद्र राजनीति को लेकर हम चले हैं, यह उसी का परिणाम है। यह राजनीति नहीं होनी चाहिए।

देश सर्वोपरि है। आज आप हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन देश रहेगा। आज जो उधर हैं, इधर भी आये थे, तो यह तो लोकतंत्र में होता रहेगा। लेकिन लालच, लोभ, से ऊपर उठकर निस्वार्थ देश की सेवा होनी चाहिए। देश के साथ इस तरह की क्षुद्र राजनीति नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : सभापति महोदय, श्री जगत वीर सिंह द्रोण जी के प्रस्ताव पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं कि यह सभा 1975 से देश में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध आप्रवासन पर गहरी चिंता व्यक्त करती है और यह सिफारिश करती है कि उन सभी अवैध आप्रवासियों की पहचान करने और उनके मूल देश को विवासित करने हेतु ठोस कदम उठाये। सभापति महोदय, जैसा कि द्रोण जी ने बताया कि आज हमारे देश के अंदर ढाई करोड़ से अधिक घुसपैठिये हैं और यह संख्या यहां पर कभी गिनी गई हो या इनकी पहचान की गई हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता और यह संख्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है और बढ़ इसलिए रही है कि घर के दरवाजे पूरे के पूरे खुले हुए हैं। घर के अंदर स्वार्थ है, घर के अंदर सत्ता का लोभ है। उस कारण से यह संख्या बढ़ते-बढ़ते पांच करोड़ भी हो गई हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी इन घुसपैठियों के बारे में इतना ही कहा जाता था कि शायद यह आसाम के अंदर हैं। किंतु आज आसाम, बिहार, बंगलौर, मंगलौर, दिल्ली, मुम्बई और शायद ही कोई ऐसा प्रदेश होगा जिसके अंदर बंगलादेशी या पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए लोग या और देशों से आये हुए लोग घुसपैठियों के रूप में इस देश में न रह रहे हों। जो देश आराम से उनको रोजगार और रोटी देता हो और अपने लोगों का रोजगार ओर रोटी छीन लेता हो और उसके ऊपर सरकार मौन बैठी रहे, कोई कदम न उठाये, उस देश के अंदर घुसपैठियों को निरंतर हर वर्ष बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं हैं, बड़े आसान तरीके से ये घुसपैठिये बढ़ते रहेंगे। खेद तो यह है कि जो प्रस्ताव द्रोण जी ने रखा है वह प्रस्ताव सरकार की तरफ से आना चाहिए था, क्योंकि यह पूरे देश का मामला है, किसी एक पार्टी का मामला नहीं है। आप दिल्ली में ही देख लीजिए पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने कितने आंदोलन किए कि जो भी चुनाव कराये जाएं वे तब कराये जाएं जब घुसपैठियों को देश से बाहर कर दिया जाए, उनकी पहचान कर ली जाए। किंतु जब कुछ पार्टियों को और कुछ सरकारों को इस बात का सीधे-सीधे लाभ पहुंचता हो कि उनके वोटों से वे सत्ता के अंदर आ सकते हैं, तब इनको जो कठिनाई आ रही है, उसको आप महसूस कर सकते हैं। अकेले दिल्ली के अंदर अलकनंदा, गोविंदपुरी, सीलमपुर, निजामुद्दीन, जामा मस्जिद, कालकाजी और मेरे संसदीय क्षेत्र में सदर, आजाद मार्केट, लाल बाग ये जितने भी झुग्गी-झोंपड़ी क्षेत्र हैं उनमें भारतीय नहीं रहते हैं, आज उनमें ज्यादातर ये घुसपैठिये रहते हैं। आप एक-एक वोटर लिस्ट की जांच करवा लें तो पता लगेगा कि सारी नौकरियां ये ले गये हैं। हममें से सबसे पहले इनकी पहचान करने की और इनके ऊपर कदम उठाने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है, उसके बाद प्रदेश सरकारों का नम्बर आता है और उसके बाद हर नागरिक की भी जिम्मेदारी है। लेकिन जब लोगों को सस्ती लेबर मिलती है तो वे इस बात को सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि घुसपैठिया आ रहा है तो आने दो और उसको रोकते नहीं है और आज इसी कारण हमारे देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, इसी कारण लोगों की रोजी-रोटी छिन रही है। किंतु "कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे" सरकार इस बात पर चल रही है। सभापति महोदय, मैं अभी की नहीं, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था शायद 1951-52 में जब सरदार वल्लभभाई पटेल ने पंडित नेहरू को पत्र लिखा था कि जिस प्रकार पाकिस्तान से यहां पर घुसपैठिये आते जा रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है तो तब भी शायद पंडित नेहरू ने यही बात कही थी कि कोई बात नहीं, रोजगार के लिए आ रहे हैं, ये घुसपैठिये नहीं आ रहे हैं, अगर इस तरीके से इतने हलके ढंग से हमारी सरकार इसको लेगी तो फिर क्या कहा जा सकता है। आजादी के 50 साल बाद भी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वह कांग्रेस पार्टी की थी कि उन्होंने इस बात को बिलकुल चैक नहीं किया, जिन्होंने इस देश में इतने सालों तक राज किया, जो देश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार हैं, वही कांग्रेस आज इस बात के लिए भी जिम्मेदार है कि इतने सालों के बाद भी आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। मैंने एक आर्टीकल में पढ़ा :—

[अनुवाद]

सबसे दुर्भाग्यपूर्ण भाग तो यह है कि कांग्रेस, जनता दल सी॰पी॰एम॰ इत्यादि के निहित स्वार्थ अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने में छिपे हैं। वह वोट गिनते हैं घुसपैठियों की संख्या नहीं। असम में 126 विधानसभा सीटों में से 40 हैं।

[हिन्दी]

जिसमें मुस्लिम इन्फिलट्रेटर्स ज्यादा हैं। जैसा अभी हमारे साथी बता रहे थे, पूरे वैस्ट बंगाल में ऐसे लोग हैं। वहां एक राजनैतिक पार्टी सत्ता में आने के लिए, घुसपैठियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : यहां कोई समस्या नहीं... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

हमारी उनके साथ लड़ाई है, लेकिन इस मामले में कोई लड़ाई नहीं है कि कौन किस धर्म को मानने वाला है, कौन किस जाति का है, कौन बाहर से आया है, कौन अंदर से आया है...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : अच्छा आपको बंगाल में कोई प्रौब्लम नहीं है। आप उनका समर्थन कर रहे हैं। आज कुछ लोग उन्हें वोट-बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसका हमारी आने वाली पीढ़ी पर क्या असर पड़ने वाला है, उसे भी हमें देखना पड़ेगा... *(व्यवधान)*

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : हम भी बंगलादेश से आए हैं। इस देश की आजादी के लिए अपना खून देने के बाद, हम इधर आए हैं। आप हमें भी निकाल दीजिए...*(व्यवधान)*

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति जी, यहां कुछ लोग तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं और विषय से विषयान्तर करने की कोशिश कर रहे हैं...*(व्यवधान)* इसमें बंगलादेश से आए सभी व्यक्तियों को निकालने का सवाल नहीं है।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : आडवाणी जी भी सिंध से आए हैं, हम बंगलादेश से आए हैं। आडवाणी जी को भी निकाल दीजिए और हमें भी निकाल दीजिए...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : इसमें बंगलादेश से आए सभी व्यक्तियों को निकालने का सवाल नहीं है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठें। जब आपकी बारी आये तब बोलना।

श्री प्रदीप भट्टाचार्य (सीरमपुर) : सभापति महोदय, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हर बार पश्चिम बंगाल का नाम अनावश्यक रूप से घसीटा जाता है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मेरे पास आपका नाम हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : आपकी पार्टी में खुद घुसपैठिए मौजूद हैं...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : ये बंगलादेश से आए घुसपैठियों की वकालत कर रहे हैं और इन्होंने उन्हें अपना वोट-बैंक बना लिया है।

मैं सोचता था कि केन्द्रीय सरकार ने अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया। मुझे मालूम नहीं था कि सदन में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आज भी इस बात का समर्थन करने को तैयार हैं। बंगलादेश से अगर कोई आदमी आ जाए तो वे उसे घुसपैठिया नहीं मानते। मैं यहां हिन्दू-मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश से आकर, बिना इजाजत, बिना सिटिजनशिप के बस जाय, कोई घुसपैठिया आ जाए और हम लोग उसे देखते रहें, इसे कम से कम हमारी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। इसी कारण आज कांग्रेस पार्टी का ऐसा हाल हुआ है, ऐसी चीजों को समर्थन देने के कारण, बंगलादेश से आए घुसपैठियों को समर्थन देने के कारण...*(व्यवधान)* आजादी से पहले कोई यहां आया हो, उसकी बात नहीं है लेकिन आज भारत अखंड है। बंगलादेश खुद इस थ्योरी को डैवलप कर रहा है कि मानवता के आधार पर कोई भी किसी देश में जाकर बस सकता है लेकिन मानवता के साथ राष्ट्रीयता भी आप लोगों को देखनी होगी।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सदन के इतने सीनियर मैम्बर्स भी उनका समर्थन कर रहे हैं। बाल ठाकरे ने बिल्कुल ठीक कहा था, जब बम्बई में कुछ ऐसे लोग आकर बस गए थे, भले ही वे किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, ऐसे लोगों को देश से बाहर जाना होगा। आज हम भी उसका समर्थन करते हैं कि कोई घुसपैठिया चाहे कहीं से आया हो, इस देश में उसे सहन नहीं किया जाएगा। आज वही असम गण-परिषद और आसु के लोग युनाइटिड फ्रंट सरकार को सपोर्ट दे रहे हैं, जो कभी इसकी आवाज उठाते थे। क्या वे युनाइटिड फ्रंट सरकार से इस बात को नहीं कह सकते...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा॰ प्रवीण चन्द्र शर्मा : सभापति महोदय, इन्होंने ए॰जी॰पी॰ का उल्लेख किया है।

सभापति महोदय : आपका नाम यहां लिखा है। आप तब बोलना जब आपकी बारी आए।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बेरली) : सभापति जी, इस रिजौल्यूशन में साफ लिखा है कि जो लोग 1975 के बाद इस देश में आकर बसे हैं, यह उनसे संबंधित है। ऐसा लगता है कि माननीय सदस्यों ने इसे ठीक से नहीं पढ़ा है...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : सदन में खड़ा होने से पहले, मैंने इस रिजौल्यूशन को पढ़ लिया था। जिन ए॰जी॰पी॰ और आसू के लोगों की हम तारीफ करते नहीं थकते थे, आज युनाइटिड फ्रंट के पार्टनर

[श्री विजय गोयल]

बनकर वे बिल्कुल चुप हो गए हैं...*(व्यवधान)* ये लोग पहले कहते थे, इनके लीडर ने कहा था...*(व्यवधान)* लेकिन उसके बाद इन लोगों ने चुप्पी साध ली।

[अनुवाद]

डा॰ अरूण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : सभापति महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्ना उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप व्यवस्था सम्बन्धी क्या प्रश्न उठाना चाहते हैं?

डा॰ अरूण कुमार शर्मा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने उन लोगों के बारे में वक्तव्य दिया है जो असम आन्दोलनों का प्रयोजन कर रहे थे जैसे ए॰ए॰एस॰यू॰ और ए॰जी॰पी॰।

सभापति महोदय : मैं इसे स्वीकार नहीं करता। कृपया अपने स्थान पर बैंठे।

श्री विजय गोयल : सभापति जी, जो बात मैं कह रहा हूं वह केवल एक साधारण सी बात कह रहा हूं। आप यूनाइटेड फ्रंट सरकार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन युनाइटेड फ्रंट सरकार से अपनी बात को मनवा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं सरकार को छोड़कर चले जाते हैं? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर जो एनारकी मची, देश में जगह-जगह जो जातीय दंगे हुए, वे सब उन्हीं के कारण हुए। मुम्बई में पिछले जो जातीय दंगे हुए, उनके अंदर भी इन्हीं घुसपैठियों का हाथ था। मैं तो सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि वे सब इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि यह प्रस्ताव तो द्रोण जी की तरफ से नहीं बल्कि सरकार की तरफ से आना चाहिए। यह राष्ट्रीय इश्यू है।

सभापति जी, मैं यह मांग करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि मेरी पार्टी की बराबर मांग रही है कि नागरिकता का एक रजिस्टर बनाया जाना चाहिए। एक नैशनल रजिस्टर आफ सिटीजनशिप बनाया जाना चाहिए जो कि ए॰जी॰पी॰ की भी कभी डिमांड थी, किन्तु उसे आज पूरा नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि बंगला देश और भारत की सीमाओं को सील किया जाना चाहिए। मैंने पिछला रिकार्ड देखा है सरकार ने विभिन्न समयों पर अलग-अलग तरह के आश्वासन दिए हैं कभी कहा बी॰एस॰एफ॰ को लगाएंगे, कभी कहा कि सी॰आर॰पी॰एफ॰ को लगाएंगे, कभी कहा कि कांटेदार तार लगाई जाएंगी, लेकिन कुछ रोक नहीं हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को आज इस बात को सामने लाना चाहिए कि अब तक भारत में अन्य देशों से घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। इन घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का काम केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए।

सभापति जी, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय सदस्य श्री जगत वीर सिंह द्रोण को इतने अच्छे प्रस्ताव को यहां प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं और आपको, समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री इलियास आजमी : सभापति जी, द्रोण जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसमें साफ है कि 1975 के बाद से जो आए हैं...*(व्यवधान)*

डा॰ प्रवीन चंद्र शर्मा (गुवाहाटी) : 1971 के बाद से जो आए हैं।

श्री इलियास आजमी : नहीं, इस प्रस्ताव में लिखा है कि 1975 के बाद से जो आए हैं, उन्हें अपने देश को वापस भेजा जाए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े पैमाने पर ये आए क्यों? यह बिलकुल सही है कि इस पर हमें विचार करना चाहिए। जब बंगलादेश की तहरीर चल रही थी और हमारे देश के सारे अखबार, जैसे किसी ने ट्रेंड कर दिया हो, पूरे के पूरे आंकड़े, जैसे अभी यहां पर एक माननीय सदस्य ने अभी कहा डेढ़ लाख और थोड़ी ही देर बाद दूसरे सदस्य ने कहा कि ढाई करोड़ आए हैं, यानी थोड़ी ही देर में डेढ़ लाख के ढाई करोड़ हो गए, उसी प्रकार के आंकड़े सरकार के इशारे पर छाप रहे थे। उनका विचार यह था कि जिस दिन बंगलादेश बनेगा, उस दिन पाकिस्तान इकनामिक तोर पर कलैप्स हो जाएगा। पाकिस्तान मर जाएगा। सारी आमदनी बंगला देश से हो रही है और यह हो जाएगा और वह हो जाएगा।

सभापति महोदय, उस वक्त मैंने और मेर साथी श्री श्याम लाल यादव जी ने अखबार में एक बयान छपवाया था कि ये सारे आंकड़े गलत हैं। बंगलादेश बनाने से हमारे देश का अहित होगा। पूर्वी बंगाल भूखा और नंगा रहेगा। भूखा और नंगा आजाद देश, कल चीन या अमरीका को लाकर बैठा सकता है। उस वक्त हमने चेतावनी दी थी, तो हमको इन्हीं लोगों ने और कांग्रेस के लोगों ने गद्दार करार दिया था। बड़ी डिमांड हुई थी कि इनको अरैस्ट करके जेल में डाला जाए। ये एंटी नैशनल हैं, ये पाकिस्तान के हमदर्द हैं, लेकिन मुझे इस बात का आज फक्र है कि जो बात हमने उस समय कही थी वह आज सही निकली। अगर मेर साथ उस समय बयान में शामिल श्री श्याम लाल यादव जी साथ नहीं होते, तो शायद ये लोग मुझे मीसा वगैरह में जेल में सड़ा डालते।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अरे हम भी तो खुद उस समय मीसा में जेल में बंद थे, हम आपको कैसे सड़ा डालते।

श्री इलियास आजमी : आप सुन लीजिए। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि दुनिया में जहां भी गरीबी और भुखमरी होगी और कहीं उससे ज्यादा संपन्नता होगी, तो वहां पर इल्लीगल मायग्रेशन होगा। हमारे यहां से ज्यादा खुशहाली गल्फ के मुमालिग में है। हमारे लाखों लोग इल्लीगल तोर पर गल्फ के मुल्कों में रह रहे हैं। रोजाना यह बात अखबारों में छपती है। लोग पकड़े जाते हैं और यहां भेज दिए जाते हैं। उसी तरह से मैं मानता हूं कि बंगला देश से हमारे यहां मायग्रेशन हो रहा है। उसकी वजह भी वही है।

उसके जिम्मेदार वे लोग हैं जिन लोगों ने सिर्फ रणचंडी और दुर्गा माता बनने के लिए, चुनाव जीतने के लिए बंगला देश बनवाया था, वे लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं इसलिए कि उनको मालूम था कि एक आजाद बंगाल, पूर्वी बंगाल नंगा और भूखा रहेगा। उनको यह बात मालूम थी, लेकिन हीरो बनने के लिए जिन लोगों ने बनवाया था, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : यह तो स्वतन्त्र देश पर दोषारोपण हुआ। यह स्वतन्त्रता संघर्ष का तिरस्कार है और स्वतन्त्रता सेनानियों के त्याग का अपमान है। यह उचित नहीं है...*(व्यवधान)* इस देश के स्वतन्त्रता संग्राम के प्रति समर्थन के लिए यह संसद एकमत थी। यह उचित टिप्पणी नहीं...*(व्यवधान)* यह उचित नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सभापति स्वयं इसका निरीक्षण करेंगे और यदि आवश्यक हुआ इसे कार्यवाही वृत्तांत से हटायेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने पहले ही यह आदेश दिए हैं।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : मैं असल बात की तरफ आता हूं। इन लोगों का सारा एतराज उन बंगलादेशियों के बारे में है जिनका मजहब इनके मजहब से अलग है। खुद मेरी कांस्टीट्एंसी में तीन-चार बंगाली कालोनियां हैं।

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : आपकी कौन सी कांस्टीट्एंस है?

श्री इलियास आजमी : शाहबाद है। जिसमें पांच-पांच हजार की आबादी है। वोह सब बंग्लादेश से लाकर बसाये गये हैं। सब हिन्दू भाई हैं।...*(व्यवधान)* आप सुन लीजिये। 1975 के बाद है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उनको सुनाना आपका काम नहीं है। आप हमें सुनाइए।

श्री इलियास आजमी : उनकी भी प्राब्लम्स हैं। अभी यहां आने से दो दिन पहले खीरी जिले में उनको एक ग्रिड नम्बर 13 में 123 एकड़ जमीन एलॉट की गयी थी। उसमें से 20-22 एकड़ जमीन पर लोगों ने जबरदस्त कब्जा कर लिया था। अभी मैंने उन लोगों को लेकर लखीमपुर खीरी से सत्याग्रह किया था और कब्जा दुबारा दिलवाकर मैं लोकसभा में आया हूं। सब हिन्दू भाई हैं। सब बंगाली हैं और सब बंगलादेश के नोवाखली जिले के रहने वाले हैं। सवाल यह है कि कुछ लोगों को तो आप पांच-पांच एकड़ की जमीन देकर कालोनियां बसा रहे हैं और कुछ लोगों को बंगलादेश घुसपैठिये करार दे रहे हैं। जिनका मजहब अलग है, उनको आपके घुसपैठिये करार दे रहे हैं। यहां पर जो भी आंकड़े दे रहे हैं—कोई डेढ़ लाख कहता है तो कोई ढ़ाई करोड़ कहता है—लोग ये सब आंकड़े कहां से लाते हैं? ये आंकड़े उसी तरह से गलत हैं जिस तरह से बंगलादेश बनाने की तारीख में गलत आंकड़े छापे जा रहे थे कि पाकिस्तान की सारी इन्कम बंगाल से है और अगर बंगलादेश अलग हो गया तो पाकिस्तान मर जायेगा। बंगलादेश को बनाकर पाकिस्तान को आर्थिक आधार पर...*(व्यवधान)* जिन लोगों ने भी बनाया है।...*(व्यवधान)*

श्री हरपाल सिंह साथी (हरिद्वार) : आपको पाकिस्तान से क्या है?

श्री इलियास आजमी : मुझे पाकिस्तान से कुछ नहीं है।... *(व्यवधान)* आप सुन लीजिये जब वे भूख से मरेंगे।...*(व्यवधान)* उनका ताल्लुक भूख से है। उनका ताल्लुक मानवता से है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि खुद हमारे देश के लाखों इललीगल माईग्रैंट्स गल्फ मुमालिग में हैं। रोज अखबारों में छपता है। रोज समस्या होती है। रोज पकड़े जाते हैं। हम भी उनकी मदद करते हैं। उसका ताल्लुक इंसान की भूख से है। उसका ताल्लुक कोई मज़हब या धर्म से नहीं है। ये लोग उसको मजहब से जोड़ते हैं। यह बिल्कुल गलत है और मैं इसकी निन्दा करता हूं। मैं यह जरूर चाहता हूं कि बंगाल से या कहीं से भी विदेशी लोग, जिनकी नागरिकता भारत की नहीं है, वे यहां आकर न बस जायें क्योंकि हमारे यहां खुद आबादी की ज्यादती है। लेकिन जो लोग गलत आंकड़े देते हैं, इन्होंने जो दिल्ली के मोहल्ले गिना डाले, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वे मुझको अपनी कांस्टीट्एंसी में ले चलें और मुझे 100 बंगाली भी दिखा दें तो मैं जानूं। अभी भाई बनातवाला ने ओखला में डी॰डी॰ए॰ का मसला उठाया था तो उधर से आवाज उठी कि वहां सब बंगाली बसे हुए हैं। उसी ओखला में दस साल से मेरा भी मकान है। मैंने तो वहां पर एक भी बंगाली नहीं देखा। पूरे ओखला को कह दिया कि वहां बंगाली हैं। मैंने तो आज तक वहां पर एक भी बंगाली नहीं देखा क्योंकि ओखला में मुसलमान बसते हैं। इस मानसिकता को, इस चश्मे को अगर आप लोग उतार दें तो मैं कहता हूं कि आप लोग देश के लिए सही काम कर सकते हैं लेकिन पहले आप जो पीले रंग का चश्मा लगा रखे हैं जिससे आपको हर चीज पीली नजर आती है, वही इस देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है।

सभापति महोदय : उनको आपको कुछ नहीं कहना है। आप हमें कहिये।

श्री इलियास आजमी : इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और एक बार फिर इन लोगों से अपील करता हूं कि पीले चश्मे को उतार दें और देश के लिए हितकारी बनें।

अपराह्न 3.50 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

डाक दरों को युक्तिसंगत बनाना

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : भारतीय डाक नेटवर्क विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। इसमें दिसम्बर, 1996 तक 153001 डाकघर थे। यह नेटवर्क देश के लोगों को सफलतापूर्वक एक-दूसरे के साथ जोड़ता है। अभी भी देश में 8000 से अधिक ग्राम पंचायत गांव ऐसे हैं जिनमें दूरी और जनसंख्या संबंधी मानदंडों के अनुसार डाकघर का औचित्य बनता है। विभाग अगली दो पंचवर्षीय योजनाओं में इन गांवों में डाकघर खोलने के लिए उत्तरोत्तर प्रयास कर रहा है। डाक सेवा देश में सभी को डाक संचार की मूलभूत सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसकी यह प्रतिबद्धता ग्रामीण क्षेत्र को पर्याप्त आर्थिक सहायता देते हुए डाक नेटवर्क का विस्तार करने की इसकी नीति में परिलक्षित होती है।

अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और संचार टेकनालॉजी में तेजी से हो रहे परिवर्तनों की वजह से ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डाक सेवा का आधुनिकीकरण जरूरी हो गया है। अतः विभाग ने ग्राहकों को अत्यंत सुसंगत सेवाएं प्रदान करने के लिए आधुनिकीकरण के अपने कार्यक्रमों पर जोर दिया है। कम्प्यूटर टेक्नालॉजी और सेटेलाइट के जरिए इलैक्ट्रानिक ट्रांसमिशन का प्रयोग अधिक कार्यकुशल और ग्राहकों के अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए डाक सेवा का उत्तरोत्तर आधुनिकीकरण हो रहा है। देश का विशाल डाक नेटवर्क समाज से सम्बद्ध विभिन्न योजनाओं जैसे बचत बैंक और महिला समृद्धि योजना के लिए पर्याप्त अवसर भी प्रदान कर रहा है। डाक जीवन बीमा का ग्रामीण क्षेत्र तक विस्तार किया गया है जिसमें निरंतर प्रगति हो रही है।

सरकार इस बात को भली-भांति समझती है कि देश की डाक सेवा को केवल बाजार की बढ़ती हुई मांग को ही पूरा नहीं करना है अपितु उसे एक वहन किए जा सकने वाले मूल्य पर आम आदमी की संचार संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहिए। फलस्वरूप वाणिज्यिक व्यवहार्यता के कठोर मानदंडों का अनुपालन नहीं किया जाता है और विभाग अपनी 23 सेवाओं में से 18 सेवाओं में भारी घाटा उठा रहा है जिन्हें वह अत्यधिक सब्सिडाइज्ड आधार पर प्रदान करता है। घाटे पर चलने वाली 18 डाक सेवाओं को जो सब्सिडी राशि प्रदान की जाती है, वह इन सेवाओं के संबंध में, अलग-अलग, इनको ऑपरेट करने पर आने वाली लागत का 2 प्रतिशत से 93 प्रतिशत तक है। वर्ष 1996-97 के प्रोजेक्शन्स के आधार पर जिन सेवाओं को बहुत अधिक सब्सिडी दी जाती है, उनमें शामिल हैं — पोस्टकार्ड जिसे उसकी प्रचालन लागत की 93 प्रतिशत राशि सब्सिडी के बतौर दी जाती है। प्रिंटेड पोस्टकार्ड पर 60 प्रतिशत, पत्र कार्ड पर 67 प्रतिशत, रजिस्टर्ड, समाचार-पत्र पर लगभग 90 प्रतिशत, प्रिंटेड पुस्तकों पर 64 प्रतिशत, बुक पैटर्न व सैम्पल पैकेट्स पर 42 प्रतिशत, पत्र-पत्रिकाओं पर 70 प्रतिशत, वैल्यूएबल पोस्ट पर 70 प्रतिशत, रजिस्ट्रेशन पर 49 प्रतिशत और भारतीय पोस्टल आर्डर पर 86 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वर्ष 1995-96 में विभाग को 643.61 करोड़ रुपये का घाटा हुआ जिसमें स्थापना पर हुआ खर्च कुल खर्च का लगभग 80 प्रतिशत था। पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से विभाग के खर्च पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और फलस्वरूप घाटे की राशि और अधिक बढ़ने की संभावना है।

स्थापना संबंधी खर्चों को नियंत्रित करने के लिए मितव्ययता के अन्य पारंपरिक उपायों के साथ-साथ कर्मचारियों की पुनः तैनाती की गई तथा इस्टैब्लिशमेंट को युक्तसंगत बनाया गया। तथापि, मैनुअल ऑपरेशन्स पर अत्यधिक निर्भरता और मैनपावर पर होने वाले बढ़ते हुए खर्च से विभाग का घाटा निरंतर बढ़ता जा रहा है। अतः बढ़ते हुए घाटे की कुछ हद तक प्रतिपूर्ति के लिए, यूनीवर्सल सर्विस के सिद्धांत को किसी भी रूप में क्षति पहुंचाए बिना चयनात्मक आधार पर डाक दर को युक्तिसंगत बनाने की अत्यधिक आवश्यकता है। मेरे माननीय साथी, वित्त मंत्री जी, यूनियन बजट पेश करते समय डाक दर में निश्चित परिवर्तनों की घोषणा करेंगे।

अपराह्न 3.54 बजे

अवैध आप्रवसन के बारे में संकल्प—जारी

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : सभापति महोदय, मैं दिनांक 13 दिसम्बर 1996 को श्री जगत वीर सिंह द्रोण द्वारा प्रस्तुत किये गए संकल्प पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं।

यदि हम इस संकल्प का अध्ययन करें तो यह लगता है कि ऐसे संकल्प को प्रस्तुत करने पर सिद्धान्ततः कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न यह है कि यह केवल इस देश में आए विदेशी नागरिकों की पहचान और उन्हें वापस भेजने का प्रश्न नहीं अपितु इसके पीछे कोई और उद्देश्य भी है और उस पर चर्चा की जानी चाहिए। यहां प्रश्न अवैध अप्रवासियों का है। यह विश्व-स्तरीय समस्या है। यह समस्या केवल भारत में ही नहीं है अपितु ऐसे बहुत से देश हैं जहां भारतीय अवैध रूप से प्रवेश कर गए हैं और वहां के सदस्य भी इसी प्रकार की चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं जैसी चिन्ता हम यहां व्यक्त कर रहे हैं। परन्तु साथ ही, एक बात को ठीक सन्दर्भ में समझा जाना चाहिए, कि एक समय बंगलादेश भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे। उस समय

भारत ही एक देश था। परन्तु राजनीतिक विभाजन के कारण वह एक भारत अब तीन देशों में बंट गया है। यही कारण है कि जातीय और सांस्कृतिक रूप से एक ही तरह के लोगों का निवास है और स्वाभाविक रूप से उनमें एक भाग से दूसरे भाग में सम्बन्धों के कारण आवागमन होता है। अतः इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें इन सब पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। अन्यथा एकपक्षीय चर्चा का कोई लाभ नहीं होगा। तब इस प्रश्न का समाधान सम्भव नहीं होगा।

मैं जानता हूं कि अतीत में क्या हुआ; मैं भी अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में बसा हुआ एक शरणार्थी हूं। मेरे कई और मित्र ऐसे हैं जो यहां आकर बस गए हैं; विभाजन के पश्चात् वे यहां आकर बस गए। हम सब एक ही देश के निवासी थे। हमारी नागरिकता एक ही थी। परन्तु देश के विभाजन के कारण हम विदेशी बन गए। अचानक विभाजन के पश्चात् देश का एक वर्ग विदेशी नागरिक कहलाने लगा।

महोदय, इसके साथ ही उस समय भारत सरकार ने अपनी एक वचनबद्धता भी जाहिर की थी कि सरकार देश में आने वाले अल्पसंख्यकों की जिन्दगी और सम्पत्ति की रक्षा करेगी। जो किया जाना चाहिए था, दुर्भाग्यवश वहीं नहीं किया गया। आज लाखों लोग जो इस देश में आ गए वे सरकार से कोई सुविधा प्राप्त किए बगैर ही घूम रहे हैं। मैंने देखा है पीलीभीत, नैनीताल और बिजनौर में क्या हो रहा है। लोग मेरे पास आकर मुझे अपनी समस्याएं बता रहे हैं। वे लोग पिछले 20, 25, 30 अथवा 35 वर्षों से यहां पर रह रहे हैं। फिर भी उन्हें 'विदेशी' कहा जाता है। इस संकल्प के अनुसार समयावधि '1975 से' बताई गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसे वास्तव में अपनाया जाता है। जब भी राजनीति से प्रेरित कोई काम होता है, जब उसका भाषा आधार बनाया जाता है उदाहरणार्थ किसी के बंगाली में बोलने पर उसे विदेशी करार दे दिया जाता है। सिद्धान्ततः इस बात में कोई दो राय नहीं कि यदि कोई विदेशी हैं तो उनकी पहचान करके उन्हें देश से बाहर कर दिया जाए। इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती परन्तु इसे कार्य रूप देते समय कुछ राजनीतिक उद्देश्य भी होते हैं। उस समय इसका दुरूपयोग होता है। पहले भी इसका दुरूपयोग हुआ था।

बार-बार सदन में यह प्रश्न उठाया गया है कि आंकड़े कैसे दिये जाते हैं। जिस सदस्य ने अभी-अभी अपना वक्तव्य दिया उन्होंने सही कहा कि यहां तो लाखों में आकड़े दिए जाते हैं और वास्तव में वो आंकड़े दिखाई नहीं देते। वे केवल इन आकड़ों का उल्लेख कर देते हैं। इसका कारण केवल एक ही है; और वह यह है कि देश को यह दिखाकर किस प्रकार गुमराह किया जाए कि स्थिति कितनी विस्फोटक है और सरकार इस बारे में बिल्कुल चिन्ता नहीं करती। शायद इसके पीछे यही उद्देश्य है।

दूसरे जिस महत्वपूर्ण मुद्दे की मैं चर्चा करना चाहता हूं वह 'नागरिकता' का मुद्दा है।

सभापति महोदय : श्री मनोरंजन भक्त, आप इसकी चर्चा अगली बार करना। आप अगली बार बोल सकते हैं।

तत्पश्चात् सभा अपराह्न 5.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 5.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 5.01 बजे

लोक सभा अपराह्न 5.01 बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

सामान्य बजट, 1997-98

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री महोदय।

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : महोदय,

मैं वर्ष 1997-98 का बजट प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूं।

प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा की अध्यक्षता में सरकार ने आज 9 महीने पूरे कर लिए हैं। जब मैं 22 जुलाई, 1996 को इस सदन के समक्ष उपस्थित हुआ था तब सदन ने मेरे प्रस्तावों पर विस्मय, उत्सुकता तथा संशय की मिली-जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। आखिरकार, मैं केन्द्र में सच्चे अर्थ में पहली मिली-जुली सरकार का वित्त मंत्री था। मैं एक ऐसी स्वीकृत क्षेत्रीय पार्टी का पहला वित्त मंत्री भी था जिसका अपना राष्ट्रीय दृष्टिकोण है।

माननीय सदस्य कुछ समय के लिए मेरा साथ दें ताकि मैं कुछ क्षणों तक मई 1996 के उन महत्वपूर्ण दिनों पर प्रकाश डाल सकूं। एक राष्ट्रीय पार्टी ने यह मान लिया था कि उसने सरकार बनाने का अपना दावा खो दिया है। दूसरी पार्टी ने इसके लिए कोशिश की लेकिन वह भी विफल रही। इसी स्थिति में अपेक्षाकृत व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य वाली कुछ पार्टियों और क्षेत्रीय पार्टियों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा सरकार का गठन किया। इन पार्टियों ने, जिन्हें पहले से ही नगण्य आधार वाला माना जाता था, यह दिखा दिया है कि अवसर मिलने पर वे केवल राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि केन्द्र में भी सरकार बना सकती हैं। एक वास्तविक सहकारी संघ को राज व्यवस्था के आदर्श से अनुप्राणित होकर मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रीय नीतियां बनाने के लिए पहले से कहीं अधिक बार अन्तर्राज्य परिषद् राष्ट्रीय विकास परिषद् तथा विशेष सम्मेलनों में भाग लिया। भारत की स्वतंत्रता के पचासवें वर्ष में संयुक्त मोर्चा द्वारा सरकार के गठन और राष्ट्रीय आम राय से निर्णय लेने के हमारे प्रयासों से भारतीय लोकतंत्र सुदृढ़ एवं मजबूत हुआ है।

[श्री पी॰ चिदम्बरम]

माननीय सदस्य यह देखेंगे कि मेरे पहले बजट और वर्तमान बजट में एक ठोस निरन्तरता कायम है। बजट का आधार न्यूनतम साझा कार्यक्रम है। पिछले आठ महीनों के अनुभव ने इस कार्यक्रम की प्रचुर क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर ध्यान आकर्षित करते हुए मेरे पहले बजट में सात मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया था। इन उद्देश्यों में संवृद्धि, बुनियादी न्यूनतम सेवाएं, रोजगार, वृहत आर्थिक स्थिरता, निवेश (विशेषकर आधारभूत संरचना में), मानव विकास तथा व्यवहार्य भुगतान संतुलन जैसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल थे। मेरा यह विश्वास है कि ये उद्देश्य आज भी उतने ही वैध है जितने कि वे आठ महीने पहले थे।

पिछली बार मैंने नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में चालीस से भी अधिक विशेष वायदे किए थे। मैंने ध्यानपूर्वक स्थिति का जायजा लिया है और माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने एक वायदे को छोड़कर इन सभी वायदों को पूरा किया है, जिनका मैं इस समय जिक्र करूंगा। अधिक महत्वपूर्ण वायदों को ध्यान में रखकर मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमने

* सात बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए राज्यों को 2466 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की;
* ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आर॰आई॰ डी॰एफ॰)-II के लिए 2500 करोड़ रुपए की वित्त व्यवस्था की;
* विदेशी इक्विटी निवेश के लिए स्वतः अनुमोदन के पात्र उद्योगों की सूची का विस्तार किया;
* विनिवेश आयोग और टैरिफ आयोग की स्थापना की;
* जीवन सुरक्षा तथा जन आरोग्य बीमा योजनाएं शुरू कीं; और
* त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम प्रारंभ किया।

जिस वचन को मैं पूरा नहीं कर पाया हूं वह है व्यय प्रबंध और सुधार आयोग की स्थापना करना। मैं इसमें इसलिए विफल रहा कि मुझे जिस 'क' टीम का सहयोगी चाहिए था उसके स्थान पर मुझे 'ख' टीम का सहयोग मिला जिससे मैं संतुष्ट नहीं था। 'क' टीम के प्रमुख सदस्य इस सदन में और राज्य सभा में मौजूद हैं और वे अभी भी मुझसे बच रहे हैं। मेरा प्रयास जारी रहेगा। मैंने बजट के अन्दर व्यय को नियंत्रित रखने के अपने संकल्प को नहीं छोड़ा है और मैंने इसमें पर्याप्त सफलता प्राप्त की है।

कुछ दिन पहले संसद में *आर्थिक सर्वेक्षण*, 1996-97 प्रस्तुत किया गया था। इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति का विस्तृत एवं संतुलित लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः अभी भी बहुत कुछ किया जाना है लेकिन ऐसा भी बहुत कुछ है जिस पर गर्व किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था की असाधारण विशेषता यह है कि सकल घरेलू उत्पाद में पिछले तीन वर्षों के दौरान 7 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हो रही है। मैं उन किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों तथा सेवा-कर्ताओं का अभिवादन करता हूं जिन्होंने इसे संभव बनाया है।

1996-97 में हमारे आर्थिक निष्पादन की सुस्पष्ट विशेषताओं में ये शामिल हैं :—

* 6.8 प्रतिशत पर सतत उच्च आर्थिक वृद्धि;
* 1995-96 में 0.1 प्रतिशत की निराशाजनक कमी के उपरान्त कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि का 3.7 प्रतिशत तक पर्याप्त सुधार;
* खाद्यान्न उत्पादन में 191 मिलियन टन तक की तीव्र वृद्धि;
* विनिर्माण क्षेत्र की 10.6 प्रतिशत पर वृद्धि; और
* कल 27 फरवरी, 1997 की स्थिति के अनुसार हमारे विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में 17.0 बिलियन अमरीकी डालर से 19.5 बिलियन अमरीकी डालर का पर्याप्त संचय।

यदि मैं कमजोर क्षेत्रों के बारे में न बताऊं तो मैं न तो अपने प्रति और न ही देश के प्रति खरा उतरूंगा। गंभीर चिन्ता के दो क्षेत्र हैं, देशी कच्चे तेल के उत्पादन में तीव्र कमी तथा विद्युत क्षेत्र का मन्द निष्पादन। चिन्ता के अन्य विषयों में निर्यातों की वृद्धि में कमी, मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि तथा अव्यवस्थित पूंजी बाजार शामिल हैं। सरकार ने पिछले तीन महीनों में कुछ दूरगामी पहल शुरू करके इन चिन्ताओं पर ध्यान दिया है। मैंने इस बजट में भी इसके लिए नए प्रस्ताव रखे हैं।

वृहत आर्थिक प्रबंध में अनिवार्यतः विभिन्न उद्देश्यों तथा धारणाओं के मध्य संतुलन कायम करना होता है। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, 1995-96 में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि तेजी से घटकर 13.2 प्रतिशत हो गई थी। हालांकि इससे मुद्रास्फीति को रोकने में मदद मिली, लेकिन इस कारण वास्तविक ब्याज दरों में वृद्धि, नकदी की उपलब्धता में व्यापक कमी तथा निवेश प्रस्तावों में भी कमी हुई। जून 1996 से, सुधारात्मक कार्रवाई की गई है जिससे मुद्रा की उपलब्धता सुलभ हो गई है तथा ब्याज दरों में गिरावट आई है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में लंबी अवधि से नहीं की गई वृद्धि और पिछले मौसम में मुख्यतया गेहूं के अपेक्षाकृत कम उत्पादन तथा कम खरीद में कारण उत्पन्न होने वाली आपूर्ति की समस्याओं से कीमत स्तर पर दबाव पड़ा है। सरकार ने कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई उपाय किए हैं। खरीफ के मौसम में धान का उत्पादन और खरीद संतोषजनक रहे हैं और हमारे पास चावल का पर्याप्त भंडार हैं। रबी के गेहूं की फसल भी काफी आशाजनक है और अधिक से अधिक खरीद के लिए उपाय किए जाएंगे। इसके साथ ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि यदि आवश्यकता हुई तो कीमतों पर पड़ने वाले दबाव का मुकाबला करने के लिए सरकार गेहूं तथा

अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं का आयात करने से नहीं हिचकिचाएगी। कीमतों में स्थिरता बनाए रखना इस सरकार की कार्यसूची में सर्वोपरि है।

आपर्ति के लिए प्रबंध के अलावा हमें ऐसी विवेकपूर्ण राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियां अपनानी हैं जो कीमतों में स्थिरता लाएंगी। वर्ष 1997-98 के लिए, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक राजकोषीय घाटे में और कमी लाने, मुद्रा आपूर्ति की वद्धि को 16 प्रतिशत के भीतर नियंत्रित रखने तथा अत्यावश्यक वस्तुओं के लिए उदार आयात नीति अपनाने की दिशा में मिलकर काम करेंगे। हमारा लक्ष्य मुद्रास्फीतिकारी संभावनाओं को समाप्त करना और मुद्रास्फीति की दर को मौजूदा स्तर से कम करना है।

निर्धनता के विरुद्ध हमारा संघर्ष जनाधिकारवाद का कोई खेल नहीं है। यह निचले स्तर का युद्ध है। मैं विश्वास करता हूं कि यह ऐसा युद्ध है जिसमें हम सभी को निर्धनों के पक्ष में रहना होगा। वे लोग निर्धन हैं, जिनके पास भूमि अथवा जल या शिक्षा अथवा अवसर नहीं होते हैं। इसलिए हमारा कार्यक्रम निर्धनों की परेशानियों और कठिनाइयों से संबंधित हैं।

* प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्यक्रम मूल न्यूनतम सेवा योजना है। चालू वर्ष के 2466 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में, 1997-98 के लिए मैं इस कार्यक्रम के लिए 3300 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने का प्रस्ताव रखता हूं। इस राशि में से 330 करोड़ रुपए गंदी बस्तियों के विकास के लिए होगा।

* त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए प्रावधान की राशि 900 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1997-98 में 1300 करोड़ रुपए की जा रही है।

* गंगा कल्याण योजना का उद्देश्य किसानों की सहायता करना है जिसमें वे आर्थिक सहायता, रख-रखाव सहायता तथा ऋण संबंधी व्यवस्था के माध्यम से भूमिगत जल और भूतल जल के लिए योजनाएं शुरु कर सकें। इसके लिए, 1997-98 में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा जा रहा है।

* जिन जिलों में विशेष रूप से महिला साक्षरता दर बहुत कम है, उन क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना हेतु, प्रधानमंत्री 15 अगस्त, 1997 को कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना नामक कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे। इसके लिए मैंने शिक्षा विभाग के लिए 1997-98 के लिए 250 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं।

* प्रधान मंत्री रोजगार योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, नेहरु रोजगार योजना जैसी विभिन्न लक्ष्यों वाली स्व-रोजगार संबंधी सभी मौजूदा स्कीमों को पुनः युक्तिसंगत बनाया जाएगा जिससे एक मिलियन युवाओं के लिए कुशलता-आधारित प्रशिक्षण, उद्यम विकास तथा आर्थिक सहायता संबंधी बैंक ऋणों की व्यवस्था की जा सके ताकि वे लघु व्यापार आरंभ कर सकें।

हमारी सरकार का यह विश्वास है कि निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम महत्वपूर्ण साधन है। इन कार्यक्रमों के लिए अधिक परिव्यय की व्यवस्था करते हुए उनकी संख्या को युक्तियुक्त बनाना तथा उन्हें अधिक केन्द्रित तथा कारगर बनाना आवश्यक है। अब योजना आयोग एक व्यापक कार्य में लगा हुआ है तथा निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का संशोधित पोर्टफोलियो 1 अप्रैल, 1997 से कार्यान्वित किया जाएगा।

कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की प्राण शक्ति है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लिए पांच वर्षों के भीतर कृषि-उद्योगों को मिलने वाला ऋण प्रवाह दुगुना करना आवश्यक है। वर्ष 1996-97, जो इस सरकार का पहला वर्ष है, में अनुमान है कि कृषि को मिलने वाला ऋण प्रवाह लगभग 22,000 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 28,600 करोड़ रुपए हो जाएगा जो कि 6,600 करोड़ रुपए की अभूतपूर्व वृद्धि को दर्शाता है।

माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आर॰आई॰डी॰एफ॰) लोकप्रिय और सफल सिद्ध हुई है। आर॰आई॰डी॰एफ॰-I के अन्तर्गत 4,530 परियोजनाओं के लिए 2,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। मार्च 1997 तक लगभग 1400 करोड़ रुपए की राशि का संवितरण किया जाएगा। आर॰आई॰डी॰एफ॰-II के अन्तर्गत 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की 8387 परियोजनाओं को मंजूर किया गया है। आर॰आई॰डी॰एफ॰-III 1997-98 में शुरू की जाएगी तथा इसके लिए 2,500 करोड़ रुपए और उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्यों से मेरा अनुरोध है कि वे इन निधियों का सर्वोत्तम उपयोग करते रहें।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर॰आर॰बी॰) के पुनः पूंजीकरण की नीति अगले वर्ष जारी रहेगी। इस प्रयोजन हेतु मैं 270 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूं। मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्वामित्व और प्रबंध में बैंकों को प्रायोजित करने में अधिक भूमिका अदा करने की अनुमति देने का भी इरादा रखता हूं।

नाबार्ड को और सुदृढ़ किया जा रहा है। नाबार्ड को चालू वर्ष में अतिरिक्त अग्रिम शेयर पूंजी के रूप में 500 करोड़ रुपए-100 करोड़ रुपए सरकार द्वारा तथा 400 करोड़ रुपए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा-दिए गए हैं। वर्ष 1997-98 में इसी तरह के आवंटन द्वारा शेयर पूंजी में वृद्धि की जाएगी। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जैसा मैंने पिछले वर्ष वचन दिया था, 'नाबार्ड' ने इस महीने संयुक्त उपक्रमों के रूप में तीन राज्यों में राज्य-स्तरीय कृषि विकास वित्त संस्थाओं को प्रवर्तित और समामेलित किया है। अगले वर्ष और संस्थाओं को समामेलित किया जाएगा।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह कहा गया था कि कृषि उत्पादों पर सभी नियंत्रणों की समीक्षा की जाएगी और जहां आवश्यक पाया जाएगा, उन्हें हटा दिया जाएगा। केन्द्र सरकार के केवल कुछ ही

[श्री पी॰ चिदम्बरम]

विनियम हैं तथा कुछ को समाप्त करने की शुरुआत की जा रही है। धान-कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 तथा गिन्निंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्रीज एक्ट, 1925 को निरस्त कर दिया जाएगा। शीतागार आदेश, 1964 के अन्तर्गत लाइसेंस देना, मूल्य नियंत्रण और मांग को समाप्त कर दिया जाएगा। खाद्य तेल तथा खाद्य तेल बीज भंडारण नियंत्रण आदेश, 1977 तथा कपास नियंत्रण आदेश, 1986 का आश्रय केवल सुस्पष्ट आपात-स्थितियों में ही लिया जाएगा। बिनौला निकाले हुए तथा गांठदार कपास, गांठदार कच्चे पटसन तथा पटसन की वस्तुओं के संबंध में देशी भावी सौदे फिर से शुरु किए जाएंगे। एक अन्तर्राष्ट्रीय अरंडी तेल भावी सौदा एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वे आगे आएं और जितना संभव हो उतने नियंत्रणों को हटा लें।

जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित है, सरकार ने हाल ही में लघु उद्योगों (एस॰एस॰आई॰) के संयंत्र और मशीनरी के लिए निवेश की उच्चतम सीमा बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए तथा छोटी-छोटी इकाइयों के लिए 25 लाख रुपए कर दी है। अब प्रवर्धित लघु उद्योग (एस॰एस॰आई॰) क्षेत्र के सभी खंडों के लिए ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अनुदेश जारी कर रहा है कि लघु उद्योग (एस॰एस॰आई॰) क्षेत्र के लिए सामान्यतया उपलब्ध निधियों में से 40 प्रतिशत संयंत्र और मशीनरी में 5 लाख रुपए तक निवेश करने वाली इकाइयों के लिए, 20 प्रतिशत 5 लाख रुपए और 25 लाख रुपए के बीच ऋण निवेश करने वाली इकाइयों के लिए तथा शेष 40 प्रतिशत अन्य लघु उद्योग इकाइयों के लिए आरक्षित रहेगा।

सरकार ने हाल ही में यह भी घोषणा की है कि वह लघु उद्योग क्षेत्र के बारे में आबिद हुसैन समिति की अन्य सिफारिशों की ध्यानपूर्वक जांच करेगी। कृषि वस्तुओं में अपशिष्ट को कम करने, गुणवत्ता और स्वास्थ्य सुधार करने तथा निर्यातों का संवर्धन करने की दृष्टि से, आरक्षण और अनारक्षण संबंधी सलाहकार समिति ने यह सिफारिश की है कि इस समय लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षित 14 मदों को अनारक्षित कर दिया जाए। तब भी लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए 822 मदें आरक्षित रहेंगी। सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। अनारक्षित मदों में धान कुटाई, दाल कुटाई, कुक्कुट पोषण, सिरका, सिंथेटिक सिरप, बिस्कुट, आइसक्रीम, कई प्रकार के आटोमोबाइल पुर्जे तथा लहरियादार कागज तथा गत्ते शामिल हैं। आशा है कि इन व्यवसायों में नए निवेश और उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रवाह होगा।

देश की आवास-व्यवस्था को बढ़ाने में नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 बाधक है। सरकार संसद के इस सत्र में अधिनियम को संशोधित करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करना चाहती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों हेतु गृह निर्माण करने के लिए इन्दिरा आवास योजना शुरु की गई थी। आवास वित्त कंपनियां ऋण उपलब्ध कराती हैं लेकिन ऐसे ऋण का अधिकतर भाग शहरी तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों को प्राप्त होता है। कुछ ग्रामीण आवास ऋण कार्यक्रम हैं लेकिन वे 10,000 रुपए तक की अल्प राशि का ही ऋण देते हैं। ऐसे किसान के लिए ऋण का वस्तुतः कोई स्रोत नहीं है जो अपनी पूर्ण-स्वामित्व वाली भूमि पर एक साधारण मकान बनाना या अपने पुराने निवास में सुधार करना या वृद्धि करना चाहता है। इस अन्तर को अवश्य ही पूरा किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आवास बैंक (एन॰एच॰बी॰) और अन्य बैंकों के साथ परामर्श करके, मैंने एक योजना तैयार की है। ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए तक के ऋण सामान्य ब्याज दरों पर दिए जाएंगे बशर्ते कि उधारकर्ता मकान की एक तिहाई कीमत की व्यवस्था करें। एन॰एच॰बी॰ से ऐसी योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया है जिसमें अन्य संगठनों की भी भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री इस योजना को 15 अगस्त, 1997 को शुरु करेंगे और हमारा लक्ष्य पहले वर्ष में 50,000 ऋण स्वीकृत करने का है।

केन्द्रीय कर्मचारी भविष्य निधि मंडल (ई॰पी॰एफ॰) ने कर्मचारी भविष्य निधि स्कीमों को वित्तीय रूप से अधिक आकर्षक बनाने के लिए विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। सरकार ने भी बचतों को बढ़ावा देने की दृष्टि से इस मामले की जांच की है। निम्नलिखित निर्णयों की घोषणा करते हुए मुझे खुशी है :-

* उद्योगों तथा स्थापनाओं में नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए 1 मार्च, 1997 से अंशदान की दर 8.33 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी जाएगी।

* अनुसूचित उद्योगों में जहां अंशदान की दर इस समय 10 प्रतिशत है, नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए यह दर 12 प्रतिशत करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।

* विशेष जमा योजना (एस॰डी॰एस॰) में 20 प्रतिशत वृद्धिकारी भविष्य निधि राशि रखने की अपेक्षा को पहली अप्रैल, 1997 से वापस ले लिया जाएगा और न्यासी मंडल निधियों के इस भाग का अन्य तीन किस्मों की अनुमत्य प्रतिभूतियों में से किसी एक में निवेश करने के लिए स्वतंत्र होगा।

1995 में, केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय उपदान की राशि के बारे में अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी थी। अब मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि यह लाभ उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अधीन शामिल सभी कर्मचारियों को भी दिया जाएगा जिसमें इस प्रयोजन हेतु संशोधन किया जाएगा।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम ने यह वचन दिया था कि "संयुक्त मोर्चा सरकार उन सरकारी क्षेत्र की कंपनियों, जिनकी तुलनीय रूप से श्रेष्ठता होगी, का पता लगाएगी और सार्वभौमिक रूप से महान बनने के

अभियान में उनकी सहायता करेगी।" प्रारंभ में नौ अच्छे निष्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों-नवरत्नों का पता लगाया गया है। ये हैं-आई॰ओ॰सी॰, ओ॰एन॰जी॰सी॰, एच॰पी॰सी॰एल॰, आई॰पी॰सी॰एल॰, वी॰एस॰एन॰एल॰, बी॰एच॰ई॰एल॰, एस॰ए॰आई॰एल॰ और एन॰टी॰पी॰सी॰। उद्योग मंत्री शीघ्र ही उपायों का एक पैकेज घोषित करेंगे जिससे उन्हें इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। वह सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के लिए प्रबंधकीय और वाणिज्यिक स्वायत्तता के संबंध में एक पूर्ण वक्तव्य भी देंगे।

इस बीच सरकार ने लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों के बोर्ड को अधिक मौद्रिक शक्तियां प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया है। इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए पूंजी व्यय, जिसे सरकार की पूर्व अनुमति के बिना खर्च किया जा सकता है, की मौजूदा सीमा को सीधा दुगुना किया जा रहा है तथा जहां सकल राशि 500 करोड़ रुपए से अधिक है, वहां यह सीमा 100 करोड़ रुपए होगी।

विनिवेश आयोग की स्थापना अगस्त, 1996 में की गई थी और सुझाव प्रदान करने के लिए आयोग के पास 40 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले भेजे गए थे। आयोग ने अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसने तीन कंपनियों के संबंध में विशिष्ट सिफारिशें की हैं। हम आयोग द्वारा सुझाव दिए गए अनुसार इन कंपनियों में विनिवेश जारी रखना चाहते हैं। जबकि आयोग प्रत्येक महीने और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के दूसरे समूह का मामला आयोग को भेजा गया है। जैसा कि आयोग ने अवलोकन किया है "दीर्घावधिक विनिवेश कार्यनीति का सार न केवल बजटीय प्राप्तियों में वृद्धि करना बल्कि अलाभकारी इकाइयों को उनकी दीर्घावधिक व्यवहार्यता और उनमें रोजगार के सतत बने रहने वाले स्तरों को सुनिश्चित करते हुए बजटीय सहायता को कम करना भी होना चाहिए।" सरकार इस दृष्टिकोण से सहमत है और मैं माननीय सदस्यों से विनिवेश के प्रति सकारात्मक रुख अपनाने की अपील करूंगा।

पेट्रोलियम उत्पादों के लिए देश की मांग 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, जो घरेलू आपूर्ति की वृद्धि की अपेक्षा अधिक तीव्र है। हम इस वृद्धि को रोक नहीं सकते। साथ ही, हमें आयातित पेट्रोलियम उत्पादों पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। आपूर्ति बढ़ाने का कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। भारत में 26 बेसिनों में से मात्र 6, जिनमें तेल और गैस की संभावना है, का पता लगाया गय है और वह भी आंशिक रूप से। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री शीघ्र ही नई अन्वेषण लाइसेंसीकरण नीति (एनईएलपी) पर एक विस्तृत बयान देंगे। इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

* तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड सहित कंपनियों को नई अन्वेषण लाइसेंसीकरण नीति (एनईएलपी) के अधीन की गई नई खोजों के लिए तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत अदा की जाएगी;
* विशिष्ट दरों की मौजूदा प्रणाली की बजाय मूल्यानुसार आधार पर रायल्टी भुगतान निर्धारित किया जाएगा;
* गहरे जल में अन्वेषण के लिए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के बाद प्रथम सात वर्षों के लिए अपतटीय क्षेत्रों हेतु लागू दर के आधे पर रायल्टी का भुगतान प्रभार्य होगा;
* घरेलू बाजार में कच्चे तेल तथा गैस के विपणन की स्वतंत्रता;
* उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में खण्डों के लिए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के बाद सात वर्षों के लिए करावकाश;
* नई अन्वेषण लाइसेंसीकरण नीति के अधीन पूंजीगत सामग्रियों के आयात पर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड के निजी उत्पादन भागीदारी संविदाओं के समान ही शुल्क रियायतें प्राप्त होंगी;
* नए अन्वेषण खण्डों के लिए तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 के अधीन लगाए गए उपकर को समाप्त किया जाएगा;
* नए निवेशों को सुविधाजनक बनाने के लिए अन्य देशों के समान ही एक पृथक पेट्रोलियम कर-संहिता बनाई जाएगी।

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि भारतीय तथा विदेशी कंपनियों की प्रतिक्रिया उपायों के इस पैकेज के प्रति सकारात्मक होगी।

यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त घरेलू शोधन क्षमता सृजित की जा सके, मैं नौवीं योजनावधि के दौरान पूंजीगत सामग्रियों का आयात करने वाली शोधनशालाओं को उर्वरक क्षेत्र के समान ही रियायती शुल्क की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं। घरेलू पूंजीगत सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को भी निर्यात का मान्य स्तर प्राप्त होगा।

आधारभूत संरचना विकास वित्त कंपनी संस्थापित की गई है। आयकर अधिनियम की धारा 80 झक कतिपय आधारभूत संरचना परियोजनाओं को पांच वर्ष का करावकाश प्रदान करती है। पिछले महीने मैंने घोषणा की थी कि दूरसंचार को आधारभूत संरचना की योग्यता प्राप्त होगी। मैं अब तेल-अन्वेषण और औद्योगिक पार्क को इस श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं।

मुझे यह घोषणा करते हुए भी प्रसन्नता है कि दूरसंचार लाइसेंसों की समनुदेशीयता के परेशान करने वाले प्रश्न को हल कर लिया गया है और दूरसंचार विभाग, ऋणदाता तथा लाइसेंसधारी के बीच एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किया जाना प्रस्तावित है।

वाणिज्य मंत्री के रूप में, मैंने निर्यात-आयात नीति में यह प्रस्ताव किया था कि तेल, गैस और विद्युत परियोजनाओं को सामग्रियों की आपूर्ति, अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली की कार्यविधि के अंतर्गत

[श्री पी॰ चिदम्बरम]

की जाती है तो उन्हें 'मान्य निर्यातों' का लाभ दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री के रूप में इस पूरे प्रस्ताव को स्वीकार करने में मुझे प्रसन्नता हो रही है। इससे संबंधित ब्यौरे अलग से अधिसूचित किए जा रहे हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन॰एच॰ए॰आई॰) अब सड़कों और राजमार्गों संबंधी नई नीति को कार्यान्वित करने के लिए तैयार है। मैं एन॰एच॰ए॰आई॰ के लिए बजट सहायता बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं जो कि चालू वर्ष की 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था से काफी अधिक है।

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) भारत में अपना अत्यधिक विश्वास बनाए हुए हैं। भारत में अब विदेशी संस्थागत निवेशकों का निवल निवेश 7 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक है। इस वर्ष के दौरान मैंने ऐसे निवेशों के लिए अवसरों का विस्तार किया है। मैं भारतीय कंपनियों के अनुरोध पर एक और उपाय करने का प्रस्ताव करता हूं। विदेशी संस्थागत निवेशकों, अनिवासी भारतीयों तथा अनिवासी भारतीय-विदेशी कंपनी निकायों द्वारा किसी कंपनी में कुल निवेशों की सीमा अभी 24 प्रतिशत है। मैं कंपनियां को इस सीमा को इस शर्त के अधीन कि कंपनी का निदेशक मंडल सीमा अनुमोदित करता है और कंपनी की आम सभा इसके लिए एक विशेष संकल्प पारित करती है, बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं।

नए उपक्रमों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उपक्रम पूंजी निधियां महत्वपूर्ण साधन हैं। मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धातों के अधीन ये निधियां किसी एक कंपनी की इक्विटी में अपनी संग्रहित राशि का 5 प्रतिशत तक निवेश कर सकती हैं। यह अनुचित रूप से प्रतिबंधात्मक है। इस सीमा को बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है।

20 मिलियन से भी अधिक भारतीयों ने अपनी बचतों का पूंजी बाजार में निवेश किया है। प्रथम निक्षेपागार की स्थापना भारतीय पूंजी बाजार को विश्व स्तर तक लाने और निवेशकों के हितों का संरक्षण करने के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम था। "सेबी" से और उपायों का सुझाव देने के लिए कहा गया था। नया कंपनी विधेयक बनाने के लिए मेरे द्वारा नियुक्त समिति ने भी मूल्यवान सुझाव दिए हैं। इन सुझावों पर विचार करने के बाद, मैं पांच सिफारिशों को स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूं :

* कतिपय शर्तों के अधीन कंपनियों द्वारा शेयरों की पुनः खरीद का सिद्धांत कंपनी अधिनियम में शामिल किया जाएगा।

* कंपनी अधिनियम की धारा 370 और 372 के उपबंधों को मिला दिया जाएगा और अन्तः निगमित निवेश तथा ऋणों के लिए 60 प्रतिशत की समग्र सीमा रखी जाएगी;

* प्रतिभूतियों के धारकों के लिए नामांकन सुविधा प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम को संशोधित किया जाएगा;

* पूंजी बाजार से निधियां जुटाने वाली कंपनियों को ऐसी निधियों के अंत-प्रयोग को प्रकट करते हुए एक वार्षिक विवरण देना होगा; और

* पूंजी अभिलाभों पर कर लगे बिना, जिससे छूट दी जाएगी, स्टाक दलालों को उनके व्यापारों को निगमीकृत करने की एक-बार अनुमति दी जाएगी।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर आर्थिक वृद्धि सुदृढ़ बनी रहे, राजकोषीय घाटा कम किया जाए, ब्याज दरें गिर जाएं और निवेशकों को पुनः आश्वस्त किया जाए कि उनके हित सुरक्षित हैं तो बाजारों की उन्नति होगी।

शेष विश्व के साथ व्यापार और निवेश के अधिक संयोजन के साथ चूंकि हम अधिक मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं इसलिए विदेशी मुद्रा लेन-देनों को शासित करने वाले विनियमों को भी आधुनिकीकृत करने की आवश्यकता है। साधारणतया यह माना जाता है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 को पूर्ण चालू खाता परिवर्तनीयता और पूंजी खाता लेन-देनों को प्रगामी तौर पर उदारीकृत बनाने के हमारे उद्देश्यों के संगत एक नए कानून द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा इस वर्ष के उत्तरार्ध में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम नामक एक विधेयक लाने का प्रस्ताव है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त दल द्वारा शीघ्र ही इस विधेयक का प्रारूपण पूरा कर लेने की आशा है।

जबकि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम प्रतिस्थापित किया जा रहा है, हम गलत तरीके से प्राप्त धन के वैधीकरण को रोकने के अपने प्रयासों में ढील नहीं देंगे। काले धन को वैध बनाने से निपटने के लिए एक विधेयक तैयार किया जा रहा है और मेरा इसे संसद के इसी सत्र में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

कुछ दिनों पूर्व मैंने पूंजी खाता परिवर्तनीयता का हवाला दिया था। हमें अपने विदेशी मुद्रा अर्जकों पर गर्व है। उन्हें निर्यात अर्जक विदेशी मुद्रा (ई॰ई॰एफ॰सी॰) खाते की सुविधा दी गई है। इस समय, इन खातों में कुल राशि 2000 करोड़ रुपए है। मैं निम्नलिखित सुविधाओं की अनुमति देते हुए खाते की व्यापकता में विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूं :

* विदेशों में कार्यालय खोलकर और उनके व्यय की पूर्ति करना और

* भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किए बिना समुद्रपारीय संयुक्त उपक्रम खाते में बाकी शेष राशि से 15 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा तक निवेश करना।

मेरा यह भी विश्वास है कि पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लिए प्रारंभिक कार्य करने का समय आ गया है। यह एक अभिष्ट लक्ष्य

पूंजीगत प्राप्तियों के क्षेत्र में, बाजार उधार 34,425 करोड़ रुपए रखे गये हैं। निवल विदेशी सहायता 2435 करोड़ रुपए होगी। मैं सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी के विनिवेश से प्राप्तियों के लिए भी 4800 करोड़ रुपए ऋण ले रहा हूं। कराधान की मौजूदा दरों पर कुल प्राप्तियां 231,876 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

मैं अपने भाषण के भाग "ख" में सकल राजकोषीय घाटों की चर्चा करूंगा।

मुझे अपने कर प्रस्तावों के भूमिका-स्वरूप यह कहने दीजिए कि मैंने केन्द्रीय सरकार के निवल कर राजस्वों को 15-16 प्रतिशत के अच्छे स्तर तक बढ़ाने का अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा प्रस्तावित उपायों के माध्यम से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।

अब मैं अपने प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों पर आता हूं।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम यह पुष्टि करता है कि "संयुक्त मोर्चा सरकार कर सुधारों को जारी रखेगी तथा सरकार को वैध तरीके से मिलने वाले राजस्वों को बढ़ाने तथा कर अपवंचन को नियंत्रित करने के लिए अन्य उपाय करेगी।" मुझे विश्वास है कि एक अच्छी कर नीति का उद्देश्य संतुलित दर, व्यापक कर आधार, अपेक्षाकृत सख्त प्रक्रियात्मक नियम तथा बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करना होना चाहिए। घरेलू और निगमित क्षेत्र हमारे सर्वोत्तम बचतकर्ता हैं, हमें उन्हें इसका पारितोषिक देना चाहिए। तथापि, एक अन्य दृष्टि से केन्द्र सरकार के लिए सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कर अनुपात, जो इस समय केवल लगभग 10.5 प्रतिशत है, में वृद्धि करना आवश्यक है ताकि सरकारी निवेश तथा सामाजिक क्षेत्र के व्यय की आवश्यकताओं की सम्पूर्ति की जा सके। इसके अतिरिक्त, सरकार के कुल कर राजस्वों में प्रत्यक्ष करों का अनुपात बढ़ना चाहिए।

यह नहीं कहा जा सकता कि 900 मिलियन से अधिक आबादी वाले देश में केवल 12 मिलियन लोगों पर ही आय-कर लगाया जाता है तथा यह और भी बुरी बात है कि केवल लगभग 12,000 कर-निर्धारिती ही 10 लाख रुपए से अधिक आय कर देने के दायरे में आते हैं। मैं आयकर अधिनियम की धारा 139 में संशोधन करके कर तंत्र को व्यापक बनाने की शुरूआत करना चाहता हूं। मेरा प्रस्ताव यह है कि बड़े महानगरों के निवासियों को जो निम्नलिखित किन्हीं दो आर्थिक मानदण्डों अर्थात् चार पहिए वाले वाहन का स्वामित्व, कतिपय निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाली अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण, टेलीफोन का स्वामित्व और पिछले वर्ष में विदेश यात्रा, को पूरा करते हैं, सामान्यतया कर-योग्य स्तरों के अन्तर्गत आना चाहिए तथा उन्हें स्वैच्छिक रूप से अपनी कर विवरणियां दाखिल करनी चाहिएं। मेरा उनसे निवेदन है कि वे हमारे इस प्रयास में सहयोग दें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है, तो आयकर विभाग उन्हें एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उनसे अपनी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा ताकि उनसे देय कर यदि हों तो उनकी वसूली की जा सके। जो लोग स्पष्टतया बेहतर स्थिति में रहते हैं उन्हें आयकर विभाग के अभिलेखों में अपना नाम पाकर संतुष्ट होना चाहिए।

इसी उद्देश्य से मैं फुटकर व्यापारियों के लिए एक नई अनुमानित आय योजना शुरू करने का प्रस्ताव भी करता हूं। यह योजना 40 लाख रुपए से कम की कुल बिक्री वाले किसी माल या पण्य-वस्तु के फुटकर व्यापार-व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों पर लागू होगी। वर्तमान छूट सीमा को देखते हुए 8 लाख रुपए से कम की कुल बिक्री वाले व्यापारी को यह छूट प्राप्त होगी। व्यापारी के आय का अनुमान कुल बिक्री के 5 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा। जो कर-निर्धारिती इस सीमा से कम आय दर्शाते हुए विवरणी प्रस्तुत करते हैं उन्हें लेखा-पुस्तिकाएं रखनी होंगी तथा अपने लेखों की लेखा-परीक्षा करानी होगी।

उपर्युक्त उपायों से धारा 115ट की आम तौर से 1400 रुपए योजना के रूप में प्रसिद्ध मौजूदा प्रकल्पित योजना, जिससे वांछित परिणाम नहीं मिले हैं, समाप्त की जा रही है।

सदस्यों को याद होगा कि मैंने पिछले बजट भाषण में पहले आय-स्तर के लिए आय कर की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दी थी। मुझे विश्वास है कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम था। यदि हम अन्य विकासशील एशियाई देशों के तुलनात्मक आयकर स्तरों की ओर देखें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारत में कर की दरें अभी भी ऊंची हैं और कर-अपवंचन का एक महत्वपूर्ण कारण बनती हैं। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि कराधान की संतुलित दरों से बचतों को प्रोत्साहन मिलता है, संवृद्धि होती है तथा स्वैच्छिक अनुपालन की प्रेरणा मिलती है। मुझे बहुत से माननीय सदस्यों का विवेकपूर्ण परामर्श भी प्राप्त हुआ है। इसलिए मैंने व्यक्तिगत आय कर की दरों में महत्वपूर्ण तरीके से सभी स्तरों पर कमी करने का निश्चय किया है। 15, 30 और 40 प्रतिशत की वर्तमान दरों को 10, 20 तथा 30 प्रतिशत की नई दरों से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। यह दर 40,000 रुपए से 60,000 रुपए के पहले स्तर पर 10 प्रतिशत, 60,000 रुपए से 150,000 रुपए के स्तर पर 20 प्रतिशत तथा 150,000 से ऊपर के सभी आय स्तरों के लिए 30 प्रतिशत होगी।

नई कर दरें इतनी संतुलित हैं कि छूट सीमा बढ़ाने का अब कोई औचित्य नहीं है। तथापि, वेतनभोगी व्यक्तियों को कुछ राहत मिलनी चाहिए। इसलिए मैं मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर 20,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं जो कि अब से सभी वेतनभोगी करदाताओं पर समान रूप से लागू होगी। 75,000 रुपए वार्षिक वेतन लेने वाले तथा भविष्य निधि में उसके 10 प्रतिशत का अंशदान करने वाले कर्मचारी को अब कोई कर नहीं देना होगा।

अपराह्न 6.00 बजे

राष्ट्रीय विकास परिषद की पिछली बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि सरकार को 'काला धन' को उत्पादक प्रयोजनों के काम में लाने की योजना पर विचार करना चाहिए। मैंने आर्थिक और नैतिक दलीलों की तुलना की है। मैंने विभिन्न विकल्पों पर विचार किया है और मेरा विश्वास है कि यह समय एक स्वैच्छिक अनुपालन योजना शुरू करने

[श्री पी॰ चिदम्बरम]

के लिए उपयुक्त है। यह एक साधारण योजना होगी जिसके अन्तर्गत निधियों के स्रोत के वर्ष अथवा स्वरूप पर ध्यान दिए बिना या तो नकद, प्रतिभूतियों या परिसम्पत्तियों चाहे भारत में धारित हों या विदेश में, के रूप में प्रकट की गई धनराशि कर के संशोधित उच्चतम दर से प्रभार्य होगी। ब्याज जुर्माने को माफ कर दिया जाएगा। आयकर, धन कर तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली कार्रवाई से छूट दी जाएगी। इस योजना के प्रारम्भ होने की तारीख अलग से अधिसूचित की जाएगी, लेकिन यह योजना 31 दिसम्बर, 1997 को समाप्त हो जाएगी। कुल संसाधनों में से, जिन्हें इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त किया जा सकता है, काफी हिस्सा-77.5 प्रतिशत-राज्य सरकारों को मिलेगा। मुझे आशा है कि वे लोगों को इस नए अवसर का लाभ उठाने के लिए आकर्षित करने हेतु हमारे प्रयास में सहयोग देंगे जो कि उन लोगों के लिए है जो विगत में वैध करों का भुगतान नहीं कर पाए हैं। केन्द्र सरकार को जो हिस्सा उपलब्ध होगा वह पूर्णतः बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम तथा आधारभूत संरचना वाली आवश्यकताओं के वित्तपोषण में लगेगा।

मैं हमारे वरिष्ठ नागरिकों को कुछ राहत देने का भी प्रस्ताव करता हूं। मैं उन्हें उपलब्ध छूट की दर को 10,000 रुपए की सीमा तक मौजूदा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रकार 1 लाख रुपए तक की आय वाले किसी वरिष्ठ नागरिक को कोई कर नहीं देना होगा। इससे अधिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी इस छूट सीमा का लाभ मिलेगा लेकिन उन पर 1 लाख रुपए के अधिकतम निर्धारित स्तर से ऊपर कर लगेगा।

मुख्य मंत्रियों की मांगों के जवाब में, मैं मुख्य मंत्री राहत कोष या उप-राज्यपाल की राहत निधि में किए गए दानों के संबंध में 100 प्रतिशत की कटौती की व्यवस्था करने के लिए आय कर अधिनियम की धारा 80छ में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं।

कंपनी कर की चर्चा करते हुए मैंने अपने पिछले बजट में अधिकार की दर 15 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दी थी और यह आशा व्यक्त की थी कि मैं अपने अगले बजट में भी ऐसा ही कदम उठाऊंगा। मैं कंपनियों पर शेष अधिभार समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

कंपनियों को नए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसलिए, मैं देशी और विदेशी दोनों कंपनियों पर लागू कर दर कम करने का प्रस्ताव करता हूं। यहां एक बार पुनः मुझे उचित परामर्श दिया गया। देशी कंपनियों के लिए दर अब 35 प्रतिशत और विदेशी कंपनियों के लिए 48 प्रतिशत होगी। बेहतर अनुपालन के अतिरिक्त कंपनी दरों में कमी से विकास प्रक्रिया में अधिक गति मिलना, संपूर्ण रूप से तीव्रकारी लाभदायक प्रभाव सृजित करना और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित होना चाहिए।

कंपनी क्षेत्र से यह भी मांग की गई है कि विदेशी कंपनियों की देय रायल्टी और तकनीकी सेवा फीस पर 30 प्रतिशत की दर बहुत अधिक है और प्रौद्योगिकी अंतरण में बाधा बनती है। इसलिए मैं इस दर को घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

मुझे अनिवासी भारतीयों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि उनके मामले में प्रतिभूतियों के अंतरण से होने वाली पूंजी अभिलाभ कर दर विदेशी संस्थागत निवेशकों के मामले में लागू दर के समान होनी चाहिए। मैं उनकी मांग को उचित समझता हूं और तदनुसार प्रस्ताव करता हूं कि इस दर को मौजूदा 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाए।

कंपनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट), जिसे पिछले वर्ष शुरू किया गया था, व्यापक बहस का विषय रहा है। उपबंधों के निरसन अथवा समीक्षा करने के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मुझे डर है कि न्यूनतम वैकल्पिक कर के लिए आर्थिक मूलाधार पूर्णतः परिवर्तित नहीं किए गए हैं और मैं इस अनुरोध को कि पिछले वर्ष लागू उपबंध पूर्णतः वापस ले लिए जाएं, स्वीकार करने में असमर्थ हूं। तथापि, वह तरीका, जिसमें कर प्रभार्य और संग्रहित होगा, समीक्षा का मामला बनता है। इसलिए मैं, न्यूनतम वैकल्पिक कर के उपबंधों में निम्नलिखित परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूं :—

(i) निर्यात लाभों की न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट होगी और यह धारा 80 जजग के अंतर्गत पूर्ण कटौती के पात्र होंगे।

(ii) न्यूनतम वैकल्पिक कर के भुगतान के संबंध में एक ऋण प्रणाली शुरू की जाएगी। जब कोई कंपनी न्यूनतम वैकल्पिक कर अदा करती है तो उसके द्वारा अर्जित कर ऋण उसे 5 निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए आगे ले जाने की अनुमति होगी उस निर्धारण वर्ष में जब नियमित कर देय हो जाता है, नियमित कर और न्यूनतम वैकल्पिक कर के अधीन परिकलित कर के बीच के अंतर को उपलब्ध न्यूनतम वैकल्पिक कर ऋण के एवज में समंजित किया जाएगा। इस प्रकार, कंपनी कर की प्रस्तावित नई दर पर शून्य कर कंपनियों सहित प्रत्येक कंपनी को अपने खाता लाभों पर कम से कम 10.5 प्रतिशत का आयकर अदा करना होगा।

कई वर्षों से जोरदार बहस का दूसरा क्षेत्र लाभांशों पर कर के विषय से संबंधित है। मैं इस बहस को समाप्त करना चाहता हूं। इसलिए मैं शेयरधारक को प्राप्त होने वाले लाभांशों पर कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

कुछ कंपनियां अत्यधिक लाभांश वितरित करती हैं। आदर्शतः उन्हें अपने अधिकांश लाभों को अपने पास रखना और उन्हें नए निवेशों में लगाना चाहिए। मैं उन कंपनियों, जो भावी विकास में निवेश करती हैं, को पुरस्कृत करना चाहता हूं। इसलिए मैं इस प्रकार वितरित राशि पर 10 प्रतिशत की मामूली दर पर वितरित लाभों पर कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। यह कर कंपनी पर लगेगा तथा इससे शेयरधारक प्रभावित नहीं होगा।

उत्कृष्ट प्रतिभूतियों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मैं ऐसी प्रतिभूतियों पर स्रोत पर कर की कटौती समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों अथवा अनुमोदित म्युचुअल फंड से प्राप्त आय के संबंध में उपलब्ध कटौती सीमा के समान ही आयकर अधिनियम की धारा 80ठ के अधीन 15,000 रुपए की उच्चतर कटौती सीमा में उत्कृष्ट प्रतिभूतियों को शामिल करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं कि दूरसंचार आधारभूत संरचना का दर्जा प्राप्त करेगा। इसलिए मैं इस क्षेत्र को निम्नलिखित लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं :—

(i) धारा 80झक के अधीन करावकाश;

(ii) लाइसेंस शुल्कों का शोधन; और

(iii) धारा 88 के अधीन कर संबंधी छूट प्रयोजन के लिए दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली सरकारी कंपनी के डिबेंचरों और इक्विटी शेयरों में किए गए निवेश को शामिल करना।

पर्यटन संबंधी आधारभूत संरचना के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए, मैं उन नए होटलों, जो पहाड़ी क्षेत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र अथवा तीर्थस्थान या पर्यटन के महत्व वाले निर्दिष्ट स्थान में अवस्थित हैं, के संबंध में लाभों के 50 प्रतिशत की कटौती देने का प्रस्ताव करता हूं। इन होटलों को व्यय कर से छूट प्रदान की जाएगी। चार महानगरों को छोड़कर अन्य स्थानों में अवस्थित होटलों के संबंध में यह कटौती लाभों का केवल 30 प्रतिशत होगी।

वित्तीय मध्यस्थता पर कर लगाना मजबूत लोक वित्त के सिद्धान्तों के विपरीत है। बैंकों सहित ऋण संस्थाओं को ऋणों तथा अग्रिमों में होने वाली ब्याज संबंधी आय पर आज 3 प्रतिशत की दर से ब्याज कर लगाया जाता है। मैं इसे घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं और मुझे आशा है कि इस कर को पूर्णतः समाप्त किया जा सकेगा। यह उधार लेने की लागत कम करने में सहायक होगा।

सरलीकरण के उपाय के रूप में, उचित व्यापारिक आवश्यकताओं के लिए खर्च किए गए विज्ञापन, यात्रा, होटल व्यय, मनोरंजन व्यय आदि के लिए कृत्रिम अस्वीकृतियों को हटाने की व्यवस्था करने हेतु मैं आयकर अधिनियम की धारा 37 को संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैंने उन बहुत सी छूटों, जो संविधि-संग्रह पर बनी हुई हैं और अपनी प्रासंगिकता अथवा मूलाधार खो चुकी हैं, को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। इनमें धारा 10(15क), 10(26कक), 80छछ और 80जज के अधीन दी जाने वाली छूट और कटौतियां शामिल हैं।

अब मैं अपने अप्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों पर आता हूं।

अप्रत्यक्ष करों के संबंध में न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह निर्दिष्ट किया गया है : "भारत के टैरिफ को विश्व स्तरों के अनुरूप लाने के लक्ष्य की दिशा में की गई प्रगति का मापन और महत्व-निर्धारण किया जाएगा।"

एकाधिक अवसरों पर मैंने यह स्पष्ट किया है कि हम इस शताब्दी के अन्त तक एशियान (एएसईएएन) देशों में प्रचलित औसत टैरिफ स्तर प्राप्त कर लेंगे। इससे भारतीय उद्योग को इन परिवर्तनों के साथ समंजन करने का समय मिलेगा। इस वर्ष के प्रस्तावों को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए।

मैं सीमाशुल्क की अधिकतम दर को 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

पूंजीगत वस्तुओं पर सीमाशुल्क के उच्च स्तर सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी को आकृष्ट करने की हमारी नीति के अनुरूप नहीं हैं। बड़ी-बड़ी परियोजनाओं में ग्रीनफील्ड निवेशों को विश्वव्यापी स्तर पर प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। मैंने भारतीय उद्योग की आवश्यकताओं को पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की अपेक्षाओं के अनुरूप समंजित करने का प्रयास किया है। इसलिए मैं पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क में 25 प्रतिशत से मामूली कमी करके 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। 20 प्रतिशत की यह घटी हुई दर परियोजना आयातों पर भी लागू होगी। अगले दो से तीन वर्षों के दौरान इन दरों को अन्य विकासशील एशियाई देशों में प्रचलित स्तरों के अनुरूप और समंजित करने की आवश्यकता होगी।

मैं योजनाओं, अभिकल्पों तथा आरेखों पर भी सीमाशुल्क लगाने से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

इस्पात उद्योग की कई निविष्टियों पर सीमाशुल्क कम किया जा रहा है। मैं कोकिंग कोयले (जिसमें राख का अंश 12 प्रतिशत से कम हो) पर शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत और अपेक्षाकृत अधिक राख अंश वाले कोकिंग कोयले तथा कोक पर 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं निकल पर शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत, फेरो अलाय पर 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत तथा पुनःवेल्लीय इस्पात स्क्रेप पर 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूं। इन सभी उपायों से इस्पात उद्योग को अपनी उत्पादन लागत कम करने का लाभ मिलना चाहिए।

इस समय लोहा और इस्पात उत्पादों पर सामान्यतया 30 प्रतिशत की दर से सीमाशुल्क लगता है। मैं इस साल कर संरचना में कोई मुख्य परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं करता हूं। तथापि, मैं लोहा और इस्पात के कोल्ड रोल्ड क्वायल पर सीमाशुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि इंजीनियरी उद्योग को मदद मिल सके। मैं तोड़-फोड़ के लिए लाए गए जहाजों पर शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और पिग आयरन पर 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

[श्री पी॰ चिदम्बरम]

मैं गैर-कोकिंग कोयले पर शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे विद्युत-क्षेत्र को मदद मिलेगी।

रसायन, लघु क्षेत्र सहित निचले स्तर के बहुत से उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण निविष्टियां हैं। मैं कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों पर शुल्क 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं कतिपय अत्यावश्यक रसायनों पर शुल्क को कम करके निम्नलिखित प्रकार से करने का भी प्रस्ताव करता हूं :—

* लीनियर अल्काइलबेंजीन पर, 30 प्रतिशत से 20 प्रतिशत
* मेथेनॉल पर, 30 प्रतिशत से 20 प्रतिशत
* नैप्थालीन पर, 30 प्रतिशत से 20 प्रतिशत
* फेनोल पर, 30 प्रतिशत से 25 प्रतिशत
* उत्प्रेरकों पर, 30 प्रतिशत से 25 प्रतिशत।

मैं रंगों, पिगमेंट, पेन्ट तथा वार्निश, ग्लू, एन्जाइम तथा शोधित स्टार्च पर सीमाशुल्क 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने के भी प्रस्ताव करता हूं। इन कटौतियों से हमारा वस्त्र उद्योग काफी लाभान्वित होगा।

अध्यक्ष महोदय, बहु तन्तु करार के अन्तर्गत मात्रात्मक प्रतिबंधों को निर्धारत ढंग से हटा लेने से भी वस्त्र निर्यातक देशों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। वस्त्रोद्योग मंत्रालय ने वस्त्र तथा पटसन दोनों उद्योगों के लिए एक "प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि" स्थापित की है जिससे कि इन क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मक कार्यकुशलता बढ़ सके। इसलिए हमारे वस्त्रोद्योग को यथा संभव कम से कम समय में अपनी प्रौद्योगिकियां उन्नत करनी हैं। पिछले वर्ष मैंने कई प्रकार की वस्त्रोद्योग मशीनरी पर सीमाशुल्क को घटाकर 10 प्रतिशत तक कर दिया था। निर्यातों के लिए अपने पोशाकों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इस वर्ष मैं इस श्रेणी में कुछ और प्रसंस्करण मशीनें शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं। तथापि, घरेलू विनिर्माताओं पर पड़ने वाले किसी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए मैंने उन्हें 10 प्रतिशत की रियायती शुल्क पर इन मशीनों के संघटकों तथा पुर्जों का आयात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

ऊनी वस्त्र उद्योग को राहत के तौर पर मैं परिधान कोटि के ऊन पर आयात शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत, ऊनी अपशिष्ट पर 30 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तथा ऊनी और सिंथेटिक मोटे कपड़ों पर 30 प्रतिशत से 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। फ्लेक्स फाइबर पर मैं शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

हमारे वन संसाधनों को संरक्षित करने के लिए मैं लकड़ी के लट्ठों, ईंधन की लकड़ी, लकड़ी के टुकड़ों आदि को सीमाशुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

"सूचना प्रौद्योगिकी" के प्रसार ने विकास रणनीतियों के संबंध में पारम्परिक ज्ञान में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। मैं इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तथा लागतों में कमी करने के लिए कई उपायों का प्रस्ताव करता हूं। इनमें ये शामिल हैं :—

* कम्प्यूटर साफ्टवेयर को पूरी छूट,
* पापुलेटिड प्रिन्टेड सर्किट बोर्डों को छोड़कर कम्प्यूटर पुर्जों पर शुल्क को 20 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत,
* कार्टिज टेप ड्राइव तथा डिजिटल वीडियो डिस्क ड्राइव पर शुल्क को 20 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत,
* पापुलेटिड प्रिन्टेड सर्किट बोर्डों पर शुल्क को 30 प्रतिशत से कम करके 20 प्रतिशत,
* इन्टिग्रेटिड सर्किटों पर शुल्क को 20 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत,
* कलर मानीटर ट्यूबों पर शुल्क को 20 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत,
* कलर पिक्चर ट्यूबों पर शुल्क को 35 प्रतिशत से कम करके 30 प्रतिशत,
* सेल्यूलर टेलीफोनों तथा पेजरों के पुर्जों पर शुल्क को 30 प्रतिशत से कम करके 20 प्रतिशत,
* दूरसंचार उपकरण पर शुल्क को 40 प्रतिशत से कम करके 30 प्रतिशत तथा उनके पुर्जों पर 30 प्रतिशत से कम करके 20 प्रतिशत।

हाम आपरेटर इस समय शुल्क के रियायती दर पर 50,000/- रुपए मूल्य तक के विशिष्ट उपकरण आयात करने के पात्र हैं। मैं यह सीमा बढ़ाकर 75,000/- रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं घड़ी के पुर्जों और चल भागों पर शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत तथा निकृष्ट धातुओं के घड़ी के डिब्बों पर 50 प्रतिशत से कम करके 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं घड़ी निर्माण सामग्री पर शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूं। इससे हमारे घड़ी उद्योग को अपनी गुणवत्ता को और बढ़ाने में मदद मिलेगी।

हम सभी बढ़ते हुए प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बारे में चिन्तित हैं। सीएलजी किटों की लागत को कम करने के उद्देश्य से, मैंने ऐसे किटों और उनके पुर्जों पर सीमाशुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय किया है। इसी तरह मैं कैटेलेटिक कन्वर्टरों और उनके पुर्जों पर सीमाशुल्क 25 प्रतिशत के मौजूदा दर से काफी घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

डॉक्टरी देख-भाल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, मैं चिकित्सा उपकरणों पर आयात शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 20

है। यह अत्यधिक संवेदनशीलता का भी विषय हैं। इसलिए मैं कोई वायदा नहीं करूंगा। फिलहाल मैं भारतीय रिजर्व बैंक से पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लिए रूपरेखा तैयार करने, प्रत्येक चरण पर उपलब्ध किए जाने वाले आर्थिक मानदण्ड निर्धारित करने और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विस्तृत समय-सारणी बनाने के लिए विशेषज्ञ दल नियुक्त करने का अनुरोध कर रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसे दल की नियुक्ति अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में शामिल होने के हमारे संकल्प के बारे में विश्व को शक्तिशाली संकेत देगी।

मेरे पिछले बजट को कतिपय क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी-अनुकूल माना गया था। मिथ्या-प्रशंसा का अपना लाभ होता है, और मैं वैज्ञानिक समुदाय के साथ अपनी मित्रता मजबूत करने की इच्छा रखता हूं। मैं निम्नलिखित पहल करने का प्रस्ताव करता हूं :

* पिछले वर्ष मैंने यह घोषणा की थी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं तथा साथ ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा अर्जित प्रत्येक अतिरिक्त वाणिज्यिक रुपए को समतुल्य बनाने की स्कीम स्थायी आधार पर जारी रहेगी।

* देशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकरण की गति तेज करने हेतु स्थापित प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने कृषि, स्वास्थ्य, रसायनों और भेषजों के क्षेत्र में 16 परियोजनाओं का पता लगाया है, जो वाणिज्यिक तौर पर व्यवहार्य हैं। वर्ष 1996-97 में मैंने प्रौद्योगिकी विकास निधि को 30 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। मैं वर्ष 1997-98 में इस आवंटन को बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं।

भविष्य की प्रौद्योगिकी वर्तमान विज्ञान पर आधारित है। मैं चिंतित हूं कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा के प्रति दिलचस्पी में कमी हो रही है। मेरा यह मत है कि कोई भी यहां तक कि हार्वर्ड से शिक्षा प्राप्त एम॰बी॰ए॰ भी, किसी वैज्ञानिक से कम नहीं है। हमारी स्वतंत्रता की 50वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री "स्वर्णजयंती" फैलोशिप का शुभारंभ करेंगे। 45 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात और प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को विज्ञान में विश्व श्रेणी का स्तर प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए सहायता दी जाएगी। शिक्षा विभाग के बजट में प्रदान की जा रही 50 करोड़ रुपए की राशि का प्रयोग निधि सृजित करने के लिए किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री इस स्कीम के ब्यौरों की घोषणा करेंगे।

भारतीय उद्योग और सरकारी निधि प्राप्त अनुसंधान प्रयोगशालाओं के बीच घनिष्ठ संपर्क विकसित किया जाना होगा। इसलिए मैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त तथा आयकर अधिनियम के अधीन अधिसूचित सरकार द्वारा प्रवर्तित सोसायटियों को निजी क्षेत्र की कंपनियों की इक्विटी में निवेश करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं। ये संस्थान अपनी इक्विटी के रूप में मुद्रा ही नहीं बल्कि अपने ज्ञान और जानकारी का निवेश करेंगे।

21वीं सदी में प्रभुत्व रखने वाला यदि कोई एक विज्ञान है तो वह सूचना प्रौद्योगिकी है। अगर एक उद्योग, जिसमें भारत विश्व में अग्रणी के रूप में उभर सकता है तो वह सूचना प्रौद्योगिकी है। तथापि, इस क्षमता को पहचानने के लिए हमें सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के विनिर्माण और विपणन के लिए एक पूर्णतः नई नीति की आवश्यकता है। इस समय प्रभावी इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलाजी पार्क (ई॰एच॰टी॰पी॰), सीमित नमनीयता प्रदान करता है। उत्पादन की मात्रा बढ़ाने और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने की अनिवार्य आवश्यकता है। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलाजी पार्क/निर्यातोन्मुखी यूनिटों/निर्यात संवर्धन क्षेत्र की यूनिटों को 12 महीने की किसी अवधि के दौरान अपने उत्पादों का आधा हिस्सा घरेलू बाजार में बिक्री करने तथा दूसरे आधे हिस्से के निर्यात करने की अनुमति दी जाए। घरेलू बाजार में बिक्री अतिरिक्त सीमाशुल्क सहित पूर्ण सीमाशुल्क के समतुल्य उत्पाद शुल्क के भुगतान पर की जाएगी। नई एकीकृत विनिर्माण स्कीम का ब्यौरा नई निर्यात-आयात नीति, जो पहली अप्रैल, 1997 से लागू होगी, में शामिल किया जाएगा।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने नया कंपनी विधेयक तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल तथा एक नया प्रत्यक्ष कर विधेयक तैयार करने के लिए एक अन्य विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इन दोनों दलों ने उत्कृष्ट कार्य किया है और अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी है। इन रिपोर्टों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में अगले सप्ताह रख दी जाएंगी। इनका व्यापक रूप से वितरण भी किया जाएगा। प्रत्येक विधेयक का कार्यचालन प्रारूप तैयार होते ही, उनको भी परिचालित किया जाएगा। मुझे आशा है कि इन दोनों विधेयकों पर विस्तार से, जानकारी से भरपूर विचार-विमर्श किया जाएगा। मैं नए कंपनी विधेयक को सदन में मानसून सत्र के दौरान तथा नए प्रत्यक्ष कर विधेयक को शीतकालीन सत्र के दौरान प्रस्तुत करना चाहता हूं।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम आधारभूत संरचना को उच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। भारत आधारभूत संरचना रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है और अब हमें उस रिपोर्ट को कार्यान्वित करना है। इसक लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता निधियों की है और वह भी दीर्घावधिक निधियों की। इसी कारण से न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कहा गया था कि "आधारभूत संरचना विकास और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बीच जबरदस्त संबंध है। आधारभूत संरचना के लिए दीर्घावधिक निधियों की आवश्यकता है।" माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि दीर्घावधिक निधियां पेंशन और बीमा क्षेत्रों में हैं।

बीमा क्षेत्र में हमारी प्रमुख कंपनियां जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम हैं। एक लम्बे अंतराल के पश्चात् साधारण बीमा निगम और जीवन बीमा निगम के कर्मी-मंडल में पूरे सदस्य नियुक्त किए गए हैं। हमने जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत उन्हें गैर-अनुसूचित, गैर-संघीय निवेश करने, अपने कर्मचारियों और

[श्री पी॰ चिदम्बरम]

एजेंटों की सेवा शर्तों का निर्धारण करने, नियम बनाने तथा कुछ अन्य शक्तियां प्रदान करना शामिल है। उचित समय पर, जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा।

मौजूदा कानूनों के अंतर्गत, एक पुरानी परिभाषा के अनुसार पेंशन निधियों को जीवन बीमा के व्यापार में शामिल किया जाता है। तथापि, यह स्वतः स्पष्ट है कि पेंशन और बीमा दोनों अलग-अलग प्रकार के लाभ हैं और अलग-अलग प्रकार के व्यापार हैं। जहां, जीवन बीमा व्यापार में जीवन बीमा निगम का एकाधिकार है, वहीं बहुत सी पेंशन निधियों को सही रूप से छूट दी गई है और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। मेरे पूर्ववर्ती, प्रतिष्ठित मंत्री जी की पहल पर, भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने 1995 में यू॰टी॰आई॰ सेवानिवृत्ति लाभ योजना की शुरूआत की। इस योजना में लगभग 80,000 अंशदाता शामिल हुए हैं। मेरा प्रस्ताव है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट को उपरोक्त योजना का विस्तार करके उसे एक पूर्णतया पेंशन निधि में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान की जाए। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने इस संबंध में सरकार से अनुरोध किया है; जीवन बीमा निगम को कोई आपत्ति नहीं है; इसलिए यह उचित होगा कि कानूनों में संशोधन किया जाए।

जीवन बीमा निगम ने सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि निगम को पेंशन संबंधी व्यापार में संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करने की अनुमति प्रदान की जाए। ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि जीवन बीमा निगम को इस अधिकार से वंचित रखा जाए। प्रस्तावित संशोधन से जीवन बीमा निगम को ऐसे संयुक्त उद्यमों में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाएगी। इन संशोधनों के पश्चात् भारतीय यूनिट ट्रस्ट की पेंशन निधि जीवन बीमा निगम की पेंशन स्कीमों से मुकाबला करेगी।

इसी प्रकार, हमारे देश में स्वास्थ्य संबंधी बीमा क्षेत्र का प्रसार बहुत ही कम हुआ है। 95 करोड़ की जनसंख्या में से मात्र लगभग 20 लाख भारतीयों के पास किसी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी कवच है। जन आरोग्य योजना, जिसे मुश्किल से छः महीने पहले ही शुरू किया गया था, के लगभग 4 लाख पालिसीधारक बन चुके हैं। स्पष्ट रूप से, स्वास्थ्य बीमा संबंधी योजनाओं की मांग है। साधारण बीमा निगम ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसकी 'मेडिक्लेम' पालिसी सफल नहीं रही है और वह इस प्रकार के व्यापार में संयुक्त उद्यम को प्रोत्साहन देना चाहेगा। साधारण बीमा निगम को भी शिकायत है कि वह स्वास्थ्य बीमा व्यापार में, प्रतिस्पर्द्धा का सामना कर सकेगा। इस संबंध में, मैं आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव रखता हूं ताकि साधारण बीमा निगम संयुक्त उद्यमों की शुरूआत कर सके तथा स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में चुनिंदा भारतीय कंपनियों को भी प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जा सके।

अभी मैंने जो कहा है, वह बीमा क्षेत्र के एक हिस्से की मामूली सी शुरूआत है। जीवन बीमा व्यापार में जीवन बीमा निगम का एकाधिकार जारी रहेगा तथा जीवन-भिन्न, स्वास्थ्य-भिन्न बीमा व्यापार में साधारण बीमा निगम का एकाधिकार बना रहेगा। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि और भारतीय नियंत्रण और अधिकांश भारतीय स्वामित्व वाली केवल कुछ भारतीय कंपनियों को ही स्वास्थ्य बीमा व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। बीमा विनियामक प्राधिकरण (आई॰आर॰ए॰) द्वारा बीमा उद्योग में सेवा प्रदान करने वाली सभी कंपनियों के लिए विस्तृत नियम बनाए एवं लागू किये जाएंगे। उक्त कंपनियों को बीमा विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए विवेकपूर्ण, निवेश संबंधी तथा सामाजिक मानदण्डों को पूरा करना पड़ेगा।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि अपने पिछले बजट भाषण में मैंने वायदा किया था कि 1997-98 तक तदर्थ राजकोषीय हुंडियों की प्रणाली को समाप्त करने के लिए इस बजट में मैं ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा। जिसके संबंध में एक निर्णय की घोषणा मेरे पूर्ववर्ती वित्त मंत्री द्वारा की गयी थी। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में कुछ विशिष्ट उपाय तैयार किए हैं।

बजट घाटे को वित्तपोषित करने के लिए तदर्थ राजकोषीय हुंडियों की प्रणाली को 1 अप्रैल, 1997 से समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार की प्राप्तियों और अदायगियों में अस्थायी असंगतियों का समायोजन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार को अर्थोपाय अग्रिम प्रदान करने की योजना शुरू की जा रही है। सरकार के घाटे को वित्तपोषित करने का यह स्थायी स्रोत नहीं होगा। इन अर्थोपाय अग्रिमों के अतिरिक्त, सरकार के उधार संबंधी कार्यक्रम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता उपलब्ध रहेगी। इस योजना के विवरण की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अलग से की जा रही है।

आज मैं जो कर रहा हूं, वह एक साहसिक और आमूल परिवर्तन है जिससे राजकोषीय व्यवस्था मजबूत होगी तथा मौद्रिक नीति के संचालन में भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। तदर्थ राजकोषीय हुंडियों और निरंतर राजकोषीय हुंडियों को समाप्त करके तथा अर्थोपाय अग्रिम योजना शुरू करने से, सरकार द्वारा निधियों की अल्पावधिक आवश्यकता के संकेतक अथवा मौद्रिक विस्तार की सीमा के रूप में मौजूदा परिभाषा की बजट घाटा संबंधी अवधारणा की प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। इसलिए, यह प्रस्ताव है कि 'बजट घाटा' दर्शाने की प्रथा को समाप्त कर दिया जाए तथा इसके स्थान पर सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) घाटे का प्रमुख संकेतक बन जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार के उधार कार्यक्रम को दी जाने वाली सहायता को बजट दस्तावेजों में "मौद्रिक घाटा" के रूप में दर्शाया जाएगा।

कई देशों ने निवेशकों को मुद्रास्फीति से प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने तथा सरकार द्वारा अपनाई गई मुद्रास्फीति-निवारक नीतियों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए विभिन्न किस्मों के सूचीबद्ध बांडों का प्रयोग किया है। मुझे विश्वास है कि भारत के लिए यह उपयुक्त समय

है कि ऐसे दस्तावेजों की शुरूआत की जाए। इसलिए, मैं एक पूंजीगत सूचीबद्ध बांड की शुरूआत करने का प्रस्ताव रखता हूं जिसके अंतर्गत मूल राशि की वापसी-अदायगी को मुद्रास्फीति से सूचीबद्ध किया जाएगा।

केन्द्र से राज्यों को संसाधनों के अंतरण के लिए अपनाए जाने वाले फार्मूले पर दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित चर्चा-पत्र, मैं पहले ही सदन में रख चुका हूं। राज्यों के विचार भी हमें प्राप्त हो चुके हैं। अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति ने भी इस मामले पर विचार किया है। इन विचार-विमर्शों के आधार पर, मेरा प्रस्ताव है कि दसवें वित्त आयोग द्वारा केन्द्र और राज्यों के बीच बांटे जाने वाले करों के एकल विभाज्य पूल बनाने से संबंधित की गई सिफारिश स्वीकार कर ली जाए। आरम्भ में, हम दसवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए 29 प्रतिशत का अनुपात अपनाते हैं। इससे राज्यों को मिलने वाले वर्तमान हिस्से में सुधार होगा। फिर भी, जब हम इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश करेंगे तो इस विषय पर हम और विचार-विमर्श करने के इच्छुक हैं। हम अपने इस विश्वास की फिर से पुष्टि करते हैं कि भारतीय राजनीति में एक मजबूत केन्द्र और मजबूत राज्यों की, बल्कि मैं कहूं कि मजबूत स्थानीय निकायों की आवश्यकता है।

अब मैं 1996-97 के संशोधित अनुमानों की संक्षेप में चर्चा करूंगा।

1996-97 के बजट अनुमानों में कुल व्यय की राशि 204,660 करोड़ रुपए रखी गई थी। अब यह राशि कम होकर 202,298 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह आयोजना-भिन्न व्यय में 2571 करोड़ रुपए की राशि कम करने तथा आयोजना-व्यय में 209 करोड़ रुपए की वृद्धि करने का निवल प्रभाव है।

चालू वर्ष में, आयोजना-भिन्न व्यय की राशि 147,404 करोड़ रुपए रखी गई है। बजट अनुमानों की तुलना में यह 2571 करोड़ रुपए की कमी का द्योतक है जो मूलतः पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के संभावित प्रभाव के लिए रखे गए 3000 करोड़ रुपए के प्रावधान की बचत के परिणामस्वरूप हुई है। दूसरी तरफ, हमें विनिवेश से मिलने वाले 4500 करोड़ रुपए की प्रत्याशित प्राप्तियां नहीं हुई हैं। इन सब बाधाओं के बावजूद, मैंने वर्ष के दौरान रक्षा के लिए 1700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान रखा है। इसलिए, तुलना करने पर, मेरे विचार से हमने अपनी प्राप्तियों और व्यय को बजट के भीतर ही रखा है।

तथापि मुझे सबसे अधिक संतुष्टि आयोजना पक्ष से है। हमने केन्द्र सरकार के आयोजना व्यय में पर्याप्त राशि बचाई है। इसलिए विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 2500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान करना मेरे लिए संभव हो सका। मैंने वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर को भी 663 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप, कुल आयोजना-व्यय में 209 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। यदि मैंने पीटरं अर्थात् केन्द्र सरकार से कुछ लिया है तो वह पाल अर्थात् राज्य सरकारों को ही दिया है।

अक्तूबर, 1996 में प्रधानमंत्री ने चालू परियोजनाओं के लिए पर्याप्त वित्त-व्यवस्था सहित उत्तर-पूर्व के लिए नए कार्यों के एक पैकेज की घोषणा की थी, जिसके लिए 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की आवश्यकता होगी। सरकार नौवीं योजना में इन परियोजनाओं के लिए निधियां आवंटित करेगी। नुमालीगढ़ रिफायनरी के कार्य में अच्छी प्रगति हो रही है। मैंने 1996-97 के संशोधित अनुमान में इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है तथा समय पर इसका कार्य पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए अगले दो वर्षों में पर्याप्त निधियों की व्यवस्था की जाएगी।

बजट अनुमानों में कुल सकल कर राजस्व की राशि जो कि 132,145 करोड़ रुपए होने का अनुमान था, में, 174 करोड़ रुपए की मामूली वृद्धि होने का अनुमान है, हालांकि केन्द्र के निवल कर राजस्व, जिसकी राशि बजट अनुमानों में 97,130 करोड़ रुपए थी, में लगभग 100 करोड़ रुपए की मामूली कमी आएगी।

राजस्व और व्यय के संशोधित अनुमानों को हिसाब में लेने पर, राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत के बजट अनुमान से कम होकर 2.3 प्रतिशत रह गया है। राजकोषीय घाटे के बजट अनुमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथा यह सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत ही रहेगा। मुझे अफसोस है कि मैं अपने सच्चे आलोचकों को निराश कर रहा हूं।

अपने आलोचकों के बिना हम क्या करेंगे? जैसा सन्त तिरुवल्लूर ने कहा है :

> "इदिप्पराई इल्लाथा इमारा मन्नान
> केदुप्पार इलानुम केदुम"
>
> (जो राजा अपने आलोचकों की परवाह नहीं करता, वह शत्रुओं के बिना ही नष्ट हो जाता है)।

अब मैं, 1997-98 के बजट अनुमानों की चर्चा करूंगा।

कुल व्यय 232,481 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें से 62,852 करोड़ रुपए केन्द्रीय, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं की बजटीय सहायता के रूप में तथा शेष 169,629 करोड़ रुपए की राशि आयोजना-भिन्न व्यय के लिए प्रदान की गई है। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि आयोजना के लिए 1996-97 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 7958 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता की वृद्धि होगी जो मेरा विश्वास है अब तक की गई सर्वाधिक वृद्धि है।

केन्द्रीय आयोजना को दी जाने वाली बजटीय सहायता को ग्रामीण विकास, रोजगार तथा निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों और मानव संसाधन विकास क्षेत्रों में संकेन्द्रित किया जा रहा है। वर्ष 1997-98 में,

[श्री पी॰ चिदम्बरम]

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के लिये परिव्यय राशि बढ़ाकर 9096 करोड़ रुपए की जा रही है, जो वर्ष 1996-97 के संशोधित अनुमानों की राशि से 1271 करोड़ रुपए अधिक है। वर्ष 1997-98 में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार के लगभग 520 मिलियन मानव कार्यदिवस सृजित होने का अनुमान है। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अंतर्गत, लगभग 90,000 निवास-स्थानों को सुरक्षित पेय जल प्रदान किया जाएगा।

सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए परिव्यय की राशि, जो 1996-97 के संशोधित अनुमानों में 11,785 करोड़ रुपए थी, को पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 1997-98 के बजट अनुमान में 15,707 करोड़ रुपए किया जा रहा है। महत्वपूर्ण वृद्धियां शहरी विकास (775 करोड़ रुपए), सामान्य शिक्षा (1189 करोड़ रुपए), तकनीकी शिक्षा (1,32 करोड़ रुपए), परिवार कल्याण (282 करोड़ रुपए) तथा जलापूर्ति और सफाई (312 करोड़ रुपए) के अंतर्गत की गई हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए 1870 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है जबकि वर्ष 1996-97 के संशोधित अनुमानों में यह राशि 1584 करोड़ रुपए थी।

मौलाना आजाद शिक्षा संस्थान के लिए 40 करोड़ रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम को 41 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा रही है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के लिए 96 करोड़ रुपए आवंटन किया जा रहा है। विकलांगों के कल्याण के लिए मैं 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूं तथा राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम के लिए मैं 28 करोड़ रुपए प्रदान कर रहा हूं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम को 47 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं।

वर्ष 1997-98 में आयोजना-भिन्न व्यय की कुल राशि 169,629 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ब्याज अदायगियों की राशि 68,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

देशी उर्वरकों पर उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता राशि के वर्ष 1997-98 में बढ़ाकर 5240 करोड़ रुपए किया जा रहा है जबकि 1996-97 के संशोधित अनुमानों में यह राशि 4743 करोड़ रुपए थी। इसके अतिरिक्त, आयातित उर्वरकों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 1997-98 में बढ़ाकर 1950 करोड़ रुपए किया जा रहा है जबकि 1996-97 के संशोधित अनुमानों में यह राशि 1350 करोड़ रुपए थी। इसके अतिरिक्त विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री पर मिलने वाली आर्थिक सहायता को 1997-98 में बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किया जा रहा है जबकि 1996-97 के संशोधित अनुमानों में यह राशि 1674 करोड़ रुपए थी।

वर्ष 1997-98 में खाद्यान्नों और चीनी संबंधी आर्थिक सहायता के लिए 7500 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की जा रही है, जो 1996-97 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 1434 करोड़ रुपए अधिक है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जब देश भर में दोहरी कार्ड प्रणाली आरम्भ हो जाएगी, तब यदि इसके लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता हुई तो मैं वह राशि प्रदान करूंगा। मैं अपना हृदय खोलकर नहीं दिखा सकता परंतु मेरा मन बहुत कुछ करना चाहता है।

रक्षा के लिए रखे गए परिव्यय का मैं विशेष रूप से उल्लेख करूंगा। रक्षा के लिए 35,620 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा रही है जिसमें पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए 3620 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। विगत में, रक्षा सेवाओं के राजस्व व्यय के लिए आमतौर पर कम प्रावधान रखा जाता रहा है। इस वर्ष, मैंने रक्षा मंत्रालय से राजस्व व्यय की पूर्ण व्यवस्था करने के लिए कहा है। पूंजी खाते में अभी मैं 8907 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहा हूं, जो 1996-97 के संशोधित अनुमान से 402 करोड़ रुपए अधिक है। लेकिन इसके साथ ही मैं यह वायदा करता हूं और दृढ़ आश्वासन देता हूं कि वर्ष के दौरान पूंजी व्यय संबंधी रक्षा सेवाओं की किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता के लिए पर्याप्त राशि प्रदान की जाएगी। अध्यक्ष महोदय इस संबंध में मेरे विचार भी सही हैं।

पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए कर्मचारियों के लिए 4205 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है; इसमें रक्षा और रेलवे कर्मचारी शामिल नहीं हैं, जिनके लिए इस बजट तथा रेलवे बजट में अलग से प्रावधान किया गया है। वेतन आयोग की सिफारिशों पर स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार शीघ्रता से कार्रवाई की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को दी जाने वाली सहायता हेतु आयोजना-भिन्न प्रावधान में निरंतर वृद्धि हो रही है। 1996-97 में, हमने भारत यंत्र निगम, भारत भारी उद्योग निगम, हिन्दुस्तान कागज निगम, स्कूटर इंडिया, एचईसी, तथा भारत रिफ्रैक्ट्रीज के लिए पुनरुद्धार पैकेज प्रदान किया था। 1997-98 के लिए, मैं आयोजना-भिन्न ऋणों के रूप में 1107 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रख रहा हूं और मुझे आशा है कि अगले वर्ष के दौरान हम और अधिक पुनःसंरचित प्रस्तावों को अनुमोदित करेंगे।

अब मैं राजस्व प्राप्तियों की चर्चा करूंगा।

कराधान की मौजूदा दरों पर, सकल कर राजस्व 153,347 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। राज्यों के करों के हिस्से के रूप में 40,254 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने के पश्चात, केन्द्र का निवल कर राजस्व 113,094 करोड़ रुपए होगा। कर-भिन्न राजस्वों में भी अच्छी बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 1997-98 में इस शीर्ष के अधीन 39,749 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान है। मैंने सेल्यूलर और बुनियादी दूरसंचार सेवाओं के निजी प्रचालकों से लाइसेंस शुल्क के रूप में 3681 करोड़ रुपए का ऋण लिया है।

केन्द्र के लिए कर-भिन्न प्राप्तियों सहित निवल राजस्व प्राप्तियां 1996-97 के संशोधित अनुमान के 150,783 करोड़ रुपए से बढ़कर 1997-98 में 152,843 करोड़ रुपए हो जाने की आशा है।

प्रतिशत, कैंसर उपचार के लिए इस्तेमाल होने वाले 15 एमईवी या इससे अधिक के लाइनियर एक्सीलेटरों पर 10 प्रतिशत से 0 प्रतिशत, तथा चश्मे के लेन्स बनाने के लिए अफ्थालामिक ब्लैंकों पर 50 प्रतिशत से 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैं होटलों के लिए आवश्यक विशिष्ट उपकरणों पर आयात शुल्क 35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत तथा विदेशी पर्यटकों द्वारा उपयोग की जाने वाली विशिष्ट विशेष खाद्य मदों पर 50 प्रतिशत से 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं सिने फिल्मों तथा अन्य फोटोग्राफिक फिल्मों पर आयात शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत और कैमरा के पुर्जों पर 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करके फिल्म और फोटोग्राफी उद्योग को भी कुछ राहत देने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं असबाब पर सीमाशुल्क 60 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

अब मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपने प्रस्तावों पर आता हूं।

हमारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संरचना काफी अधिक जटिल है। कुछ समय पहले तक, हमारे पास करों की दरों में विविधता, अंत-उपयोग की असंख्य छूटें तथा अन्य विरूपण थे। पर्याप्त सरलीकरण किया जा चुका है। विगत जुलाई में, मैंने यह वायदा किया था कि तीन वर्षों के अन्दर हमारे पास चार दरों वाली कर संरचना होगी। मुझे यह मालूम है कि प्रथमतः उत्पाद शुल्क की दरों के फैलाव को कम करना आवश्यक है। मेरा विश्वास है कि हम अन्ततः लगभग 18 प्रतिशत के माध्यम दर की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर, मैंने तीन नई दरें अर्थात् 8 प्रतिशत, 13 प्रतिशत और 18 प्रतिशत शुरू की हैं। इस प्रक्रिया में मैंने 20 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत की दरों (कुछ पेट्रोलियम उत्पादों के मामले के सिवाय) को समाप्त कर दिया है। राजस्व के हित में मैंने फिलहाल 15 प्रतिशत की दर बनाए रखी है जो कि धातुओं और कुछ अन्य वस्तुओं पर लागू होगी।

तथापि, उत्पाद शुल्क संरचना को अभी भी बहुत सी छूटें मिली हुई हैं। कुछ अपरिहार्य अपवादों के साथ सभी वस्तुओं पर न्यूनतम दर से उत्पाद शुल्क लगाया जाना चाहिए। मैं अगले वर्ष के बजट में यह कार्य शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं।

सूती धागे पर 5 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क जारी रहेगा।

मैं मुरब्बा, जेली, चटनी और शोरबा जैसी वस्तुओं के कुछ मामलों में छूट वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं जिन पर मैं 8 प्रतिशत का [illegible] का शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। इसी तरह मैं 100 रुपए से अधिक मूल्य वाले पेनों और बाल पाइन्ट पेनों और पावर-रहित धूप के चश्मों पर 8 प्रतिशत का शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। तथापि, लेखन स्याही उत्पाद शुल्क से मुक्त रहेगी।

बिस्कुट, चीनी की मिठाइयां, धुलाई के साबुन, टूथ पेस्ट, टूथ पाउडर, कांच के रसोई के बरतन-भाड़े और दीवार घड़ियां तथा प्रति नग 600 रुपए तक की मूल्य वाली घड़ियों जैसी व्यापक उपभोग वाली बहुत सी वस्तुओं पर मैं उत्पाद शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। 13 प्रतिशत की दर प्रति नग 600 रुपए से अधिक की घड़ियों और दीवार घड़ियों और मशीनरी और पुर्जों, दोपहिया मोटर वाहनों के टायर एवं ट्यूब प्रदीप्त ट्यूबों और कम्प्यूटर एवं उनके पुर्जों जैसी मदों के लिए शुल्क दर होगी। 13 प्रतिशत की घटी हुई यह दर एक्सरे फिल्मों, सफाई के तौलियों, बच्चों के नैपकिन और इसी तरह की सफाई की वस्तुओं पर लागू होगी।

बहुत से उत्पादों के संबंध में, मैं उत्पाद शुल्क में 2 प्रतिशत से लेकर 7 प्रतिशत तक की कटौती करने तथा इन पर मध्यम दर लागू करने का प्रस्ताव करता हूं। तदनुसार, 18 प्रतिशत की मध्यम दर कोको और कोको से तैयार किए गए पदार्थों, तुरंती काफी, शरबत, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, पेन्ट और रंग-रोगन, इलैक्ट्रिक तार और केबल, प्रसाधन के साबुन, डिटर्जेन्ट, चमड़े की वस्तुएं, सिन्थेटिक रबड़, फाइबर तथा मिश्रित सिन्थेटिक धागे, कागज तथा गत्ता, प्लाइवुड, यात्रा के सामान तथा बहुत-सी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं सहित कई पण्य वस्तुओं पर लागू होगी।

कृषि तथा बागवानी की मशीनरी को पहले ही उत्पाद-शुल्क से पूरी तरह छूट मिली हुई है। मैं उत्पाद शुल्क से यह छूट दूध निकालने वाली मशीनों, डेयरी मशीनरी तथा उनके पुर्जों को प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

रुग्ण पटसन उद्योग का पुनरुद्धार करने और उनको बढ़ावा देने के लिए मैं सभी पटसन एवं पटसन के उत्पादों को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

इस समय मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों द्वारा उपकरण एवं उपभोक्ता वस्तुओं के आयात को सीमाशुल्क से छूट मिली हुई है। देशी उत्पादकों के हित में, मैं ऐसे संस्थानों द्वारा देशी उपकरण एवं उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद को उत्पाद शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं पूर्णरूपेण एक अधिक संतुलित उत्पाद शुल्क ढांचा बनाने के लिए कुछ वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क घटाने का भी प्रस्ताव करता हूं। ये प्रस्तावित परिवर्तन निम्नलिखित हैं :—

* शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए टैक्सियों और करों पर शुल्क को 30 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत
* पोलिस्टर फिलामेन्ट यार्न पर शुल्क को 40 प्रतिशत से कम करके 30 प्रतिशत
* सौन्दर्य-प्रसाधन एवं शौचालय की वस्तुओं को 40 प्रतिशत से कम करके 30 प्रतिशत

[श्री पी॰ चिदम्बरम]

* चमकदार टाइलों पर शुल्क को 30 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत
* वातानुकूलकों पर शुल्क को 40 प्रतिशत से कम करके 30 प्रतिशत।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में सार्वजनिक तौर पर धूम्रपान वर्जित है। कैंसर और सांस की बीमारियों के विरूद्ध संघर्ष जारी है। मेरा योगदान गैर-फिल्टर सिगरेटों, जिनकी लम्बाई 60 एम॰एम॰ से अधिक न हो, जिन्हें सामान्यतया छोटे सिगरेट कहा जाता है, पर उत्पाद शुल्क 75 रुपए प्रति हजार से बढ़ाकर 90 रुपए प्रति हजार करना होगा। मैंने अन्य श्रेणियों के सिगरेटों पर भी उत्पाद शुल्क में बढ़ोत्तरी की है। ये बढ़ोत्तरियां 20 रुपए से लेकर 70 रुपए प्रति हजार तक की गई हैं। बीड़ी पर 1993 से उत्पाद शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए मैं बीड़ी पर उत्पाद शुल्क को प्रति हजार 5 रुपए से बढ़ाकर प्रति हजार 6 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। फुटकर मूल्य पर मुझे बताया गया है कि शुल्क के इस परिवर्तन का प्रभाव 20 बीड़ियों के एक बण्डल के लिए मात्र 2 पैसे होगा। जहां तक सिगरेटों का संबंध है, प्रत्येक छोटे सिगरेट के लिए यह वृद्धि 15 गुना अधिक होगी।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : अध्यक्ष महोदय क्या आप संतुष्ट हैं?

श्री पी॰ चिदम्बरम : लघु क्षेत्र का हमारे समग्र उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है जिससे लाभकारी रोजगार मिलता है तथा साथ ही हमारे निर्यात उपलब्धियों में भी इसका योगदान है। यह इस सरकार की घोषित नीति है कि लघु उद्योग को दुर्वहनीय प्रक्रियाओं की कठिनाइयों से मुक्त रखा जाए। इस उद्देश्य के अनुरूप ही मैंने लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए उत्पाद-शुल्क की रियायतों की योजना को मूलतः सरल बना दिया है। मैं एक वित्तीय वर्ष में 30 लाख रुपए तक की निकासियों पर शुल्क की पूरी छूट जारी रखना चाहता हूं। इसके बाद किसी लघु इकाई को 30 लाख रुपए से अधिक और 100 लाख रुपए तक की निकासियों पर एक समान दर से उत्पाद शुल्क का भुगतान करना होगा बशर्ते कि वह लघु इकाई भुगतान किए गए शुल्क वाली निविष्टियों पर किसी मॉडवेट ऋण का लाभ न उठाती हो। शुल्क की एक समान दर 30 लाख रुपए से 50 लाख रुपए की निकासियों पर मूल्यानुसार 3 प्रतिशत तथा 50 लाख रुपए से लेकर 100 लाख रुपए के बीच की निकासियों पर मूल्यानुसार 5 प्रतिशत होगी। एक समान दर उन सभी विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर लागू होगी जिन पर लघु छूट योजना लागू है। छूट की संशोधित योजना में, लघु इकाइयों के लिए मॉडवेट का लाभ उठाने हेतु पेचीदे रिकार्ड रखने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके लिए वस्तुओं का वर्गीकरण निर्धारित करना भी आवश्यक नहीं होगा।

शुल्क भुगतान से बचने पर नियंत्रण लगाने के लिए, मैंने सूती धागे और मानवनिर्मित कृत्रिम धागे जैसी कुछ वस्तुओं को लघु उद्योग छूट योजना के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने का निश्चय किया है।

अध्यक्ष महोदय, हालांकि हमारी यह नीति है कि कर दरों को संतुलित किया जाए तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए, फिर भी सरकार कर-अपवंचन को रोकने के लिए उतनी ही प्रतिबद्ध है। यह सूचना मिली है कि प्रेरण भट्ठी, स्टील रि-रॉलिंग मिलों आदि जैसे कुछ क्षेत्रों में उत्पाद-शुल्क का अपवंचन अधिक होता है और उत्पादन के बारे मे ठीक ठीक सूचना नहीं दी जा रही है। मैं उनकी उत्पादन क्षमता के आधार पर उत्पाद शुल्क की वसूली शुरू करके इस समस्या का समाधान करने का प्रस्ताव करता हूं। उपरोक्त परिवर्तन का कार्यान्वयन करने के लिए उत्पाद शुल्क कानून में उपयुक्त विधायी परिवर्तनों पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावों का ब्यौरा इस सदन में यथा-समय प्रस्तुत किया जाएगा।

सामान्य नागरिक बहुत सारी वस्तुओं का उपभोग करता है। मेरे प्रस्तावों- कुछ बढ़ोत्तरियों तथा बहुत सारी कटौतियों के परिणामस्वरूप मुझे विश्वास है कि इन वस्तुओं के कर भार में पर्याप्त कमी आएगी।

सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 40 प्रतिशत योगदान है। "सेवाएं" "विनिर्मित वस्तुओं" की तरह ही उत्पादक वस्तुएं हैं। इन दोनों पर कर लगाया जाना चाहिए। इसीलिए मैं बहुत सी सर्वविदित सेवाओं को इसके अन्तर्गत लाने के लिए सेवा कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं जैसे :-

* माल को सड़क मार्ग से लाना-ले जाना;
* परामर्शी इंजीनियर;
* सीमाशुल्क गृह, स्टीमर तथा निकासी और अग्रेषण अभिकर्त्ता,
* हवाई यात्रा अभिकर्त्ता, टूर ऑपरेटर तथा कार किराया एजेंसियां;
* बाह्य खान-पान प्रबंधन, पंडाल ठेकेदार तथा मन्डप रक्षक;
* जन-शक्ति भर्ती अभिकर्त्ता।

सेवा कर संबंधी प्रस्तावों से एक समूचे वर्ष में 1200 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। तथापि, वित्तीय वर्ष 1997-98 के शेष भाग के लिए, मैं 900 करोड़ रुपए का ऋण ले रहा हूं। मैं सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार करने के लिए, मैं सड़क मार्ग से माल की ढुलाई पर लगाए गए सेवा कर से प्राप्त हुई पर्याप्त आय का उपयोग करने का प्रस्ताव करता हूं जिससे कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संसाधनों को बढ़ाया जा सके।

पारम्परिक आधार पर, सीमाशुल्क में कटौती से संबंधित मेरे प्रस्तावों से एक वित्तीय वर्ष में 2625 करोड़ रुपए की हानि होने का अनुमान है तथा उत्पाद शुल्कों के मामले में, मेरे प्रस्ताव मोटे तौर पर राजस्व निष्प्रभावी हैं। तथापि, अर्थव्यवस्था को जो उत्फुल्लता और

संवृद्धि की गति मिलेगी उससे पारम्परिक हिसाबों से परिकलित हमारी हानियों की कहीं अधिक क्षतिपूर्ति हो जाएगी।

अब मुझे अपने सहयोगी संचार मंत्री, जिन्होंने आज इसके पहले एक विवरण दिया है, की ओर से कुछ कहना है। कुछ डाक सेवाओं के टैरिफों में संशोधन करना अपरिहार्य हो गया है। तथापि, ऐसा करने में हमने आम आदमी के हित और व्यापक सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में डाक सेवाओं की भूमिका को ध्यान में रखा है। हालांकि पंजीकृत समाचार पत्रों के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया गया हैं, साधारण पोस्टकार्ड का मूल्य बढ़ाकर 25 पैसे तथा मुद्रित पोस्टकार्ड का मूल्य 1.50 रुपए किया जा रहा है। अन्तर्देशीय पत्र का मूल्य भी 75 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपए तथा लिफाफे का मूल्य 1 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए किया जा रहा है। कुछ अन्य परिवर्तन भी किए जा रहे हैं जिन्हें बजट दस्तावेजों के साथ परिचालित ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है। ये परिवर्तन उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसे बाद में अधिसूचित किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधनों से समूचे वर्ष में 367 करोड़ रुपए और 1997-98 के दौरान 305 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। यह मामूली वृद्धि डाक सेवाओं के विकास तथा डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही बहुसंख्यक सेवाओं पर घाटे की आंशिक पूर्ति करने के लिए आवश्यक है।

सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क में उपर्युक्त परिवर्तनों को लागू करने वाली अधिसूचनाओं की प्रतियां यथा-समय सदन के पटल पर रख दी जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय इतने परिश्रम के पश्चात्, अब मुझे अन्तिम निष्कर्ष पर आना चाहिए। 1997-98 में राजस्व घाटा 30,266 करोड़ रुपए अथवा सकल घरेलू उत्पाद का 2.1 प्रतिशत रखा गया है। राजकोषीय घाटा 65,454 करोड़ रुपए बैठता है जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत है। मैं राजकोषीय सुधार की दिशा जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता से विचलित नहीं हुआ हूं। इस सदन के समर्थन से तथा जैसा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में वायदा किया गया है, मैं अगले बजट में राजकोषीय घाटे को 4 प्रतिशत से नीचे लाने की आशा करता हूं।

हमारा उद्देश्य तीव्र और व्यापक आधार वाली संवृद्धि को प्राप्त करना होना चाहिए और केवल वही अपेक्षाकृत अधिक रोजगार, बेहतर जीवन-स्तर तथा एक मानवोचित एवं न्यायसंगत समाज का विकास सुनिश्चित कर सकती है। आज जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं वे भारत के लिए अनूठी नहीं है। एशिया के हमारे मित्र देशों सहित अन्य देशों ने इसी तरह की चुनौतियों का सामना किया है। जापान ने इसका मार्ग प्रशस्त किया है। अन्य एशियाई देश उस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। और अन्ततः चीन का उदाहरण है जो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इन देशों ने यह दिखा दिया है कि साहस, विवेक और व्यावहारिकता से वे विश्व में अपना उचित स्थान बना सकते हैं।

देंग जियाओ पेंग, जिन्हें हमने कुछ दिन पहले श्रद्धांजलि अर्पित की है, ने एक बार कहा था, "पिछले कुछ वर्षों के हमारे अनुभव से आर्थिक विकास के लिए पूर्णतया यह संभव है कि प्रत्येक कुछ वर्षों में वह एक नई अवस्था में पहुंच जाए। विकास ही ठोस सच्चाई है। भारत की अर्थव्यवस्था भी एक नई अवस्था में पहुंच गई है। छः वर्ष पहले की तुलना में, आज हमारा प्यारा भारत कहीं अधिक मजबूत है।"

मैं इस सदन और भारतीय जनता से गुरूदेव रबिन्द्रनाथ टैगोर के इस आह्वान की ओर ध्यान देने के लिए निवेदन करूंगा :

"देश-देश नन्दिता करी मंद्रिता ताभा भेरी,
आशिलो जाता बीरब्रिन्दा आशना ताभा घेरी।
दीन आगता ओई, भारत ताबू कयी?
शाय की रहिला लुप्ता अजी शबा जाना पाश्चात्य?
लाउक विश्वकर्माभार मिली शाबर शथय"

(तुम्हारी पुकार दुनिया के सभी देशों तक फैल चुकी है और लोग तुम्हारे आसन के चहुं ओर एकत्र होने लगे हैं। वह दिन आ गया; लेकिन भारत कहां है? क्या वह अभी भी छुपा है, काफी पीछे है? उसे अपना बोझ स्वयं उठाने दो और सबके साथ मिलकर आगे बढ़ने दो)

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह बजट इस महान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : महोदय, इस्पात उद्योग को एक गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है...*(व्यवधान)*

डा॰ देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : महोदय, प्रत्येक व्यक्ति को यह उम्मीद थी कि न्यूनतम वैकिल्पक कर समाप्त किया जाएगा क्योंकि पूंजी बाजार में फिर से जान फूंकने के लिए यह सबसे बड़ी बांधा थी जो कि आज मंदी की स्थिति में है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, मंत्री महोदय वित्त विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

अपराह्न 6.26 बजे

वित्त विधेयक, 1997*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव करता हूं।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 28.2.97 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी॰ चिदम्बरम : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।**

अध्यक्ष महोदय : वित्त विधेयक, 1997 पुरःस्थापित हुआ।

अब सभा सोमवार पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.27 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 3 मार्च, 1997/12 फाल्गुन, 1918(शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

पी. एल. एस.—48/9/7/97 (एन.)
220

© 1997 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और डाटा प्वाइंट कम्प्यूटिंग टैक्नोलोजी (इंडिया) प्रा.लि., जनक पुरी, नई दिल्ली—58 द्वारा मुद्रित।